सत्यमेव जयते

नीति आयोग

वार्षिक रिपोर्ट

2025-26

www.niti.gov.in

सत्यमेव जयते

नीति आयोग

वार्षिक रिपोर्ट

2025-26

संक्षिप्ताक्षर

एबीपी	आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम
एसीआईसी	अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र
एडीबी	एशियाई विकास बैंक
एडीपी	आकांक्षी जिला कार्यक्रम
एईडीपी	एआईएम इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम
एआई	कृत्रिम मेधा
एआईसी	अटल इन्क्यूबेशन केंद्र
एआईसी-आईआईएसईआर	अटल इनक्यूबेशन केंद्र - भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान
एआईसी-जेआईटी	अटल इनक्यूबेशन केंद्र – ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फाउंडेशन
एआईसी-एसकेयू	अटल इनक्यूबेशन केंद्र - श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय
एआईसीटीई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
एआईआईएमएस	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
एआईएम	अटल नवाचार मिशन
एएमए	अधिकृत चिकित्सा परिचारक
एएमसीएचएएम	अमेरिकन चैंबर
एएमडी	उन्नत सूक्ष्म उपकरण
एएनआईसी	अटल न्यू इंडिया चैलेंज
एएनआईआईटी	अंडमान निकोबार द्वीप समूह परिवर्तन संस्था
एएनआरएफ	अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान
ए-पीएजी	वायु प्रदूषण कार्रवाई समूह
एपीएआर	वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट
एपीईए	एशिया प्रशांत मूल्यांकन संघ
एएसआईएल	अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्चपैड
एएसआर	अल्लूरी सीताराम राजू
एएसएसईटी	सतत राज्य ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाना
एटीई	एसोसिएटेड टेक्सटाइल इंजीनियर्स
एटीएल	अटल टिंकरिंग लैब
आयुष	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी
बीसीजी	बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप
बीसीपीपीईआर	भुवनेश्वर-कटक-पारादीप-पुरी क्षेत्र

बीआईपीएआरडी	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान
बीआईएस	भारतीय मानक ब्यूरो
बीएमजीएफ	बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
बीओटी	निर्माण - संचालन - हस्तांतरण
बीटीसी	बोडोलैंड जनजातीय परिषद
सीएक्यूएम	वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
सीबीएएम	कार्बन सीमा समायोजन तंत्र
सीबीसी	क्षमता निर्माण आयोग
सीबीडीटी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीजी	कंप्रेस्ड बायोगैस
सीबीएसई	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
सीसीटीएस	कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम
सीसीयूएस	कार्बन प्रग्रहण, उपयोग और भंडारण
सीडीआर	कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन
सीडीएससीओ	केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन
सीईई	स्थापना व्यय समिति
सीईईडब्ल्यू	ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद
सीईआईसी	चीन आर्थिक सूचना केंद्र
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीजीएचएस	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना
सीजीटीपी	कर नीति पर परामर्श समूह
सीएचआरडी-एसएएस	स्वास्थ्य अनुसंधान एवं विकास केंद्र - अनुप्रयुक्त अध्ययन सोसायटी
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीआईटीएजी	शासन में नवाचार और परिवर्तन केंद्र
सीएम	करियर प्रबंधन
सीएमआईई	भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र
सीओ$_2$	कार्बन डाईऑक्साइड
सीओसी	चैंपियंस ऑफ चेंज
सीओएलआईसी	केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति
सीओपी	पक्षकारों का सम्मेलन
सीओपी30	पक्षकारों के सम्मेलन का 30वां सत्र

सीपीडीएम - आईआईएम-यू	विकास नीति एवं प्रबंधन केंद्र - भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर
सीपीग्राम्स	केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली
सीपीओ	चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर
सीपीएसई	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
सीआरईएमओडी	विकेंद्रीकृत शासन मॉडल पर चिंतन आयोग
सीएस	केंद्रीय क्षेत्र
सीएससी	सामान्य सेवा केंद्र
सीएसईपी	सामाजिक और आर्थिक प्रगति केंद्र
सीएसआईआर	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सीएसआर	कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी
सीएसएस	केंद्र प्रायोजित योजना
सीएसएसडीए	छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण
सीएसएस	केंद्र प्रायोजित योजनाएं
डीएई	परमाणु ऊर्जा विभाग
डीबीएफओटी	डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और हस्तांतरण
डीबीटी	जैव प्रौद्योगिकी विभाग
डीबीटी बीआईआरएसी	जैव प्रौद्योगिकी विभाग - जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद
डीसी	जिला कलेक्टर
डीडीजी	उप महानिदेशक
डीडीजी	विस्तृत अनुदान मांग
डीडीडब्ल्यूएस	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
डेलनेट	पुस्तकालय नेटवर्क का विकास
डीएफसीसीआईएल	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
डीएफपीडी	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
डीएफएस	वित्तीय सेवाएं विभाग
डीजी	महानिदेशक
डीजीक्यूआई	डेटा अभिशासन गुणवत्ता सूचकांक
डीएचटीआई	रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान
डीआईबी	प्रत्यायोजित निवेश बोर्ड
डीआईईटी	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
डीआईवाई	इसे अपने आप करें

डीएम	जिला मजिस्ट्रेट
डीएमए	डेटा प्रबंधन और विश्लेषण
डीएमईओ	विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय
डीओएलआर	भूमि संसाधन विभाग
डीओपीटी	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
डीओएस	अंतरिक्ष विभाग
डीओएसईएल	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
डीओडब्ल्यूआर	जल संसाधन विभाग
डीपीआईआईटी	उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीआरडीओ	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
डीएसआईआर	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग
डीएसटी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
डीटीयू	डेनमार्क का तकनीकी विश्वविद्यालय
डीएक्स	डिजिटल परिवर्तन
ईएंडएफ I	अर्थ एवं वित्त I
ईएंडएफ II	अर्थ एवं वित्त II
ईएजी	विशेषज्ञ सलाहकार समूह
ईबीसी	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग
ईबीआर	रेलवे का विस्तारित बोर्ड
ईसी	यूरोपीय आयोग
ईसीसीई	प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा
ईसीओआई	भारतीय मूल्यांकन समुदाय
ईसीओएसओसी	आर्थिक और सामाजिक परिषद
ईईजेड	विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र
ई-फास्ट	सतत परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलेरेटर
ईएफसी	व्यय वित्त समिति
ई-एचआरएमएस	इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली
ईएलटी	कार्यकाल समाप्ति टायर
ईएलवी	कार्यकाल समाप्ति वाहन
ई-एमएचडीवी	इलेक्ट्रिक मीडियम और हेवी-ड्यूटी वाहन

ईओडीबी	व्यवसाय करने की सरलता
ईओडीआर	अनुसंधान करने की सरलता
ईपीआई	निर्यात तत्परता सूचकांक
ईपीआर	विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व
ईएसजी	पर्यावरण, समाज और शासन
ईएसटीआईसी	उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन
ईयू	यूरोपीय संघ
ईयू ईटीएस	यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली
ईवी	इलेक्ट्रिक वाहन
ईडब्ल्यूएस	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
एफएओ	खाद्य एवं कृषि संगठन
एफसीडीओ	विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय
एफसीआरए	विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम
एफडीआई	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफईडी	आर्थिक विकास प्रतिष्ठान
फिक्की	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ
एफपीओ	किसान - उत्पादक संगठन
एफपीएस	उचित मूल्य की दुकानें
एफएसआईडी	विज्ञान, नवाचार और विकास प्रतिष्ठान
एफएसएसएआई	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
एफटीए	मुक्त व्यापार करार
एफटीएच	फ्रंटियर टेक हब
एफवाई	वित्त वर्ष
एफवाईडीओएन	स्वतंत्र युवा लोकतांत्रिक संगठन, नेपाल
जी20	बीस का समूह
जीसीएसएंडसी	शासी परिषद सचिवालय और समन्वय
जीएफएफ	ग्लोबल फिनटेक फेस्ट
जीएचजी	ग्रीनहाउस गैस
जीआईएल	सरकारी नवाचार प्रयोगशाला
जीआईआरजी	वैश्विक सुधार और विकास सूचकांक
जीआई	वैश्विक सूचकांक

जीआईजेड	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सोसायटी (गेसेलशाफ्ट फोर इंटरनेशनल जुसमेनारबैत)
जीजेईपीसी	रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद
जीओआई	भारत सरकार
जीआर	गंगा संरक्षण
ग्रिट	गुजरात राज्य परिवर्तन संस्था
जीएसडीपी	हरित और सतत विकास साझेदारी
जीएसआई	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
जीयूजेसीओएसटी	गुजरात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद
जीवीए	सकल मूल्यवर्धन
जीवीसी	वैश्विक मूल्य श्रृंखला
एचएएम	हाइब्रिड वार्षिकी मोड
एचसीआरपीआई	हिल सिटी क्षेत्र नियोजन पहल
एचईआई	उच्च शिक्षा संस्थाएं
हिंडालको	हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एचआईटीईएस	एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड
एचएलसी	उच्च स्तरीय समिति
एचएलसी-एनएफआरआर	गैर-वित्तीय नियामक सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति
एचएलसी-वीबी	विकसित भारत के लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर उच्च स्तरीय समिति
एचएलपीएफ	उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम
एचएसआरसी	हिमालयन राज्य क्षेत्रीय परिषद
आईएएस	भारतीय प्रशासनिक सेवा
आईसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आईसीडीके	इनोवेशन सेंटर डेनमार्क
आईसीडीएस	एकीकृत बाल विकास सेवाएं
आईसीई	आंतरिक दहन इंजन
आईसीएमआर	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
आईसीआरआईईआर	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद
आईईए	अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी
आईईईई	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स संस्थान
आईईएमआई	भारत इलेक्ट्रिक गतिशीलता सूचकांक

आईईओ	स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय
आईईएसएस	भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य
आईएफसी	अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम
आईएफसी	सहयोग संस्थान
इफको	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड
आईएफएस	भारतीय विदेश सेवा
आईएचआर	भारतीय हिमालयी क्षेत्र
आईआईएफएम	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान
आईआईआईटी	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
आईआईएम	भारतीय प्रबंधन संस्थान
आईआईएस	भारतीय कौशल संस्थान
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईएलओ	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
आईएमएफ	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईएमएमटी	खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान
आईएनआर	भारतीय रुपया
आईएनएसए	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी
आईएनटीए	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मामले
आईपी4यूथ	युवाओं के लिए बौद्धिक संपदा
आईपीआर	बौद्धिक संपदा अधिकार
आईएसबी	इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस
आईएसएस	भारतीय सांख्यिकी सेवा
आईएसटीएम	सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान
आईटीए	अरुणाचल परिवर्तन संस्थान
आईटीईसी	भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम
आईटीआई	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
जेईसीआरसी	जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और अनुसंधान केंद्र
जेजेएम	जल जीवन मिशन
जेएनएआरडीडीसी	जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान, विकास एवं डिजाइन केंद्र
जेएनयू	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
जे-पीएएल	अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब

जेएससी	संयुक्त संचालन समिति
केएएटीसी	कार्बी आंगलोंग जनजातीय परिषद
केआईएच	ज्ञान नवाचार केंद्र
केआईपी	भारत को जानें कार्यक्रम
केपीआई	प्रमुख प्रदर्शन संकेतक
केएसईबीएल	केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड
केएसपीपीसी	कर्नाटक राज्य नीति एवं योजना आयोग
केवीआर	काशी विंध्य क्षेत्र
एलबीएसएनएए	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी
एलसीए	जीवन चक्र मूल्यांकन
एलएफओएफ	आइए अपने भोजन को सुधारें
एलआईबी	लिथियम-आयन बैटरी
एलआईजी	निम्न-आय वर्ग
एलआईपीआई (लिपि)	भाषा समावेशी नवाचार कार्यक्रम
एलकेआई	अग्रणी ज्ञान संस्था
एलएलपी	सीमित देयता भागीदारी
एलएनओबी	कोई भी पीछे न छूटे
एलडब्ल्यूई	वामपंथी अतिवाद
एमसीए	मॉडल रियायत करार
एमसीटी	करियर मध्य प्रशिक्षण
एमडी	मिशन निदेशक
एमडीओएनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
मेगडीएपी	मेघालय डेटा एवं विश्लेषण प्लेटफॉर्म
एमएचए	गृह मंत्रालय
एमआईएस	मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस
एमआईटीआरए	महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान
एमएल	मशीन लर्निंग
एमएमएलपी	मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क
एमएमआर	मुंबई महानगर क्षेत्र
एमओएएफडब्ल्यू	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
एमओसी	सहयोग ज्ञापन

एमओईएफसीसी	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमओईएस	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
एमओएचयूए	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
एमओएलई	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
एमओपी	कार्यालय प्रक्रिया नियमावली
एमओपीआर	पंचायती राज मंत्रालय
एमओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमओआरटीएच	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एमओएसपीआई	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमओडब्ल्यूसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एमपीआई	बहुआयामी गरीबी सूचकांक
एमपीआरएनए	मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग
एमआरओ	रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल
एमएसडीई	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
एमटीपीए	मिलियन टन प्रति वर्ष
नाबार्ड (एनएबीएआरडी)	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
नेफेड	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड
नाल्को	राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी
नामटेक	न्यू एज मेकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
नैसकॉम	नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज
एनएटीएस	राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना
एनसीएईआर	राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद
एनसीसीएम	राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन
एनसीडीईएक्स	नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड
एनसीईआरटी	राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
एनसीआर	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनसीटीई	राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद
एनडीएपी	राष्ट्रीय डेटा एवं विश्लेषण प्लेटफॉर्म
एनडीबी	न्यू डेवलेपमेन्ट बैंक

एनडीसी	राष्ट्रीय विकास परिषद
एनईसी	पूर्वोत्तर परिषद
नेजीडी	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग
एनईएम	परमाणु ऊर्जा मिशन
एनईपी	नई शिक्षा नीति
एनईआर	शुद्ध ऊर्जा अनुपात
एनईएसआईडीएस	पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना
एनएवल्यूशन	पूर्वोत्तर विकास
एनजीडीए	अगली पीढ़ी की डिजिटल कार्रवाई
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनआईडीआई	राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल
एनआईईपीए	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
निलर्ड (एनआईएलईआरडी)	राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान
एनआईओटी	नागालैंड परिवर्तन संस्थान
एनआईआरडीपीआर	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
एनआईएससीपीआर	राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान
नीति (एनआईटीआई)	राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था
एनआईयूए	राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान
एनएमएफ	राष्ट्रीय समुद्रवर्ती प्रतिष्ठान
एनएमएल	राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला
एनएमएम	राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन
एनएमपी	राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन
एनपीसीएससीबी	राष्ट्रीय नागरिक सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम
एनपीजी	नेटवर्क योजना समूह
एनपीओ	गैर-लाभकारी संगठन
एनपीपीए	राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण
एनएसएसटीए	राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी
एनयूपी	नई यूरिया नीति
एनवाईटी	न्यूयॉर्क टाइम्स
ओएंडएम	प्रचालन एवं अनुरक्षण
ओएएमएस	ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली

ओबीसी	अन्य पिछड़ा वर्ग
ओईएम	मूल उपकरण विनिर्माता
ओएलआईसी	राजभाषा कार्यान्वयन समिति
ओओएमएफ	निष्पादन-परिणाम निगरानी रूपरेखा
ओएसडी	विशेष कार्य अधिकारी
ओएसआर	स्वयं के स्रोत से प्राप्त राजस्व
पीएसीएस	प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी
पीएएमडी	परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग
पीडीसी	पंजाब विकास आयोग
पीईओ	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन
पीईएसओ	पेट्रोलियम और विस्फोटक पदार्थ सुरक्षा संगठन
पीएफएमएस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीएफपीए	सार्वजनिक वित्त और नीति विश्लेषण
पीजीआरएल	व्यक्तिगत मार्गदर्शन अनुशंसा पत्र
पीएचडी	डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी
पीएचएफआई	पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया
पीआईबी	पत्र सूचना कार्यालय
पीआईओ	भारतीय मूल के लोग
पीआईयू	कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई
पीएलएफएस	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
पीएमएवाई	प्रधानमंत्री आवास योजना
पीएमबीआई	भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो
पीएमडीडीकेवाई	प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना
पीएम-डिवाइन	उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल
पीएम-जनमन	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान
पीएमओ	प्रधानमंत्री कार्यालय
पीपीपी	सार्वजनिक निजी भागीदारी
पीपीआर	प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट
पीक्यू	संसद प्रश्न
पीआरआई	पंचायती राज संस्थाएं
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

पीवीटीजी	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह
पीडब्ल्यूडी	दिव्यांग जन
क्यूसीओ	गुणवत्ता नियंत्रण आदेश
आरएंडडी	अनुसंधान एवं विकास
आरएंडएन	अनुसंधान और नेटवर्किंग
आरसीई	संशोधित लागत अनुमान
आरडी	ग्रामीण विकास
आरडीएमईओ	क्षेत्रीय विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय
आरईई	दुर्लभ मृदा तत्व
आरआईटीआई	राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान
आरएसईटी	राजगिरी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी
आरएसआईसी	ग्रामीण कौशल एवं नवाचार केंद्र
आरएसएनए	नीति आयोग की अनुसंधान योजना
आरटीआई	सूचना का अधिकार
आरवीएसएफ	पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं
आरडब्ल्यूबी	जल स्रोतों का संरक्षण
एसएंडटी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
एसएएफ	सतत विमानन ईंधन
एसएजी	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड
एससीओ	शंघाई सहयोग संगठन
एससी	अनुसूचित जाति
एसडीएपी	राज्य डेटा एवं विश्लेषण प्लेटफॉर्म
एसडीई	कौशल विकास और रोजगार
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
एसडीपी	विशेष विकास पैकेज
एसईसीआई	राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक
एसईआर	सूरत आर्थिक क्षेत्र
सेतु (एसईटीयू)	उत्तराखंड राज्य सशक्तिकरण एवं परिवर्तन संस्थान
एसएफसी	स्थायी वित्त समिति
शांति (एसएचएएनटीआई)	भारत परिवर्तन के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और विकास
एसआईएम	राज्य नवाचार मिशन

एसआईटी	राज्य परिवर्तन संस्था
एसआईटीए	राज्य नवाचार और परिवर्तन आयोग
एसआईटीएपी	राज्य परिवर्तन संस्था - आंध्र प्रदेश
एसआईटी-एम	राज्य परिवर्तन संस्थान, मिजोरम
एसआईटी-एस	राज्य परिवर्तन संस्थान, सिक्किम
एसएमसी	वरिष्ठ प्रबंधन परिषद
एसएमआर	लघु मॉड्यूलर रिएक्टर
एसओआई	आशय विवरण
एसओएम	वरिष्ठ अधिकारी बैठक
एसपीए	स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर
एसपीएसी	वैज्ञानिक परियोजना मूल्यांकन समिति
एसपीयू	राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय
एसआरएम	सौर विकिरण प्रबंधन
एसएससीबीएस	शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज
एसएसएम	राज्य सहायता मिशन
एसटीसी	राज्य परिवर्तन आयोग
स्टेम	विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित
एसटीआई	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार
एसटीपी	सीवेज शोधन संयंत्र
एसटी	अनुसूचित जनजाति
टीएंडए	वस्त्र और परिधान
टीईआई	शिक्षक शिक्षा संस्था
टीआईएफटी	त्रिपुरा परिवर्तन संस्था
टीएनए	प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का आकलन
टीओआर	विचारार्थ विषय
टीआरएल	प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर
यूएई	संयुक्त अरब अमीरात
यूआईजी	विश्वविद्यालय–उद्योग–सरकार
यूकेआईआईएफबी	यूके–भारत अवसंरचना वित्त पोषण सेतु
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूनेस्को	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन

यूनीसेफ	संयुक्त राष्ट्र बाल निधि
यूएनओपीएस	संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय
यूएनएसडीसीएफ	संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा
यूआरएसबी	युगांडा पंजीकरण सेवा ब्यूरो
यूएसए	संयुक्त राज्य अमेरिका
यूटी	संघ राज्य क्षेत्र
वीएसी	स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ
वीबीएसआर	विकसित भारत कार्यनीति कक्ष
वीसीएम	स्वैच्छिक कार्बन बाजार
वीईआर	विशाखापत्तनम आर्थिक क्षेत्र
वीजीएफ	व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण
वीएनआर	स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा
वीओ	स्वैच्छिक संगठन
वीपीपीएल	वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड
वाश (डब्ल्यूएएसएच)	जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य
डब्ल्यूबीजी	विश्व बैंक समूह
डब्ल्यूईएफ	विश्व आर्थिक मंच
डब्ल्यूईपी	महिला उद्यमिता मंच
डब्ल्यूएफपी	विश्व खाद्य कार्यक्रम
डब्ल्यूजी	कार्य समूह
डब्ल्यूएचओ	विश्व स्वास्थ्य संगठन
विंग्स (डब्ल्यूआईएनजीएस)	महिलाओं और शिशुओं के विकास के अध्ययन के लिए एकीकृत हस्तक्षेप
डब्ल्यूआईपीओ	विश्व बौद्धिक संपदा संगठन
डब्ल्यूआरआई	विश्व संसाधन संस्थान
डब्ल्यूएससी	विश्व कौशल केंद्र
डब्ल्यूएसएसडी	सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन
डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन
डब्ल्यूयूई	जल उपयोग दक्षता
वाईएएसएचएडीए	यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी
वाईपी	युवा पेशेवर
वाईएएसएचएडीए	यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी
वाईपी	युवा पेशेवर

विषय सूची

खंड 1
नीति आयोग: रूपरेखा

- गठन 2
- उद्देश्य और विशेषताएं 5
- नियुक्तियां 6
- कार्यक्रम/विषय आबंटन 6
- नीति आयोग की शासी परिषद 8
- मुख्य सचिवों का पांचवां राष्ट्रीय सम्मेलन 10

खंड 2
नीति फॉर स्टेट्स

- आकांक्षी जिला कार्यक्रम 13
- आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 15
- राज्य सहायता मिशन 22
- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उच्च स्तरीय सहभागिता 25
- नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म 27
- स्टेट्स@ 2047 के लिए परिकल्पना संबंधी अभ्यास 29
- नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला 32

खंड 3
थिंक टैंक की गतिविधियां

- नीति आयोग की आंतरिक व्याख्यान श्रृंखला 49
- शिक्षाविदों और थिंक टैंकों के साथ सहभागिता 55

खंड 4
क्षेत्रवार उपलब्धियां

- कृषि 57
- डेटा प्रबंधन और विश्लेषण 60
- अर्थ एवं वित्त I 60
- अर्थ एवं वित्त II 63
- शिक्षा 66
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 68
- हरित परिवर्तन, ऊर्जा, जलवायु और पर्यावरण 70
- शासन और सुधार 74
- शासी परिषद सचिवालय और समन्वय 75
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 76
- उद्योग 78
- सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार (सीमांत प्रौद्योगिकी हब सहित) 83
- अवसंरचना - कनेक्टिविटी 90
- विधि 92
- पूर्वोत्तर राज्य 93
- सार्वजनिक वित्त नीति विश्लेषण 94
- सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) 95
- अनुसंधान और नेटवर्किंग 98
- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थाएं 99
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 100
- कौशल विकास एवं उद्यमिता, श्रम एवं रोजगार 104
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता 106
- सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 106
- सुरक्षा एवं कार्यनीतिक मामले 113
- सेवाएं 114
- राज्य वित्त 116
- पर्यटन और संस्कृति 117
- शहरीकरण 118
- स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ 120
- जल एवं भूमि संसाधन 120
- महिला एवं बाल विकास 122

खंड 5
अनुवीक्षण और मूल्यांकन

- विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय 127
- निष्पादन-परिणाम निगरानी रूपरेखा 128
- भारत में डेटा गवर्नेंस में परिवर्तन : डीजीक्यूआई पहल 129
- सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक (जीआईआरजी) 129
- सेक्टर समीक्षा 130
- मूल्यांकन 130
- क्षमता निर्माण 131

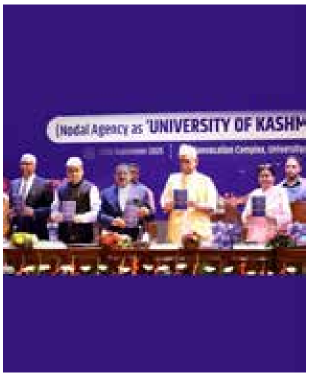

खंड 6
अटल नवाचार मिशन

- अटल नवाचार मिशन 2.0 135
- अटल टिंकरिंग लैब 137
- अटल इन्क्यूबेशन केंद्र 139
- अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र 141
- अटल न्यू इंडिया चैलेंज 144
- अटल इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम 145

खंड 7
प्रशासन और सहायता एकक

- प्रशासन/मानव संसाधन 147
- करियर प्रबंधन अनुभाग 148
- राजभाषा (हिन्दी) अनुभाग 150
- कर्मयोगी 153
- पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र 154
- ओएमएंडसी अनुभाग 156
- आरटीआई प्रकोष्ठ 157
- संचार प्रकोष्ठ 157
- संसद अनुभाग 162

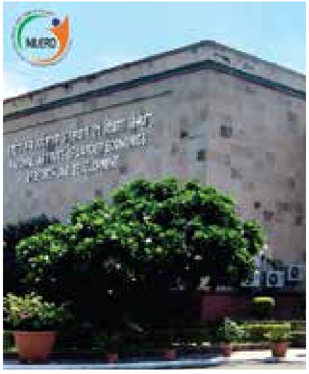

खंड 8
राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र एवं विकास संस्थान (निलर्ड)

- 2025-26 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम 165
- 2025-26 के दौरान नई पहलें 165

अनुलग्नक

- अनुलग्नक I 167
- अनुलग्नक II 171

खंड 1

नीति आयोग की रूपरेखा

गठन

केंद्रीय मंत्रिमंडल के 01 जनवरी, 2015 के संकल्प के माध्यम से नीति आयोग का गठन किया गया। यह भारत सरकार के सर्वोच्च नीतिगत थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जिसे दिशात्मक और नीतिगत सुझाव प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। भारत सरकार के लिए दीर्घकालिक रणनीतियां, नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने के अलावा, नीति आयोग केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कार्यनीतिक और तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति में राज्यों के बीच सहयोगात्मक जुड़ाव को सुगम बनाकर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत मंच के रूप में कार्य करता है।

नीति आयोग की संरचना
(31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार)

माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदी
अध्यक्ष

श्री सुमन बेरी
उपाध्यक्ष

पूर्णकालिक सदस्य

डॉ. वी के सारस्वत
सदस्य

प्रो. रमेश चंद
सदस्य

डॉ. वी के पॉल
सदस्य

डॉ. अरविंद विरमानी
सदस्य

श्री राजीव गौबा
Member

श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नीति आयोग की संरचना
(31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार)

पदेन सदस्य

श्री राजनाथ सिंह
माननीय रक्षा मंत्री

श्री अमित शाह
माननीय गृह मंत्री
और सहकारिता मंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान
माननीय कृषि एवं
किसान कल्याण मंत्री
तथा ग्रामीण
विकास मंत्री

श्रीमती निर्मला सीतारमण
माननीया
वित्त मंत्री और
कॉर्पोरेट कार्य मंत्री

विशेष आमंत्रिगण

श्री नितिन जयराम गडकरी
माननीय सड़क परिवहन और
राजमार्ग मंत्री

श्री जगत प्रकाश नड्डा
माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्री तथा रसायन एवं
उर्वरक मंत्री

श्री एच. डी. कुमारस्वामी
भारी उद्योग मंत्री एवं
इस्पात मंत्री

श्री जीतन राम मांझी
माननीय सूक्ष्म, लघु और
मध्यम उद्यम मंत्री

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह
पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन,
पशुपालन और डेयरी मंत्री

डॉ. वीरेंद्र कुमार
माननीय सामाजिक न्याय
और अधिकारिता मंत्री

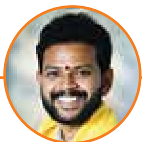

श्री किंजरापु राममोहन नायडू,
माननीय नागर
विमानन मंत्री

श्री जुएल ओराम
माननीय जनजातीय कार्य
मंत्री

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी
माननीया महिला एवं बाल
विकास मंत्री

श्री चिराग पासवान
माननीय खाद्य प्रसंस्करण
उद्योग मंत्री

राव इंद्रजीत सिंह
माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र
प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना
मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

उद्देश्य और विशेषताएं

नीति आयोग भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और इस नोडल एजेंसी को आर्थिक नीति निर्माण की प्रक्रिया में ऊर्ध्वगामी दृष्टिकोण का उपयोग करके भारत की राज्य सरकारों की भागीदारी के माध्यम से आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है। इसके प्रमुख उद्देश्य और विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- राज्यों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और कार्यनीतियों के एक साझा विज़न का विकास करना।
- यह स्वीकार करते हुए कि सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं, राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहलों और तंत्रों के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं का निर्माण करने के लिए तंत्रों का विकास करना और इनको उत्तरोत्तर रूप से सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुंचाना
- यह सुनिश्चित करना कि जो क्षेत्र विशेष रूप से आयोग को निर्दिष्ट किए गए हैं उनकी आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को सम्मिलित किया गया है।
- हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना, जिनको आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम हो सकता है।
- कार्यनीतिक और दीर्घावधिक नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना और पहल करना तथा उनकी प्रगति और प्रभाव की निगरानी करना। निगरानी और फीडबैक के माध्यम से सीखे गए सबक का प्रयोग आवश्यक मध्यावधि संशोधन सहित नवोन्मेषी सुधार करने के लिए किया जाएगा।
- महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक के साथ-साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं को सलाह देना और उनके बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, वृत्तिकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवोन्मेष, उद्यमशील सहायक प्रणाली तैयार करना।
- विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से अंतर्क्षेत्रक और अंतर्विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए मंच प्रदान करना।
- अत्याधुनिक संसाधन केंद्र का अनुरक्षण करना, सुशासन पर अनुसंधान तथा सतत और न्यायसंगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली का भण्डार बनना और साथ ही उसे हितधारकों तक पहुंचाने में भी मदद करना।
- आवश्यक संसाधनों की पहचान करने के साथ-साथ कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन का सक्रियता से मूल्यांकन और निगरानी करना ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके।
- कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देना।
- ऐसी अन्य गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना जो राष्ट्रीय विकास एजेंडा को लागू करने और उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो सकती हैं।

आवश्यक ज्ञान और कौशल जो इसे तेजी से कार्य करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, सरकार के लिए कार्यनीतिक नीतिगत सलाह प्रदान करने और आकस्मिक मुद्दों से निपटने में समर्थ बनाएगा। इसे एक संबद्ध कार्यालय यानी विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), एक महत्वपूर्ण पहल यानी अटल नवाचार मिशन (एआईएम) और एक

स्वायत्त निकाय यानी राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

नीति आयोग के कार्यक्षेत्र को चार प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना
- नीति फॉर स्टेट्स (सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद)
- परिवर्तनकारी बदलाव को बढ़ावा देना
- अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन

नियुक्तियां

माननीय प्रधानमंत्री के अनुमोदन के अनुसरण में, जो मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना संख्या 511/1/1/2024-कैब दिनांक 25 मार्च 2025 के माध्यम से सूचित किया गया है, कि श्री राजीव गौबा, आईएएस (जेएच: 1982) सेवानिवृत्त को 26 मार्च 2025 से नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में श्री बी वी आर सुब्रह्मण्यम, आईएएस (सीजी: 1987) सेवानिवृत्त का कार्यकाल 24 फरवरी 2025 के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया।

कार्यक्रम/विषय आवंटन

नीति आयोग के विभिन्न कार्यक्रम, विषय, संबद्ध कार्यालय और स्वायत्त निकाय उपर्युक्त अधिदेश को पूरा करने के लिए आवश्यक समन्वय और समर्थन ढांचा प्रदान करते हैं। विशेष पहलों/कार्यक्रमों सहित विभिन्न कार्यक्रमों, विषयों की सूची नीचे दी गई है, जबकि 2025-26 के दौरान उनके कार्य क्षेत्र और प्रमुख गतिविधियों का उल्लेख खंड (4) में किया गया है।

क्र. सं.	प्रभाग और विषय आबंटन
1.	सामान्य प्रशासन सहित प्रशासन/मानव संसाधन, आरटीआई
2.	कृषि नीति
3.	कृषि प्रौद्योगिकी
4.	संचार
5.	डेटा प्रबंधन और विश्लेषण
6.	पेयजल एवं स्वच्छता
7.	अर्थ एवं वित्त I: आर्थिक मॉडलिंग, परिदृश्य निर्माण, पूंजी बाजार
8.	अर्थ एवं वित्त II i. अर्थ एवं वित्त के सभी अन्य मामले जिनका उल्लेख ईएंडएफ-I में नहीं किया गया है, जिनमें जी-20, बहुपक्षीय संस्थाएं और विनिवेश शामिल हैं; ii. व्यापार एवं वाणिज्य
9.	शिक्षा

क्र. सं.	प्रभाग और विषय आबंटन
10.	इलेक्ट्रिक मोबिलिटी
11.	शासन और सुधार
12.	शासी परिषद सचिवालय और समन्वय (जीसीएसएंडसी)
13.	हरित परिवर्तन, ऊर्जा, जलवायु और पर्यावरण
14.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पोषण
15.	उद्योग एवं विदेशी निवेश
16.	सूचना प्रौद्योगिकी (सीमांत प्रौद्योगिकी सहित) और दूरसंचार
17.	अवसंरचना-I : कनेक्टिविटी (परिवहन-सड़कें, रेलवे)
18.	अवसंरचना-II : कनेक्टिविटी (परिवहन-बंदरगाह, पोत परिवहन, जलमार्ग, नागर विमानन)
19.	द्वीप विकास
20.	विधि
21.	पूर्वोत्तर राज्य
22.	संसद
23.	सार्वजनिक वित्त और नीति विश्लेषण (पूर्व में पीएएमडी)
24.	हाई स्पीड ट्रेन और परिसंपत्ति मुद्रीकरण सहित सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)
25.	अनुसंधान एवं नेटवर्किंग
26.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
27.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
28.	सुरक्षा एवं कार्यनीतिक मामले
29.	सेवाएं
30.	कौशल विकास एवं उद्यमिता, श्रम एवं रोजगार
31.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ
32.	राज्य वित्त
33.	राज्य i) राज्य समन्वय ii) राज्य सहायता मिशन (एसएसएम) iii) आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) iv) आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) v) राष्ट्रीय मुख्य सचिव समन्वय प्रभाग

क्र. सं.	प्रभाग और विषय आबंटन
34.	सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)
35.	पर्यटन एवं संस्कृति
36.	शहरीकरण
37.	विकसित भारत - परिप्रेक्ष्य आयोजना और दूरदर्शिता
38.	जल एवं भूमि संसाधन
39.	महिला एवं बाल विकास

अन्य विशेष पहल/कार्यक्रम:

1	ज्ञान समर्थन इकाई
2	आर्थिक आसूचना इकाई
3	विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) - (संबद्ध कार्यालय)
4	अटल नवाचार मिशन (एआईएम) - प्रमुख पहल
5	राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (निलर्ड) - स्वायत्त निकाय

नीति आयोग की शासी परिषद

नीति आयोग की शासी परिषद, जिसमें सभी राज्यों और विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल शामिल हैं, जो मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से गठित की गई, और 16 फरवरी, 2015 को प्रभाव में आई। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा 19 फरवरी, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से शासी परिषद का पुनर्गठन किया गया।

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और कार्यनीतियों का एक साझा विज़न विकसित करने का दायित्व संभालने वाले शीर्ष निकाय के रूप में शासी परिषद राष्ट्रीय विकास एजेंडा को आकार देने में राज्यों की सक्रिय भागीदारी को सुगम बनाती है। सहकारी संघवाद की भावना को मूर्त रूप देते हुए, यह राष्ट्रीय विकास के उद्देश्यों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर-क्षेत्रीय, अंतर-विभागीय और संघीय मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों/उप राज्यपालों और शासी परिषद के अन्य सदस्यों की भागीदारी के साथ अब तक शासी परिषद की दस बैठकें आयोजित की गई हैं। नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य शासी परिषद के भी विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं।

शासी परिषद की दसवीं बैठक

24 मई 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग के शासी परिषद की दसवीं बैठक आयोजित की गई जिसका विषय 'विकसित भारत@2047 के लिए विकसित राज्य' था। इसमें 24 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्रियों/उप राज्यपालों ने भाग लिया। बैठक में पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कुछ चुनिंदा केंद्रीय मंत्रियों ने भी भाग लिया। इसके अलावा, बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों; मंत्रिमंडल सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव; नीति आयोग के सीईओ; भारत सरकार के चुनिंदा सचिवों तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय और नीति आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

24 मई 2025 को आयोजित शासी परिषद की दसवीं बैठक में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों/उप राज्यपालों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री

शासी परिषद ने 13 से 15 दिसंबर 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान निर्धारित 'उद्यमिता, रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देना - जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना' नामक एजेंडे पर विचार-विमर्श किया, जिसमें कई उप-विषय शामिल थे, जैसे (i) अनुकूल इकोसिस्टम का निर्माण करना - टियर 2, 3 शहरों पर ध्यान केंद्रित करना: विनिर्माण एवं सेवाएँ, (ii) एमएसएमई एवं अनौपचारिक रोजगार: ग्रामीण गैर-कृषि और शहरी, (iii) हरित अर्थव्यवस्था में अवसर: नवीकरणीय ऊर्जा और चक्रीय अर्थव्यवस्था, तथा विकसित भारत के लिए सीमांत प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास केंद्र के रूप में शहरों का विकास करना, निवेश के लिए राज्यों में आर्थिक सुधार और मिशन कर्मयोगी के माध्यम से क्षमता निर्माण पर अतिरिक्त विशेष एजेंडा मद।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय की यह सामूहिक इच्छा है कि हमारा देश विकसित भारत बने और इस बात पर जोर दिया कि यह विज़न 140 करोड़ नागरिकों की उम्मीदों को दर्शाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों की ओर से सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक हैं और कहा कि प्रत्येक राज्य, शहर और गांव का व्यापक विकास प्रगति को गति देगा। उन्होंने इस प्रकार की एकजुट प्रतिबद्धता के आधार पर विश्वास व्यक्त किया कि भारत 2047 से काफी पहले विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।

भारत की आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश वैश्विक स्तर पर शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है और लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने राज्यों में विनिर्माण की क्षमताओं को मजबूत करके इस परिवर्तन को और तेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस संदर्भ में, उन्होंने भारत सरकार के विनिर्माण मिशन का उल्लेख किया और राज्यों को अपनी अनूठी शक्तियों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

प्रधानमंत्री ने विकास को लंबे समय तक बनाए रखने में शिक्षा और कौशल विकास की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) भविष्य में जरूरत पड़ने वाले कौशलों को तैयार करने पर विशेष बल देती है। उन्होंने राज्यों से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और 3डी प्रिंटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुरूप कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, जिससे भारत को सशक्त वैश्विक कौशल राजधानी के रूप में स्थापित किया जा सके जो इसके जनसांख्यिकीय लाभांश द्वारा संचालित हो। उन्होंने कौशल विकास योजनाओं के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित करने पर भी प्रकाश डाला और आधुनिक प्रशिक्षण अवसंरचना, ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों और साइबर सुरक्षा, हाइड्रोजन और हरित ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश करने का आह्वान किया, जो भविष्य के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं।

मुख्य सचिवों का पांचवां राष्ट्रीय सम्मेलन

माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार, नीति आयोग वार्षिक आधार पर मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करता आ रहा है, जिसका पांचवां सम्मेलन 26 से 28 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की तैयारी में 8 महीने से अधिक का समय लगता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारी सम्मेलन के विषय के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करते हैं। इस वर्ष के सम्मेलन का मुख्य विषय "विकसित भारत के लिए मानव पूंजी" था।

पांचवें सम्मेलन में जिन पांच उप-विषयों पर चर्चा हुई, उनमें शामिल हैं: (i) प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा: आधारशिला रखना; (ii) स्कूली शिक्षा: बिल्डिंग ब्लॉक; (iii) कौशल विकास: भविष्य के लिए तैयार कार्यबल; (iv) उच्च शिक्षा: ज्ञान अर्थव्यवस्था; (v) खेल और पाठ्येतर गतिविधियाँ: कक्षाओं से आगे। इनमें से प्रत्येक उप-विषय के लिए नोडल मंत्रालय/विभाग नियुक्त किए गए थे।

इनके अलावा, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और विचार-विमर्श के लिए विशेष सत्र भी आयोजित किए गए, जिनमें शामिल थे: (i) स्मार्ट आपूर्ति श्रृंखला और बाजार संपर्क के लिए एग्री-स्टैक; (ii) राज्यों में विनियमन में ढील; (iii) शासन में प्रौद्योगिकी: अवसर, जोखिम और शमन; (iv) एलडब्ल्यूई के बाद आने वाले समय के लिए योजनाएँ; (v) एक राज्य, एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल; और (vi) आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी: कुशल आयात प्रतिस्थापन।

इनके अलावा, (i) विरासत और पांडुलिपि संरक्षण और डिजिटलीकरण; और (ii) सभी के लिए आयुष: विषयगत आधारित भोजन के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा वितरण में पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करने पर भी केंद्रित विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन में प्रत्येक विषय के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को प्रस्तुत किया गया ताकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एक दूसरे से सीख सकें। ऐसी उम्मीद है कि मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन के परिणाम से 2026 में आयोजित होने वाली शासी परिषद की 11वीं बैठक के एजेंडे को तैयार करने में मदद मिलेगी।

दिसंबर, 2025 में नई दिल्ली में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री

इनमें से प्रत्येक सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों के तहत सामने आने वाले कार्यान्वयन योग्य बिंदुओं को केंद्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा टीम इंडिया के रूप में एक साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है और संस्थागत रूप दिया जा रहा है। इस सम्मेलन को संस्थागत बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा एक ज्ञान और निगरानी मंच का भी विकास किया गया है, जिसमें सम्मेलन की सभी सामग्री अपलोड की जा रही है और नोडल मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना दी जा रही है।

यह ध्यान देने वाली बात है कि यह सम्मेलन, जिसमें केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया था, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

खंड 2

नीति फॉर स्टेट्स

प्रस्तावना

नीति आयोग राज्यों को निरंतर संरचित समर्थन प्रदान करके सहकारी संघवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है, जो इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि मजबूत राज्य समग्र रूप से राष्ट्र को मजबूत करते हैं। 'टीम इंडिया' नामक दृष्टिकोण के माध्यम से, यह आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जैसी पहलों को संचालित करता है, जबकि राज्य सहायता मिशन को एक व्यापक ढांचे के रूप में उन्नत करता है। यह मिशन भारत की स्वतंत्रता शताब्दी समारोह के दौरान 2047 तक भारत के परिवर्तन के लक्ष्य को साकार करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संस्थागत साझेदारी को बढ़ावा देता है। प्रमुख प्रयासों में राज्यों को नीति आयोग जैसी संस्थाओं की स्थापना में सहायता करना, क्षमता निर्माण को बढ़ाना और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ-साथ ज्ञान का प्रसार करना शामिल है। कठोर निगरानी, मूल्यांकन और एसडीजी संरेखण के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी सूचकांक शिक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रगति को बढ़ावा देते हैं। पूर्वोत्तर, हिमालय, द्वीप समूह और तटीय क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट चुनौतियों को लक्षित करने वाली अनुकूलित कार्यनीतियाँ तैयार की जाती हैं। यह मिशन राज्य स्तरीय थिंक टैंक के लिए विशेष सहायता को एकीकृत करता है, जिससे निरंतर सहयोग और अनुकूलित अंतःक्षेप सुनिश्चित हो सके। ये कदम पूर्व में किए गए प्रयासों पर आधारित होते हैं, जिनका उद्देश्य 2047 तक मापेय परिणाम प्राप्त करना है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम

2018 में शुरू किया गया आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) जनवरी 2026 में सफलता के आठ साल पूरे कर रहा है। यह व्यावहारिक, डेटा आधारित पहल भारत के 112 अल्पविकसित जिलों में सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देती है, राष्ट्रीय प्रगति के लिए हितधारकों के सहयोग और मापनीय मॉडल के माध्यम से प्रमुख कमियों को दूर करती है। नीति आयोग 49 केपीआई पर त्रैमासिक आंकड़ों के साथ प्रदर्शन की निगरानी करता है, जो इस बात पर जोर देता है कि लक्षित विश्लेषण से वास्तविक सुधार कैसे संभव होते हैं।

इस कार्यक्रम की ताकत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर (डीएम/डीसी) के नेतृत्व वाले जिला प्रशासनों, प्रभारी अधिकारियों, विकास भागीदारों, नागरिक समाज और नागरिकों को एक साथ लाने में निहित है। नीति आयोग मंत्रालयों और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करके इसे सुगम बनाता है, जबकि नियमित बैठकें और कार्यशालाएं विचारों के आदान-प्रदान, जमीनी स्तर के समाधानों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने को बढ़ावा देती हैं जिससे एक जीवंत, सीमा-पारीय नेटवर्क का निर्माण होता है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से फैलने वाली सफलता की कहानियां जीत का जश्न मनाती हैं और दूसरों का मार्गदर्शन करती हैं, नवाचार और अनुकरण को बढ़ावा देती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि एडीपी का ब्लूप्रिंट पूरे देश में लागू हो रहा है, जो विविध संदर्भों में समावेशी, टिकाऊ विकास के लिए व्यावहारिक मार्ग प्रदान करता है।

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम

जनवरी 2023 में शुरू किया गया आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी), आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) की सफलता पर आधारित है और इसका लक्ष्य 27 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के 513 ब्लॉकों को शामिल करना है। इसका उद्देश्य एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से शासन और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, जो मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करता है, स्पष्ट परिणाम निर्धारित करता है और प्रगति पर लगातार नजर रखता है।

इन ब्लॉकों में, एबीपी स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, बुनियादी अवसंरचना और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में प्रमुख सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को प्राथमिकता देता है। यह कार्यनीतियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप

तैयार करता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया को समुदायों के करीब लाता है, असमानताओं को कम करता है, आर्थिक विकास को गति देता है और सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करता है, साथ ही अंतिम छोर तक सेवा वितरण, जागरूकता और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ाता है। इसका मुख्य लक्ष्य सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करके तथा समावेशी, स्थानीय स्तर पर संचालित विकास प्रतिमान को बढ़ावा देकर नागरिकों के जीवन को आसान बनाना है।

सटीकता और सुगमता के लिए केंद्रीय मंत्रालय के डेटाबेस से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए 40 संकेतकों के आधार पर प्रगति का आकलन किया जाता है और सुधारों को उजागर करने के लिए मार्च 2023 की आधार रेखा के बाद से त्रैमासिक डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त, मार्च 2024 में शुरू किया गया "आकांक्षा" ब्रांड "वोकल फॉर लोकल" का समर्थन करने, शिल्प कौशल, उद्यमिता और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए इन ब्लॉकों के पारंपरिक उत्पादों को एक पहचान के तहत एकजुट करता है।

संपूर्णता अभियान : प्रमुख निष्पादन संकेतकों की संतृप्ति के लिए एक केंद्रित पहल

पिछले वर्ष (2024-25) में, नीति आयोग ने कुछ संकेतकों की संतृप्ति को समयबद्ध तरीके से प्राथमिकता देने के लिए संपूर्णता अभियान शुरू किया था। तीन महीने (जुलाई से सितंबर 2024) की पहल के रूप में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, सामाजिक विकास और बुनियादी अवसंरचना से संबंधित छह महत्वपूर्ण प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) में संतृप्ति प्राप्त करना है। इस पहल का ध्यान इन क्षेत्रों में विकास से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए भागीदारीपूर्ण नियोजन, व्यवहार परिवर्तन और डेटा संचालित कार्यनीतियों पर केंद्रित था। इस अभियान ने जिला और ब्लॉक दोनों स्तरों पर प्रयासों को संरेखित करके समावेशी विकास को आगे बढ़ाने में समयबद्ध अंतःक्षेप की प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया।

संतृप्ति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों के प्रयासों को सम्मानित करने के लिए, राज्यों और जिलों में आयोजित संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह के दौरान जिला कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों, जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और फ्रंटलाइन पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया, जिसका आयोजन 28 जुलाई से 2 अगस्त 2025 तक किया गया था।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह की झलकियाँ

एडीपी/एबीपी के अंतर्गत सर्वोत्तम कार्यप्रणाली पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

नीति आयोग ने आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम (एडीपी/एबीपी) के तहत 7 अगस्त 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इसका उद्देश्य विकास के सफल मॉडलों पर ध्यान केंद्रित करना था। नीति आयोग के सदस्य श्री राजीव गौबा ने नीति आयोग के सीईओ श्री बी वी आर सुब्रह्मण्यम की उपस्थिति में संगोष्ठी का उद्घाटन किया। यह सेमिनार अंतिम छोर तक वितरण में सुधार के लिए नवोन्मेषी शिक्षण पर केंद्रित था।

इस कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्यों और भारत सरकार के सचिवों की सहायता से आजीविका, स्वास्थ्य, पोषण, डब्ल्यूएएसएच, कृषि और शिक्षा पर छह समानांतर सत्र शामिल थे। इस कार्यक्रम में 329 जिलों का प्रतिनिधित्व कार्यक्रम की व्यापक पहुंच को दर्शाता है।

7 अगस्त, 2025 को सर्वोत्तम कार्यप्रणाली पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी

इस कार्यक्रम के तहत सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के संकलन के रूप में 80 से अधिक सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों की पहचान की गई और 20 जिला कलेक्टरों ने जमीनी स्तर पर नवाचारों और सीखों को साझा किया। इसने एडीपी/एबीपी मॉडल को अधिगम और अभिसरण मंच के रूप में मजबूत किया और जिले के नेतृत्व वाले नवाचारों को बढ़ाने और प्रमुख विकास संकेतकों की संतृप्ति प्राप्त करने पर अपने बल को नवीनीकृत करके डेटा संचालित शासन पर ध्यान केंद्रित किया।

एडीपी/एबीपी के तहत सर्वोत्तम कार्यप्रणाली पर क्षेत्रीय संगोष्ठी (उत्तर)

एडीपी/एबीपी के तहत सर्वोत्तम कार्यप्रणाली पर क्षेत्रीय संगोष्ठी (उत्तर) का आयोजन वाराणसी, उत्तर प्रदेश में किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के जिलों और ब्लॉकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस संगोष्ठी ने क्षेत्र विशिष्ट नवाचारों और उनके कार्यान्वयन के अनुभवों को साझा करने के लिए संरचित मंच प्रदान किया।

24 अक्टूबर, 2025 को वाराणसी में सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर आयोजित क्षेत्रीय संगोष्ठी (उत्तर)

नीति आयोग और राज्य एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में महत्वपूर्ण विचार-विमर्श किया गया, जिसके बाद उत्तरी क्षेत्र की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के संकलन का विमोचन किया गया। चार तकनीकी सत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, अवसंरचना और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। चर्चाओं में ब्लॉक और जिला स्तर पर परिणामों को गति देने में स्थानीय, जन-केंद्रित समाधानों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के 43 आकांक्षी ब्लॉकों में समग्र और समावेशी विकास को गति देने के उद्देश्य से एनईवोल्यूशन नामक शुरू की गई एक विशेष पहल के तहत, मार्च 2025 के दौरान अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में शिक्षा और डब्ल्यूएएसएच से संबंधित संकेतकों (केपीआई) में सुधार के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

पीवीटीजी ब्लॉकों में सेवा वितरण और आजीविका को सुदृढ़ करने पर क्षेत्रीय संगोष्ठी

नीति आयोग ने जनजातीय कार्य मंत्रालय और झारखंड सरकार के सहयोग से नवंबर 2025 में रांची में सुपर 60 पीवीटीजी पहल के तहत एक क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकारी एक मंच पर आए और उन्होंने पीवीटीजी ब्लॉकों में प्रगति की समीक्षा की तथा सेवा वितरण और आजीविका में सुधार लाने वाली कार्यनीतियों को साझा किया।

पीवीटीजी ब्लॉकों में सेवा वितरण और आजीविका को सुदृढ़ करने पर रांची में आयोजित क्षेत्रीय संगोष्ठी

चर्चाओं में पीएम-जनमान योजना के तहत समन्वय और दूरस्थ बस्तियों में आवश्यक सेवाओं की लक्षित संतृप्ति पर जोर दिया गया। जिला प्रशासनों ने आजीविका और समावेशन के जमीनी स्तर पर परखे गए मॉडल प्रस्तुत किए, जो कमजोर समुदायों के लिए मापनीय तरीकों को प्रदर्शित करते हैं। इस संगोष्ठी में समावेशी और समुदाय केंद्रित विकास के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

केंद्रीय प्रभारी अधिकारियों की बैठक - एडीपी और एबीपी

वर्ष के दौरान, नीति आयोग ने आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत केंद्रीय प्रभारी अधिकारियों (सीपीओ) की बैठक का आयोजन किया। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत करना, अंतर-जिला समन्वय को बढ़ाना, सीपीओ की संवारने की भूमिका को स्पष्ट करना, साथ ही नए शामिल किए गए सीपीओ के अभिमुखीकरण को सक्षम बनाना, सहकर्मी अधिगम और जमीनी स्तर की प्राथमिकताओं, नवाचारों और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर विषयपरक चर्चा करना था।

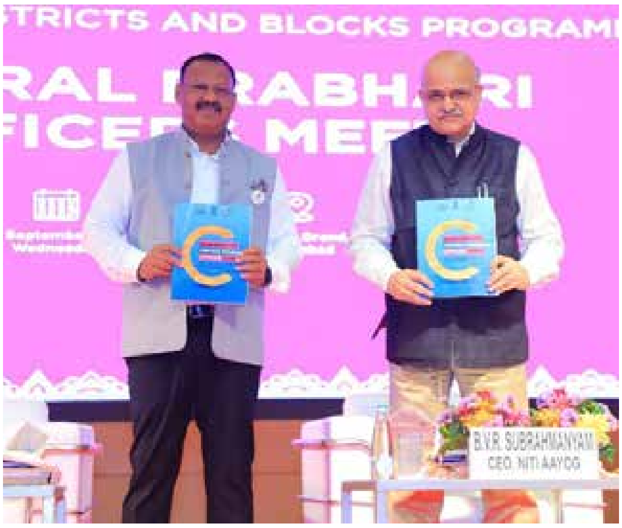

केंद्रीय प्रभारी अधिकारियों की बैठक (एडीपी और एबीपी)

वरिष्ठ नेतृत्व ने परिचालन ढांचा, प्रदर्शन निगरानी प्रणाली और केंद्रीय प्रभारी अधिकारियों से अपेक्षाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम में महत्वाकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में हुए परिवर्तन की कहानियों को प्रदर्शित करने वाले "एस्पिरेशनल टाइम्स" नामक एक सूचनापत्र का भी शुभारंभ किया गया, साथ ही जिलों और ब्लॉकों के साथ संरचित जुड़ाव का समर्थन

करने के लिए सीपीओ हैंडबुक और एबीपी प्राइमर भी जारी किए गए हैं। अनुभव साझा करने वाले सत्रों ने विकास के परिणामों में सुधार के लिए सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के अंतर-अधिगम और प्रसार को सक्षम बनाया।

क्षमता निर्माण : एडीपी/एबीपी के लिए प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का आकलन

नीति आयोग ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) के सहयोग से एडीपी/एबीपी के अंतर्गत प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का आकलन (टीएनए) कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला ने ब्लॉक अधिकारियों, सेक्टोरल विशेषज्ञों और सहयोगी संस्थानों को एक मंच पर लाया ताकि क्षमता निर्माण की जरूरतों की पहचान की जा सके और आगे की राह का मानचित्र बनाया जा सके। जमीनी स्तर की चुनौतियों की पहचान से लेकर प्रशिक्षण की क्रास-सेक्टोरल आवश्यकताओं तक, विचार-विमर्श ने रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आधार तैयार किया, जो जमीनी स्तर पर मजबूत और सशक्त शासन की दिशा में एक कदम है। टीएनए कार्यशाला का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना ही नहीं था, बल्कि फील्ड टीमों की क्षमताओं का निर्माण करना, अंतिम छोर तक वितरण सुनिश्चित करना और संकल्प से सिद्धि संकल्प से सिद्धि— एक बार में एक ब्लॉक की टीम भावना को सशक्त बनाना भी था।

ब्लॉक अधिकारियों के लिए 2025 में आयोजित क्षमता निर्माण सत्रों की झलकियाँ

नीति आयोग ने कार्यक्रम कार्यान्वयन में लगे ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की क्षमता निर्माण में भी सहायता प्रदान की। ब्लॉक स्तरीय संतृप्ति की कार्यनीतियां तैयार करने के लिए आकांक्षी ब्लॉक फेलो सहित 3,000 से अधिक अधिकारियों ने नेतृत्व प्रशिक्षण प्राप्त किया। सेक्टोरल ज्ञान की कमियों को दूर करके और विभागों के बीच समन्वय को बढ़ावा देकर, इस कार्यक्रम ने विषय विशिष्ट कार्यनीतियों और अंतःक्षेपों का विकास करने के लिए ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को सशक्त बनाया।

राज्य नियोजन सचिवों की कार्यशाला – एडीपी/एबीपी

नीति आयोग ने एडीपी/एबीपी के तहत राज्य नियोजन सचिवों की कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम के तहत कार्यरत विभिन्न राज्यों के अधिकारियों को एक साथ लाया गया। इस मंच ने एडीपी/एबीपी के बदलते स्वरूपों पर परस्पर-अधिगम, राज्यवार अनुभव साझा करने और सामूहिक चिंतन को बढ़ावा दिया।

18 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित राज्य नियोजन सचिवों की कार्यशाला

इस कार्यशाला ने सहयोग, नवाचार और सह-निर्माण की भावना को सुदृढ़ किया, समावेशी विकास को गति देने और विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया।

निष्पादन डैशबोर्ड: परिवर्तन के चैंपियन, आकांक्षी जिला कार्यक्रम

01 अप्रैल, 2018 को शुरू किया गया परिवर्तन के चैंपियन (सीओसी) डैशबोर्ड वास्तविक समय में डेटा संग्रह और निगरानी को सक्षम बनाता है, जो जिले की प्रगति को आगे बढ़ाने में जिला कलेक्टरों, मजिस्ट्रेटों और उनकी टीमों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए सार्वजनिक रूप से सुलभ है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) गतिशील त्रैमासिक डेल्टा रैंकिंग के माध्यम से 112 जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, जो क्रमिक सुधारों को दर्शाती है, जिससे समय पर अपडेट के लिए अपने डेटा संग्रह और रखरखाव को परिष्कृत करने के लिए जिले प्रोत्साहित होते हैं।

परिवर्तन के चैंपियन का अपग्रेडेड पोर्टल (सीओसी 2.0) जिला प्रशासनों को डेटा संचालित शासन और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए उपकरण प्रदान करता है, जिसमें नागरिक रिपोर्ट, नागरिकों की प्रतिक्रिया, उन्नत विश्लेषण, परियोजना प्रबंधन, भू-स्थानिक मानचित्र और एआई/एमएल समाधान जैसे नवाचार शामिल हैं। नागरिक रिपोर्ट सीओसी डेटा का विश्लेषण करने वाले तीन प्रमुख डैशबोर्ड प्रदान करती हैं: स्थापना के बाद से आकांक्षी जिलों का प्रदर्शन, त्रैमासिक डेल्टा रैंकिंग और सभी जिलों के लिए विभिन्न विषयों में संकेतक स्तर की प्रगति।

सीओसी 2.0 में त्रैमासिक डेल्टा रैंकिंग जारी करने के साथ-साथ स्वचालित मेलर शामिल होते हैं जो पहले से कॉन्फ़िगर किए गए सिस्टम लॉजिक का उपयोग करके डेटा की विसंगतियों के बारे में जिलों को सचेत करते हैं, जो डेटा की समग्र गुणवत्ता और प्रदर्शन विश्लेषण को बढ़ावा देती हैं। सिस्टम द्वारा तैयार की गई त्रैमासिक रिपोर्टें, जिनमें विभिन्न संकेतकों पर प्रदर्शन का विवरण होता है, जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टरों, केंद्रीय प्रभारी अधिकारियों, राज्य प्रभारी अधिकारियों और राज्य के मुख्य सचिवों को स्वचालित रूप से भेजी जाती हैं।

निष्पादन डैशबोर्ड: परिवर्तन के चैंपियन, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का पोर्टल, जो आम जनता के लिए उपलब्ध है, लक्षित ब्लॉकों में विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी के एक व्यापक केंद्र के रूप में कार्य करता है। मूल रूप से, इसमें 40 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) हैं, जो प्रत्येक ब्लॉक की प्रगति की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करते हैं, साथ ही विस्तृत ब्लॉक प्रोफाइल भी प्रदान करते हैं जो उनकी अनूठी चुनौतियों, गतिशीलता और विकास के अवसरों को उजागर करते हैं। उपयोगकर्ता प्रभावी अंतःक्षेपों और सहायता का मार्गदर्शन करने के लिए सीखने के संसाधनों और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के समृद्ध संग्रह तक भी पहुंच प्राप्त करते हैं।

यह पोर्टल प्रगति पर नजर रखने, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए तिमाही आधार पर डेल्टा रैंकिंग जारी करता है, जो सक्रिय विकास के कदमों को प्रेरित करती है। कुल मिलाकर, यह हितधारकों को विश्लेषण उपकरण और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है ताकि वे सर्वांगीण प्रगति के लिए सूचित निर्णय ले सकें और टीम के रूप में कार्य कर सकें।

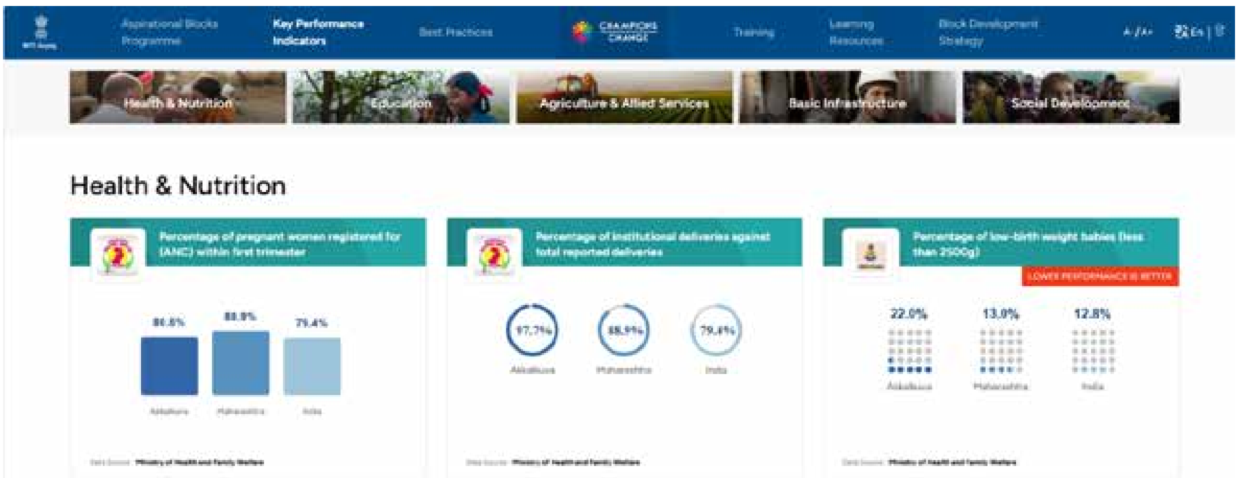

मस्तिष्क स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यबल - भारत में मस्तिष्क स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की पहल

मस्तिष्क स्वास्थ्य की अवधारणा एक आवश्यक फोकस क्षेत्र के तौर पर उभर रही है, जिसमें सभी के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए निवारक, प्रोत्साहक और पुनर्वास क्षेत्र शामिल हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, नीति आयोग ने "मस्तिष्क स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यबल" का गठन करके निगरानी, रोकथाम, तीव्र देखभाल और पुनर्वास में प्रभावी कार्यनीतियों के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण शुरू किया है। इस कार्यबल में न्यूरोलॉजिकल देखभाल और विज्ञान के तकनीकी विशेषज्ञ, साथ ही संबंधित मंत्रालय शामिल हैं ताकि मौजूदा कमियों की पूरी तरह से समीक्षा की जा सके और सोच-समझकर सिफारिशें की जा सकें। कार्यबल ने अपने सदस्यों और बाहरी विशेषज्ञों के साथ परामर्श के माध्यम से आवश्यक स्तंभों और विषयगत क्षेत्रों पर बहुमूल्य इनपुट एकत्र किए हैं। इसके निष्कर्षों को शामिल करने वाली व्यापक रिपोर्ट पूरी होने वाली है। इसके अलावा, नीति आयोग द्वारा 3 सितंबर 2025 को एडीपी/एबीपी मस्तिष्क स्वास्थ्य पहल शुरू की गई। यह पहल मस्तिष्क स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यबल की देखरेख में 12 आकांक्षी जिलों में एक पायलट परियोजना के रूप में लागू की जा रही है।

नई दिल्ली में "एडीपी/एबीपी मस्तिष्क स्वास्थ्य पहल" का शुभारंभ

राज्य सहायता मिशन

राज्य सहायता मिशन (एसएसएम) नीति आयोग की एक व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संरचित और संस्थागत जुड़ाव को बढ़ावा देना है। एसएसएम केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रोडमैप विकसित करने तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ विकास की अपनी कार्यनीतियों को सुगम बनाने के लिए कार्यनीतिक रूप से तैयार किया गया है, जिसमें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मजबूती वाले मुख्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

इस मिशन के अंतर्गत, नीति आयोग इच्छुक राज्यों को राज्य परिवर्तन संस्थान (एसआईटी) स्थापित करने में सहायता कर रहा है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यनीतियों को संचालित करने के लिए बहु-विषयक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य कर सकता है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र या तो एसआईटी स्थापित कर सकते हैं या फिर योजना विभाग/बोर्ड जैसी अपनी मौजूदा संस्थाओं की भूमिका पर पुनर्विचार कर सकते हैं। एसआईटी में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारी तथा क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता रखने वाले पार्श्व प्रवेशी शामिल हो सकते हैं।

राज्य परिवर्तन संस्था (एसआईटी)

नीति आयोग के सहयोग से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य सहायता मिशन के तहत शामिल किया गया है, जिसके तहत वे राज्य स्तरीय नीति के लिए सार्वजनिक थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए अपने मौजूदा योजना निकाय को राज्य परिवर्तन संस्था (एसआईटी) के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं, या मौजूदा योजना विभाग/निकाय के भीतर एक इकाई का गठन कर सकते हैं, या एक अलग एसआईटी की स्थापना कर सकते हैं। एसएसएम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बहु-विषयक कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकतानुसार एक टीम लीडर सहित सेक्टोरल विशेषज्ञों से बनी एक अंतर्निहित टीम होती है। विशेषज्ञों की अंतर्निहित टीम राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की देखरेख में काम करेगी।

एसएसएम के तहत अब तक कुल 32 एसआईटी अधिसूचित किए गए हैं। नीचे दी गई तालिका में राज्यों और उनके एसआईटी के नाम की सूची दी गई है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसआईटी का नाम
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	अंडमान निकोबार द्वीप समूह परिवर्तन संस्थान (एएनआईआईटी)
2	आंध्र प्रदेश	राज्य परिवर्तन संस्था - आंध्र प्रदेश(एसआईटीएपी)
3	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल परिवर्तन संस्थान (आईटीए)
4	असम	राज्य नवाचार और परिवर्तन आयोग (एसआईटीए)
5	बिहार	राज्य परिवर्तन आयोग (एसटीसी) - बिहार
6	चंडीगढ़	चंडीगढ़ परिवर्तन संस्थान
7	छत्तीसगढ़	राज्य नीति आयोग - छत्तीसगढ़

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसआईटी का नाम
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	राज्य परिवर्तन संस्थान, दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव
9	दिल्ली	योजना विभाग
10	गोवा	गोवा राज्य परिवर्तन संस्थान
11	गुजरात	गुजरात राज्य परिवर्तन संस्थान (ग्रिट)
12	हरियाणा	स्वर्ण जयंती हरियाणा राजकोषीय प्रबंधन संस्थान / आर्थिक एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग
13	हिमाचल प्रदेश	राज्य परिवर्तन प्रकोष्ठ (एसटीसी)
14	जम्मू एवं कश्मीर	शासन में नवाचार और परिवर्तन केंद्र (सीआईटीएजी)
15	कर्नाटक	कर्नाटक राज्य नीति एवं नीति आयोग (केएसपीपीसी)
16	लद्दाख	योजना विभाग
17	लक्षद्वीप	एसआईटी, योजना, सांख्यिकी एवं कराधान विभाग
18	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग (एमपीआरएनए)
19	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान (एमआईटीआरए)
20	मणिपुर	योजना विभाग, मणिपुर
21	मेघालय	मेघालय सरकार नवाचार प्रयोगशाला (जीआईएल)
22	मिजोरम	राज्य परिवर्तन संस्थान, मिजोरम (एसआईटी-एम)
23	नागालैंड	नागालैंड परिवर्तन संस्थान (एनआईओटी)
24	पुडुचेरी	राज्य परिवर्तन संस्थान, पुडुचेरी
25	पंजाब	पंजाब विकास आयोग (पीडीसी)
26	राजस्थान	राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान (आरआईटीआई)
27	सिक्किम	राज्य परिवर्तन संस्थान, सिक्किम (एसआईटी-एस)
28	तमिलनाडु	राज्य योजना आयोग
29	तेलंगाना	राज्य योजना विभाग
30	त्रिपुरा	त्रिपुरा परिवर्तन संस्थान (टीआईएफटी)
31	उत्तर प्रदेश	राज्य परिवर्तन आयोग (एसटीसी)
32	उत्तराखंड	उत्तराखंड राज्य सशक्तीकरण एवं परिवर्तन संस्थान (एसईटीयू) आयोग

अग्रणी ज्ञान संस्थान (एलकेआई)

एसआईटी को समर्थन देने के लिए राज्य सहायता मिशन विशेषज्ञता और सेक्टोरल ज्ञान लाने के लिए अंतर-क्षेत्रक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। इसलिए, ऐसी साझेदारियों को बढ़ावा देने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आईआईएम/आईआईटी/केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी शोध आधारित उत्कृष्टता संगठन जैसे संस्थानों को शामिल करके एक अग्रणी ज्ञान संस्थान (एलकेआई) नामित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय एलकेआई को शामिल करने की प्रक्रिया में हैं और अब तक 16 एलकेआई को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एलकेआई का नाम
1	असम	आईआईटी गुवाहाटी
2	बिहार	चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान
3	चंडीगढ़	पंजाब विश्वविद्यालय
4	गुजरात	आईआईएम अहमदाबाद
5	गोवा	गोवा विश्वविद्यालय
6	हरियाणा	पंजाब विश्वविद्यालय
7	हिमाचल प्रदेश	आईआईटी मंडी
8	जम्मू एवं कश्मीर	आईआईएम जम्मू
9	मध्य प्रदेश	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल
19	महाराष्ट्र	मुंबई स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी, मुंबई
11	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय
12	राजस्थान	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
13	तमिलनाडु	मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीस, चेन्नई
14	त्रिपुरा	आईआईएम कलकत्ता
15	उत्तराखंड	आईआईटी रुड़की
16	नीति आयोग	आईआईआईटी बंगलौर

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उच्च स्तरीय सहभागिता

नीति आयोग भारत सरकार की सहकारी संघवाद की परिकल्पना को क्रियान्वित करने वाली प्रमुख संस्था है। इस भूमिका में, यह राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर और सुव्यवस्थित सहभागिता बनाए रखता है, उन्हें नवीन नीतिगत साधनों, साक्ष्य-आधारित ढाँचों और दूरदर्शी कार्यनीतियों के माध्यम से सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन सहभागिताओं का मुख्य उद्देश्य राज्यों को दीर्घकालिक राज्य परिकल्पना दस्तावेज़ तैयार करने में सहायता करना, संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना और हरित परिवर्तन और जलवायु कार्रवाई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, तथा विकास केंद्रों के विकास जैसे प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ज्ञान और तकनीकी सहायता प्रदान करना है।

केंद्र-राज्य सहयोग को संस्थागत रूप देने और उसे गहन बनाने के लिए, नीति आयोग ने नेतृत्व-संचालित सहभागिता तंत्र स्थापित किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को राज्य नोडल अधिकारियों के सहयोग से विशिष्ट राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आवंटित किए जाते हैं। यह संरचना प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निरंतरता, जवाबदेही और एक एकल-बिंदु इंटरफ़ेस सुनिश्चित करती है, जिससे निरंतर नीतिगत संवाद और सहमत कार्यों पर समय पर अनुवर्ती कार्रवाई संभव हो पाती है।

नियमित फील्ड दौरों, उच्च स्तरीय बैठकों और मुख्यमंत्रियों तथा अन्य राज्य सरकारी अधिकारियों के साथ निरंतर संवाद के माध्यम से, नीति आयोग के शीर्ष अधिकारी विकास प्राथमिकताओं को समझने, कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों की पहचान करने और संदर्भ-विशिष्ट नीति एवं तकनीकी समाधानों को सह-निर्मित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े रहते हैं। ये जुड़ाव एक प्रभावी सुविधा तंत्र के रूप में भी कार्य करते हैं, जिससे केंद्र की पहलों को राज्य की प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाया जा सके।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपने-अपने राज्य नोडल अधिकारियों के साथ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 32 दौरे किए। इन दौरों से महत्वपूर्ण नीतिगत चर्चाएँ हुईं, सुधार योग्य क्षेत्रों की पहचान हुई और ठोस कार्य बिंदुओं का निर्माण हुआ, जिससे आपसी विश्वास, सहयोग और परिणामों के साझा स्वामित्व पर आधारित राष्ट्रीय विकास के लिए साझेदारी-आधारित दृष्टिकोण को सुदृढ़ किया गया।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यों एवं सीईओ की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उच्च-स्तरीय सहभागिता

नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म

नीति आयोग द्वारा मार्च 2024 में शुरू किए गए राज्यों के लिए नीति ज्ञान मंच में राज्यों के लिए नीति पोर्टल और विकसित भारत कार्यनीति कक्ष (वीबीएसआर) अनुभव स्थान शामिल हैं, जिसका उद्देश्य क्रॉस-लर्निंग, साक्ष्य आधारित निर्णय और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों, नीतियों और डेटासेट को साझा करना है।

यह मंच राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर डेटा आधारित नीतियां और प्रशासन तैयार करने में सरकारी अधिकारियों को सहायता करता है और कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आजीविका और कौशल विकास, विनिर्माण, एमएसएमई, पर्यटन, शहरी विकास, जल संसाधन और डब्लूएएसएच जैसे क्षेत्रों के साथ-साथ लिंग और जलवायु जैसे व्यापक विषयों पर ज्ञान उत्पाद प्रदान करता है। यह सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से शासन की सर्वोत्तम प्रथाओं, नीति संसाधनों और डेटा संबंधी जानकारियों का एक विशाल संग्रह प्रदान करता है।

उपयोगकर्ताओं को विशेषज्ञ सहायता डेस्क तक पहुंच, विश्वसनीय मार्गदर्शन के लिए क्षमता निर्माण आयोग के साथ एकीकरण और क्यूरेटेड टॉक के माध्यम से सहकर्मी अधिगम का अवसर भी मिलता है, जिसे नीति आयोग देशव्यापी अंगीकरण और वैश्विक हितधारकों के बीच विस्तारित करने के लिए तैयार है।

इस भंडार में 10 सेक्टरों, 2 व्यापक विषयों, 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, 765 जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 7500 से अधिक सर्वोत्तम प्रथाएं, 5000 से अधिक नीतियां, 980 से अधिक डेटासेट, 1500 से अधिक डेटा प्रोफाइल और 56 स्टार्टर किट शामिल हैं। उपयोगकर्ताओं की बेहतर सहभागिता के लिए सर्वोत्तम प्रथाएं विस्तृत लेख, वीडियो स्टोरी और ऑडियो क्लिप के रूप में उपलब्ध हैं। इस पोर्टल पर 2 लाख से अधिक आगंतुक आ चुके हैं, जिनमें से अधिकांश उपयोगकर्ता पोर्टल को एक्सप्लोर करने के लिए औसतन 10 मिनट का समय देते हैं।

विकसित भारत कार्यनीति कक्ष (वीबीएसआर)

नीति आयोग में विकसित भारत कार्यनीति कक्ष की स्थापना एक प्रोटोटाइप के रूप में की गई थी, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि डेटा समृद्ध चित्रण का उपयोग करके प्रभावी निर्णय लेने को कैसे सक्षम बनाया जा सकता है। वीबीएसआर डिजिटल रूप से एक व्यापक अनुभव है जो प्रभावी व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए अंतर्दृष्टि, सूचना और ज्ञान के साथ समृद्ध चित्रण और जुड़ाव को सक्षम बनाता है। यह एक इंटरैक्टिव स्थान है, जहां उपयोगकर्ता डेटा, प्रवृत्तियों, सर्वोत्तम प्रथाओं और नीतियों को गहन तरीके से देख सकेंगे, जिससे उन्हें किसी भी समस्या का समग्र मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी।

विभिन्न राज्यों ने वीबीएसआर के ढांचे को अपनाने और अपने यहां समान अनुभव कक्ष विकसित करने में रुचि दिखाई है। बिहार ने नीति आयोग के वीबीएसआर की तर्ज पर बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बीआईपीएआरडी) में और मुख्य सचिवालय कार्यालय में जेननेक्स्ट लैब का शुभारंभ किया है, जिससे डेटा संचालित शासन और आयोजना को बढ़ावा मिल रहा है। अक्टूबर 2025 में, एसएसएम से प्राप्त वित्तीय सहायता से मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) में एक और कार्यनीति कक्ष का उद्घाटन किया गया है।

एलबीएसएनएए में विकसित भारत कार्यनीति कक्ष के उद्घाटन की झलकियाँ

नीति आयोग द्वारा स्थापित विकसित भारत कार्यनीति कक्ष की कुछ झलकियां

स्टेट्स@2047 के लिए परिकल्पना संबंधी अभ्यास

नीति आयोग के शासी परिषद की नौवीं और दसवीं बैठकों में माननीय प्रधानमंत्री ने राज्यों द्वारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप विकसित राज्य@2047 के लिए अपना विजन दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसे ध्यान में रखते हुए, नीति आयोग सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में विशेषज्ञता प्रदान करके 2047 के लिए राज्य विशिष्ट विजन दस्तावेज तैयार करने में राज्यों को सक्रिय रूप से समर्थन दे रहा है। इसमें अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक कार्यनीतिक प्राथमिकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कार्रवाई योग्य कार्यान्वयन रोडमैप तैयार करने में सहायता शामिल है। यह पहल सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हुए नागरिकों के जीवन, अर्थव्यवस्था और शासन में परिवर्तन लाती है। राज्य की क्षमताओं का निर्माण करके और राष्ट्रीय तथा राज्य नीतियों में सामंजस्य स्थापित करके, यह एकीकृत विकास ढांचा तैयार करने में सहायक होता है। इससे भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में अधिक सक्रिय रूप से योगदान करने में भी राज्यों को मदद मिलती है।

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा ने 2025-26 में विकसित राज्य@ 2047 के अपने विजन दस्तावेज लॉन्च किए हैं और वर्तमान में असम, बिहार, गोवा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लिए विजन प्लान और कार्यान्वयन रोडमैप तैयार करने का कार्य चल रहा है और विभिन्न चरणों में प्रगति कर रहा है।

विकसित ओडिशा@ 2047 विजन दस्तावेज का शुभारंभ

नीति आयोग ने ओडिशा सरकार के साथ मिलकर दीर्घकालिक विकास विजन अर्थात ओडिशा विजन 2036 और 2047 तैयार किया है। 2047 तक विकसित ओडिशा विजन दस्तावेज का शुभारंभ जून 2025 में माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में किया गया था। इस विजन में ओडिशा के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के उपयोग, औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक सेवाओं में सुधार करने और सभी नागरिकों के लिए आर्थिक प्रगति और कल्याण को गति देने के लिए लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 2047 तक विकसित ओडिशा विजन दस्तावेज का विमोचन

विकसित त्रिपुरा@2047 विजन दस्तावेज का शुभारंभ

नीति आयोग ने त्रिपुरा के दीर्घकालिक विजन दस्तावेज को तैयार करने में उसके साथ मिलकर काम किया। राज्य के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क, विशेषज्ञ परामर्श और प्राथमिकता निर्धारण की कवायदों के माध्यम से, विकसित त्रिपुरा@ 2047 विजन दस्तावेज अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया। इस विजन दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करना, मानव पूंजी का निर्माण करना, अवसंरचना को उन्नत करना और संस्थानों की प्रभावशीलता को गहरा करना है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में त्रिपुरा के कार्यनीतिक अवसरों को रेखांकित करता है, साथ ही यहां के लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक-आर्थिक परिणामों को बढ़ाता है।

2047 तक विकसित त्रिपुरा विजन दस्तावेज का विमोचन

विकसित राजस्थान@ 2047 विजन दस्तावेज का शुभारंभ

नीति आयोग ने राजस्थान सरकार के साथ मिलकर 2047 तक राज्य के दीर्घकालिक विकास पथ को रेखांकित करने वाले एक व्यापक विजन दस्तावेज के निर्माण में सहयोग दिया। अक्टूबर 2025 में लॉन्च किए गए 2047 तक विकसित राजस्थान विजन दस्तावेज में 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के निर्माण के उद्देश्य से एक विजन व्यक्त किया गया है, जिसमें कृषि, उद्योग, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा और मानव विकास सहित विकास के प्रमुख स्तंभ शामिल हैं।

2047 तक विकसित राजस्थान विजन दस्तावेज का विमोचन

विकसित छत्तीसगढ़@2047 विजन दस्तावेज का शुभारंभ

नीति आयोग ने 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप छत्तीसगढ़ के दीर्घकालिक विकास का रोडमैप तैयार करने के लिए राज्य के साथ साझेदारी की। छत्तीसगढ़ विजन 2047 दस्तावेज नवंबर 2025 में लॉन्च किया गया। यह विजन दस्तावेज छत्तीसगढ़ को 2047 तक एक विकसित राज्य में बदलने के लिए एक व्यापक कार्यनीति की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कई गुना वृद्धि और मानव विकास, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, स्थिरता, पर्यटन और औद्योगिक विविधीकरण पर स्पष्ट रूप से ध्यान देने जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य शामिल हैं।

2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ विजन दस्तावेज का विमोचन

2047 तक विकसित मध्य प्रदेश विजन दस्तावेज का शुभारंभ

नीति आयोग ने 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय ढांचे के अनुरूप दूरदर्शी और व्यापक विजन दस्तावेज विकसित करने में मध्य प्रदेश सरकार के साथ सहयोग किया। राज्य के विभागों और विषय-वस्तु के विशेषज्ञों के साथ निरंतर संपर्क के माध्यम से नवंबर 2025 में विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन दस्तावेज लॉन्च किया गया। इस विजन दस्तावेज में आर्थिक परिवर्तन को गति देने, बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने, मानव पूंजी और शासन तंत्रों को बढ़ाने और कृषि, उद्योग, डिजिटल इकोसिस्टम और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी गई है।

2047 तक विकसित मध्य प्रदेश विजन दस्तावेज का विमोचन

2047 तक तेलंगाना राइजिंग विजन दस्तावेज का शुभारंभ

नीति आयोग ने तकनीकी इनपुट प्रदान करके और विभिन्न क्षेत्रों के बीच परामर्श को सुगम बनाकर 2047 तक विकसित भारत के अनुरूप भविष्योन्मुखी विजन दस्तावेज विकसित करने में तेलंगाना सरकार को सहयोग दिया। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के दौरान दिसंबर 2025 में लॉन्च किए गए तेलंगाना राइजिंग विजन 2047 दस्तावेज में तेलंगाना को उच्च विकास, नवाचार संचालित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से एक दीर्घकालिक मार्ग का वर्णन किया गया है। राज्य विजन का लक्ष्य प्रौद्योगिकी, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता, मानव पूंजी विकास और बेहतर शासन ढांचे द्वारा समर्थित शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक क्लस्टरों के कार्यनीतिक विकास के माध्यम से 2047 तक 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है।

2047 तक विकसित तेलंगाना विजन दस्तावेज का विमोचन

नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला

नीति आयोग ने सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के अपने मुख्य अधिदेश के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में 'नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला' शुरू की थी। कार्यशालाओं में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास तथा राष्ट्रीय एवं वैश्विक हित के अन्य उभरते क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यशालाएं राज्य सहायता मिशन (एसएसएम) के तहत शुरू की गईं, जिसका उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नीतिगत अंतर्दृष्टि और सुशासन की प्रथाओं आदि को साझा करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित विकास के प्रमुख मुद्दों पर सहयोग और ज्ञान साझा करने के लिए एकीकृत मंच प्रदान करना है। नीति आयोग के प्रभागों द्वारा इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इस पहल के तहत वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 में क्रमशः 20 और 35 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला (वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25) के तहत आयोजित कार्यशालाओं से प्राप्त प्रमुख निष्कर्षों और परिणामों से संबंधित संकलन सितंबर 2025 में जारी किए गए हैं।

नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित कार्यशालाओं के प्रमुख निष्कर्षों पर आधारित संकलन का विमोचन

राज्यों के विकास और राष्ट्रीय एवं वैश्विक हित के अन्य क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित कुछ महत्वपूर्ण कार्यशालाओं की मुख्य बातें निम्नलिखित पैराग्राफों में दी गई हैं:

छत्तीसगढ़ में युवाओं, महिलाओं और आदिवासियों के लिए कौशल विकास, रोजगार और आजीविका पर कार्यशाला

एसएसएम के तत्वावधान में, नीति आयोग ने 2 मई 2025 को रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (सीएसएसडीए) के सहयोग से युवाओं, महिलाओं और आदिवासियों के लिए कौशल विकास, रोजगार और आजीविका पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साई और छत्तीसगढ़ के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने किया।

इस कार्यशाला में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, अग्रणी उद्योगपतियों, गैर सरकारी संगठनों, प्रशिक्षकों, छात्रों, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाओं और जमीनी स्तर के प्रतिनिधियों सहित 350 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया। विचार-विमर्श को तीन विषयगत सत्रों के इर्द-गिर्द संरचित किया गया था, जो युवाओं, महिलाओं और आदिवासी समुदायों पर केंद्रित थे और चर्चा कौशल विकास, उद्यमिता और टिकाऊ रोजगार के माध्यम से सशक्तिकरण की कार्यनीतियों पर केंद्रित थी। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ में समावेशी विकास, विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग और कौशल विकास के इकोसिस्टम को मजबूत करने की आवश्यकता के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

रायपुर में युवाओं, महिलाओं और आदिवासियों के लिए कौशल विकास, रोजगार और आजीविका पर आयोजित कार्यशाला के दौरान छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन

सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति की त्वरित खोज और रिपोर्टिंग पर राष्ट्रीय कार्यशाला

नीति आयोग द्वारा ओडिशा सरकार और यूएनडीपी के सहयोग से 20 फरवरी 2025 को भुवनेश्वर में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर प्रगति की त्वरित खोज और रिपोर्टिंग पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य 25 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, केंद्रीय मंत्रालयों, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन में तेजी लाना था।

प्रमुख तकनीकी सत्रों में एसडीजी के स्थानीयकरण, एसडीजी के वित्तपोषण और स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वीएनआर) 2025 पर ध्यान केंद्रित किया गया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन के बेरी ने शासन को मजबूत करने और स्थायी वित्त जुटाने के लिए डेटा संचालित, बहु-हितधारक दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया। नीति आयोग के सीईओ ने गरीबी उन्मूलन और एसडीजी के स्थानीयकरण में भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में समकक्ष अधिगम बढ़ाने का आह्वान किया। ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव श्री मनोज आहूजा ने प्रभावी शासन में आंकड़ों की सटीकता और दृश्यीकरण की भूमिका पर जोर दिया। कार्यशाला में एसडीजी समन्वय और त्वरण केंद्रों के कार्यों को भी प्रदर्शित किया गया, जो एसडीजी वित्तपोषण अंतराल को दूर करने के लिए योजनाओं, त्वरण योजनाओं के अभिसरण और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देते हैं।

20 फरवरी 2025 को भुवनेश्वर में "सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर प्रगति की त्वरित खोज और रिपोर्टिंग" विषय पर आयोजित कार्यशाला

इस सम्मेलन ने सहयोगात्मक नीति निर्माण और गतिशील राज्य स्तरीय कार्रवाई के माध्यम से एजेंडा 2030 के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत किया, साथ ही सहकारी संघवाद और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया। इसने एसडीजी के लिए राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय प्रयासों के बीच तालमेल को मजबूत किया, जिससे सतत विकास की दिशा में तेज, और अधिक समावेशी प्रगति के लिए निगरानी, मूल्यांकन और बजटीय प्रक्रियाओं में एसडीजी के ढांचों को एकीकृत करने के लिए राज्य प्रोत्साहित हुए।

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) कार्यशाला

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) पर राष्ट्रीय कार्यशाला: नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला के अंतर्गत 9 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में 'आउटरीच और राष्ट्रीय क्षमता को सुदृढ़ करना' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य नीति नियोजन और कार्यान्वयन में एमपीआई डेटा को एकीकृत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए सरकारी अधिकारियों, राज्य प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और विकास भागीदारों को एक साथ लाना था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने की और इसमें प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद, नीति आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र और ऑक्सफोर्ड नीति एवं मानव विकास पहल के प्रमुख वक्ताओं ने भाग लिया।

वक्ताओं ने सतत विकास लक्ष्यों और एमपीआई के बीच मजबूत संबंधों पर प्रकाश डाला और गरीबी उन्मूलन के परिणामों में सुधार के लिए डेटा संचालित नियोजन, स्थानीय कार्यान्वयन और निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया। चर्चाओं में मातृ स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन के संकेतकों को शामिल करने, रीयल टाइम डेटा प्रणालियों के महत्व और परस्पर विरोधी अभावों से निपटने के लिए बहु-क्षेत्रक सहयोग पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यशाला में नीतिगत प्रेरक के रूप में एमपीआई, एमपीआई की राष्ट्रीय अवधारणाओं पर तकनीकी सत्र और एलएनओबी (किसी को पीछे न छोड़ना) विश्लेषण पर एक विशेष सत्र शामिल था।

31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, 6 केंद्रीय मंत्रालयों और 8 थिंक टैंकों (कुल 120 प्रतिभागियों) की भागीदारी के साथ, कार्यशाला ने साक्ष्य आधारित, लक्षित अंतःक्षेपों के लिए नीतिगत और जवाबदेही उपकरण के रूप में एमपीआई की परिवर्तनकारी

क्षमता को रेखांकित किया। इन परिणामों ने एकीकृत नियोजन को मजबूत करने, डेटा की सुलभता बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन तथा समावेशी विकास की दिशा में प्रगति को गति देने में एमपीआई की भूमिका को और मजबूत किया है, जो भारत के 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

नई दिल्ली में 9 सितंबर 2025 को "राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई)" पर आयोजित कार्यशाला

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को सुदृढ़ बनाने पर राष्ट्रीय कार्यशाला

भारत में कृषि-मूल्य श्रृंखला विकास और ग्रामीण समृद्धि के इंजन के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पीएसीएस) को मजबूत करने पर 29-30 अक्टूबर 2025 को पुणे, महाराष्ट्र में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पीएसीएस को गतिशील, प्रौद्योगिकी सक्षम और मूल्य श्रृंखला-एकीकृत संस्थानों में बदलने की कार्यनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया, जो कृषि परिवर्तन और ग्रामीण समृद्धि में सार्थक योगदान देते हैं।

नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद ने इस कार्यशाला का उद्‌घाटन किया, जिन्होंने सहकारिता के नेतृत्व में समावेशी और टिकाऊ कृषि विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। अपने विशेष संबोधन में नीति आयोग के सीईओ श्री बी वी आर सुब्रह्मण्यम ने कृषि व्यवसाय, इनपुट वितरण, मूल्यवर्धन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में ऋण के अलावा पीएसीएस के कार्यात्मक दायरे को व्यापक बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

इस कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें नाबार्ड, एनसीडीईएक्स, नाफेड, आईएफएफसीओ, आईसीएआर के प्रतिनिधि, वरिष्ठ नीति निर्माता, नौ राज्यों के सरकारी अधिकारी, सहकारी समितियों के प्रमुख, एफपीओ और स्टार्ट-अप शामिल थे, जिससे बहु-हितधारक संवाद और सहयोगात्मक कार्रवाई को बढ़ावा मिला। दो दिवसीय कार्यशाला में चार तकनीकी सत्र शामिल थे, जिनमें पीएसीएस की कार्यप्रणाली, सेक्टोरल और क्लस्टर प्रदर्शन, पीएसीएस के समावेशी विकास के लिए नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठाना, पीएसीएस को भविष्य के लिए तैयार करना, उद्‌घाटन सत्र और समापन सत्र शामिल थे।

पीएसीएस को सुदृढ़ करने पर पुणे में आयोजित कार्यशाला की कुछ झलकियाँ

'सभी आयु वर्ग के लोगों की विशेष आवश्यकताओं की दिशा में सुधार: दिव्यांगता, बुजुर्गों की देखभाल और गोद लेना' - पर कार्यशाला

नीति आयोग ने 16 अक्टूबर 2025 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में "सभी आयु वर्ग के लोगों की विशेष आवश्यकताओं की दिशा में सुधार: विकलांगता, बुजुर्गों की देखभाल और गोद लेना" शीर्षक से एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में न्यायपालिका, सरकार, नागरिक समाज और शिक्षा जगत के विशेषज्ञ एक साथ आए। भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने विशिष्ट अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समावेशिता और जीवनयापन की सुगमता को बढ़ावा देने हेतु कानूनी सुधारों की अत्यावश्यक आवश्यकता पर जोर दिया।

डेटा फोरम 2025

विकास, रोजगार और सेवा वितरण के लिए शहरी डेटा के इकोसिस्टम पर तीसरा डेटा फोरम 2025 आयोजित किया गया। इस फोरम का आयोजन शहरी डेटा के इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया ताकि शहरों में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और बेहतर सेवा वितरण को सक्षम बनाया जा सके। प्रमुख विचार-विमर्श में डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क, संस्थागत तंत्र, सहभागी शहरी नियोजन और वास्तविक समय में निर्णय लेने के लिए उन्नत एनालिटिक्स और एआई के अनुप्रयोग को शामिल किया गया।

नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला: डेटा फोरम 2025, भोपाल में नीति आयोग और विश्व बैंक की टीम

'उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को सक्षम बनाने' पर कार्यशाला

महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूईपी) ने "उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को सक्षम बनाना" पर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसने महिला उद्यमियों का जश्न मनाने, डब्ल्यूईपी के भागीदारों और स्वयंसेवकों के योगदान को पहचान प्रदान करने और महिला उद्यमिता के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रमुख पहलों को शुरू करने के लिए गतिशील मंच प्रदान किया।

'इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिका' पर कार्यशाला

"इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिका" पर राष्ट्रीय कार्यशाला इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना में तेजी लाने के लिए 20 मार्च, 2025 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में नीतिगत, वित्तपोषण और नियामक चुनौतियों पर चर्चा की गई, साथ ही राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से ज्ञान साझा करने को बढ़ावा दिया गया। यह कार्यशाला भारत के ई-मोबिलिटी परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण कदम थी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने और संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने की इसकी प्रतिबद्धता को बल मिला। इन चर्चाओं से प्राप्त अंतर्दृष्टि और कार्यनीतियों ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक मार्गदर्शक ढांचा प्रदान किया, जिससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की पहलों का संरचित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ। नीति आयोग नीतिगत सलाह, तकनीकी सहायता, ज्ञान के आदान-प्रदान और अंतर-सरकारी समन्वय के माध्यम से राज्यों को समर्थन देना जारी रखा है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के सुसंगत और भविष्य के लिए तैयार इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलता है।

'इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिका पर राष्ट्रीय कार्यशाला

'शहरी प्रबंधन' पर कार्यशाला

भारत के तीव्र शहरीकरण ने शहरों को, विशेष रूप से द्वितीय और तृतीय स्तर के शहरों को रोजगार सृजन और नवाचार के केंद्र में ला दिया है, जबकि क्षमता की दृष्टि से उन्हें शहरी प्रबंधन में महत्वपूर्ण कमियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए, नीति आयोग ने जनवरी 2025 में डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में शहरी प्रबंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य इन कमियों का आकलन करना और शहरी प्रबंधन के अधिकारियों के लिए प्रभावी क्षमता निर्माण कार्यक्रम तैयार करने में सहायता करना था।

शहरी प्रबंधन पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला

'लघु नगर नियोजन पहल और भविष्य की कार्यनीति' पर कार्यशाला

जुलाई 2025 में, नीति आयोग ने छोटे शहरों के लिए नियोजन पर एक उच्च स्तरीय गोलमेज चर्चा का आयोजन किया, जिसमें प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों और अग्रणी शहरी विशेषज्ञों को एक मंच पर लाया गया। विचार-विमर्श में भारत के शहरी परिवर्तन में द्वितीय और तृतीय स्तर के शहरों की उभरती भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें स्थानीय आर्थिक नियोजन ढांचे, शासन और क्षमता संबंधी चुनौतियों और क्षेत्रीय संतुलन और औद्योगिक विकास के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करने की छोटे शहरों की क्षमता पर जोर दिया गया। इन चर्चाओं में छोटे शहरी केंद्रों के विकास करने की क्षमता को उजागर करने के लिए अनुकूलित नीतिगत अंतःक्षेपों के महत्व पर जोर दिया गया। यह पहल 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप संतुलित, समावेशी और टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक कार्यनीतिक कदम है।

नई दिल्ली में लघु नगर नियोजन पहल और आगे की राह पर आयोजित कार्यशाला

'हिल सिटी क्षेत्र नियोजन पहल (एचसीआरपीआई)' पर कार्यशाला

नवंबर 2025 में, नीति आयोग ने मेघालय सरकार के सहयोग से शिलांग में हिल सिटी क्षेत्र नियोजन पहल (एचसीआरपीआई) पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र के हिल सिटी के लिए एक सतत और समावेशी विकास के रोडमैप को आगे बढ़ाना था। इस कार्यशाला ने नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाया ताकि पहाड़ी शहरों के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता, पारिस्थितिक नियोजन और एक विशिष्ट विकास मॉडल पर विचार-विमर्श किया जा सके, जिसमें पर्यटन, विरासत आधारित उद्योगों, ज्ञान सेवाओं और हरित विनिर्माण में अवसर मौजूद हों। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से प्रेरणा लेते हुए, चर्चाओं का ध्यान विजन 2047 के अनुरूप पहाड़ी शहरों के लिए निवेश के लिए तैयार, लचीले दृष्टिकोण को आकार देने पर केंद्रित था, जिसमें आर्थिक विकास और पर्यावरणीय प्रबंधन के बीच संतुलन बनाए रखा गया हो।

शिलांग में हिल सिटी क्षेत्र नियोजन पहल पर आयोजित कार्यशाला

'किफायती आवास' पर कार्यशाला

दिसंबर 2025 में, नीति आयोग ने एक कार्यशाला का आयोजन किया और केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों और रियल एस्टेट के पेशेवरों की उपस्थिति में 'किफायती आवास को बढ़ावा देने और सक्षम बनाने के लिए व्यापक ढांचा' नामक रिपोर्ट जारी की। कार्यशाला में शहरी किफायती आवास में संरचनात्मक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें भूमि की उपलब्धता, आवास की आपूर्ति, वित्त तक पहुंच और नियामक बाधाएं शामिल थीं। चर्चाओं में केंद्र-राज्य के समन्वित कार्यों, भूमि और नियोजन संबंधी सुधारों, वित्तपोषण के नवीन तंत्रों, किराये के आवास से जुड़े सुधारों और लक्षित नीतिगत अंतःक्षेपों पर जोर दिया गया ताकि कम आय वाले वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के परिवारों के लिए वहनीयता सुनिश्चित करते हुए निजी निवेश को आकर्षित किया जा सके। पीएमएवाई पर आधारित यह ढांचा किफायती आवास के इकोसिस्टम को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के तहत टिकाऊ, समावेशी शहरी विकास का समर्थन करने के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशें प्रस्तुत करता है।

किफायती आवास पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला

'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' पर कार्यशाला

फरवरी 2025 में, नीति आयोग ने नई दिल्ली में 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, एनसीईआरटी, सीबीएसई और एनआईईपीए के प्रमुखों, 20 से अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिवों और एससीईआरटी के निदेशकों के साथ-साथ नागरिक समाज, जमीनी स्तर के संगठनों और यूनेस्को जैसे अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के प्रतिनिधियों सहित 150 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। लगभग 20 विशेषज्ञों ने मूलभूत अधिगम, शिक्षक नेतृत्व, विद्यालय नेतृत्व और शिक्षा में प्रौद्योगिकी पर 4 विषयगत पैनलों में योगदान दिया।

'शिक्षक शिक्षा' पर कार्यशाला

नीति आयोग ने मार्च 2025 में नई दिल्ली में 'शिक्षक शिक्षा' पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, एनसीईआरटी, एनसीटीई, एससीईआरटी, डीआईईटी, नीति निर्माताओं, शिक्षा क्षेत्र के प्रमुखों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लगभग 25 विशेषज्ञों ने शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) को मजबूत बनाने, शिक्षक प्रशिक्षण को फिर से डिजाइन, डिजिटल उपकरणों को एकीकृत करने, शासन को बढ़ाने, सहयोग को बढ़ावा देने और राज्य स्तरीय नवाचारों से सबक लेने जैसे विषयों पर आयोजित 6 सत्रों में अपने विचार साझा किए।

शिक्षक शिक्षा पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला

'भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण: चुनौतियाँ, सर्वोत्तम अभ्यास और नीतिगत अंतःक्षेप' पर कार्यशाला

नीति आयोग ने मार्च 2025 में आईआईटी मद्रास, चेन्नई में "भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण: चुनौतियाँ, सर्वोत्तम अभ्यास और नीतिगत अंतःक्षेप" पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, मानद विश्वविद्यालयों, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षाविदों और कई देशों के प्रतिनिधियों सहित 140 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित प्रणालीगत और

संस्थागत स्तरों पर भारतीय उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीयकरण की पहलों को लागू करने से जुड़ी चुनौतियों, सर्वोत्तम प्रथाओं और नीतिगत अंतःक्षेपों पर विचार-विमर्श किया गया। लगभग 40 वक्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग, वैश्विक शैक्षणिक गतिशीलता और तटवर्ती और अपतटीय शाखा परिसरों की स्थापना पर केंद्रित 4 विषयगत सत्रों में अपने दृष्टिकोण साझा किए।

'भारत में शोधित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग' विषय पर कार्यशाला

कर्नाटक सरकार के सहयोग से 6 और 7 नवंबर 2025 को बेंगलुरु में "भारत में शोधित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला ने नीति निर्माताओं, राज्य सरकारों, यूटिलिटीज, विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाया ताकि भारत में बढ़ते जल संकट और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पुन: उपयोग के लिए शोधित अपशिष्ट जल को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता पर चर्चा की जा सके।

इस कार्यशाला में इज़राइल और सिंगापुर सहित अंतरराष्ट्रीय अनुभवों को शामिल किया गया। विशेषज्ञों ने पता लगाने की क्षमता और गुणवत्ता आश्वासन के लिए मजबूत निगरानी, डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटा आधारित शासन के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यशाला का समापन इस आम सहमति के साथ हुआ कि भारत को नीतिगत सामंजस्य बढ़ाने, प्रयुक्त जल के लिए क्षेत्र विशिष्ट मानक बनाने, राज्य स्तर पर इसे अपनाने में सुधार करने, संचालन और रखरखाव की प्रथाओं को मजबूत करने, पुन: उपयोग के लिए उपयुक्त को मुख्यधारा में लाने और चक्रीय, संसाधन कुशल अपशिष्ट जल अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन को गति देने के लिए संस्थागत क्षमता निर्माण पर काम करना चाहिए।

शोधित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग पर कार्यशाला

'भारतीय नवाचार के इकोसिस्टम में तालमेल स्थापित करने' पर राष्ट्रीय कार्यशाला

भारत के नवाचार परिदृश्य को मजबूत करने के लिए, नीति आयोग ने 22 मार्च 2025 को गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में डॉ. वी. के. सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग की अध्यक्षता में "भारतीय नवाचार के इकोसिस्टम में तालमेल स्थापित करना" विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। गुजरात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (जीयूजेसीओएसटी), गुजरात सरकार ने राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की थी। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल को बढ़ावा देना और सरकारी अधिकारियों, शिक्षाविदों, औद्योगिक विशेषज्ञों, स्टार्टअप संस्थापकों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों सहित प्रमुख हितधारकों के बीच संवाद और ज्ञान साझाकरण को सुगम बनाना था, ताकि नवाचार, उद्यमिता और तकनीकी प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके।

भारतीय नवाचार में तालमेल स्थापित करने पर गुजरात में आयोजित कार्यशाला

"राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को सशक्त बनाना: भारत के अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण की ओर" पर कार्यशाला

भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) परिदृश्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, नीति आयोग ने 18 मार्च, 2025 को "राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों को सशक्त बनाना: भारत के भविष्य के लिए नवाचार को बढ़ावा देना" शीर्षक से एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. सारस्वत, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद, जैव प्रौद्योगिकी विभाग/इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिवों और विभिन्न वैज्ञानिक मंत्रालयों और विभागों के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यशाला में 25 से अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसने देश की राज्य स्तरीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों में महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाया। कार्यशाला के दौरान, प्रतिभागियों ने राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों की स्थिति पर व्यापक विचार-विमर्श किया, जिसमें उनके शासन ढांचे, परिचालन दक्षता और संसाधन आवंटन की जांच की गई। विभिन्न राज्यों के सफल मॉडलों को प्रदर्शित करने वाली सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को उजागर किया गया। इसके अतिरिक्त, सशक्त निगरानी और मूल्यांकन तंत्र की भूमिका पर जोर दिया गया।

राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को सशक्त बनाने पर राष्ट्रीय कार्यशाला

“नवाचार को बनाए रखना: राज्य संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास को समाहित करना” विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला

नीति आयोग ने 8–9 जनवरी 2026 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी की अध्यक्षता में “नवाचार को बनाए रखना: राज्य संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास को समाहित करना” विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। तमिलनाडु राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के सहयोग से कोयंबटूर में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में संस्थागत नेताओं, राज्य विभागों के योजना सचिवों, उद्योग जगत के नेताओं और राज्य परिषद के सचिवों का एक प्रतिष्ठित समूह भारत के राज्य नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करने पर गहन चर्चा के लिए एकत्रित हुआ। इस कार्यशाला में नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी के पॉल और मिजोरम की ग्रामीण विकास मंत्री प्रोफेसर लालनीलावमा ने शिरकत की।

भारत की मजबूत नवाचार संस्कृति और राष्ट्रीय एसटीआई मिशनों और पहलों के माध्यम से प्राप्त लाभों के आधार पर, कार्यशाला ने इस बात की पुष्टि की कि भारत की नवाचार यात्रा का अगला चरण मजबूत राज्य स्तरीय अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम द्वारा संचालित होना चाहिए। चर्चाओं में नीति से व्यवहार की ओर निर्णायक रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया, जिसके लिए राज्य मिशनों के भीतर अनुसंधान एवं विकास को संस्थागत रूप देना, राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को सशक्त बनाना, जमीनी स्तर पर नवाचार को नीति से जोड़ना और नवाचार शासन को मजबूत करना आवश्यक है।

कोयंबटूर में “नवाचार को बनाए रखना: राज्य संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास को समाहित करना” विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला की कुछ झलकियाँ

‘सहायक प्रौद्योगिकी के लिए इकोसिस्टम विकसित करने’ पर राष्ट्रीय कार्यशाला

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 9 अप्रैल 2025 को यशदा, पुणे में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उभरते सहायक प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स को सहायक प्रौद्योगिकी उपकरणों की वर्तमान और भविष्य की मांग और आपूर्ति पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना था, जिससे भारत में सहायक प्रौद्योगिकी के लिए इकोसिस्टम विकसित करने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

"शिक्षा में मार्गदर्शन को बढ़ावा देना: समानता की ओर एक मार्ग" विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला

नीति आयोग द्वारा 29 अगस्त 2025 को रायपुर में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों जैसे विभिन्न हितधारकों को स्कूल, उच्च और व्यावसायिक शिक्षा में मौजूदा मार्गदर्शन ढांचे, चुनौतियों और कमियों पर विचार-विमर्श करने और आगे का रास्ता तलाशने के लिए मंच प्रदान करना था।

'झारखंड में सतत उद्यमों के माध्यम से जनजातीय और ग्रामीण आजीविका के सुदृढ़ीकरण' पर कार्यशाला

नीति आयोग ने झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी और झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के साथ मिलकर 28 जनवरी, 2026 को रांची में एक कार्यशाला आयोजित की। इसका उद्देश्य जनजातीय और ग्रामीण आजीविका को मज़बूत करने के लिए सतत उद्यमों को बढ़ावा देना था। नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद ने एंटरप्राइज-लेड ग्रोथ और ग्रामीण समुदाय को जॉब क्रिएटर के तौर पर स्थापन करने पर ज़ोर दिया। कार्यशाला में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दूसरे हितधारकों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। पैनल चर्चा में इनोवेटिव ग्रामीण उद्यमों, योजना अभिसरण, वित्त तक पहुँच, लैंड यूज़, मार्केट लिंकेज और लकड़ी के अलावा वन उपज आधारित आजीविका पर बात हुई। प्रदर्शनी में समुदाय-नेतृत्व वाले नवाचार, स्किल-बेस्ड एंटरप्राइजेज और स्थानीय संसाधन और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित मार्केट-लिंक्ड मॉडल्स दिखाए गए।

"आदिवासी और ग्रामीण आजीविका को मज़बूत करना" पर कार्यशाला 28 जनवरी 2026 को रांची में हुई।

क्षेत्रीय कार्यशालाएं

नीति आयोग, राज्य परिवर्तन संस्थान (एसआईटी) और एसएसएम के तहत स्थापित अन्य प्रमुख हितधारकों के बीच परस्पर अधिगम को सक्षम करने और सहभागिता बढ़ाने के लिए, नीति आयोग ने देश भर में क्षेत्रीय कार्यशालाओं, संवादों और विषयगत कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

(i) एसएसएम के अंतर्गत नीति आयोग की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला 2 जून 2025 को देहरादून में राज्य सशक्तिकरण और परिवर्तन संस्थान (एसईटीयू) आयोग, उत्तराखंड सरकार के सहयोग से आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में नौ उत्तरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश के लगभग 150 अधिकारियों ने भाग लिया।

(ii) इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से 25 सितंबर 2025 को यशदा, पुणे में एसएसएम के अंतर्गत नीति आयोग के एक क्षेत्रीय संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी, महाराष्ट्र आदि सहित 11 पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 200 अधिकारियों ने भाग लिया। इसने इस पहल को राष्ट्रव्यापी स्तर पर मजबूत और विस्तारित करने के लिए एसएसएम की भावी दिशा पर विचार-विमर्श करने के लिए मंच प्रदान किया।

(iii) प्रमुख ज्ञान संस्थानों (एलकेआई) के साथ मूलभूत जुड़ाव और एसएसएम के तहत हासिल की गई प्रगति के आधार पर, विकसित राज्य के लिए ज्ञान संस्थानों का लाभ उठाने पर एक सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड के एलकेआई यानी आईआईटी रुड़की में किया गया, जिसमें 26 नामित एलकेआई के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन ने सीखे गए सबक पर विचार करने, अनुभवों को साझा करने और राज्य सहायता मिशन के तहत एलकेआई समर्थन की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कार्यनीतियों का सहयोगात्मक रूप से पता लगाने के लिए मंच के रूप में कार्य किया।

आईआईटी रुड़की में विकसित राज्य के लिए ज्ञान संस्थानों का लाभ उठाने पर आयोजित सम्मेलन की झलकियाँ

खंड 3

थिंक टैंक की गतिविधियां

नीति आयोग भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और इस नोडल एजेंसी को आर्थिक नीति निर्माण की प्रक्रिया में नीचे से ऊपर वाले दृष्टिकोण का उपयोग करके भारत की राज्य सरकारों की भागीदारी के माध्यम से आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है। यह दिशात्मक और नीतिगत सुझाव प्रदान करता है, केंद्र सरकार के लिए दीर्घकालिक कार्यनीतियां तैयार करता है, और केंद्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है। एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करते हुए, यह राष्ट्रीय हित में सहयोगात्मक शासन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एकजुट करता है।

नीति आयोग जटिल चुनौतियों से निपटने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक, शैक्षणिक संस्थानों, नीति शोधकर्ताओं, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र सहित हितधारकों के साथ साझेदारी को भी बढ़ावा देता है। 2025-26 के दौरान, नीति आयोग ने केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाले नीति पत्र और अनुसंधान आधारित प्रकाशनों को प्रकाशित करके कई पहल की। इसने ज्ञान, नवाचार और उद्यमिता के लिए एक जीवंत इकोसिस्टम का निर्माण करने और समावेशी एवं टिकाऊ विकास को गति देने के लिए थिंक टैंक, उद्योग और अनुसंधान निकायों के साथ मौजूदा संबंधों को मजबूत किया और नए संबंध स्थापित किए।

नीति आयोग की आंतरिक व्याख्यान श्रृंखला

नीति आयोग ने अपने अधिकारियों और भारत सरकार के चुनिंदा अधिकारियों के लिए भारत की विकास कार्यनीतियों पर एक आंतरिक व्याख्यानमाला स्थापित की है। इन सत्रों का उद्देश्य सरकार की प्रमुख पहलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ज्ञान को गहरा करना, क्षमता निर्माण करना और अधिक उत्पादक, समावेशी वातावरण को बढ़ावा देना है। ये व्याख्यान नवोन्मेषी सोच को भी प्रोत्साहित करते हैं और राष्ट्र के विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में साझा प्रतिबद्धता को बढ़ावा देते हैं।

नीति आयोग की आंतरिक व्याख्यानमाला का 19वां व्याख्यान 30 जनवरी 2025 को रंग भवन सभागार, ऑल इंडिया रेडियो, नई दिल्ली में "विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण और परिदृश्य" विषय पर आयोजित किया गया। इस सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के मुख्य ऊर्जा अर्थशास्त्री श्री टिम गोल्ड ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। आईईए के विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण पर आधारित इस व्याख्यान में वैश्विक ऊर्जा स्रोतों, मांग एवं आपूर्ति की गतिकी, भविष्य के अनुमानों और ऊर्जा सुरक्षा, उत्सर्जन और आर्थिक विकास पर उनके प्रभावों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। इन विचार-विमर्शों में भारत की विकसित हो रही ऊर्जा नीतियों और कार्यनीतिक नियोजन के लिए इन जानकारियों की प्रासंगिकता की जांच की गई, साथ ही वैश्विक ऊर्जा बाजारों को आकार देने और जलवायु और स्थिरता के अंतरराष्ट्रीय उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया गया।

"विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण और परिदृश्य" विषय पर नीति आयोग द्वारा आयोजित
19वीं आंतरिक व्याख्यानमाला की कुछ झलकियाँ

नीति आयोग ने 24 फरवरी 2025 को नीति आयोग की आंतरिक व्याख्यानमाला के 20वें संस्करण का आयोजन किया, जिसमें गूगल डीपमाइंड के अनुसंधान उपाध्यक्ष डॉ. पुष्पमीत कोहली ने "एआई क्रांति: भारत के लिए अवसर और चुनौतियाँ" विषय पर व्याख्यान दिया। इस सत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता में हालिया प्रगति, उभरते वैश्विक रुझानों और समावेशी विकास के लिए भारत द्वारा एआई का उपयोग करने की कार्यनीतिक अनिवार्यताओं की जांच की गई। इसमें नीतिगत ढांचे, अनुसंधान से जुड़े इकोसिस्टम और क्षमता निर्माण के उपायों पर भी चर्चा की गई, जो भारत को एआई नवाचार में प्रतिस्पर्धी और जिम्मेदार वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं।

"एआई क्रांति: भारत के लिए अवसर और चुनौतियाँ" विषय पर नीति आयोग द्वारा आयोजित
20वीं आंतरिक व्याख्यानमाला की कुछ झलकियाँ

नीति आयोग की आंतरिक व्याख्यानमाला का 21वां व्याख्यान 24 मार्च 2025 को नई दिल्ली में "विनियमन में ढील: क्यों और कैसे?" विषय पर आयोजित किया गया। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. अनंत नागेश्वरन द्वारा दिए गए इस सत्र में सतत और रोजगारोन्मुखी विकास को बढ़ावा देने में घरेलू सुधार के संचालकों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इसमें शासन को सुव्यवस्थित करने और विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक क्षमता को उजागर करने हेतु विनियमन में सुव्यवस्थित ढंग से ढील देने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। समापन भाषण में, नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने स्पष्ट और सतत सुधार के रोडमैप की आवश्यकता पर जोर दिया।

"विनियमन में ढील: क्यों और कैसे" विषय पर नीति आयोग द्वारा आयोजित 21वीं आंतरिक व्याख्यानमाला की कुछ झलकियाँ

नीति आयोग की आंतरिक व्याख्यानमाला का 22वां व्याख्यान 25 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में "हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की समुद्री अनिवार्यताएं" विषय पर आयोजित किया गया। वाइस एडमिरल प्रदीप चौहान, एवीएसएम और बार, वीएसएम, महानिदेशक, राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन द्वारा दिए गए इस सत्र में भारत की उभरती समुद्री प्राथमिकताओं का विश्लेषण किया गया। इस व्याख्यान में हिंद-प्रशांत क्षेत्र के कार्यनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व पर प्रकाश डाला गया, जिसमें समुद्री व्यापार, सुरक्षा, जलवायु संबंधी चुनौतियां और क्षेत्रीय सहयोग पर जोर दिया गया। इसमें समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा और आर्थिक, पर्यावरणीय और राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों को एकीकृत करने वाली एक व्यापक राष्ट्रीय समुद्री कार्यनीति की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

"हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की समुद्री अनिवार्यताएँ" विषय पर नीति आयोग द्वारा आयोजित
22वीं आंतरिक व्याख्यानमाला की झलकियाँ

नीति आयोग की आंतरिक व्याख्यानमाला का 23वां व्याख्यान 30 मई 2025 को "वैश्विक व्यापार की गतिकी और भारत पर इसके प्रभाव" विषय पर आयोजित किया गया। इस सत्र में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बदलते परिदृश्य और भारत की आर्थिक प्रगति पर इसके प्रभावों का व्यापक सिंहावलोकन प्रस्तुत किया गया। जेएनयू की प्रोफेसर अमिता बत्रा, आईकेडीएचवीएजे एडवाइजर्स एलएलपी के डॉ. हर्ष वर्धन सिंह (जो विश्व व्यापार संगठन के पूर्व उप महानिदेशक हैं) और विश्व बैंक की वरिष्ठ व्यापार अर्थशास्त्री डॉ. नोरा दिहेल ने उभरते वैश्विक रुझानों और भारत के लिए अवसरों पर अपने विचार साझा किए। अपने समापन भाषण में, नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने वैश्विक व्यापार की जटिलताओं से निपटने के लिए चपलता और लचीलेपन की आवश्यकता पर जोर दिया।

"वैश्विक व्यापार की गतिकी और भारत पर इसके प्रभाव" विषय पर नीति आयोग की 23वीं आंतरिक
व्याख्यानमाला की झलकियाँ

नीति आयोग की आंतरिक व्याख्यानमाला का 24वां व्याख्यान 30 जून 2025 को "स्टार्ट-अप इंडिया की यात्रा: विचार से प्रभाव तक" विषय पर आयोजित किया गया। इस सत्र में कारडेखो ग्रुप के सह-संस्थापक और सीईओ श्री अमित जैन और मोबीक्विक की सह-संस्थापक एम एस उपासना टाकू के साथ एक संवादात्मक चर्चा हुई, जिसका संचालन बेन कैपिटल इंडिया के अध्यक्ष और एटीई चंद्र फाउंडेशन के संस्थापक श्री अमित चंद्र ने किया। इस चर्चा में भारत के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के विकास को समाहित किया गया, जिसमें सहायक नीतियों, प्रभावी कार्यान्वयन और उद्यमी नेतृत्व की भूमिका पर जोर दिया गया, साथ ही सरकारी सुगमता, निजी क्षेत्र की भागीदारी, जन-केंद्रित व्यावसायिक मॉडल और समावेशी नवाचार के

माध्यम से स्टार्ट-अप की सफल यात्राओं को आगे बढ़ाने के बारे में जानकारी दी गई। सत्र का समापन करते हुए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने गतिशील, समावेशी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप के इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में अटल इनोवेशन मिशन और महिला उद्यमिता मंच जैसी पहलों के योगदान को रेखांकित किया।

"स्टार्ट-अप इंडिया की यात्रा: तक" विषय पर नीति आयोग की24वीं आंतरिक व्याख्यानमाला की झलकियाँ

नीति आयोग की आंतरिक व्याख्यानमाला का 25वां व्याख्यान 28 जुलाई 2025 को "दिल्ली का वायु प्रदूषण: कारण और समाधान" विषय पर आयोजित किया गया। इस सत्र में ए-पीएजी के सीईओ श्री मोहित बेओत्रा द्वारा एक डेटा आधारित प्रस्तुति दी गई, जिसमें उन्होंने दिल्ली में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का विश्लेषण किया और एकीकृत एवं समन्वित नीतिगत प्रतिक्रियाओं की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। पीएम 2.5 को सबसे हानिकारक प्रदूषक मानते हुए, चर्चा में उद्योग, परिवहन, धूल, घरों और बायोमास जलाने से होने वाले योगदानों की जांच की गई और एक साथ लक्षित अंतःक्षेपों के महत्व पर जोर दिया गया। अपने समापन भाषण में, नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि सुनियोजित नीतियों के अनुरूप जन व्यवहार को ढालने से वायु प्रदूषण की चुनौती का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सकता है।

"दिल्ली में वायु प्रदूषण: 'कारण और समाधान' विषय पर नीति आयोग द्वारा आयोजित
25वीं आंतरिक व्याख्यानमाला की झलकियाँ

नीति आयोग की आंतरिक व्याख्यानमाला का 26वां व्याख्यान 25 अगस्त 2025 को "अर्थशास्त्र, नवाचार और प्रायोगिक पद्धति" विषय पर आयोजित किया गया। इस सत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता और शिकागो विश्वविद्यालय के नवाचार विकास

प्रयोगशाला के निदेशक प्रो. माइकल क्रेमर ने भाग लिया और इसकी सहभागिता नीति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. पॉल ने की। प्रोफेसर क्रेमर ने नीतिगत नवाचार को बढ़ावा देने में प्रयोगात्मक पद्धति की भूमिका पर प्रकाश डाला, जिसमें किसानों के लिए एआई-सक्षम मौसम पूर्वानुमान, शिक्षा में अनुकूली शिक्षा और जल जीवन मिशन के तहत पेयजल समाधान सहित वैश्विक और भारतीय उदाहरणों का हवाला दिया गया। इस चर्चा में सेवा वितरण को मजबूत करने, नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने और प्रभावी सुधारों को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए कठोर, डेटा आधारित अंतःक्षेपों के महत्व पर जोर दिया गया।

"अर्थशास्त्र, नवाचार और प्रायोगिक पद्धति" विषय पर नीति आयोग की 26वीं आंतरिक व्याख्यानमाला की झलकियाँ

नीति आयोग की आंतरिक व्याख्यानमाला का 27वां व्याख्यान 10 अक्टूबर 2025 को "न्यायिक निर्णय जिन्होंने राष्ट्रीय विकास को आकार दिया" विषय पर आयोजित किया गया। इस सत्र में भारत के माननीय अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरमानी मुख्य वक्ता थे। इस व्याख्यान में भारत के कानूनी, सामाजिक और आर्थिक ढांचे को आकार देने में न्यायिक निर्णयों की महत्वपूर्ण भूमिका का विश्लेषण किया गया। इसमें राष्ट्र निर्माण में ऐतिहासिक निर्णयों के योगदान पर प्रकाश डाला गया और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और आर्थिक एवं संस्थागत विकास को सुगम बनाने में न्यायपालिका की भूमिका पर जोर दिया गया। चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि न्यायिक व्याख्या ने नीतिगत विकास को कैसे प्रभावित किया है और भारत के समग्र विकास पथ का मार्गदर्शन किया है।

"न्यायिक निर्णय जिन्होंने राष्ट्रीय विकास को आकार दिया" विषय पर नीति आयोग की 27वीं आंतरिक व्याख्यानमाला की झलकियाँ

नीति आयोग ने 26 नवंबर 2025 को लाल किला, नई दिल्ली, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, में "भारत की अद्भुत विरासत का संरक्षण और संवर्धन" विषय पर अपना 28वां आंतरिक व्याख्यान आयोजित किया। यह व्याख्यान डालमिया भारत लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री पुनीत डालमिया द्वारा दिया गया, जिन्होंने भारत की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, निर्मित विरासत के पुनरुद्धार और जिम्मेदार निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से विरासत स्थलों को जीवंत सार्वजनिक स्थान के

रूप में पुनर्कल्पना जैसे विषयों पर बात की। उपाध्यक्ष, नीति आयोग ने भारत की बहुस्तरीय सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाने के महत्व पर जोर दिया।

"भारत की अद्भुत विरासत का संरक्षण और संवर्धन" विषय पर नीति आयोग द्वारा आयोजित 27वीं आंतरिक व्याख्यानमाला की झलकियाँ

नीति फ्रंटियर टेक हब ने 20 जनवरी 2026 को "शासन में प्रौद्योगिकी" विषय पर नीति आयोग की आंतरिक व्याख्यानमाला के 29वें संस्करण का आयोजन किया। पिरामल फाउंडेशन के सीईओ श्री आदित्य नटराज ने सार्वजनिक सेवा वितरण को मजबूत करने में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, एआई सक्षम उपकरणों और प्रणाली स्तरीय सोच की भूमिका पर प्रकाश डाला, और सचिवजी और डिजीवृत्ति जैसी पहलों का उदाहरण दिया। नीति आयोग की विशिष्ट फेलो सुश्री देबजानी घोष ने डिजिटलीकरण से आसूचना आधारित शासन की ओर परिवर्तन पर जोर दिया, जिसमें संप्रभु और अंतरसंचालनीय डिजिटल प्रणालियों और उभरती चुनौतियों पर बल दिया गया। श्री सुमन बेरी, उपाध्यक्ष नीति आयोग ने प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से भारत के दीर्घकालिक डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने में नीति आयोग की भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए व्याख्यानमाला का समापन किया।

"शासन में प्रौद्योगिकी" विषय पर नीति आयोग द्वारा आयोजित 29वीं आंतरिक व्याख्यानमाला की कुछ झलकियाँ

शिक्षाविदों और थिंक टैंक के साथ सहभागिता

शिक्षा जगत और थिंक टैंक के साथ जुड़ाव नीति आयोग के उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों में शामिल है। नीति आयोग के विभिन्न प्रभागों ने शिक्षा जगत और थिंक टैंक के साथ निरंतर आधार पर काम करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है।

30 दिसंबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री की अर्थशास्त्रियों के साथ वार्ता

माननीय प्रधानमंत्री ने 30 दिसंबर 2025 को नीति आयोग में "आत्मनिर्भरता और संरचनात्मक परिवर्तन: विकसित भारत के लिए एजेंडा" विषय पर प्रख्यात अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के एक समूह के साथ वार्तालाप किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना एक राष्ट्रीय जन आकांक्षा में बदल गई है, और यह सरकारी नीति से परे जाकर व्यापक रूप से समाज तक फैल गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, उपभोग और वैश्विक गतिशीलता में बदलते रुझान बढ़ती आकांक्षाओं को दर्शाते हैं, जो भारत के विकास पथ को समर्थन देने के लिए मजबूत संस्थागत क्षमता और बुनियादी ढांचे के सक्रिय नियोजन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में मिशन मोड में लाए जाने वाले सुधारों की वकालत की, जिसमें नीति निर्माण और बजट को विजन 2047 से जोड़ा गया और प्रतिभा, निवेश और बाजारों के लिए भारत को वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर अपने विचार साझा किए, जिसमें उच्च घरेलू बचत, मजबूत अवसंरचना विकास और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने से उत्पन्न संरचनात्मक परिवर्तन की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। चर्चाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जो उत्पादकता के अंतर-क्षेत्रक लाभ और भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निरंतर विस्तार के लिए एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में कार्य करती है। प्रतिभागियों ने कहा कि 2025 में शुरू किए गए अंतर-क्षेत्रक सुधारों की अभूतपूर्व लहर और आने वाले वर्ष में उनका और सुदृढ़ीकरण भारत की आर्थिक नींव को मजबूत करेगा, नए अवसरों के द्वार खोलेगा और वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा।

दिसंबर 2025 में नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बातचीत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री

खंड 4

क्षेत्रवार उपलब्धियां

प्रस्तावना

विभिन्न प्रभाग और इकाइयाँ नीति आयोग को चलाने वाले पहियों की तीलियाँ हैं। प्रत्येक प्रभाग के पास एक विशेष डोमेन में विशेषज्ञता है और उसे उस क्षेत्र पर तकनीकी इनपुट और विशेषज्ञता प्रदान करने, संबद्ध मंत्रालय/विभाग के साथ संव्यवहार करने और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में नेतृत्व करने का कार्य सौंपा गया है।

प्रभाग नीति आयोग को आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक अपेक्षित सहायता प्रदान करते हैं जो इसे तेजी से कार्य करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, सरकार के लिए कार्यनीतिक नीतिगत विजन प्रदान करने और आकस्मिक मुद्दों से निपटने में समर्थ बनाएगा।

कृषि

भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था: गहरे समुद्र में और अपतटीय मत्स्य पालन का दोहन करने की कार्यनीति

नीति आयोग ने 13 अक्टूबर, 2025 को "भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था: गहरे समुद्र में और अपतटीय मत्स्य पालन का दोहन करने की कार्यनीति" पर रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) और क्षेत्रीय मत्स्य पालन समझौतों के माध्यम से प्राप्त अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र के भीतर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के सेक्टर को कवर करने वाला एक व्यापक ढांचा प्रस्तुत करती है। इसमें छह प्रमुख नीतिगत अंतःक्षेपों की पहचान की गई है: (i) नीतियों और विनियमों में सुधार; (ii) संस्थागत और क्षमता निर्माण को मजबूत करना; (iii) बेड़ों का आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे का उन्नयन; (iv) सतत मत्स्य पालन प्रबंधन को बढ़ावा देना; (v) संसाधन और वित्तपोषण जुटाना; और (vi) स्थानीय समुदाय की भागीदारी और साझेदारी को बढ़ाना। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की पूंजी गहन प्रकृति को स्वीकार करते हुए, रिपोर्ट में मछुआरा सहकारी समितियों और क्लस्टर आधारित दृष्टिकोणों का समर्थन करके समावेशी बेड़ा विकास पर भी जोर दिया गया है, जिससे सामूहिक स्वामित्व, संचालन और आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच संभव हो सके। इसमें दीर्घकालिक पारिस्थितिक और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निवेश प्राथमिकताओं और निगरानी तंत्रों की रूपरेखा दी गई है।

रिपोर्ट जारी करने के साथ ही नीति आयोग ने एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें 18 संस्थानों ने भाग लिया। "गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में राज्यों की कार्यनीति और भविष्य की कार्यनीति" विषय पर आयोजित तकनीकी सत्र में गोवा, गुजरात, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों के प्रतिनिधियों ने प्रस्तुतियाँ दीं। इसके बाद प्रतिष्ठित पैनलिस्टों के साथ "नियामक सुधारों, अनुसंधान, वित्तपोषण और क्षमता निर्माण के माध्यम से संसाधन प्रबंधन को आगे बढ़ाना" विषय पर एक पैनल चर्चा हुई।

"भारत की नीली अर्थव्यवस्था: गहरे समुद्र में और अपतटीय मत्स्य पालन का दोहन करने की कार्यनीति" पर रिपोर्ट का विमोचन

आत्मनिर्भरता की दिशा में दलहन उत्पादन में वृद्धि को गति देने के मार्ग और कार्यनीतियाँ

नीति आयोग ने 4 सितंबर 2025 को "आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की दिशा में दलहन उत्पादन में वृद्धि को गति देने के लिए कार्यनीतियाँ और मार्ग" नामक रिपोर्ट जारी की, जिसमें दलहन में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक व्यापक और व्यावहारिक रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। यह रिपोर्ट मांग और आपूर्ति के बीच अनुमानित अंतर पर दोहरी कार्यनीति के माध्यम से बात करती है: क्षैतिज (क्षेत्रफल) विस्तार, जिसमें धान की परती भूमि, अंतरफसल प्रणालियों और अन्य अप्रयुक्त भूमि संसाधनों के उपयोग के माध्यम से दालों के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्रफल लाना शामिल है; और ऊर्ध्वाधर (उपज) विस्तार, जिसमें प्रौद्योगिकी आधारित अंतःक्षेपों और कुशल कृषि पद्धतियों के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना शामिल है। उच्च क्षमता वाले जिलों में लक्षित नियोजन और अंतःक्षेपों की प्राथमिकता तय करने के लिए क्लस्टर आधारित, जिला-वार चतुर्थांश दृष्टिकोण प्रस्तावित किया गया है।

ये सिफारिशें पांच प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 885 किसानों के खेतों के प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारियों पर आधारित हैं और फसल-वार क्लस्टरिंग के माध्यम से क्षेत्र प्रतिधारण और विविधीकरण, कृषि-पारिस्थितिक उप-क्षेत्रों में अनुकूलित प्रौद्योगिकियों की तैनाती और बीज प्रणालियों को मजबूत करने पर जोर देती हैं, जिसमें उच्च क्षमता वाले 111 जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया है जिनका राष्ट्रीय दलहन उत्पादन में योगदान लगभग 75 प्रतिशत है। सक्रिय जलवायु अनुकूलन और डेटा संचालित निगरानी और निर्णय-समर्थन प्रणालियों के साथ मिलकर, "एक ब्लॉक-एक बीज गांव" यानी क्लस्टर आधारित केंद्र जैसे संस्थागत नवाचार, जो एफपीओ द्वारा सुगम बनाए गए हैं, मुख्य कार्यान्वयन ढांचे का निर्माण करते हैं, जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिशन (2025-26 से 2030-31) के शुभारंभ द्वारा और मजबूत किया गया है, जो दलहन क्षेत्र में सतत आत्मनिर्भरता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

"आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की दिशा में दलहन उत्पादन में वृद्धि को गति देने के लिए कार्यनीतियाँ और मार्ग"
विषय पर रिपोर्ट का विमोचन

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) पोर्टल

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण संरचनात्मक चुनौतियों, जिनमें कम उत्पादकता, अपर्याप्त सिंचाई व्यवस्था, संस्थागत ऋण तक सीमित पहुंच और फसलोत्तर बुनियादी ढांचे में कमियां शामिल हैं, के समाधान के लिए परिवर्तनकारी, परिणामोन्मुख राष्ट्रीय पहल के रूप में परिकल्पित किया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को शुरू की गई यह योजना एक छह वर्षीय कार्यक्रम (2025-26 से) है और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर विशेष रूप से केंद्रित पहली पहल है। पीएमडीडीकेवाई का उद्देश्य डेटा संचालित, जिले के नेतृत्व वाले ढांचे के माध्यम से 100 आकांक्षी कृषि जिलों के विकास में तेजी लाना है, जिसमें 11 मंत्रालयों/विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के लक्ष्य आधारित अभिसरण को राज्य योजनाओं और निजी क्षेत्र की साझेदारियों के साथ तालमेल बिठाकर और संबंधित मंत्रालयों/विभागों, नीति आयोग, नाबार्ड, राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों के साथ घनिष्ठ समन्वय में लागू किया जाएगा।

एकीकृत योजना, निष्पादन और कार्य निष्पादन सम्बन्धी ट्रैकिंग का समर्थन करने के लिए, नीति आयोग ने एक मजबूत, वास्तविक समय, परिणाम-आधारित पीएमडीडीकेवाई विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड पोर्टल विकसित और संचालित किया, जो 121 निष्पादन और परिणाम संकेतकों की मैपिंग करता है और छह कार्यनीतिक उद्देश्यों : उत्पादकता वृद्धि, फसल विविधीकरण और स्थिरता, फसल के बाद का बुनियादी ढांचा, संस्थागत ऋण तक पहुंच, सिंचाई बुनियादी ढांचे और शासन और सेवा वितरण में जिलेवार प्रगति की निगरानी करता है। इसके अलावा, नीति आयोग ने 29 राज्यों और सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों के 100 जिलों के प्रमुख अधिकारियों के लिए संरचित क्षमता-निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान की है।

डेटा प्रबंधन और विश्लेषण

डेटा प्रबंधन और विश्लेषण (डीएमए) प्रभाग मुख्य रूप से सार्वजनिक नीति के लिए डेटा के उपयोग को सुव्यवस्थित करने से संबंधित मुद्दों को संभालता है। मुख्य कार्यों में मोटे तौर पर निम्नलिखित शामिल हैं:

- राष्ट्रीय डेटा एवं विश्लेषण प्लेटफार्म (एनडीएपी) के लिए डेटा एकीकरण और शासन संबंधी गतिविधियों का प्रबंधन करना, जिसमें डेटा स्रोत और संग्रह ढांचे का निर्माण, मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय, प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की निगरानी और प्लेटफार्म के निरंतर विकास के लिए कार्यनीतिक रोडमैप का मार्गदर्शन करना शामिल है।
- सरकार, शिक्षा जगत और उद्योग जगत के विशेषज्ञों के परामर्श से नीतिगत कागजात और कार्यनीतिक दस्तावेज तैयार करना, साथ ही नीति निर्माण में डेटा और विश्लेषण के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- डेटा प्रबंधन और उपयोग से संबंधित मुद्दों की जांच करना और बेहतर सांख्यिकीय प्रणालियों और प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषण प्लेटफॉर्म (एनडीएपी)

राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषण प्लेटफार्म (एनडीएपी) नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है जिसे उच्च गुणवत्ता वाले सरकारी डेटा तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें डेटा को एकत्रित, मानकीकृत और सहज, मशीन द्वारा पठनीय प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है जो विश्लेषण और चित्रण का समर्थन करता है। दिसंबर 2025 तक, एनडीएपी 31 प्रमुख सेक्टरों में फैले 6,088 से अधिक डेटासेट की मेजबानी करता है, जो 53 मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त किए गए हैं, जिससे नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, व्यवसायों और नागरिकों के लिए निर्बाध डेटा खोज, अंतर-क्षेत्रक विश्लेषण और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में मदद मिलती है। सार्वजनिक डेटा की अंतरसंचालनीयता और उपयोगिता में सुधार करके, एनडीएपी भारत के डेटा इकोसिस्टम को मजबूत करता है और विविध सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में अधिक सूचित शासन और अनुसंधान का समर्थन करता है।

राज्य डेटा और विश्लेषण प्लेटफॉर्म (एसडीएपी)

साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और डेटा संचालित शासन को बढ़ावा देने के लिए, संबंधित राज्य सरकारों के लिए एनडीएपी की सभी कार्यात्मकताओं के साथ अनुकूलित राज्य डेटा और विश्लेषण पोर्टल विकसित किए जा रहे हैं। कर्नाटक के लिए केएडीएपी और मेघालय के लिए मेघडीएपी नामक दो पोर्टल पहले ही विकसित किए जा चुके हैं। त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, असम और गुजरात के लिए एसडीएपी स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

अर्थ एवं वित्त ।

नीति आयोग का अर्थशास्त्र और वित्त-I (ई एवं एफ -I) प्रभाग नीति निर्माण को सुकर बनाने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर इनपुट प्रदान करता है

राज्य स्तरीय राजकोषीय स्वास्थ्य विश्लेषण: राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक

16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगड़िया ने 24 जनवरी, 2025 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन के बेरी, नीति आयोग के सदस्य डॉ. अरविंद विरमानी, नीति आयोग के सीईओ श्री बी वी आर सुब्रह्मण्यम, नीति आयोग के विशिष्ट फेलो डॉ. अनूप सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति में नीति आयोग में 'राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (एफएचआई) 2025' शीर्षक वाली रिपोर्ट का पहला अंक जारी किया।

वार्षिक प्रकाशन के रूप में तैयार किया गया राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक भारतीय राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का एक व्यापक और तुलनीय मूल्यांकन प्रदान करता है। यह प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के आधार पर 18 प्रमुख राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और अंतर-राज्यीय तुलनाओं को सुगम बनाने, सर्वोत्तम प्रथाओं के विरुद्ध प्रदर्शन की बेंचमार्किंग करने और नीतिगत अंतःक्षेप की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करता है। यह रिपोर्ट अलग-अलग राज्यों के प्रदर्शन की विस्तृत जांच प्रस्तुत करती है और साथ ही समय के साथ व्यापक वित्तीय रुझानों के बारे में बहुमूल्य जानकारी भी प्रदान करती है। प्रमुख राजकोषीय संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करके, एफएचआई राज्यों को अपनी राजकोषीय कार्यनीतियों को राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे राजकोषीय अनुशासन मजबूत होता है और राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक विकसित भारत@ 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के भारत के व्यापक विजन के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, जो राष्ट्र के दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन और समृद्धि को गति देने में सुदृढ़ और अनुशासित राज्य स्तरीय सार्वजनिक वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। उद्योग जगत के विशेषज्ञों से अंतर्दृष्टि प्राप्त की गई और व्यापक विचार-विमर्श एवं परामर्श के बाद संकेतक को तैयार किया गया ताकि इसकी मजबूती और नीतिगत प्रासंगिकता सुनिश्चित हो सके।

नीति आयोग में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का विमोचन

व्यापार विश्लेषण: ट्रेड वॉच क्वार्टरली

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, नीति आयोग ने ट्रेड वॉच त्रैमासिक प्रकाशन के चार संस्करण जारी किए। ये प्रकाशन आवधिक विश्लेषणात्मक उत्पाद के रूप में कार्य करते हैं जो भारत के व्यापारिक विकास और उभरते अवसरों पर नज़र रखते हैं, जिसका उद्देश्य साक्ष्य आधारित नीतिगत अंतःक्षेपों का समर्थन करने के लिए अंतर्दृष्टि उत्पन्न करना है। यह मांग और आपूर्ति की वैश्विक गतिकी, सेक्टोरल प्रदर्शन और विकसित होते व्यापार पैटर्न को एकीकृत करके भारत की व्यापारिक स्थिति का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है।

प्रत्येक संस्करण कार्यनीतिक महत्व के किसी विशिष्ट विषयगत फोकस पर आधारित था। इसमें वस्त्र और परिधान जैसे

सेक्टर शामिल थे, जिनमें प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक सोर्सिंग में बदलाव का आकलन करना, नीतिगत परिवर्तनों और बाजार पहुंच के अवसरों का विश्लेषण किया गया; चमड़ा और जूते जैसे सेक्टर शामिल थे, जिनमें मूल्यवर्धन, मानक और निर्यात विविधीकरण की जांच करना की गई; और ऑटोमोटिव निर्यात जैसे सेक्टर शामिल थे, जिनमें वैश्विक एकीकरण, विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात प्रदर्शन और इलेक्ट्रिक वाहनों और ऑटो घटकों में उभरते अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इन विषयगत विश्लेषणों के माध्यम से, ट्रेड वॉच क्वार्टरली ने व्यापार नीति संबंधी चर्चाओं और क्षेत्र विशिष्ट अंतःक्षेपों के लिए विश्लेषणात्मक आधार को मजबूत करने में योगदान दिया। यह पहल नीति आयोग के उस अधिदेश के अनुरूप है जिसमें भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, निर्यात आधारित विकास को समर्थन देना और 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत की व्यापार क्षमता का लाभ उठाना शामिल है, साथ ही वैश्विक व्यापार के इकोसिस्टम में टिकाऊ और लचीले एकीकरण को बढ़ावा देना भी शामिल है। प्रत्येक संस्करण के हिस्से के रूप में, उद्योग जगत के विशेषज्ञों, फर्मों और प्रतिनिधि निकायों को शामिल करते हुए चुनिंदा सेक्टरों में हितधारकों के साथ परामर्श आयोजित किए गए।

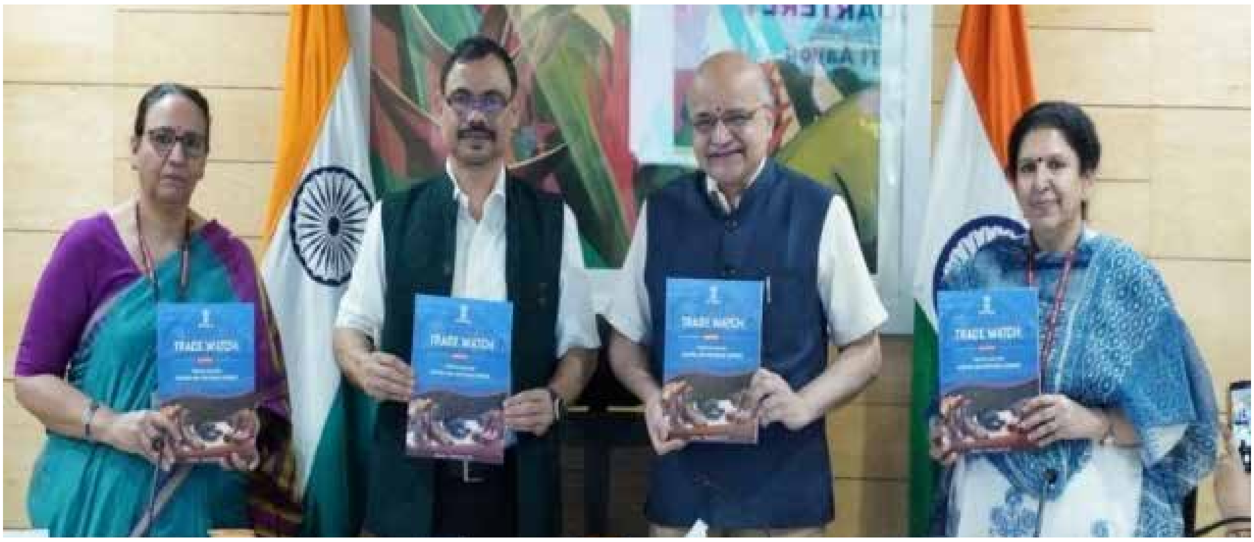

ट्रेड वॉच क्वार्टरली का विमोचन

भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को गहरा करना

नीति आयोग के सीईओ श्री बी वी आर सुब्रह्मण्यम ने 11 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली में "भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को गहरा करना" पर रिपोर्ट जारी की। इसे नीति आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की विशिष्ट उपस्थिति में जारी किया गया।

यह रिपोर्ट भारत के कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार का व्यापक सिंहावलोकन प्रदान करती है और गहरे, अधिक लचीले और समावेशी बाजार के निर्माण के लिए सुधारोन्मुख रोडमैप प्रस्तुत करती है जो देश की दीर्घकालिक निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। वैश्विक तुलनाओं के आधार पर, यह प्रमुख संरचनात्मक कमियों की पहचान करती है और कानूनी, नियामक और बाजार अवसंरचना ढांचे को मजबूत करने के लिए लक्षित सिफारिशें प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट में महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमता पर प्रकाश डाला गया है और जारीकर्ता और निवेशक की भागीदारी को व्यापक बनाने, तरलता बढ़ाने, नवीन और टिकाऊ लिखतों को बढ़ावा देने और अवसंरचना, एमएसएमई और उभरते क्षेत्रों को बेहतर समर्थन देने के लिए डिजिटल समाधानों का लाभ उठाने के लिए समन्वित सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

नीति आयोग में "भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को गहरा करना" पर रिपोर्ट का विमोचन

अर्थ एवं वित्त II

अर्थ एवं वित्त प्रभाग II व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित मुद्दों पर कार्यरत है।

यह ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करता है, अनुसंधान करता है, जानकारीपूर्ण चर्चाओं को सुगम बनाता है और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में सहायता प्रदान करता है। अपनी विश्लेषणात्मक और सलाहकार भूमिका के माध्यम से, यह प्रभाग भारत में आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए आर्थिक सिद्धांत और व्यावहारिक नीति निर्माण के बीच सेतु का काम करता है।

संरचनात्मक सुधार

व्यापक आर्थिक विश्लेषण - अर्थव्यवस्था की स्थिति

यह प्रभाग भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए नौ क्षेत्रों में फैले उच्च आवृत्ति वाले संकेतकों के व्यापक समूह की निगरानी की कठोर, गतिशील प्रक्रिया अपनाता है। यह व्यापक दृष्टिकोण समय पर, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और कार्यनीतिक निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। वास्तविक समय के आंकड़ों और विभिन्न प्रकार के संकेतकों का उपयोग आर्थिक रुझानों की सूक्ष्म समझ सुनिश्चित करता है और चुनौतियों का समाधान करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए सूचित कार्यनीतियां और नीतियां तैयार करने में मदद करता है।

सीपीएसई का कार्यनीतिक विनिवेश और निष्पादन सुधार

सीपीएसई का विनिवेश भारत के आर्थिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका उद्देश्य परिचालन दक्षता बढ़ाना, राजकोषीय बोझ कम करना और हितधारकों के लिए मूल्य प्राप्त करने के दरवाजे खोलना है। यह कार्यनीतिक और गैर-कार्यनीतिक क्षेत्रों में सीपीएसई के विनिवेश, निजीकरण, विलय या बंद करने के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशें प्रदान करता है।

कर नीति पर परामर्श समूह (सीजीटीपी)

विकसित भारत के लिए अनुकूल राजकोषीय वातावरण को बढ़ावा देने के लिए, नीति आयोग ने नवंबर 2024 में कर नीति पर परामर्श समूह (सीजीटीपी) का गठन किया। यह समूह सहयोगात्मक शासन के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता, पूर्वानुमानशीलता और प्रशासनिक दक्षता द्वारा परिभाषित कर प्रणाली का निर्माण करना है।

सीजीटीपी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रवाह को बढ़ाने, व्यापार करने की सरलता में सुधार करने, कर कानूनों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने और कानूनी ढांचे और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर राष्ट्रीय कर प्रणाली को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए समर्पित है। इस पहल के तहत, समूह ने प्राथमिकता वाले अनुसंधान के पंद्रह विषयों की पहचान की है जो संरचनात्मक सुधार के लिए आवश्यक हैं। ये विषय साक्ष्य आधारित नीतिगत सिफारिशों की नींव का निर्माण करते हैं जिनका उद्देश्य भारत की कर संहिता को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाना है। आयकर के महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित दो मूलभूत कार्यपत्र निम्नलिखित रूप में जारी किए गए हैं:

(i) **नीति आयोग की कर नीति कार्यपत्र श्रृंखला-I:** "भारत में विदेशी निवेशकों के लिए स्थायी प्रतिष्ठान और लाभ आरोपण में निश्चितता, पारदर्शिता और एकरूपता को बढ़ाना।" यह शोधपत्र वैश्विक उद्यमों के लिए अधिक न्यायिक निश्चितता प्रदान करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कराधान की बारीकियों पर प्रकाश डालता है।

(ii) **नीति आयोग की कर नीति कार्यपत्र श्रृंखला-II:** "भारत के कर परिवर्तन की ओर: गैर अपराधीकरण और विश्वास आधारित शासन।" यह प्रकाशन करदाता केंद्रित मॉडल की दिशा में आदर्श परिवर्तन की वकालत करता है, जिसमें पारस्परिक विश्वास पर आधारित शासन ढांचे के पक्ष में आपराधिक अतिचार को समाप्त करने पर जोर दिया गया है।

इस पहल के तहत, नीति-बीआईटी-सीबीडीटी (व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टि टीम और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने "भारत के कर आधार को बढ़ाने के लिए व्यवहार संबंधी अर्थ और वित्त का लाभ उठाना" विषय पर शोध में सहयोग किया है। इस सहयोग के हिस्से के रूप में, प्रत्यक्ष करों के लिए व्यवहार संबंधी अंतःक्षेपों के लिए विभिन्न अभियान चलाए गए हैं।

नीति आयोग के कर नीति कार्यपत्र के विमोचन की कुछ झलकियाँ

व्यापार और वाणिज्य

निर्यात तत्परता सूचकांक (ईपीआई)

निर्यात तत्परता सूचकांक (ईपीआई) एक व्यापक विश्लेषणात्मक ढांचा है जिसे भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की निर्यात तत्परता और प्रदर्शन का आकलन और रैंकिंग करने के लिए विकसित किया गया है। यह सूचकांक निर्यात के इकोसिस्टम के कई आयामों का मूल्यांकन करता है, जिसमें नीतिगत समर्थन, व्यावसायिक वातावरण, अवसंरचना, संस्थागत

क्षमता और वास्तविक निर्यात परिणाम शामिल हैं। विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन का मानकीकरण करके, ईपीआई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है और सहकर्मी अधिगम को सुगम बनाता है, जिससे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उच्च प्रदर्शन करने वाले समकक्षों से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की अनुमति मिलती है। यह राज्य स्तरीय कार्यनीतियों को निर्यात के राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ संरेखित करके सहकारी संघवाद का भी समर्थन करता है।

नीति आयोग ने हाल ही में निर्यात तत्परता सूचकांक (ईपीआई) 2024 का चौथा संस्करण जारी किया है। यह संस्करण हालिया नीतिगत पहलों, अवसंरचना में सुधार और व्यापार की गतिकी को समाहित करता है, जिससे यह भारत के निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने की चाह रखने वाले नीति निर्माताओं, उद्योग हितधारकों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ सामग्री के रूप में कार्य करता है।

"25 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हस्त और विद्युत चालित उपकरणों के निर्यात के अवसर को खोलना" पर रिपोर्ट

2025 के दौरान, नीति आयोग ने निर्यात बढ़ाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के अवसरों की पहचान करने के उद्देश्य से भारत के हस्त और विद्युत चालित उपकरण क्षेत्र का व्यापक मूल्यांकन किया। "25 अरब अमेरिकी डॉलर के हस्त और विद्युत चालित उपकरणों के निर्यात के अवसर को खोलना" शीर्षक वाली रिपोर्ट में वैश्विक मांग के रुझानों, भारत की विनिर्माण क्षमता, आपूर्ति श्रृंखला में कमियों, मानकों और अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं और निर्यात को प्रभावित करने वाली नीतिगत बाधाओं का विश्लेषण किया गया। इस अध्ययन में भारत को हस्त और विद्युत चालित उपकरणों के लिए वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए कार्यनीतिक रोडमैप की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें औद्योगिक क्लस्टरिंग, प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता और मानकों का संरेखण, कौशल विकास, एमएसएमई का एकीकरण और निर्यात बाजार तक पहुंच को कवर करने वाली सिफारिशें शामिल हैं। इस रिपोर्ट में भारत की विनिर्माण संबंधी महत्वाकांक्षाओं और इस क्षेत्र में निर्यात आधारित विकास को समर्थन देने के लिए कार्रवाई योग्य नीतिगत सुझाव दिए गए हैं।

अर्थ एवं वित्त द्वारा जारी प्रमुख रिपोर्टों की कुछ झलकियाँ

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

प्रभाग ने पृष्ठभूमि संबंधी संक्षिप्त जानकारी, एजेंडा नोट्स, बैठक संबंधी दस्तावेज तैयार करने और परिणामों पर व्यवस्थित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करने के माध्यम से कई द्विपक्षीय वार्ताओं में सहयोग प्रदान किया है। इन प्रयासों से संस्थागत निरंतरता को मजबूत करने, संवाद की गुणवत्ता में सुधार करने और दोनों पक्षों के बीच नीतिगत स्तर पर जानकारीपूर्ण चर्चा को सक्षम बनाने में योगदान मिला है। विभाग ने इसने संबंधित मंत्रालयों, विदेशी दूतावासों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य बाहरी हितधारकों से प्राप्त संदर्भों को प्रोसेस करने के लिए नोडल समन्वय बिंदु के रूप में कार्य किया।

नीति आयोग में विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के दौरों की झलकियाँ

यूके-इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज (यूकेआईआईएफबी) की प्रथम वर्ष की रिपोर्ट जारी करना और द्वितीय वर्ष का प्रारंभ

2025 में, नीति आयोग ने "यूके-इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज (यूकेआईआईएफबी) प्रथम वर्ष" की रिपोर्ट जारी की, जिसे सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन के सहयोग से विकसित किया गया था। रिपोर्ट में चयनित अवसंरचना परियोजनाओं का संरचित मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया और परियोजना की तत्परता बढ़ाने, निवेशकों के विश्वास को मजबूत करने, वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बिठाने और टिकाऊ अवसंरचना में अंतरराष्ट्रीय पूंजी को आकर्षित करने के लिए कार्यनीतिक सिफारिशें पेश की गईं। प्रथम वर्ष के परिणामों के आधार पर, यूकेआईआईएफबी पहल ने दूसरे वर्ष में प्रवेश किया, जिसमें विश्लेषणात्मक सिफारिशों से व्यावहारिक कार्यान्वयन की ओर बढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

नीति आयोग के प्रतिनिधिमंडल की ब्रिटेन और सऊदी अरब की यात्राओं की कुछ झलकियाँ

शिक्षा

शिक्षा प्रभाग स्कूली शिक्षा, उच्च और तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान से जुड़े नियोजन और विकास संबंधी मुद्दों के संपूर्ण दायरे पर ध्यान केंद्रित करता है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में रेखांकित किए गए तीन क्षेत्रों - पहुंच, गुणवत्ता और भविष्य के लिए तैयारी में साक्ष्य जुटाने और नीति निर्माण को प्रभावित करने का प्रयास करता है।

स्कूली शिक्षा

स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में, यह प्रभाग अधिगम परिणामों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालय तत्परता कार्यक्रमों, अधिगम संवर्धन कार्यक्रमों, सामाजिक-भावनात्मक अधिगम और बच्चों के बीच कक्षा स्तर की दक्षता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह शिक्षा और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान के क्षेत्र में भी कार्य करता है।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, यह प्रभाग केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, विषय विशेषज्ञों, थिंक टैंक और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ जुड़ाव के माध्यम से उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए सार्वजनिक नीति के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान आधारित ज्ञान सृजन और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है जो भारत को 2035 तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा इकोसिस्टम और प्रतिभा, नवाचार और उद्यमिता का वैश्विक केंद्र बनने में सक्षम बनाएंगे।

"भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण" पर रिपोर्ट

दिसंबर 2025 में, इस प्रभाग ने 'भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण: संभावनाएं, क्षमता और नीति सिफारिशें' शीर्षक से एक नीति रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट, जो नीति आयोग और आईआईटी मद्रास के नेतृत्व वाले ज्ञान साझेदारों के एक संघ के बीच सहयोगात्मक प्रयास का परिणाम है, वैश्विक, राष्ट्रीय और संस्थागत स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीयकरण के दृष्टिकोणों के साथ-साथ पिछले 20 वर्षों में शैक्षणिक गतिशीलता में समय के साथ आने वाले रुझानों की जांच करती है। यह छात्रों और संकाय की गतिशीलता बढ़ाने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अकादमिक और अनुसंधान सहयोग बढ़ाने और भारत में अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने तथा विदेशों में भारतीय सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों के परिसर स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाती है। इस रिपोर्ट में सिफारिशें, कार्य योजनाएँ, प्रदर्शन सफलता संकेतक, साथ ही वर्तमान में अपनाई जा रही भारतीय और वैश्विक पद्धतियाँ प्रस्तुत की गई हैं। इन सिफारिशों का उद्देश्य 2047 तक भारत को उच्च शिक्षा और अनुसंधान का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कार्यनीति, विनियमन, वित्त, ब्रांडिंग, संचार और आउटरीच तथा पाठ्यक्रम और संस्कृति सहित 5 विषयगत क्षेत्रों में सुधार करना है।

भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर रिपोर्ट का विमोचन

“राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के विस्तार” पर रिपोर्ट

फरवरी 2025 में, प्रभाग ने ‘राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार’ शीर्षक से एक नीति रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट उच्च शिक्षा क्षेत्र में अपनी तरह का पहला नीतिगत दस्तावेज है जो विशेष रूप से राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों (एसपीयू) पर केंद्रित है। यह 20 से अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी अधिकारियों, 50 प्रमुख राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और वरिष्ठ शिक्षाविदों तथा कई राज्य उच्च शिक्षा परिषदों के प्रमुखों के साथ व्यापक परामर्श का परिणाम है। यह पिछले दशक में विभिन्न विषयों पर शिक्षाशास्त्र और अनुसंधान, वित्तपोषण और सहायता, शासन और स्वायत्तता, और रोजगार क्षमता और कौशल विकास के महत्वपूर्ण संकेतकों पर विस्तृत मात्रात्मक विश्लेषण प्रदान करती है। यह रिपोर्ट विभिन्न हितधारकों के लिए 4 प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में 12 उप-विषयों के अंतर्गत नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत करती है, साथ ही 125 प्रदर्शन सफलता संकेतक भी प्रदान करती है।

अंतर्राष्ट्रीय छात्र गतिशीलता पर चर्चा पत्र

प्रभाग ने नवंबर 2025 में 'अंतर्राष्ट्रीय छात्र गतिशीलता: एक वैश्विक और भारतीय सामयिक सिंहावलोकन' पर चर्चा पत्र जारी किया। इसने भारत और विश्व स्तर पर छात्रों की आंतरिक और बाहरी गतिशीलता के बदलते स्वरूपों के बारे में जानकारी शामिल करके और एनईपी 2020 में परिकल्पित 'घरेलू स्तर पर अंतर्राष्ट्रीयकरण' की क्षमता का पता लगाकर भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर चल रही चर्चा में योगदान दिया है। भू-राजनीतिक रुझानों का लाभ उठाने और भारत से बाहर जाने वाले और भारत में आने वाले छात्रों की संख्या के बीच महत्वपूर्ण असंतुलन और विदेशी मुद्रा के बढ़ते बोझ को दूर करने के लिए, इसने भारत को उच्च शिक्षा का उभरता हुआ वैश्विक गंतव्य बनाने और भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी मुद्रा के बोझ को कम करने के लिए डेटा संचालित और लक्ष्योन्मुख कार्यनीतियों का प्रस्ताव किया है।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रभाग एक परिवहन का ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रयास करता है जो साझा, जुड़ा हुआ, सुविधाजनक, भीड़भाड़ मुक्त, चार्ज करने योग्य, स्वच्छ और अत्याधुनिक हो। यह प्रभाग ई-मोबिलिटी सेक्टर के सतत और समग्र विकास के उद्देश्य से नीति निर्माण और मूल्यांकन में सुगमता प्रदान करता है।

200 बिलियन डॉलर के अवसर का द्वार खोलना: भारत में इलेक्ट्रिक वाहन

नीति आयोग ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग की अध्यक्षता में 7 उच्च स्तरीय हितधारक बैठकें आयोजित कीं, जिनमें मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम), चार्ज प्वाइंट ऑपरेटरों (सीपीओ), वित्तीय संस्थानों और बैटरी रिसाइक्लर ने भाग लिया। इन विचार-विमर्शों में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति को तेज करने के लिए प्रमुख प्रवर्तकों की पहचान की गई और इसका समापन '200 बिलियन डॉलर के अवसर का द्वार खोलना: भारत में इलेक्ट्रिक वाहन' नामक एक प्रमुख रिपोर्ट के विमोचन के साथ हुआ। यह रिपोर्ट वर्तमान चुनौतियों का व्यापक आकलन प्रस्तुत करती है, साथ ही भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में परिवर्तन को गति देने के लिए आवश्यक प्रमुख उपायों पर प्रकाश डालती है।

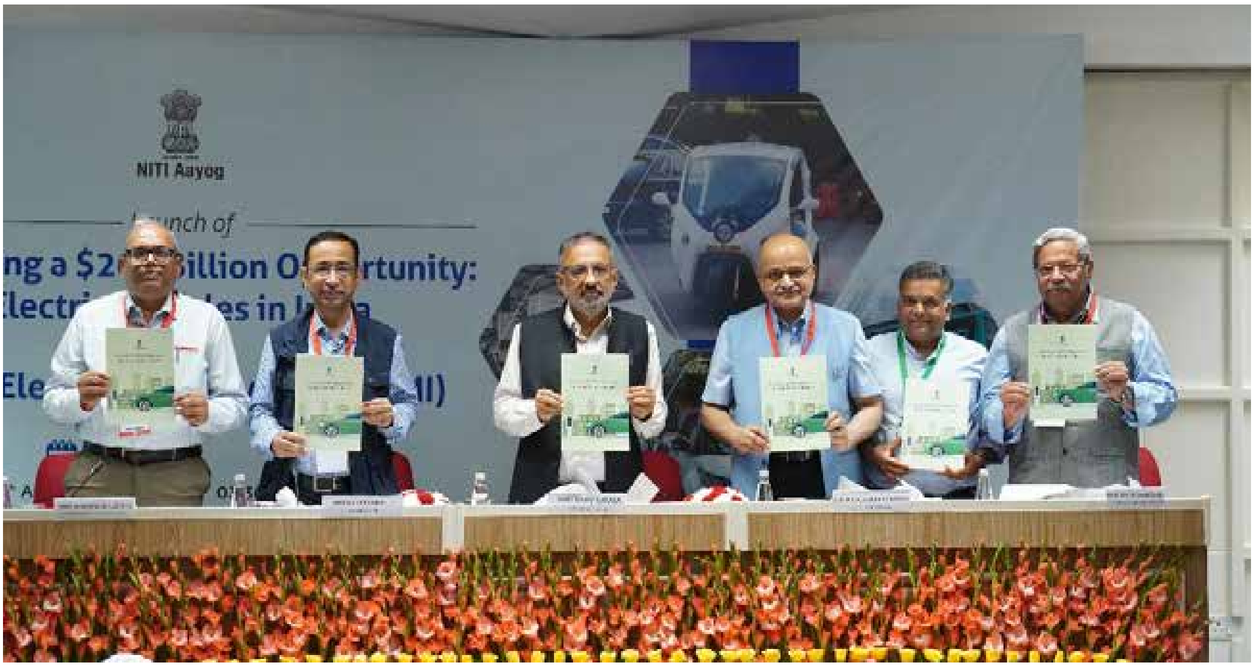

'200 बिलियन डॉलर के अवसर का द्वार खोलना: भारत में इलेक्ट्रिक वाहन' पर रिपोर्ट का विमोचन

भारत इलेक्ट्रिक गतिशीलता सूचकांक (आईईएमआई)

नीति आयोग ने 'भारत इलेक्ट्रिक गतिशीलता सूचकांक (आईईएमआई)' लॉन्च किया है, जो अपनी तरह की पहली सरकारी पहल है जिसमें भारत के ईवी इकोसिस्टम की बदलती गतिशीलता को समझने के लिए खुले और आधिकारिक डेटासेट का उपयोग किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य परिवहन के डीकार्बोनाइजेशन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में परिवर्तन के प्रति राज्य स्तरीय प्रतिबद्धता और जवाबदेही को बढ़ाना है। यह सूचकांक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की तत्परता और प्रदर्शन का आकलन करता है। यह परिवहन क्षेत्र के विद्युतीकरण में प्रगति, चार्जिंग अवसंरचना की तत्परता और ईवी अनुसंधान और नवाचार की स्थिति जैसे तीन मुख्य स्तंभों के तहत 16 संकेतकों पर अंक देता है।

ई-फास्ट इंडिया (सतत परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलेरेटर - भारत)

नीति आयोग द्वारा सितंबर 2022 में डब्ल्यूआरआई इंडिया और ज्ञान एवं उद्योग भागीदारों के एक समूह के सहयोग से शुरू किए गए ई-फास्ट इंडिया यानी राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म ने भारत के फ्रेट इकोसिस्टम में सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। स्थापना के बाद से इस प्लेटफॉर्म का विस्तार हुआ है और अब इसमें 98 उद्योग भागीदार और 24 ज्ञान भागीदार शामिल हो गए हैं, जिससे एक व्यापक, बहु-हितधारक नेटवर्क का निर्माण हुआ है। 2025 में, ई-फास्ट इंडिया ने माल ढुलाई के उपयोग के विभिन्न मामलों में 50 से अधिक पायलट तैनाती की।

सितंबर 2022 से, इस प्लेटफॉर्म ने दो ट्रक से जुड़े शुरुआती पायलट तैनाती से लेकर लगभग 1,400 मध्यम और भारी-भरकम इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-एमएचडीवी) की तैनाती तक इस क्षेत्र के परिवर्तन में सहायता की है। वर्ष 2025 में भी ई-ट्रक मॉडल के लॉन्च में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो ओईएम की बढ़ती तत्परता और बाजार की परिपक्वता को दर्शाती है। वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र इलेक्ट्रिक फ्रेट सॉल्यूशंस के व्यापक कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए वित्तपोषण और बिजनेस मॉडल का विकास था।

हरित परिवर्तन, ऊर्जा, जलवायु और पर्यावरण

यह प्रभाग ऊर्जा (जीवाश्म और गैर-जीवाश्म), कम कार्बन वाले विकास, राज्य ऊर्जा परिवर्तन मार्ग, जलवायु नीति और वित्त, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, वायु प्रदूषण, चक्रीय अर्थव्यवस्था, वानिकी और वन्यजीव जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नीतिगत सहायता प्रदान करता है। यह विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन जैसे प्रमुख मंत्रालयों/विभागों के साथ जुड़ता है और उन्हें सेवाएं प्रदान करता है। इस प्रभाग का कार्य निम्नलिखित चार कार्यात्मक क्षेत्रों ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, राज्य ऊर्जा परिवर्तन तथा परियोजनाकरण एवं जलवायु नीति और आसूचना जानकारी में संगठित है:

विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन: केंद्रीय बजट 2025-26 ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करके परमाणु ऊर्जा को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान किया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय साझेदारी हेतु परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया। नीति आयोग ने परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 (शांति विधेयक - भारत के परिवर्तन के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और विकास) के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) और प्रासंगिक हितधारकों के साथ कार्य किया।

कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस): सीमेंट, इस्पात और एल्युमीनियम जैसे मुश्किल से उत्सर्जन कम किए जाने वाले क्षेत्रों के साथ-साथ कोयला आधारित तापीय ऊर्जा के लिए सीसीयूएस को एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में स्वीकार करते हुए, प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहेार परिषद (पीएम-एसटीआईएजी) ने विद्युत मंत्रालय के तहत सीसीयूएस पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की सिफारिश की। रूपरेखा विकसित करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया। नीति आयोग ने प्रस्तावित मिशन के लिए विस्तृत लागत निर्धारण और कार्यान्वयन ढांचा विकसित किया।

नेट जीरो परिदृश्य: नीति आयोग ने विकसित भारत के विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के अनुरूप, 2070 तक भारत द्वारा निर्धारित नेट जीरो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए परिदृश्य विकसित करने हेतु एक विस्तृत अध्ययन किया है। परिवर्तन के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए कई अंतर-मंत्रालयी कार्य समूहों का गठन किया गया, जिनमें शामिल हैं: ऊर्जा परिवर्तन के व्यापक आर्थिक निहितार्थ, सेक्टोरल विश्लेषण (परिवहन, उद्योग, भवन, कृषि, बिजली), जलवायु वित्त, महत्वपूर्ण खनिज, अनुसंधान एवं विकास, घरेलू विनिर्माण, आपूर्ति श्रृंखलाएं, ऊर्जा परिवर्तन के सामाजिक पहलू और नीति संश्लेषण।

मुश्किल से उत्सर्जन कम किए जाने वाले क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन पर रिपोर्ट: सीमेंट, एल्युमीनियम और एमएसएमई जैसे क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन के लिए एक व्यापक रोडमैप विकसित किया गया। यह उत्पादन मूल्य श्रृंखलाओं में उत्सर्जन के स्रोतों की पहचान करता है, प्रौद्योगिकी की तत्परता का आकलन करता है, और अपनाने में सहायता के लिए वित्तीय तंत्र के साथ व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य समाधान प्रस्तावित करता है। ये रिपोर्टें हाल ही में जारी की गई हैं।

चक्रीय अर्थव्यवस्था: नीति आयोग ने चुनिंदा क्षेत्रों में पुनर्चक्रण और चक्रीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति की जांच करने और मुख्य बाधाओं की पहचान करने के लिए अध्ययन शुरू किए। निम्नलिखित सेक्टरों पर चार कार्य समूहों का गठन किया गया: जीवन चक्र के अंत वाले वाहन (ईएलवी), बेकार टायर, लिथियम-आयन बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। इनका उद्देश्य क्षेत्र विशिष्ट चुनौतियों, नीतिगत कमियों को दूर करना और चक्रीय अर्थव्यवस्था की प्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन के रास्ते तैयार करना था। ये रिपोर्टें हाल ही में प्रकाशित की गई हैं।

जलवायु परिवर्तन पर भारत की घरेलू कार्रवाई और वैश्विक नेतृत्व: ब्राजील के बेलेम में आयोजित होने वाले सीओपी30 के लिए भारत की तैयारियों के समर्थन में, नीति आयोग ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की घरेलू कार्रवाइयों और वैश्विक नेतृत्व की ऐतिहासिक समीक्षा की। इस विश्लेषण में भारत की जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं; विभिन्न मिशनों और कार्यक्रमों सहित घरेलू संस्थागत और नियोजन उपायों; ग्रीनहाउस गैसों के शमन, अनुकूलन और लचीलापन तैयार करने पर घरेलू कार्रवाइयों; जलवायु कार्रवाई के वित्तपोषण के प्रयासों; और जलवायु संबंधी विभिन्न पहलों पर भारत के अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व को शामिल किया गया।

सौर विकिरण संशोधन पर अध्ययन (एसआरएम): जलवायु मॉडल और वायुमंडलीय भौतिकी से मिले साक्ष्य बताते हैं कि सौर विकिरण संशोधन (एसआरएम), जिसमें ग्रह को ठंडा करने के लिए सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करने के लिए बड़े पैमाने पर डिजाइन किए गए अंतःक्षेप शामिल हैं, का उपयोग उत्सर्जन में कमी के पूरक के रूप में अस्थायी उपाय के रूप में किया जा सकता है। हालांकि, एसआरएम से जुड़े अंतःक्षेपों के संभावित हानिकारक दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि वर्षा के पैटर्न, फसल की पैदावार, इकोसिस्टम और मानव स्वास्थ्य, और ओजोन परत पर प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव। नीति आयोग ने एसआरएम के विज्ञान, जोखिम और शासन ढांचे का कार्यनीतिक मूल्यांकन करने और आने वाले दशकों में एसआरएम पर भारत की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान और नीतिगत सिफारिशें करने के लिए नीति निर्माताओं और भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को शामिल करके एक कार्य समूह की स्थापना की है।

क्लाइमेट एंड एनर्जी ब्रीफ: नीति आयोग ने क्लाइमेट एंड एनर्जी ब्रीफ लॉन्च किया है, जो ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन पर आवश्यक रूप से जानने वाले वैश्विक घटनाक्रमों से संबंधित समाचारों का एक संकलित मेलर है, जिसे संबंधित मंत्रालयों के बीच प्रसारित किया जाता है। यह प्रकाशन जलवायु वार्ता, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर विधायी और नीतिगत उपाय, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु वित्त में विकास और कार्बन बाजारों को कवर करते हुए वैश्विक और घरेलू नीति और बाजार के प्रमुख घटनाक्रमों पर नजर रखता है। इस मेलर में जलवायु विज्ञान, इसके प्रभावों और अनुकूलन पर किए गए महत्वपूर्ण शोध अध्ययनों और रिपोर्टों के निष्कर्षों को भी शामिल किया जाता है।

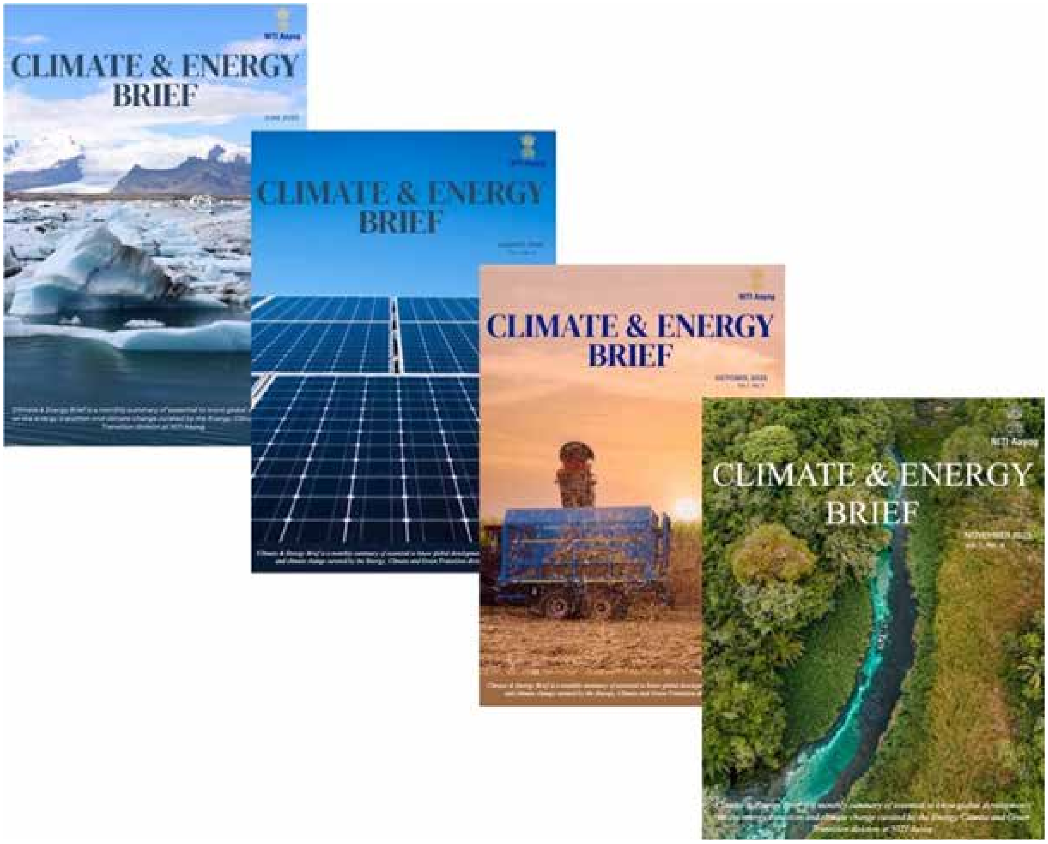

टिकाऊ राज्य ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाना (एसेट):

नवंबर 2024 में, नीति आयोग ने विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से टिकाऊ राज्य ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाने (एसेट) की पहल शुरू की। एसेट को एक राष्ट्रीय मंच के रूप में डिजाइन किया गया है ताकि राज्यों को विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों और भारत की जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप ऊर्जा परिवर्तन के मार्गो की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में सहायता मिल सके। एसेट के अंतर्गत कार्य में राज्य ऊर्जा परिवर्तन की रूपरेखा तैयार करना और बाद में वित्तपोषण योग्य परियोजनाओं के माध्यम से कार्यान्वयन में सहायता करना शामिल है।

इन लक्ष्यों को साकार करने के लिए, नीति आयोग ने 2025 में आंध्र प्रदेश और ओडिशा के साथ साझेदारी की है और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए नीति हैं।

आंध्र प्रदेश: नीति आयोग और आंध्र प्रदेश सरकार ने जून 2025 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा की तैनाती, ऊर्जा भंडारण, वितरित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ई-बस सहित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और थर्मल ऊर्जा उत्पादन को अधिक कुशल और लागत प्रभावी बनाने जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। ऊर्जा परिवर्तन के ब्लूप्रिंट का उद्देश्य वित्तपोषण योग्य परियोजनाओं की एक मजबूत श्रृंखला का निर्माण करना है, जो बहुपक्षीय, निजी क्षेत्र और जलवायु वित्त को आकर्षित करने में सक्षम हों।

राज्य परिवर्तन रोडमैप को लागू करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

ओडिशा: नीति आयोग और ओडिशा सरकार ने अक्टूबर 2025 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी एक संरचित दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसकी शुरुआत राज्य के ऊर्जा परिवर्तन ब्लूप्रिंट को डिजाइन करने के लिए छह महीने की अवधि से हुई, जिसके बाद 12-18 महीने तक केंद्रित परियोजना निर्माण और कार्यान्वयन सहायता प्रदान की गई। ओडिशा में किए जा रहे कार्य का उद्देश्य बिजली, उद्योग और अंतिम उपयोग जैसे सेक्टरों में उच्च प्रभाव वाले परिवर्तन के अवसरों की पहचान करना है, साथ ही संस्थागत क्षमता और निवेश तत्परता को मजबूत करना है।

राज्य परिवर्तन रोडमैप को लागू करने के लिए नीति आयोग और ओडिशा सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

'विकसित भारत और नेट ज़ीरो की ओर परिदृश्य' पर रिपोर्ट

नीति आयोग ने 9 और 10 फरवरी 2026 को **"विकसित भारत और नेट शून्य की दिशा में परिदृश्य"** पर 11 अध्ययन रिपोर्ट जारी कीं। 11 रिपोर्ट में विकास परिदृश्यों का आकलन करने के लिए भारत के पहले सरकार के नेतृत्व वाले, बहु-क्षेत्रीय, एकीकृत अध्ययन के निष्कर्षो का विवरण दिया गया है, जो 2047 तक विकसित भारत बनने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को पूरा करता है, साथ ही शुद्ध ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को वर्ष 2070 तक शून्य तक कम करता है। अध्ययन में एक परिदृश्य-आधारित विश्लेषणात्मक मॉडलिंग अभ्यास शामिल है जो आर्थिक विकास, भारत की विकास प्राथमिकताओं और जलवायु प्रतिबद्धताओं को एकीकृत करता है। यह अध्ययन 10 अंतर-मंत्रालयी कार्य समूहों द्वारा तैयार किया गया है, जिन्होंने परिवर्तन के व्यापक आर्थिक पहलुओं जैसे प्रमुख डोमेन में दीर्घकालिक परिवर्तन परिदृश्यों की जांच की; बिजली, परिवहन, उद्योग, भवन और कृषि में क्षेत्रीय निम्न कार्बन परिवर्तन; जलवायु कार्रवाई के लिए वित्तपोषण; महत्वपूर्ण खनिज; अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण; और परिवर्तन के सामाजिक निहितार्थ है। यह व्यापक मूल्यांकन दीर्घकालिक नीति नियोजन को सूचित करने के लिए किया गया था।

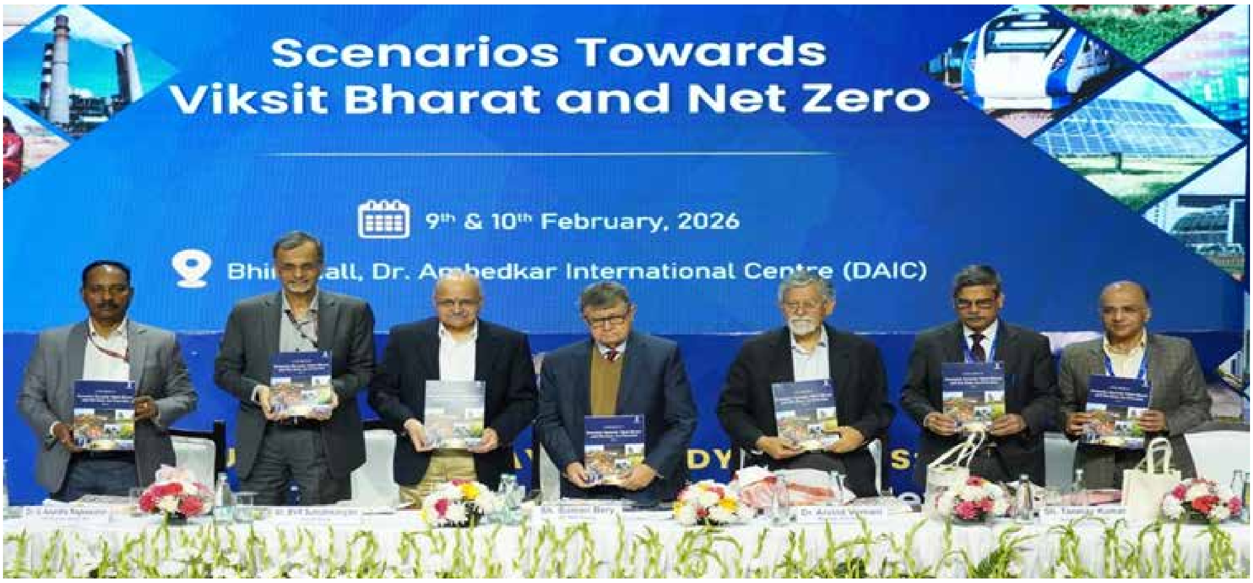

9 और 10 फरवरी 2026 को "विकसित भारत और नेट ज़ीरो की ओर परिदृश्य" पर अध्ययन रिपोर्ट जारी की गई

रिपोर्टें नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी द्वारा जारी की गईं; डॉ. अरविंद विरमानी, सदस्य, नीति आयोग; डॉ. वी.के. सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग; प्रोफेसर रमेश चंद, सदस्य, नीति आयोग; श्री बी.वी.आर. सुब्रमण्यम, सीईओ, नीति आयोग; डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय; श्री तन्मय कुमार, सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; श्री पंकज अग्रवाल, सचिव, विद्युत मंत्रालय; श्री संतोष सारंगी, सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय; डॉ. मांगी लाल जाट, सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग; श्री ओ.पी. अग्रवाल, प्रतिष्ठित फेलो, नीति आयोग, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी की गई।

शासन और सुधार

यह प्रभाग सभी क्षेत्रों में शासन व्यवस्था के दीर्घकालिक और व्यवस्थित परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल, 2025 को संरचनात्मक, व्यापक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए की गई, जो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह विभाग गैर-वित्तीय नियामक सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति और विकसित भारत पर उच्च स्तरीय समिति के कार्यों में सहयोग करता है।

व्यापार करने में सुगमता पर कार्यशाला

शासन और सुधार प्रभाग ने ईओडीबी सुधारों को आगे बढ़ाने में राज्यों का समर्थन करने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत 10 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में 'व्यापार करने में सुगमता और निवेश प्रोत्साहन' पर एक उच्च स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों को एक साथ लाया गया ताकि व्यवसायों के लिए नियामक और संस्थागत वातावरण में सुधार लाने और निवेश सुगमता ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित चर्चा की जा सके। विचार-विमर्श नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, अनुपालन के बोझ को कम करने, डिजिटल प्रणालियों की प्रभावशीलता बढ़ाने और निवेश प्रोत्साहन के लिए लक्षित दृष्टिकोण अपनाने पर केंद्रित था। इस कार्यशाला के माध्यम से, प्रभाग ने राज्यों के बीच संरचित आदान-प्रदान को सुगम बनाया और व्यापार करने में आसानी और निवेश के माहौल को समग्र रूप से बेहतर बनाने के उद्देश्य से सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को मजबूत किया।

10 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में व्यापार करने की सुगमता और निवेश प्रोत्साहन पर आयोजित कार्यशाला

शासी परिषद सचिवालय और समन्वय

शासी परिषद सचिवालय और समन्वय प्रभाग नीति आयोग के सभी प्रभागों/यूनिटों की गतिविधियों का समन्वय करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त विभिन्न पत्राचारों को संबंधित प्रभागों को परिचालित भी करता है। सचिवालय ने माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 24 मई, 2025 को आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक का समन्वय किया। सचिवालय ने शासी परिषद की 9वीं बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट और शासी परिषद की 10वीं बैठक के लिए एजेंडा नोट्स तैयार करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय किया। शासी परिषद की 10वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर आगे की कार्रवाई चल रही है।

केंद्रीय पूल में खाद्यान्न (बफर) भंडारण के मानदंडों में संशोधन पर रिपोर्ट

बफर स्टॉक रखने के संशोधित मानदंडों की सिफारिश करने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा गठित सातवें तकनीकी समूह ने इस विषय पर गहन अध्ययन करने की जिम्मेदारी नीति आयोग को सौंपी है। संबंधित विभाग ने नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद के मार्गदर्शन में खाद्यान्न भंडारण के मानदंडों में संशोधन पर एक मसौदा रिपोर्ट तैयार की और उसे डीएफपीडी को प्रस्तुत किया।

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा 2023-2027 की बैठक

भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा (जीओआई-यूएनएसडीसीएफ) के कार्यान्वयन के लिए गठित संयुक्त संचालन समिति (जेएससी) की तीसरी बैठक 28 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई। यह बैठक नीति आयोग के उपाध्यक्ष और भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर की सह-अध्यक्षता में आयोजित की गई और इसमें नीति आयोग के सदस्यों और फोकल समूहों के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों, परिणाम संचालन समितियों के सभी नोडल मंत्रालयों के प्रतिनिधियों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के छह परिणाम समूहों के प्रमुख और सह-प्रमुखों ने भाग लिया। समिति ने भारत में संयुक्त राष्ट्र की 26 एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और भविष्य के रोडमैप पर विचार-विमर्श किया, जिसमें ज्ञान और कार्यक्रम डिजाइन की कमियों को दूर करने और दोहराव और विस्तार के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, साथ ही शेष कार्यान्वयन अवधि के लिए प्राथमिकताओं को पुनर्निर्धारित किया गया।

भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा 2023-27 की तीसरी बैठक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़, किफायती और सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुरूप नीतिगत सुझाव प्रदान करता है। यह विभाग सार्वजनिक स्वास्थ्य विकास एवं प्रबंधन में शामिल प्रमुख हितधारकों को सलाह और नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, औषधि विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, राज्य एवं स्थानीय सरकारों जैसे हितधारक मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय स्थापित करता है। यह विभाग सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य वित्त, बीमा, चिकित्सा उपकरण, आयुष प्रणाली आदि विषयों पर हितधारकों के परामर्श हेतु प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संगठनों, विकास भागीदारों और प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ भी सहयोग करता है।

आयुष को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए कार्यनीतिक रोडमैप तैयार करना

आयुष के वैश्वीकरण की वर्तमान स्थिति का आकलन करने, प्रमुख बाधाओं, कमियों, सहायक कारकों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने और इस प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली मौजूदा योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों, अंतःक्षेपों और नियामक प्रावधानों का विस्तृत विश्लेषण करने के उद्देश्य से एक अध्ययन शुरू किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य इन ढाँचों को सुदृढ़ करने के लिए सिफारिशें प्रदान करना और आयुष के वैश्वीकरण को प्रभावी ढंग से सुगम बनाने के लिए सभी संबंधित हितधारकों के लिए कार्यान्वयन रोडमैप विकसित करना भी है।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अनुपालन संबंधी पहलें

नीति आयोग ने नवंबर, 2023 में "निजी स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को बढ़ावा देना" विषय पर केंद्रित एक कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसका उद्देश्य टियर 2 और 3 शहरों में अवसंरचना संबंधी कमियों की पहचान करना और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) और व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) की योजनाओं में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। एक महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि पांच से छह राज्यों में अनुपालन संबंधी चुनौतियों का अध्ययन करने की सिफारिश की गई। इसके बाद, 43 प्रमुख अनिवार्य अनुपालनों को कवर करने वाले एक सर्वेक्षण का संचालन करने के लिए नैटहेल्थ को नियुक्त किया गया, जिसके बाद अस्पतालों, निदान केंद्रों और चिकित्सा उपकरणों के लिए जटिल नियामक परिदृश्य पर एक विस्तृत अध्ययन किया गया। इसके परिणामस्वरूप नीति आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें 12 महत्वपूर्ण नियामक बाधाओं को उजागर किया गया, जिनमें एकसमान राज्य दिशानिर्देशों की मांग, सुरक्षा अनुपालन न करने को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, लाइसेंसिंग में पारदर्शिता में सुधार, केंद्रीकृत चिकित्सक पंजीकरण, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में एकीकरण और दोहरे लाइसेंस को समाप्त करना शामिल है। अनुपालन के संबंध में चिन्हित किए गए मुद्दों में से, गैर-नैदानिक क्षेत्रों की समीक्षा व्यावसायिक संचालन को सुगम बनाने के उद्देश्य से की जा रही है, जबकि नैदानिक क्षेत्रों के लिए अनुपालन पर परामर्श जारी हैं।

हीलिंग इकोसिस्टम्स: भारत में मेडिकल हब की स्थापना

भारत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी दौर में प्रवेश करने वाला है। 1.4 बिलियन से अधिक की तेजी से बढ़ती आबादी के साथ, उच्च गुणवत्ता वाली, सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। चिकित्सा अवसंरचना और सेवा प्रदायगी में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, विभिन्न क्षेत्रों में समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा तंत्र को मजबूत करने की काफी गुंजाइश है। इसी संदर्भ में, नीति आयोग ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) सहयोग से "हीलिंग इकोसिस्टम्स: भारत में मेडिकल हब की स्थापना" शीर्षक से एक ज्ञान पत्र विकसित

किया है। यह पत्र देश भर में एकीकृत मेडिकल हब के निर्माण के लिए एक कार्यनीतिक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह सफल मेडिकल हब की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यनीतिक, प्रचालनात्मक और अवसंरचनात्मक घटकों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है और इस परिकल्पना को साकार करने में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, नीति निर्माताओं, नियामकों, प्रौद्योगिकी भागीदारों और अन्य संस्थानों की सहयोगात्मक भूमिकाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह पत्र अप्रैल 2025 में जारी किया गया था।

दुर्लभ रोगों के लिए औषधियां

दुर्लभ रोगों के लिए स्वदेशी उपचारों की अनुपलब्धता और आयातित दवाओं की अत्यधिक कीमतों को देखते हुए, नीति आयोग ने भारत में दुर्लभ रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए दवाओं की उपलब्धता और सामर्थ्य में सुधार लाने का प्रयास किया। इसके तहत, चुनिंदा दुर्लभ रोगों के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित खुराक रूपों (छोटे अणुओं) को तेजी से उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस प्रयास के अंतर्गत, कतिपय दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए चार दवाएं आयातित दवाओं की लागत के 1/60वें से 1/100वें हिस्से की लागत पर उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा, रोगियों को दुर्लभ रोगों की दवाओं की आपूर्ति की समस्या को हल करने के लिए, नीति आयोग ने फॉर्मास्यूटिकल विभाग, भारतीय फॉर्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) उत्कृष्टता केंद्र और विनिर्माताओं के साथ हितधारक परामर्श आयोजित किए।

आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य मिशन

एक व्यापक और समग्र स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम विकसित करने के लिए, नीति आयोग ने हितधारकों के साथ बहुत-से परामर्श तथा प्रमुख संसाधनों और साहित्य की समीक्षा सहित एक विस्तृत अभ्यास किया। इस प्रयास के आधार पर, आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य मिशन के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई, जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों और किशोरों के बीच इष्टतम स्वास्थ्य, पोषण और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना था। इस रूपरेखा को आगे की कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के साथ साझा किया गया। इसके बाद, नीति आयोग के प्रोत्साहन और मार्गदर्शन में नवंबर 2024 में त्रिपुरा में 'आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य मिशन' का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसी प्रकार, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में इस रूपरेखा के कार्यान्वयन के प्रयास जारी हैं।

एम्स, नई दिल्ली का चिकित्सा अनुसंधान और अभ्यास के लिए एक अग्रणी संस्थान में कायाकल्प करना

एम्स, नई दिल्ली का चिकित्सा अनुसंधान और अभ्यास के लिए एक अग्रणी संस्थान में कायाकल्प करने के उद्देश्य से एक रोडमैप तैयार करने हेतु, नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी.के. पॉल की अध्यक्षता में फरवरी 2024 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति के अधिदेश में एम्स में मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की गहन जांच करना और उनके कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट समय-सीमाओं के साथ महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव देना शामिल है। इसका उद्देश्य रोगी प्रवाह को सुव्यवस्थित करने के तरीके खोजना, इष्टतम नैदानिक, शैक्षणिक और अनुसंधान परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) विकसित करना, शासन और पारदर्शिता को बढ़ाना और एम्स, नई दिल्ली के प्रबंधन में वित्तीय विवेक, स्थिरता और आत्मनिर्भरता के लिए कार्यनीतियों की सिफारिश करना है। फरवरी 2024 से इस पहल के तहत व्यापक हितधारक परामर्श किए गए हैं और समिति अब एक मसौदा रिपोर्ट तैयार कर रही है।

भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सेवाओं को मजबूत बनाना

भारत में एक महत्वपूर्ण पीढ़ीगत परिवर्तन हो रहा है, जिसके चलते 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी 2022 में 149 मिलियन से बढ़कर 2050 तक लगभग दोगुनी होकर 347 मिलियन होने का अनुमान है। नीति आयोग ने 16 फरवरी 2024 को भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल संबंधी सुधारों को गति देने के लिए एक स्थिति पत्र जारी किया। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए, जुलाई 2024 में डॉ. वी.के. पॉल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ विभिन्न तकनीकी परामर्श आयोजित करना, और राज्यों तथा सहयोगी संगठनों के साथ राष्ट्रीय परामर्श करना है। समिति का उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना, विचार उत्पन्न करना, दृष्टिकोण जानना और राय प्राप्त करना है ताकि भारत में वृद्धजनों की देखभाल को मजबूत करने के लिए एक व्यापक कार्यनीति विकसित और प्रस्तुत की जा सके। व्यापक परामर्श प्रक्रिया के बाद, समिति अपनी रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया में है।

उद्योग

प्रमुख क्षेत्रों में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने की पहल

विनिर्माण क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से विश्व की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विकास का एक प्रमुख चालक रहा है, जो प्रति व्यक्ति आय, निर्यात आय और विभिन्न कौशल स्तरों पर रोजगार को बढ़ावा देता है। वैश्विक विनिर्माण परिदृश्य में भारत की उपस्थिति सीमित रही है, तथा एक प्रमुख कारण वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी), जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दो-तिहाई से अधिक हिस्सा हैं, में इसकी अपेक्षाकृत कम भागीदारी है।

उद्योग एवं विदेशी निवेश प्रभाग ने विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि को लक्षित करते हुए एक प्रमुख पहल का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य जीवीसी में भारत की भागीदारी को बढ़ावा देना था। यह पहल उन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है जिनमें भारत में विकास की अपार संभावनाएं हैं - इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, रसायन और वस्त्र शामिल हैं। पिछले वर्ष, नीति आयोग ने 18 जुलाई 2024 को "इलेक्ट्रॉनिक्स: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में भारत की भागीदारी को बढ़ाना" शीर्षक से जीवीसी रिपोर्ट जारी की थी। इसे मैयटी में अब "इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैनुफेक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस)" में रूपांतरित कर दिया गया है।

ऑटोमोटिव क्षेत्र: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को बढ़ाना

2025-26 के दौरान नीति आयोग ने "ऑटोमोटिव उद्योग: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को बढ़ाना " शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का विमोचन नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत, डॉ. अरविंद विरमानी और नीति आयोग के सीईओ श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम की उपस्थिति में किया। यह रिपोर्ट भारत के ऑटोमोटिव क्षेत्र का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जिसमें अवसरों और चुनौतियों दोनों पर प्रकाश डाला गया है और राजकोषीय/गैर-राजकोषीय उपायों के माध्यम से निर्यात को तीन गुना करने और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की परिकल्पना करते हुए वैश्विक ऑटोमोटिव बाजारों में भारत को एक प्रमुख प्लेयर के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। इन उपायों को ऑटोमोटिव घटकों की जटिलता और विनिर्माण परिपक्वता के आधार पर चार श्रेणियों में संरचित किया गया है। एक बार लागू होने पर, इन अनुशंसाओं से 2-2.5 मिलियन नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिससे इस क्षेत्र में कुल प्रत्यक्ष रोजगार 3-4 मिलियन तक पहुंच जाएगा और साथ ही वैश्विक ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी 3% से बढ़कर 8% हो जाएगी।

नई दिल्ली में ऑटोमोटिव सेक्टर पर रिपोर्ट का विमोचन

रसायन जीवीसी: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को बढ़ाना

घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 7 प्रतिशत का योगदान देता है और कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, ऑटोमोटिव और निर्माण जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों को आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध कराता है। हालांकि, उद्योग को कई संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में इसके विस्तार और एकीकरण की क्षमता को बाधित करती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, नीति आयोग ने इस क्षेत्र का अध्ययन किया और 3 जुलाई 2025 को "रसायन उद्योग: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को बढ़ाना" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में 7 उपायों की सिफारिश की गई है, जिनमें: (i) भारत में विश्व स्तरीय रसायन हब स्थापित करना; (ii) मौजूदा बंदरगाह अवसंरचना का विकास करना; (iii) रसायनों के लिए प्रचालन व्यय (ऑपेक्स) सब्सिडी योजना शुरू करना; (iv) आत्मनिर्भरता बढ़ाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास और उन तक पहुंच बनाना; (v) पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ पर्यावरण मंजूरी में तेजी लाना; (vi) उद्योग के विकास को समर्थन देने के लिए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) करना; और (vii) रसायन उद्योग में प्रतिभा और कौशल का उन्नयन करना – शामिल हैं। इनका उद्देश्य रसायन उद्योग की पूरी क्षमता को उजागर करना है, जिससे भारत सतत विकास को गति दे सके, वैश्विक व्यापार में अपनी भागीदारी बढ़ा सके और स्वयं को उच्च मूल्य वाले रसायनों के विनिर्माण के एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में स्थापित कर सके।

नई दिल्ली में रसायन जीवीसी पर रिपोर्ट का विमोचन

राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन

विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (एनएमएम) की घोषणा की गई थी। मिशन के अधिदेश में 5 प्रमुख क्षेत्र शामिल होंगे:

- व्यापारिक सुगमता और लागत
- भविष्य में मांग वाली नौकरियों के लिए तैयार कार्यबल
- एक जीवंत और गतिशील एमएसएमई क्षेत्र
- प्रौद्योगिकी की उपलब्धता
- गुणवत्तायुक्त उत्पाद

इस मिशन का उद्देश्य भारत के औद्योगिक परिवर्तन को गति देना, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और भारत को विश्व के अग्रणी विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। विकसित भारत @2047 की परिकल्पना पर आधारित यह मिशन घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण को मजबूत करने, नवाचार-आधारित विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और वैश्विक विनिर्माण उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने का प्रयास करता है।

राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (एनएमएम) को लक्षित हस्तक्षेपों, संस्थागत समन्वय और सहयोगात्मक संघीय कार्रवाई के माध्यम से इन बाधाओं को दूर करने के लिए एक समन्वित राष्ट्रीय प्रयास के रूप में तैयार किया गया है। यह मिशन केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, उद्योग निकायों, शिक्षाविदों और वित्तीय संस्थानों को शामिल करते हुए एक सहयोगात्मक शासन ढांचे के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। नीति आयोग को सभी हितधारकों के साथ मिलकर एनएमएम के डिजाइन को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

चल रहे शोध अध्ययन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के हरित रूपांतरण के लिए रोडमैप:

भारत ने 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन हासिल करने, 2030 तक कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करने और गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 2030 तक 500 गीगावॉट तक बढ़ाने का संकल्प लिया है। इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रयासों की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग 30%, निर्यात में 45% का योगदान करते हैं और 250 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। नीति आयोग ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक तकनीकी कार्य समिति का गठन किया है तथा क्षेत्र-विशिष्ट डीकार्बोनाइजेशन रोडमैप पर एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। विभिन्न हितधारकों के साथ गहन परामर्श के कई दौर आयोजित किए गए हैं। इस रिपोर्ट का उद्देश्य भारतीय एमएसएमई को हरित औद्योगिक विकास और सतत विनिर्माण के वैश्विक अग्रणी बनने में सहायता करना है।

भारत में श्रम प्रधान उद्योगों का तीव्र विकास (खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र एवं परिधान, चमड़ा एवं जूते तथा रत्न एवं आभूषण)

वर्ष के दौरान, विभाग ने भारत के श्रम-प्रधान उद्योगों - खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र एवं परिधान, चमड़ा एवं जूता, और रत्न एवं आभूषण - के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से एक व्यापक विश्लेषणात्मक अध्ययन का समर्थन किया। इस अध्ययन का

लक्ष्य विनिर्माण आधारित रोजगार सृजन को मजबूत करना और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के एकीकरण को बेहतर बनाना था। भारत के जनसांख्यिकीय परिवर्तन और घटती रोजगार लोचशीलता की पृष्ठभूमि में किए गए इस अध्ययन में यह बात सामने आई कि यद्यपि ये क्षेत्र संगठित विनिर्माण रोजगार और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देना जारी रखते हैं, फिर भी इन्हें समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में पैमाने, प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक बाजार हिस्सेदारी से संबंधित लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

इस अध्ययन में क्षेत्रीय संरचनाओं, निर्यात प्रदर्शन, फर्म-स्तरीय प्रतिस्पर्धात्मकता, जमीनी स्तर के कार्य और हितधारकों के साथ परामर्श का आकलन किया गया, जिसमें खंडित उत्पादन, एमएसएमई का प्रभुत्व, सीमित प्रौद्योगिकी अपनाने और बाहरी व्यापार झटकों के प्रति संवेदनशीलता जैसी संरचनात्मक बाधाओं की पहचान की गई। इसमें अपार अप्रयुक्त क्षमता की भी पहचान की गई, जिसमें अनुमान लगाया गया कि घरेलू बाजार का लाभ उठाने, निर्यात विविधीकरण, स्केल सृजन, एमएसएमई को मजबूत करने, नवाचार और कौशल विकास सहित लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों के साथ ये क्षेत्र 2030 तक आकार में दोगुने से अधिक हो सकते हैं और 35 मिलियन से अधिक अतिरिक्त रोजगार सृजित कर सकते हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र:

मध्यम उद्यमों के लिए नीति तैयार करना

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), निर्यात और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एमएसएमई क्षेत्र के भीतर, मध्यम उद्यम विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां वे औद्योगिक विकास, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं। अपनी अपार क्षमता के बावजूद, मध्यम उद्यमों को वित्त तक सीमित पहुंच, अपर्याप्त तकनीकी एकीकरण और अनुकूलित नीतिगत समर्थन के अभाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

भारत में मध्यम उद्यमों के लिए नीतिगत समर्थन की कमी को पहचानते हुए, नीति आयोग ने विभिन्न हितधारकों के सहयोग से एक शोध अध्ययन किया ताकि उन आवश्यक समर्थनों की पहचान की जा सके जो मध्यम उद्यमों के विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में सहायक हो सकें। इस संदर्भ में, रिपोर्ट में मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों का प्रस्ताव दिया गया है।

भारत में लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना

भारत की आर्थिक संरचना की रीढ़ माने जाने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में प्रतिस्पर्धात्मक बनने और भागीदार बनने के प्रयासों में कई चुनौतियों का सामना करते हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य पांच प्रमुख क्षेत्रों - ऑटोमोटिव, वस्त्र निर्माण, रसायन, फार्मास्यूटिकल और खाद्य प्रसंस्करण - में भारत के एमएसएमई के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करना है। पोर्टर के डायमंड मॉडल और पीएलएफएस डेटा का उपयोग करते हुए, इस रिपोर्ट में एमएसएमई के लिए वित्त तक पहुंच में सुधार, एमएसएमई की कौशल विकास संबंधी चुनौतियों का समाधान, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के माध्यम से एमएसएमई का प्रौद्योगिकी विकास, एआई का एकीकरण और डिजिटल एवं बीमा समाधानों के माध्यम से जोखिम प्रबंधन में सुधार के लिए उचित उपायों का सुझाव दिया गया है। इस रिपोर्ट में एमएसएमई के लिए बाजारों तक पहुंच बढ़ाने हेतु सहयोग संस्थानों (आईएफसी) की स्थापना और विभिन्न निर्यात प्रोत्साहनों को लागू करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

“स्कीमों के अभिसरण के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र में दक्षता हासिल करना”

यह रिपोर्ट स्कीमों के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करके, अंतर-मंत्रालयी समन्वय को मजबूत करके और वित्तीय, कौशल, विपणन और नवाचार सहायता के वितरण को बढ़ाकर लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करने हेतु एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह एमएसएमई क्षेत्र के लिए भारत सरकार की मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों का मूल्यांकन करती है, उनके बीच वर्तमान अभिसरण स्तर का आकलन करती है और केंद्र, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करती है। इस आकलन के आधार पर, रिपोर्ट अभिसरण के अवसरों को खोलने और एमएसएमई योजनाओं की दक्षता, पहुंच और प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए सुधारात्मक उपाय करने हेतु व्यावहारिक सिफारिशें प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट का विमोचन नीति आयोग के सदस्य डॉ. अरविंद विरमानी ने 15 जनवरी, 2026 को किया।

नई दिल्ली में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र पर रिपोर्ट का विमोचन

खनिज क्षेत्र:

नीति आयोग खनन और खनिज क्षेत्र को नीतिगत सहायता प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में, ‘धात्विक मूल्यों के निष्कर्षण और अवशेषों के उपयोग हेतु लाल मिट्टी के समग्र उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी विकास’ हेतु राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एनएमएल), खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएमएमटी), जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केंद्र (जेएनएआरडीडीसी), राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी (एनएएलको), हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और वेदांता के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी हुई। परियोजना का उद्देश्य चयनित श्रेणी के बॉक्साइट अवशेषों से एल्युमिना, लोहा, टाइटेनियम और दुर्लभ भू-तत्व (आरईई) सहित पुनर्प्राप्ति मूल्यों के लिए पूर्ण द्रव्यमान और ऊर्जा संतुलन के साथ मास्टर फ्लो शीट की रूपरेखा तैयार करना और इसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करना है। रिपोर्ट 12 जून 2025 को जारी की गई।

नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. सारस्वत की उपस्थिति में लाल मिट्टी पर रिपोर्ट का विमोचन

सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार (सीमांत प्रौद्योगिकी हब सहित)

वर्ष 2024 में स्थापित, नीति सीमांत प्रौद्योगिकी हब (नीति-एफटीएच) का निर्माण देश को एक अग्रणी प्रौद्योगिकी राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर करते हुए तीव्र आर्थिक विकास, समावेशी सामाजिक परिणामों और कार्यनीतिक लचीलेपन के लिए उनकी क्षमता को अनलॉक करने के लिए उभरते मेगा-टेक्नोलॉजी परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाने और भारत की तैयारी को आकार देने के लिए किया गया था।

अपने पहले वर्ष में, नीति-एफटीएच ने भारत के अग्रणी प्रौद्योगिकी परिवर्तन के लिए 18 विषयगत कार्यधाराओं में रोडमैप, नीतिगत ढांचे और मिशन-मोड मार्ग सह-निर्माण करने के लिए ज्ञान भागीदारों और 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डोमेन विशेषज्ञों का एक मजबूत इकोसिस्टम बनाया।

इस अधिदेश की पूर्ति के लिए, नीति-एफटीएच ने 2025 में सात कार्यनीतिक 10-वर्षीय रोडमैप जारी किए, जिनका उद्देश्य त्वरित आर्थिक विकास, समावेशी सामाजिक विकास, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और विनिर्माण और कृषि जैसे अधिमान्य क्षेत्रों में समग्र परिवर्तन के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के साथ ही भारत को अनुप्रयुक्त क्वांटम जैसे उभरते क्षेत्रों में एक अग्रणी के रूप में स्थापित करना है।

रोडमैप लॉन्च

विकसित भारत के लिए एआई: तीव्र आर्थिक विकास का अवसर

इस रोडमैप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की संभावनाओं को आउटकम में बदलने के लिए एक व्यावहारिक कार्य योजना प्रस्तुत की गई है, जिसमें दो प्रमुख उपायों: (i) उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए उद्योगों में एआई को तेजी से अपनाना; (ii) नवाचार-संचालित अवसरों में भारत को अग्रणी बनाने के लिए जनरेटिव एआई के साथ अनुसंधान एवं विकास का कायाकल्प करना - पर प्रकाश डाला गया है। इसका शुभारंभ माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और माननीय रेल, सूचना और प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने नीति आयोग के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ मिलकर 15 सितंबर 2025 को किया।

माननीय वित्त मंत्री और माननीय रेल मंत्री द्वारा 'विकसित भारत के लिए एआई' के रोडमैप का शुभारंभ

समावेशी सामाजिक विकास के लिए एआई का रोडमैप

इस रोडमैप में व्यवस्थित रूप से यह वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके भारत के 490 मिलियन अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन और आजीविका में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, रोडमैप में मिशन डिजिटल श्रमसेतु की सिफारिश की गई है, जो एक प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जो एआई को प्रत्येक श्रमिक के लिए सुलभ, किफायती और प्रभावी बनाएगा। इस पहल का शुभारंभ 8 अक्टूबर 2025 को कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने नीति आयोग और अन्य संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ मिलकर किया।

कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा समावेशी सामाजिक विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रोडमैप का शुभारंभ

एआई अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के लिए रोडमैप

इस रोडमैप में कार्य, श्रमिक और कार्यबल के परिप्रेक्ष्य से यह विश्लेषण किया गया है कि एआई किस प्रकार तकनीकी सेवा उद्योग को नया आकार दे रहा है। इसमें रोजगार हानि से जुड़े जोखिमों से निपटने के लिए व्यावहारिक कदम प्रस्तावित किए जाने के साथ ही 4 मिलियन तक नए रोजगार सृजित करने का अवसर भी प्रस्तुत किया गया है। इस योजना का मुख्य बिंदु इंडिया एआई टैलेंट मिशन का निर्माण करना है, जो भारत को विश्व की एआई कार्यबल राजधानी में कायांतरित करने का राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वित प्रयास है। इसके अतिरिक्त, इसमें पाठ्यक्रम में एआई शिक्षा को शामिल करने और वर्तमान कार्यबल को पुनः प्रशिक्षित और उन्नत कौशल प्रदान करने के लिए एक एआई कौशल विकास इंजन शुरू करने का सुझाव दिया गया है। इस रोडमैप का विमोचन नीति आयोग के सीईओ श्री बी वी आर सुब्रह्मण्यम ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री विनीत जोशी और नीति आयोग की विशिष्ट फेलो सुश्री देबजानी घोष तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में 10 अक्टूबर 2025 को किया।

एआई अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के लिए रोडमैप का विमोचन

राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीमांत प्रौद्योगिकी का प्रभाव

इस रोडमैप में डिजिटल, जैविक, एआई, एयरोस्पेस, ऊर्जा, अवसंरचना और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में फैले उभरते जोखिमों की व्यवस्थित रूप से पहचान करने, उन्हें क्रमबद्ध करने और प्राथमिकता देने के लिए दस-बिंदु मूल्यांकन मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए - और सक्रिय जोखिम न्यूनीकरण और लचीलेपन को मजबूत करने के लिए एक कार्रवाई योग्य, दूरदर्शी ढांचा तैयार करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा पर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के प्रभाव की जांच की गई।

सेना के मुख्य सैन्य अधिकारी जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बीवीआर सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय संवाद में सेना के समक्ष यह रोडमैप प्रस्तुत किया गया।

राष्ट्रीय सुरक्षा पर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का प्रभाव पर चर्चा

विनिर्माण क्षेत्र की पुनर्कल्पना के लिए रोडमैप: उन्नत विनिर्माण में वैश्विक नेतृत्व की ओर भारत का रोडमैप

इस रोडमैप में फ्रंटियर टेक का लाभ उठाने और भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए क्षेत्र-केंद्रित मार्ग निर्धारित किया गया है। इसमें वर्ष 2035 तक भारत को उन्नत विनिर्माण के शीर्ष तीन वैश्विक केंद्रों में से एक के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें इस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 25% से अधिक का योगदान और 100 मिलियन से अधिक रोजगार सृजन करना शामिल है। यह 13 अधिमान्य क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग (एआई) और मशीन लर्निंग, उन्नत सामग्री, डिजिटल ट्विन्स और रोबोटिक्स जैसे प्रमुख कारकों पर प्रकाश डालता है, और अनुसंधान एवं विकास, अवसंरचना और कार्यबल विकास पर केंद्रित एक व्यापक 10-वर्षीय कार्यनीति की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इस रोडमैप का शुभारंभ 29 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, माननीय उपमुख्यमंत्री श्री अजीत पवार और नीति आयोग के सीईओ ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया।

महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विनिर्माण क्षेत्र की पुनर्कल्पना के लिए रोडमैप का शुभारंभ।

कृषि की पुनर्कल्पना के लिए रोडमैप: फ्रंटियर टेक्नोलॉजी संचालित कायाकल्प

इस रोडमैप में 2047 में विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए समावेशी ग्रामीण समृद्धि और कृषि-तकनीक नेतृत्व के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया गया है। इस रोडमैप में जलवायु-प्रतिरोधी बीजों, डिजिटल ट्विन्स, सटीक कृषि, एजेंटिक एआई और उन्नत मशीनीकरण सहित फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत के विविध कृषि परिदृश्य में उत्पादकता, स्थिरता और आय को बढ़ाने के लिए एक कार्यनीतिक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की गई है। इस रोडमैप का प्रमुख कार्य-निर्धारण डिजिटल कृषि मिशन 2.0 के लिए तीन-स्तंभ ढांचा है, जिसका उद्देश्य मौजूदा बाधाओं को दूर करना और कृषि परिवर्तन को आगे बढ़ाना है। इस रोडमैप का शुभारंभ 3 नवंबर 2025 को गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल, गुजरात सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण, सहकारिता, पशुपालन एवं गौपालन राज्य मंत्री श्री रमेशभाई भूराभाई कटारा, गुजरात सरकार में कृषि, किसान कल्याण, सहकारिता, पशुपालन, गौपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री श्री जीतूभाई वाघानी और नीति

आयोग के सीईओ श्री बी वी आर सुब्रह्मण्यम द्वारा गुजरात के गांधीनगर में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और उद्योग जगत के नेतृत्वकर्ताओं के साथ मिलकर किया गया।

गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कृषि की पुनर्कल्पना के लिए रोडमैप का शुभारंभ

भारत को क्वांटम ऊर्जा संचालित अग्रणी अर्थव्यवस्था में कायाकल्प करने का रोडमैप

इस रोडमैप में आगामी दशक में क्वांटम प्रौद्योगिकियों के विकास, परिनियोजन और विस्तार के लिए भारत की कार्यनीति निर्धारित की गई है, जिसमें अधिमान्य क्षेत्रों में अनुसंधान से लेकर व्यावसायीकरण तक क्षमताओं का निर्माण, प्रतिभाओं का पोषण और साझेदारी का निर्माण शामिल है। ऐसा करके, यह क्वांटम को एक प्रमुख आर्थिक अनिवार्यता के रूप में स्थापित करता है, जिससे नई वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं, उच्च-कुशल रोजगार, उत्पादकता में वृद्धि और दीर्घकालिक विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता और कार्यनीतिक स्वायत्तता संभव हो सकेगी। इसका शुभारंभ तेलंगाना के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मल्लु भट्टी विक्रमार्क ने नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत और नीति आयोग के सीईओ के साथ 4 दिसंबर 2025 को हैदराबाद, तेलंगाना में किया।

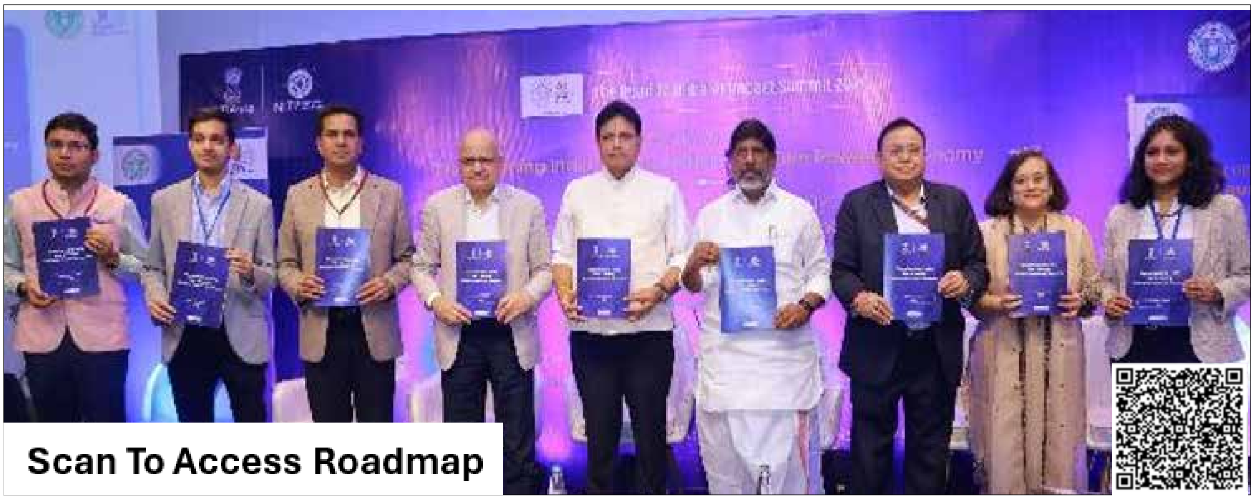

तेलंगाना के माननीय उपमुख्यमंत्री द्वारा भारत को क्वांटम ऊर्जा संचालित अग्रणी अर्थव्यवस्था में कायाकल्प करने के लिए रोडमैप का शुभारंभ।

फ्रंटियर टेक रिपॉजिटरी

नीति फ्रंटियर टेक रिपॉजिटरी का औपचारिक शुभारंभ 15 सितंबर 2025 को माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और माननीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा नीति आयोग के वरिष्ठ नेतृत्व की उपस्थिति में किया गया।

एक जीवंत और विकसित होते ज्ञान भंडार के रूप में डिज़ाइन किए गए इस रिपॉजिटरी में यह प्रलेखन किया गया है कि उद्देश्यपूर्ण ढंग से क्रियान्वित फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पूरे भारत में बड़े पैमाने पर लोगों के जीवन और आजीविका का किस प्रकार कायाकल्प कर रही है। द बेटर इंडिया के साथ साझेदारी में विकसित, इस प्लेटफॉर्म की परिकल्पना एक समुदाय-संचालित संसाधन के रूप में की गई है जो राज्यों, स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम भागीदारों के योगदान से निरंतर विस्तारित होता रहेगा।

माननीय वित्त मंत्री और माननीय रेल मंत्री द्वारा फ्रंटियर टेक रिपॉजिटरी का शुभारंभ।

कार्यनीतिक कार्यक्रम

डीएक्स एज

डीएक्स-एज भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा नीति फ्रंटियर टेक हब (नीति एफटीएच) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के सहयोग से शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में डिजिटल परिवर्तन को गति देना है। विकसित भारत 2047 के विजन पर आधारित, डीएक्स-एज का लक्ष्य एमएसएमई को भविष्य के लिए तैयार, प्रतिस्पर्धी और मजबूत बनने के लिए आवश्यक उपकरण, ज्ञान और इकोसिस्टम प्रदान करना है। उद्योग-जगत, शिक्षा जगत, प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाताओं और सरकार के बीच साझेदारी को बढ़ावा देकर, यह पहल देश भर में डिजिटल अपनाने, नवाचार और समावेशी आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत मंच तैयार करती है। यह कार्यक्रम छात्रों को शिक्षुता (कार्य-आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें उद्योग के लिए तैयार करना) और एआईसीटीई से क्रेडिट के माध्यम से एमएसएमई को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सशक्त बनाता है।

एमएसएमई के लिए डीएक्स-एज का शुभारंभ

फ्यूचर फ्रंट त्रैमासिक अंतर्दृष्टि

इस वर्ष के दौरान, नीति-एफटीएच ने फ्यूचर फ्रंट त्रैमासिक अंतर्दृष्टि के चार संस्करण प्रकाशित किए, जिनमें एआई की सफलताओं और उभरते रुझानों, क्वांटम कंप्यूटिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों, भारत की डाटा गुणवत्ता अनिवार्यता और 2डी सामग्रियों के परिचय को शामिल किया गया।

बाएं से दाएं: त्रैमासिक अंतर्दृष्टि का विमोचन: “भारत की डेटा अनिवार्यता: गुणवत्ता की ओर परिवर्तन”; “राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्वांटम कंप्यूटिंग के निहितार्थ” और “2डी सामग्रियों का परिचय”

गुरुकुल/नीति व्याख्यान श्रृंखला

नीति-एफटीएच ने अग्रणी विशेषज्ञों, जिनमें - डॉ. यान लेकुन, (वीपी एवं मुख्य एआई वैज्ञानिक, मेटा), डॉ. पुशमीत कोहली (गूगल डीपमाइंड में ग्लोबल रिसर्च के उपाध्यक्ष), दीपक मिश्रा (आईसीआरआईईआर के पूर्व निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी) और आदित्य नटराज (पिरामल फाउंडेशन के सीईओ) - शामिल हैं, के साथ “विकसित भारत के लिए एआई”, "एआई क्रांति: भारत के लिए अवसर और चुनौतियाँ", "विकसित भारत के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था" और "अभिशासन में प्रौद्योगिकी” जैसे समकालीन विषयों एक प्रभावशाली गुरुकुल/नीति व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया।

अन्य पहलें

इसके अलावा, नीति-एफटीएच ने दो चर्चा पत्र और अनेक लेख प्रकाशित किए। नीति-एफटीएच ने नीति फ्रंटियर टेक रडार के तीन अंक भी प्रकाशित किए, जो एक त्वरित प्रारंभिक चेतावनी और निर्णय-सहायता प्रकाशन है जो वैश्विक प्रौद्योगिकी विकास और भारत के लिए उनके संभावित प्रभावों के बारे में समयोचित जानकारी प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, नीति-एफटीएच ने स्टार्टअप्स के साथ पर्यटन के लिए एआई से लेकर त्वरित औषधि विकास के लिए एआई आदि विषयों पर कई हितधारक परामर्श बैठकें आयोजित कीं।

इस केंद्र ने समावेशी सामाजिक विकास के लिए एआई; भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना; फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि का कायाकल्प आदि सहित अधिमान्य विषयों पर तत्परता उत्पन्न करने के लिए उद्योग जगत के नेतृत्वकर्ताओं, राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ कई उच्च स्तरीय गोलमेज बैठकें भी आयोजित कीं।

राज्य सहभागिता

वर्ष 2025 में, नीति-एफटीएच ने चुनिंदा राज्यों के साथ मिलकर नैतिक जैव प्रौद्योगिकी, क्वांटम प्रौद्योगिकी, जीवन प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में अग्रणी तकनीकी नेतृत्व के लिए कार्यनीतियाँ तैयार कीं। इस केंद्र ने एआई अर्थव्यवस्था के लिए डेटा सेंटर कार्यनीतियाँ बनाने जैसे अधिमान्य क्षेत्रों में सर्वोत्तम परिपाटियों और जानकारी को साझा करने के लिए राज्यों के लिए कार्यशालाओं का भी आयोजन किया।

अवसंरचना-कनेक्टिविटी

अवसंरचना कनेक्टिविटी प्रभाग I और II रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इनका उद्देश्य परिवहन एवं अवसंरचना क्षेत्रों में दक्षता में सुधार, प्रभावशीलता बढ़ाने और अंतर-मॉडल समन्वय को मजबूत करने के लिए नीतियों का निर्माण, मूल्यांकन और समर्थन करना है। ये प्रभाग संरचित चर्चाओं, विश्लेषणात्मक टिप्पणियों और नीति पत्रों के माध्यम से नीतिगत सुझाव और सुधार संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं। वे विधायी प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण सुझाव भी देते हैं और तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के माध्यम से परियोजनाओं, मंत्रिमंडल नोट और संबंधित मंत्रालयों के प्रस्तावों का मूल्यांकन करते हैं, ताकि परियोजना के निर्माण, वित्तीय व्यवहार्यता और कार्यान्वयन की तैयारी को मजबूत किया जा सके। इसके अतिरिक्त, ये प्रभाग अनुसंधान अध्ययन करते हैं और भारत में सतत, लचीली और कुशल गतिशीलता प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग करते हैं।

सड़कें

वर्ष 2025-26 के दौरान, विभिन्न प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों और कार्यक्रमों को कवर करते हुए सड़क क्षेत्र के लिए 80,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 75 से अधिक प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकित प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, राज्य राजमार्गों, सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत कार्यनीतिक और सीमावर्ती सड़क गलियारों तथा एनईएसआईडीएस एवं पीएम-डिवाइन जैसी स्कीमों के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित थे।

जलवायु परिवर्तन से सुरक्षित और आपदा-प्रतिरोधी सड़क अवसंरचना पर सरकारी संस्थानों, उद्योग और शिक्षाविदों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए वर्ष के दौरान "हिमालयन लाइफलाइन" विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। विभाग ने लखनऊ में आयोजित फिक्की सस्टेनेबल मोबिलिटी कांफ्रेंस और उत्तर प्रदेश विजन 2047 सम्मेलन सहित बाहरी मंचों पर नीति आयोग का प्रतिनिधित्व किया।

रेलवे

विस्तारित रेल बोर्ड के हिस्से के रूप में, यह प्रभाग रेल क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास के लिए नीतिगत सुझाव और सहयोग प्रदान करता है। 2025-26 के दौरान, रेल मंत्रालय से नई लाइनों के निर्माण, डबलिंग और मल्टी-ट्रैकिंग कार्यों, जिनमें मेट्रो रेल परियोजनाएं भी शामिल हैं, के प्रस्तावों की जांच और मूल्यांकन किया गया। इन प्रस्तावों की कुल लागत लगभग 1.84 लाख करोड़ रुपये थी और इनमें लगभग 4,800 किलोमीटर की कुल परियोजना लंबाई शामिल थी। ये परियोजनाएं प्रमुख कॉरिडोर कार्यक्रमों का हिस्सा थीं, जिनमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर के लिए कनेक्टिविटी, उच्च सघनता वाले मार्गों की क्षमता वृद्धि और रेल सागर पहल के तहत बंदरगाहों के लिए उन्नत रेल कनेक्टिविटी शामिल हैं।

यह प्रभाग समर्पित फ्रेट कॉरिडोर परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है, और डीएफसीसीआईएल बोर्ड में नीति आयोग का प्रतिनिधि है। वर्ष के दौरान, भारतीय रेलवे में गैर-किराया राजस्व को अधिकतम करने और भीतरी इलाकों में रेल कंटेनर माल ढुलाई बढ़ाने के लिए नीतिगत चुनौतियों और उपायों पर दो शोध अध्ययन शुरू किए गए।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग

इस प्रभाग ने सार्वजनिक निवेश बोर्ड के नोट्स, पर मूल्यांकन और नीतिगत सहायता प्रदान की तथा निवेश बोर्ड (डीआईबी) के प्रस्तावों, व्यय वित्त समिति के प्रस्तावों, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों और अंतर-मंत्रालयी समितियों के समक्ष रखे गए प्रस्तावों को सौंपा। मूल्यांकन में कार्यनीतिक संरेखण, वित्तीय व्यवहार्यता और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक एवं कनेक्टिविटी उद्देश्यों के साथ एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

नागर विमानन

वर्ष के दौरान, प्रभाग ने केरल के कोट्टायम, असम के कछार, राजस्थान के कोटा-बूंदी और ओडिशा के पुरी में निर्माणाधीन विमानपत्तन की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का अध्ययन किया। दरभंगा अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन और मदुरै अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के लिए विस्तृत अवधारणा नोट्स का भी अध्ययन किया गया।

पीएम गति शक्ति और नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी)

पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य के रूप में, 2025-26 के दौरान, इस प्रभाग ने 2.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कुल लागत वाली 68 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया। इसके अलावा, नीति आयोग ने एकीकृत अवसंरचना नियोजन और कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर पीएम गति शक्ति के उपयोग का पक्षसमर्थन जारी रखा। इसके उपयोग को गति देने और उपयोगकर्ता सहभागिता को मजबूत करने के लिए, नीति आयोग के अवसंरचना कनेक्टिविटी विभाग के साथ नोडल पहुंच के माध्यम से पीएम गति शक्ति पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया। क्षमता निर्माण और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। साथ ही, क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों के समाधान के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी-आधारित संकल्पना प्रमाण (प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट्स) को संयुक्त रूप से विकसित और कार्यान्वित करने के लिए बीआईएसएजी-एन के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

विधि

विधि प्रभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ संपर्क के नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है। अपने मूल अधिदेश के भाग के रूप में, प्रभाग सामान्य रूप से निम्नलिखित कार्य करता है:

- विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा संदर्भित मंत्रिमंडल नोट, प्रस्तावों और लेखों की समीक्षा और विधीक्षा करता है।
- दिशा-निर्देशों और स्कीमों का मसौदा तैयार करता है और/या उनकी विधीक्षा करता है, मानक टेम्पलेट प्रदान करता है।
- नीति आयोग के विभिन्न प्रभागों से प्राप्त आशय कथनों (एसओआई), समझौता ज्ञापनों (एमओयू), कार्य आदेशों, समझौतों, सहयोग व्यवस्थाओं और अन्य प्रस्तावों की जांच करता है।

12 अप्रैल 2025 को, प्रभाग ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पेटेंट कानूनों में सुधार पर बौद्धिक संपदा अधिकार हितधारकों की बैठक का नेतृत्व किया। इस कार्यक्रम में भारत के अटॉर्नी जनरल श्री आर. वेंकटरामानी, सहायक अटॉर्नी जनरल श्री विक्रमजीत बनर्जी, एम्स के निदेशक डॉ. एम. श्रीनिवासन और प्रमुख विधि फर्मों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला के बाद, प्रस्तावित सुधारों पर विचार-विमर्श करने के लिए सदस्य श्री राजीव गौबा के मार्गदर्शन में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के साथ एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया।

पेटेंट कानून में सुधार के लिए हितधारकों की बैठक

प्रभाग ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली के साथ अपना पहला आशय पत्र (एसओआई) भी हस्ताक्षरित किया, जिससे संयुक्त अनुसंधान और पहलों के लिए एक सहयोगात्मक ढांचा स्थापित हुआ।

आगे चलकर, विधि प्रभाग कार्यनीतिक महत्व के विभिन्न अध्ययनों के माध्यम से कानूनी अनुसंधान में अपनी भूमिका को और अधिक गहन बनाने का लक्ष्य रखता है। प्रभाग का उद्देश्य साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को मजबूत करने और सहयोगात्मक कानूनी सुधार पहलों को बढ़ावा देने के लिए समान विचारधारा वाले संगठनों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना भी है।

पूर्वोत्तर राज्य

नीति आयोग का पूर्वोत्तर प्रभाग भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के समग्र विकास की दिशा में कार्य करता है। यह प्रभाग निम्नलिखित कार्य करता है:-

(i) पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विकास परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करना।

(ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की योजनाओं और प्रस्तावों का अध्ययन करना और उन पर अपनी टिप्पणी देना।

(iii) भौतिक सर्वेक्षण करना और नीतिगत शोध पत्र तैयार करना।

(iv) क्षमता निर्माण पहल और प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करना।

योजनाएं

नीति आयोग का पूर्वोत्तर राज्य प्रभाग पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) की निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है:

(i) एनईएसआईडीएस: पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को जल आपूर्ति, विद्युत और कनेक्टिविटी तथा स्कूलों और अस्पतालों जैसे सामाजिक अवसंरचना क्षेत्रों के लिए निधियां उपलब्ध कराना है। इस योजना के दो घटक हैं: (क) एनईएसआईडीएस (सड़कें) जिसका प्रशासन पूर्वोत्तर परिषद द्वारा किया जाता है और (ख) एनईएसआईडीएस (सड़क अवसंरचना के अलावा) जिसका प्रशासन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) द्वारा किया जाता है। 2025-26 के दौरान, नीति आयोग ने एनईएसआईडीएस (सड़कें) की 14 परियोजनाओं और एनईएसआईडीएस (सड़क अवसंरचना के अतिरिक्त) की 40 परियोजनाओं की समीक्षा की।

(ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम-डिवाइन):पीएम-डिवाइन एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका उद्देश्य सामाजिक विकास को बढ़ावा देने, आजीविका गतिविधियों को बेहतर बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक विकास की कमियों को दूर करने के लिए अवसंरचना के लिए वित्तपोषण प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, इस योजना के अंतर्गत नीति आयोग द्वारा 12 परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

(iii) विशेष विकास पैकेज (एसडीपी): इस योजना में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के लिए वित्तीय सहायता पैकेज और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद के लिए विशेष आर्थिक पैकेज शामिल है। 2025-26 में, इस योजना के तहत नीति आयोग द्वारा 1 बोडोलैंड जनजातीय परिषद (बीटीसी) और 3 कार्बी आंगलोंग जनजातीय परिषद (केएटीसी) परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

(iv) पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी): एनईसी, एनईसी अधिनियम 1971 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है जिसे क्षेत्रीय योजना बनाने का कार्य सौंपा गया है। एनईसी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए महत्वपूर्ण अभिचिन्हित अधिमान्य क्षेत्रों में समग्र विकास में सहयोग करता है। इनमें से कुछ क्षेत्र बांस मूल्य श्रृंखला, उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा टेलीमेडिसिन आदि हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, नीति आयोग द्वारा एनईसी की 11 परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

सार्वजनिक वित्त नीति विश्लेषण

सार्वजनिक वित्त एवं नीति विश्लेषण (पीएफपीए) प्रभाग नीति आयोग के प्रमुख प्रभागों में से एक है, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रमों, स्कीमों और परियोजनाओं का मूल्यांकन करने की विशिष्ट भूमिका सौंपी गई है। इस प्रभाग को निम्नलिखित मुख्य कार्य करने का दायित्व दिया गया है:

- सार्वजनिक वित्त और नीति विश्लेषण के स्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं और कार्यक्रमों का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करना।
- ऐसी सभी प्रारंभिक परियोजना रिपोर्टों (पीपीआर) की जांच करना और उन पर सिफारिशें प्रदान करना जिनके ईएफसी/पीआईबी चरण तक पहुंचने की संभावना है।
- व्यय वित्त समिति (ईएफसी), सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी), स्थापना व्यय समिति (सीईई) और विस्तारित रेलवे बोर्ड (ईबीआर) समिति आदि जैसी विभिन्न उच्च स्तरीय समितियों में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व करना।

ऊपर उल्लिखित मुख्य कार्यों के अतिरिक्त, पीएफपीए ने 2025-26 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ भी कीं:

- बेहतर योजना/परियोजना निर्माण, व्यय की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करके और अभिसरण दृष्टिकोण अपनाकर सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से नीति विश्लेषण और सार्वजनिक वित्त में सर्वोत्तम परिपाटियों के अनुरूप कार्यक्रमों और परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन की पद्धति में सुधार लाने के लिए अनुसंधान अध्ययन।
- विभिन्न सार्वजनिक वित्त पोषित योजनाओं और परियोजनाओं के लिए व्यय प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु दिशानिर्देश और प्रारूप की अनुशंसा।
- सार्वजनिक खरीद, संविदागत संरचना और परियोजना प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम परिपाटियों की अनुशंसा।
- केंद्रीय मंत्रालयों/राज्यों को योजना और परियोजना प्रस्तावों के विकास के लिए उचित प्रक्रियाएं स्थापित करने में सहायता।
- नीति विश्लेषण और सार्वजनिक वित्त से संबंधित क्षमता निर्माण पहल।

सार्वजनिक कार्यक्रमों, स्कीमों और परियोजनाओं का मूल्यांकन

इस प्रभाग ने सार्वजनिक निवेश बोर्ड और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत 500 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं/स्कीमों का व्यापक मूल्यांकन किया। रेल मंत्रालय के 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाले प्रस्ताव, जिन पर विस्तारित रेल बोर्ड (ईबीआर) द्वारा विचार किया जाना है, का भी मूल्यांकन किया जाता है। संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) प्रस्तावों का मूल्यांकन भी इस प्रभाग द्वारा किया जाता है ताकि लागत और समय में देरी के कारकों और व्यवहार्यता पर उनके प्रभाव का विश्लेषण किया जा सके। पीएफपीए ने प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) चरण में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए भी इनपुट प्रदान किए हैं।

इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में, पीएफपीए ने अपने तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकनों के माध्यम से सार्वजनिक परियोजनाओं और स्कीमों की संरचना और तैयारी के लिए मूल्यांकन तंत्र और प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। यह प्रभाग अपने मूल्यांकन ज्ञापनों के माध्यम से कार्यान्वयन और परिणामों के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र की स्कीमों और व्यय की प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रणालीगत सुधारों का सुझाव देने और उन्हें लागू करने में सहायक रहा है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान (1 अप्रैल 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक) पीएफपीए ने 166 ईएफसी/पीआईबी/ईबीआर/सीईई प्रस्तावों का मूल्यांकन किया, जिनमें स्कीमें और परियोजनाएं दोनों शामिल थीं और जिनका कुल परिव्यय 38.05 लाख करोड़ रुपये था। इस अवधि के दौरान मूल्यांकित स्कीमों/परियोजनाओं का क्षेत्रीय वितरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)

सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रभाग अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधिमान्य तरीके के रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की पहुंच को व्यापक बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इसका उद्देश्य समयबद्ध विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण करना और अवसंरचना (सामाजिक अवसंरचना सहित) के विकास और संचालन में निजी क्षेत्र और संस्थागत पूंजी को आकर्षित करना है।

अस्पतालों में पीपीपी

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने वाले अस्पतालों की बढ़ती मांग के प्रत्युत्तर में, 2020 में नीति आयोग ने चिकित्सा शिक्षा में पीपीपी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित किए, जिसके तहत एक मौजूदा जिला अस्पताल को पीपीपी आधार पर डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और हस्तांतरण पद्धति से विकसित किए गए नए मेडिकल कॉलेज से जोड़ा जा सकता है। 2020 की इस पहल को आगे बढ़ाते हुए और पीपीपी पद्धति से अस्पतालों के निर्माण और संचालन को समर्थन देने के लिए, नीति आयोग के पीपीपी प्रभाग ने 'डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर अस्पतालों के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत' का मसौदा तैयार किया। यह ढांचा सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय परिपाटियों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के निवेश और दक्षता का लाभ उठाते हुए, अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित नए अस्पतालों की स्थापना और संचालन करना है, और वर्तमान में हितधारकों के साथ इस पर परामर्श चल रहा है।

वस्त्र पार्कों में पीपीपी

नीति आयोग ने प्रधानमंत्री मित्र योजना के अंतर्गत 'पीपीपी मॉडल में वस्त्र पार्कों के विकास और संचालन' के लिए निजी निवेश को निर्देशित करने हेतु वस्त्र मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया। पीपीपी प्रभाग द्वारा दो परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है – जिनमें अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वस्त्र पार्कों की स्थापना और संचालन शामिल है। इन पार्कों का उद्देश्य संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए एकीकृत, बड़े पैमाने पर और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधाओं का विकास करना है, ताकि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिले, लॉजिस्टिक लागत कम हो और भारत के वस्त्र क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि के साथ ही चयनित राज्यों में रोजगार और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिले। विभाग ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कर्नाटक के कालबुर्गी में वस्त्र पार्कों की परियोजनाओं का मूल्यांकन कर लिया है और वर्तमान में गुजरात के नवसारी में स्थित तीसरे पार्क का मूल्यांकन कर रहा है।

नीति आयोग ने वस्त्र मंत्रालय के साथ मिलकर पीपीपी मॉडल के तहत 'द कुंज' नामक शिल्प परिसर (भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के वसंत कुंज में स्थापित अपनी तरह का पहला शिल्प परिसर) के विकास की परियोजना का मूल्यांकन भी किया।

मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों में पीपीपी

नीति आयोग, एमएमएलपी परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रियायत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ मिलकर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों (एमएमएलपी) के लिए 'मॉडल रियायत समझौतों (एमसीए)' के संशोधन और अद्यतनीकरण पर काम कर रहा है। मॉडल रियायत समझौतों पर व्यापक विचार-विमर्श चल रहा है, जिसका उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं की बोली योग्यता, व्यवहार्यता और बैंक-ग्राह्यता को बढ़ाना है।

रेलवे स्टेशनों में पीपीपी

नीति आयोग ने विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और संचालन के लिए प्रस्तावों, परियोजना संरचनाओं और बोली दस्तावेजों (प्रस्ताव के लिए अनुरोध और मॉडल रियायत समझौता) का मूल्यांकन करने हेतु रेल मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य किया। परियोजनाओं के अंतर्गत परिकल्पित ब्राउनफील्ड पुनर्विकास में रेलवे स्टेशनों से सटे वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास की भी अनुमति दी गई है, ताकि आवंटित भूमि पार्सल की राजस्व क्षमता को अधिकतम किया जा सके। परियोजनाओं को सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और अब बोली प्रक्रिया चल रही है।

पत्तन में पीपीपी

नीति आयोग ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर महाराष्ट्र में 76,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले वधवन पत्तन के ग्रीनफील्ड विकास के लिए तलकर्षण (ड्रेजिंग) और भूमि पुनरूद्धार हेतु परियोजना प्रस्ताव, संरचना और बोली दस्तावेजों का मूल्यांकन किया। यह परियोजना हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएम) का उपयोग करते हुए पीपीपी के माध्यम से विकसित की जा रही है, जिसका उद्देश्य भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक पत्तन का निर्माण करना है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण और महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड के संयुक्त उद्यम वधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (वीपीपीएल) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह परियोजना, तलकर्षण (ड्रेजिंग) और भूमि पुनरूद्धार जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए एचएएम मॉडल का उपयोग करने वाली पहली पत्तन परियोजना है। एचएएम का यह अभिनव दृष्टिकोण रियायत अवधि में लागत को विभाजित करता है, जिससे प्रारंभिक निवेश कम होता है और परियोजना की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित होती है। पत्तन टर्मिनलों का निर्माण तलकर्षण (ड्रेजिंग) और पुनरूद्धार में प्रगति के साथ किया जाएगा।

शिक्षा में पीपीपी

नीति आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के साथ मिलकर वित्त वर्ष 2024-2025 में आईआईटी मद्रास, आईआईएम उदयपुर और आईआईआईटी नागपुर में छात्र आवास के विकास और संचालन के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) प्रस्तावों को तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाई। इस परियोजना के लिए परियोजना संरचना और बोली दस्तावेज (प्रस्ताव के लिए अनुरोध और मॉडल रियायत समझौता) विकसित किए गए। इस पीपीपी मॉडल का उद्देश्य निजी क्षेत्र के निवेश और दक्षता का लाभ उठाते हुए छात्र आवास सुविधाओं का विकास करना है। यह विकास डीबीएफओटी (डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और हस्तांतरण) आधार पर किया जाएगा, जिसमें सरकार द्वारा 'अवसंरचना में सार्वजनिक-निजी स्वामित्व को वित्तीय सहायता योजना' के तहत वीजीएफ सहायता का विकल्प भी शामिल होगा। वीजीएफ के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति और सफल बोली प्रक्रिया के बाद, उक्त परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2025-26 में कार्यान्वयन के लिए रखा गया।

स्पोर्ट्स स्टेडियम में पीपीपी

नीति आयोग ने युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के साथ मिलकर एकीकृत स्पोर्ट्स स्टेडियमों के विकास हेतु परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित रियायत ढांचे की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक अवधारणा पत्र तैयार किया है। यह प्रस्तावित पीपीपी ढांचा निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय परिपाटियों के अनुरूप बहुउपयोगी स्पोर्ट्स स्टेडियमों के निर्माण के अंतिम उद्देश्य के साथ, डीबीएफओटी आधार पर ऐसी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए विकसित किया गया है।

सड़कों में पीपीपी

नीति आयोग, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर बीओटी (टोल) परियोजनाओं, हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएम) परियोजनाओं और बीओटी (टोल) परियोजनाओं में क्षमता वृद्धि के लिए 'मॉडल रियायत समझौतों (एमसीए)' के संशोधन और अद्यतनीकरण पर काम कर रहा है, ताकि इन तरीकों से राजमार्ग परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रियायत ढांचे को मजबूत किया जा सके। व्यापक विचार-विमर्श के बाद संशोधित मॉडल रियायत समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है, जिसका उद्देश्य उक्त परियोजनाओं की बोली योग्यता, व्यवहार्यता और बैंक-ग्राह्यता को बढ़ाना है।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन

केंद्रीय बजट 2021-22 में वर्धित और सतत अवसंरचना वित्तपोषण के लिए देश के तीन स्तंभों में से एक के रूप में कोर परिसंपत्ति मुद्रीकरण को अभिचिह्नित किया गया था। केंद्रीय बजट ने नीति आयोग को ब्राउनफील्ड कोर अवसंरचना परिसंपत्तियों के लिए "राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन" (एनएमपी) बनाने का कार्य सौंपा। मुद्रीकरण नीति के लिए रूपरेखा तैयार करने और केंद्रीय मंत्रालयों/सीपीएसई की संभावित कोर परिसंपत्तियों की सूची प्रदान करने वाली एनएमपी, जिसका सांकेतिक मूल्य 4 वर्षों (वित्त वर्ष 2022-25) में 6.0 लाख करोड़ रुपये है, अगस्त 2021 में जारी की गई थी। इसने सड़क, रेलवे, विमानन, बिजली, तेल और गैस तथा भंडारण सहित विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों में मुद्रीकरण के लिए तैयार संभावित परियोजनाओं की पहचान करने के लिए एक मध्यम अवधि के रोडमैप के रूप में कार्य किया।

केंद्रीय बजट 2025-26 में देश में अवसंरचना निर्माण को और गति देने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने हेतु एनएमपी 2025-30 की शुरुआत की घोषणा की गई। यह लक्ष्य प्रमुख मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत आने वाली अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियों से पूरा किया जाएगा। नोडल मंत्रालयों के परामर्श के बाद एनएमपी 2.0 तैयार किया गया है, जिसमें मुद्रीकरण के लिए विचारित क्षेत्रवार परिसंपत्तियों का विस्तृत विवरण दिया गया है।

केंद्र सरकार की सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं का मूल्यांकन

1 अप्रैल 2025 से लेकर 22 दिसंबर 2025 तक की अवधि के दौरान कुल 1,79,649 करोड़ रुपये (जिसमें कुल 2243 करोड़ रुपये की लागत वाली 4 वीजीएफ परियोजनाएं शामिल हैं) की लागत वाली 81 पीपीपी परियोजनाओं का पीपीपी प्रभाग द्वारा मूल्यांकन किया गया है।

अनुसंधान और नेटवर्किंग

राष्ट्रीय विकास एजेंडा में विशेष इनपुट प्रदान करने तथा ज्ञान और नवाचार केंद्र के रूप में विकसित होने के नीति आयोग के अधिदेश के अनुसरण में, पूरे संगठन में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने, समन्वय करने और संस्थागत बनाने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं।

इसी उद्देश्य से, नीति अनुसंधान एवं विश्लेषण के क्षेत्र में अनुसंधान संबंधी पहलों को सुव्यवस्थित करने, अंतर-विभागीय समन्वय बढ़ाने और संस्थागत संबंधों को मजबूत करने के लिए सितंबर 2024 में एक समर्पित अनुसंधान एवं नेटवर्किंग (आर एंड एन) प्रभाग की स्थापना की गई। आर एंड एन प्रभाग नीति आयोग की अनुसंधान स्कीम का संचालन करने, अनुसंधान अध्ययनों को शुरू करने और उनकी निगरानी करने, रिपोर्ट और कार्यपत्र प्रकाशित करने, शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने और अन्य संबंधित गतिविधियों को संचालित करने के लिए उत्तरदायी है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

नीति आयोग की अनुसंधान स्कीम (आरएसएनए)

नीति आयोग के अंतर्गत प्रस्तुत अनुसंधान प्रस्तावों के लिए एक सुव्यवस्थित मूल्यांकन ढांचा विकसित किया गया, जो आरएसएनए के तहत प्रस्तावित अध्ययनों के लिए महत्वपूर्ण मूल्यांकन और सिफारिशें प्रदान करता है ताकि कार्यप्रणाली की सटीकता, कार्यनीतिक प्रासंगिकता और नीतिगत अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके। एक संरचित मूल्यांकन नोट के माध्यम से व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सावधानीपूर्वक तैयार की गई सिफारिशें प्राप्त हुईं, जिन्होंने अनुसंधान प्रस्ताव की विश्लेषणात्मक सटीकता, नीतिगत प्रासंगिकता और नीति आयोग के संस्थागत अधिदेश के साथ इसकी अनुरूपता में वृद्धि की।

वर्ष 2025-26 (22 जनवरी, 2026 तक) के दौरान, कुल ₹345.25 लाख का अनुदान जारी किया गया है। 23 नए शोध अध्ययनों (तालिका 1.1) के लिए वित्तपोषण प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है, और वर्ष के दौरान 03 चल रहे शोध अध्ययन (तालिका 1.2) पूरे किए गए।

नीतिसंधान- नीति आयोग का त्रैमासिक समाचार पत्र

ज्ञान के प्रसार, सहकर्मी शिक्षण और आदान-प्रदान को सुगम बनाने के अपने अधिदेश को आगे बढ़ाते हुए, अनुसंधान एवं नेटवर्किंग प्रभाग ने नीति आयोग में किए गए अनुसंधान और विश्लेषणात्मक कार्यों को समेकित और प्रदर्शित करने के लिए जनवरी 2025 में एक त्रैमासिक अनुसंधान समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया।

इस प्रभाग द्वारा प्रकाशित न्यूज़लेटर, संगठन के प्रमुख शोध परिणामों के प्रसार के लिए एक संस्थागत ज्ञान प्रकाशन के रूप में कार्य करता है। इसमें शोध अध्ययनों, नीतिगत संक्षिप्त विवरणों और ज्ञान-साझाकरण कार्यशालाओं की मुख्य बातों को व्यवस्थित रूप से प्रलेखित किया गया है, और इसमें नीति आयोग के विभिन्न प्रभागों और विषय-विशेषज्ञों के योगदान शामिल हैं। नीतिसंधान ने सरकार, शिक्षा जगत और व्यापक नीतिगत इकोसिस्टम में हितधारकों के साथ सुविज्ञ सहभागिता को सुगम बनाते हुए संस्थागत पहुंच और दृश्यता बढ़ाने के लिए एक औपचारिक मंच के रूप में कार्य किया है।

[नीतिसंधान के नवीनतम संस्करण तक पहुंचने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें]

इंडिया पॉलिसी फोरम: विकसित भारत के लिए विकसित राज्य

नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीईआर) के सहयोग से 28 जून 2025 को एनसीईआर, नई दिल्ली में इंडिया पॉलिसी फोरम 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों ने भाग लिया।

इस विचार-विमर्श का केंद्र बिंदु "विकसित भारत के लिए विकसित राज्य: राजकोषीय सुदृढ़ता और समावेशी विकास के लिए डेटा-आधारित मार्ग" था। इस मंच ने राज्य स्तरीय राजकोषीय सुधारों और समावेशी विकास पर उच्च स्तरीय चर्चाओं को सुगम बनाया, जिससे राज्य नेतृत्व और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच सार्थक संवाद स्थापित हो सका। इन संवादों ने राज्यों के बीच ज्ञान साझाकरण को मजबूत किया और विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की दिशा में व्यावहारिक मार्ग निर्धारित करने में योगदान दिया।

नई दिल्ली में आयोजित इंडिया पॉलिसी फोरम 2025 की झलकियाँ

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थाएं

यह प्रभाग ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) और पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) को समग्र नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह विभाग ग्रामीण विकास विभाग के साथ मिलकर नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों और सुधारों को तैयार करता है। यह ग्रामीण विकास के लिए नीतिगत दृष्टिकोणों पर दीर्घकालिक प्रभाव डालने की दिशा में चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संगठनों, विकास भागीदारों और प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ भी सहयोग करता है। यह विभाग ग्रामीण विकास और पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की निगरानी भी करता है।

संगोष्ठी/कार्यशालाएँ: वर्ष के दौरान, विभाग ने निम्नलिखित राष्ट्रीय संगोष्ठी/कार्यशालाओं का आयोजन किया:

(a) **स्थानीय विकास नियोजन में जलवायु अनुकूलन को मुख्यधारा में लाना (अप्रैल 2025):** इस कार्यशाला का उद्देश्य पंचायत स्तर की विकास योजना में जलवायु अनुकूलन को व्यवस्थित रूप से एकीकृत करने के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करना था। जलवायु-जनित जोखिमों के प्रति ग्रामीण समुदायों की बढ़ती संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, कार्यशाला ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को स्थानीय जलवायु लचीलेपन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एजेंट के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया।

(b) **ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों का सुदृढ़ीकरण (जून 2025):** इस संगोष्ठी में नीति निर्माताओं, केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों, राज्य प्रतिनिधियों, वित्तीय संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों, क्षेत्र विशेषज्ञों, पेशेवरों, जमीनी स्तर के उद्यमों के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के सदस्यों सहित हितधारकों के एक व्यापक समूह को एक साथ लाया गया।

(c) **पंचायतों के लिए स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) को बढ़ाने की कार्यनीतियाँ (जुलाई 2025):** इसका उद्देश्य पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पहले से ही तैयार किए गए विश्लेषणात्मक आधार को आगे बढ़ाना और सहभागी शिक्षण के लिए एक सहयोगात्मक परिवेश का संवर्धन करना था। यह दूरदर्शी मंच राज्यों को अपने अनुभव साझा करने, उच्च प्रभाव वाले सुधारों की पहचान करने और ग्रामीण स्थानीय निकायों की राजस्व सृजन क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक डिजिटल और संस्थागत नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था।

(d) **ग्रामीण भारत से महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाली वैश्विक अकांक्षाएं, स्थानीय आधार (सितंबर 2025):** इस संगोष्ठी का उद्देश्य सरकार, वित्त, बाजार और उद्यमशीलता इकोसिस्टम के विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाना था ताकि नीति, साझेदारी और मंचों के माध्यम से ग्रामीण महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए लक्षित कार्यनीतियों को तैयार किया जा सके।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

यह प्रभाग केंद्रीय वैज्ञानिक विभागों/एजेंसियों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक भूमिका निभा रहा है। यह प्रभाग प्रमुख केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एजेंसियों/विभागों, जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), अंतरिक्ष विभाग (डीओएस), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों से संबंधित कार्यों के लिए नोडल निकाय है।

वर्ष 2025-26 के दौरान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग ने निम्नलिखित गतिविधियाँ की हैं:

वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत

नोडल एजेंसी होने के नाते, नीति आयोग वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) में भारत की रैंकिंग में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति नवाचार संकेतकों के नवीनतम आंकड़ों को अपलोड करने की प्रगति की सूक्ष्म निगरानी कर रही है और आगे के सुधार के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई भी कर रहा है। यह समिति भारत के समग्र नवाचार प्रदर्शन का आकलन करती है। जीआईआई में भारत की रैंकिंग को और बेहतर बनाने के लिए यह डब्ल्यूआईपीओ, अन्य नोडल मंत्रालयों/विभागों और शीर्ष नवोन्मेषी देशों के साथ भी संवाद स्थापित करती है। नीति आयोग ने संगत पहलुओं पर चर्चा करने के लिए - विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के महानिदेशक श्री डारेन टैंग के साथ एक बैठक और डब्ल्यूआईपीओ के साथ सहायक महानिदेशक श्री मार्को एलेमन एवं डब्ल्यूपीआईओ के मुख्य अर्थशास्त्री श्री कार्स्टन फिंक के साथ दूसरी बैठक - दो बैठकें आयोजित कीं।

वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की स्थिति पर चर्चा करने के लिए डब्ल्यूआईपीओ के महानिदेशक के साथ बैठक

इन प्रयासों से भारत ने 2025 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में 139 अर्थव्यवस्थाओं में से 38वां स्थान हासिल किया। नवाचार के कई मापदंडों में देश की निरंतर प्रगति 2015 में 81वें स्थान से 2025 में 38वें स्थान तक की उल्लेखनीय यात्रा को दर्शाती है। नवाचार के परिणामों (32वें स्थान) में भारत का प्रदर्शन नवाचार में योगदान (52वें स्थान) की तुलना में कहीं बेहतर है।

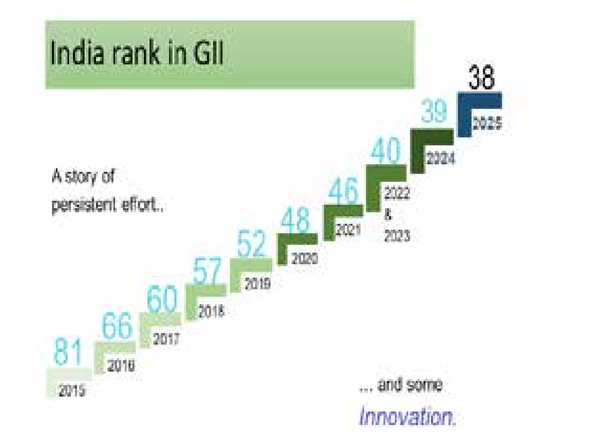

2025-26 के दौरान जारी की गई रिपोर्टें

“राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) परिषदों के सुदृढ़ीकरण हेतु एक रोडमैप”

नीति आयोग ने “राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों (एस एंड टी) के सुदृढ़ीकरण हेतु एक रोडमैप” शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार आधारित विकास को सशक्त बनाने हेतु राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों के लिए एक व्यापक ढांचा प्रस्तुत करती है। इन परिषदों को सुदृढ़ करके राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी क्षमता का लाभ उठाकर प्रमुख अधिमान्य क्षेत्रों में प्रगति को गति दे सकेंगे और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को स्थानीय आकांक्षाओं और संसाधनों के साथ संरेखित कर सकेंगे।

यह रिपोर्ट वैज्ञानिक विभागों और मंत्रालयों के साथ व्यापक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की गई है, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है। इसमें राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों की वर्तमान स्थिति का गहन विश्लेषण किया गया है, उनके योगदानों को उजागर किया गया है और साथ ही उन प्रणालीगत चुनौतियों को अभिचिह्नित किया गया है जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, इसमें उनकी संरचनाओं में सुधार, संसाधन जुटाने में वृद्धि, शिक्षा जगत और उद्योग के साथ मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देने और उनकी गतिविधियों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए स्पष्ट कार्यनीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई हैं।

10 जुलाई, 2025 को "राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) परिषदों के सुदृढ़ीकरण हेतु एक रोडमैप" नामक रिपोर्ट का विमोचन

"प्रगति के मार्ग: भारत की नवाचार गाथा का विश्लेषण और अंतर्दृष्टि"

नीति आयोग ने "प्रगति के मार्ग: भारत की नवाचार गाथा का विश्लेषण और अंतर्दृष्टि" शीर्षक से एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय यात्रा को दर्शाती है और वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए देश की उपलब्धियों, चुनौतियों और अवसरों का विस्तृत मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट भारत के नवाचार इकोसिस्टम का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पहलें, उद्योग और जमीनी स्तर के नवाचार, स्टार्टअप, विश्वविद्यालय-उद्योग-सरकारी सहयोग और वैश्विक नवाचार रैंकिंग में भारत की स्थिति शामिल है। रिपोर्ट में प्रणालीगत चुनौतियां भी अभिचिह्नित की की गई है और एक दूरदर्शी रोडमैप प्रस्तुत किया गया है जिसमें सफल मॉडलों का विस्तार करना, गहन प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देना, ज्ञान सृजन को मजबूत करना, वैश्विक एकीकरण को बढ़ाना और राज्यों में नवाचार क्षमता का निर्माण करना शामिल है।

23 सितम्बर, 2025 को "प्रगति के मार्ग: भारत की नवाचार गाथा का विश्लेषण और अंतर्दृष्टि नामक रिपोर्ट का विमोचन

भारत में अनुसंधान एवं विकास करने की सुगमता पर क्षेत्रीय परामर्श बैठक

वर्ष 2025-26 के दौरान, नीति आयोग ने लखनऊ, जम्मू, देहरादून, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) की सुगमता पर आठ क्षेत्रीय परामर्शदात्री बैठकें आयोजित कीं। इन बैठकों का उद्देश्य भारत के अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम में बाधा डालने वाली समस्याओं पर चर्चा करना और उन्हें दूर करने के तरीके खोजना था ताकि अनुसंधान एवं विकास के लिए अधिक सक्षम, स्फूर्त और नवाचार-संचालित परिवेश का निर्माण किया जा सके। इन परामर्श बैठकों के मुख्य विषय: नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, लचीली और पारदर्शी खरीद प्रणालियों को लागू करना, प्रदर्शन-आधारित वित्तपोषण तंत्रों को कार्यान्वित करना, संस्थागत स्वायत्तता को बढ़ावा देना, शोधकर्ताओं की गतिशीलता को सुगम बनाना और उद्योग-अकादमिक-सरकारी सहयोग का सुदृढ़ीकरण - था। इन परामर्श सत्रों में उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल; तेलंगाना के माननीय राज्यपाल श्री जिष्णु देव वर्मा; केरल के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह; सीएसआईआर, दिल्ली के पूर्व महानिदेशक डॉ. रघुनाथ माशेलकर; परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर शामिल हुए तथा इनमें वैज्ञानिक विभागों/मंत्रालयों के सचिवगण, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निदेशकगण, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, उद्योगों के वरिष्ठ नेतृत्वकर्ताओं तथा केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारीगण ने भी भाग लिया।

इन परामर्शों में विकेंद्रीकृत निर्णय लेने, बेहतर और विविध वित्तपोषण तंत्रों और अंतःविषयक एवं व्यावहारिक अनुसंधान के लिए अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। चर्चाओं में शोधकर्ताओं की सुगम आवाजाही के लिए तंत्र बनाने और नवाचारों के व्यावसायीकरण में तेजी लाने के लिए प्रयोगशाला से बाजार तक के अंतर को पाटने पर भी बल दिया गया। विचार-विमर्श में अंतरराष्ट्रीय हितधारकों से प्राप्त सुझावों के साथ ही अनुसंधान एवं विकास दक्षता बढ़ाने के लिए वैश्विक मॉडलों और सर्वोत्तम परिपाटियों का भी पता लगाया गया।

अनुसंधान एवं विकास करने की सुगमता पर परामर्श बैठक की कुछ झलकियाँ

विश्वविद्यालय-उद्योग-सरकार (यूआईजी) सहयोग को बढ़ावा देने पर परामर्श बैठकें

नवाचार-संचालित विकास को बढ़ावा देने की राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुरूप, नीति आयोग ने देश भर में विश्वविद्यालय-उद्योग-सरकार (यूआईजी) सहयोग को मजबूत करने की पहल की है। इस पहल का उद्देश्य प्रणालीगत चुनौतियों की पहचान करना और निर्बाध साझेदारी, प्रभावी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नवाचार-आधारित विकास को सक्षम बनाने के लिए व्यावहारिक नीतिगत उपायों को सह-विकसित करना है।

इस प्रयास के तहत, नीति आयोग ने शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग जगत के नेतृत्वकर्ताओं, अनुसंधान एवं विकास संगठनों और सरकारी नियामक निकायों के साथ राष्ट्रव्यापी परामर्श बैठकों की एक श्रृंखला शुरू की है। नीति आयोग के माननीय सदस्य (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) डॉ. वी.के. सारस्वत की अध्यक्षता में दिल्ली और मोहाली में दो बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों के निदेशकगण, उद्योग जगत के वरिष्ठ प्रतिनिधियों और प्रमुख सरकारी हितधारकों ने स्वदेशी उत्पादों के अनुसंधान-उद्योग संबंध को मजबूत करने और उनके व्यावसायीकरण के मार्ग को बेहतर बनाने की कार्यनीतियों पर विचार-विमर्श किया।

विश्वविद्यालय-उद्योग-सरकार (यूआईजी) सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मोहाली में आयोजित बैठक

कौशल विकास एवं उद्यमिता, श्रम एवं रोजगार

यह प्रभाग कौशल विकास, रोजगार, आजीविका सृजन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में पहलों और सुधारों के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने में अहम भूमिका निभाता है। यह विभाग कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) के साथ मिलकर इस क्षेत्र की प्रमुख स्कीमों और पहलों पर नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है। इसके अलावा, यह राज्य सरकारों, विचारकों, शैक्षणिक संस्थानों, नागरिक समाज, उद्योग और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ कौशल विकास, श्रम कल्याण और आजीविका पर सहयोगात्मक कार्य के लिए सहभागिता करता रहता है, जिससे हितधारकों को नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके।

शिक्षुता पर गोलमेज सम्मेलन

16 अप्रैल 2025 को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 राज्यों के साथ "शिक्षुता प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण" विषय पर एक हितधारक परामर्श आयोजित किया गया। प्रभाग की आगामी रिपोर्ट "भारत के शिक्षुता इकोसिस्टम का पुनरुद्धार: अंतर्दृष्टि, चुनौतियाँ, सिफ़ारिशें और सर्वोत्तम परिपाटी" में शामिल करने के लिए सुझाव और सर्वोत्तम परिपाटियों का संग्रह किया गया।

शिक्षुता पर गोलमेज सम्मेलन

महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ाने के संबंध में गोलमेज सम्मेलन

15 मई 2025 को नीति आयोग के सदस्य डॉ. अरविंद विरमानी की अध्यक्षता में एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आईएलओ, शिक्षा जगत, उद्योग, राज्य सरकारों और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विचार-विमर्श में लैंगिक-प्रभावनीय कौशल-निर्माण, गतिशीलता, डिजिटल और वित्तीय समावेशन तथा प्रचलित सामाजिक मानदंडों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। चर्चाओं में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, एसटीईएम, एमएसएमई और गिग वर्क में उभरते अवसरों पर भी प्रकाश डाला गया। सत्र में महिला नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने और सभी क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लैंगिक-प्रभावनीय नीतिगत इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया गया।

महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ाने के संबंध में नीति आयोग में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन

कुशल कामगारों की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता पर गोलमेज सम्मेलन

13 जून 2025 को, नीति आयोग ने डॉ. अरविंद विरमानी की अध्यक्षता में "कुशल श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता: प्रशिक्षण इकोसिस्टम और कार्यनीतिक राज्य भागीदारी को आगे बढ़ाना" विषय पर एक परामर्श बैठक का आयोजन किया। इस परामर्श बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, उद्योग जगत के नेतृत्वकर्ताओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विषय विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विचार-विमर्श में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने, निष्पक्ष और सुरक्षित गतिशीलता सुनिश्चित करने, संस्थागत तत्परता बढ़ाने और भाषा प्रशिक्षण एवं सांस्कृतिक अभिविन्यास को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सिफारिशों में भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करने के व्यापक उद्देश्य के साथ एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता इकोसिस्टम विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता

सामाजिक न्याय और अधिकारिता प्रभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग), जनजातीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए नोडल प्रभाग के रूप में कार्य कर रहा है। इस प्रभाग की प्रमुख जिम्मेदारी समाज के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), अल्पसंख्यक और अन्य संवेदनशील समूहों जैसे दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक आदि के हितों की रक्षा और सशक्तिकरण के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में योगदान देना है।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

सतत विकास लक्ष्यों में वर्ष 2030 तक वैश्विक विकास के लिए एक विशिष्ट रूप से महत्वाकांक्षी और व्यापक कार्यसूची प्रस्तुत की गई है। भारत में, नीति आयोग सतत विकास के वर्ष 2030 की कार्यसूची के लिए नोडल एजेंसी है, जो सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना के साथ नेतृत्व कर रही है। यह राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी प्रयासों के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है।

इस उद्देश्य से, नीति आयोग ने एसडीजी भारत सूचकांक और डैशबोर्ड, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक और राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (एमपीआई) जैसे निगरानी साधन विकसित किए हैं ताकि राज्यों/जिलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और रैंकिंग की जा सके, जिससे प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा मिल सके। एसडीजी भारत सूचकांक सभी भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न एसडीजी लक्ष्यों पर समग्र प्रदर्शन का आकलन प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक पूर्वोत्तर क्षेत्र में जिला स्तर पर लक्ष्य-वार प्रदर्शन की जानकारी प्रदान करता है। राष्ट्रीय एमपीआई 12 संकेतकों के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन आयामों में व्याप्त अभावों को दर्शाता है। ये सूचकांक नेतृत्वकर्ताओं और परिवर्तनकर्ताओं को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं।

सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण सबसे पिछड़े क्षेत्रों तक सर्वप्रथम पहुंचने की कुंजी है, और इसलिए यह प्रभाग का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। इन प्रयासों से सांख्यिकीय प्रणालियों को सुदृढ़ किया गया है और देश भर में सभी 17 लक्ष्यों और 100 से अधिक संकेतकों को कवर करने वाला एक निगरानी ढांचा विकसित किया गया है। इस परिष्कृत और व्यापक संस्करण के साथ, नीति आयोग का लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत को अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना है।

2025-26 के दौरान, सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्रभाग ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को संयुक्त राष्ट्र 2030 कार्यसूची के अनुरूप जारी रखा। प्रभाग की कार्यनीति तीन स्तंभों - परिष्कृत डेटा विश्लेषण, तीव्र स्थानीयकरण और मजबूत अंतर-सरकारी भागीदारी पर केंद्रित थी, जिनका उद्देश्य व्यापक स्तर पर प्राप्त लाभों को स्थानीय प्रभाव में कायांतरित करना था। वर्ष का समापन गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता और पोषण जैसे क्षेत्रों में प्रगति को गति देने के लिए लक्षित कार्यशालाओं और सूचकांकों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रगति को उजागर करते हुए और राज्यों और जिलों के साथ सहभागिता को गहन करते हुए संयुक्त राष्ट्र को भारत की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वीएनआर) 2025 की सफल प्रस्तुति के साथ हुआ।

डेटा-संचालित निगरानी और साक्ष्य-आधारित योजना

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) जिला एसडीजी सूचकांक 2023-24 की घोषणा: नीति आयोग द्वारा विकसित पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) जिला एसडीजी सूचकांक 2023-24 को 7 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों की अनूठी विकासात्मक और पारिस्थितिक चुनौतियों का समाधान करना है। यह सूचकांक क्षेत्र में जिला स्तर पर एसडीजी प्रदर्शन की निगरानी और सुधार के लिए एक व्यापक, साक्ष्य-आधारित ढांचा प्रदान करता है। इसका लक्ष्य महत्वपूर्ण कमियों की पहचान करना, प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, सहभागी शिक्षण को प्रोत्साहित करना और लक्षित हस्तक्षेपों के लिए डेटा-आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है।

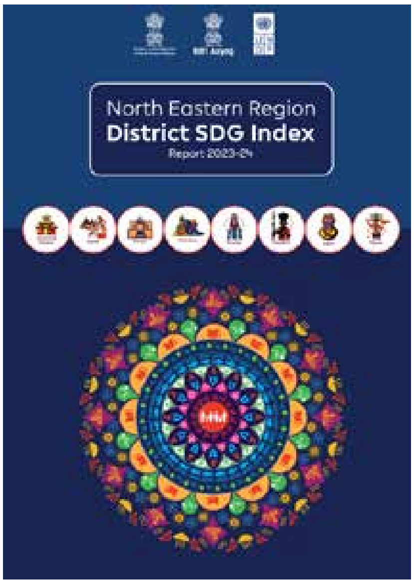

सूचकांक के दूसरे संस्करण में पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के 121 जिलों को शामिल किया गया (पहले संस्करण में यह संख्या 103 थी) तथा राष्ट्रीय और राज्य डेटा प्रणालियों से प्राप्त 84 संकेतकों के माध्यम से 15 सतत विकास लक्ष्यों (लक्ष्य 14 और 17 को छोड़कर) पर हुई प्रगति का मूल्यांकन किया गया। जिलों को 'उपलब्धि प्राप्त करने वाले', 'अग्रणी', 'निष्पादक' या 'आकांक्षी' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। हनहथियाल जिला (मिजोरम) 81.43 के समग्र स्कोर के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि नागालैंड के कई जिले शीर्ष दस में शामिल हुए, जो क्षेत्रीय विकास परिणामों में महत्वपूर्ण सुधार को इंगित करते हैं।

इस सूचकांक ने निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को मजबूत किया है, जिससे साक्ष्य-आधारित योजना और स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन को समर्थन मिलता है। विशेष रूप से, 85% जिलों ने अपने समग्र स्कोर में सुधार किया है, जो समन्वित विकास प्रयासों के प्रभाव को दर्शाता है। मिजोरम के सभी जिलों के साथ-साथ सिक्किम और त्रिपुरा के जिलों को अग्रणी जिलों के रूप में मान्यता मिलना, सतत विकास की दिशा में क्षेत्र की प्रगति को उजागर करता है और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में समावेशी और संतुलित विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

एनईआर एसडीजी सूचकांक 2023-24 का विमोचन

संयुक्त राष्ट्र के उच्चस्तरीय राजनीतिक मंच पर भारत की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वीएनआर) 2025

जुलाई 2025 में, नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन के. बेरी ने संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) द्वारा आयोजित सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (एचएलपीएफ) के मंत्रिस्तरीय सत्र के दौरान सतत विकास लक्ष्यों पर भारत की तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वीएनआर) प्रस्तुत की। वीएनआर में वर्ष 2030 की कार्यसूची की ओर भारत की तीव्र प्रगति पर प्रकाश डाला गया, जो सतत आर्थिक विकास, अवसंरचना विकास, कुशल कल्याणकारी वितरण और जमीनी स्तर पर सक्रिय भागीदारी को दर्शाती है। सरकार और समाज के समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से तैयार की गई यह रिपोर्ट, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, नागरिक समाज, विकास भागीदारों और निजी क्षेत्र के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से विकसित की गई थी, और इसमें बहुआयामी निर्धनता में महत्वपूर्ण कमी, पोषण, स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार, स्वच्छ ऊर्जा पहलों में प्रगति, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में नेतृत्व, डेटा-संचालित शासन और अंतिम छोर तक सेवा प्रदायगी के लिए प्रमुख स्थानीयकरण पहलों सहित प्रमुख राष्ट्रीय उपलब्धियों को रेखांकित किया गया है, जिससे संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2030 की कार्यसूची को प्राप्त करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है।

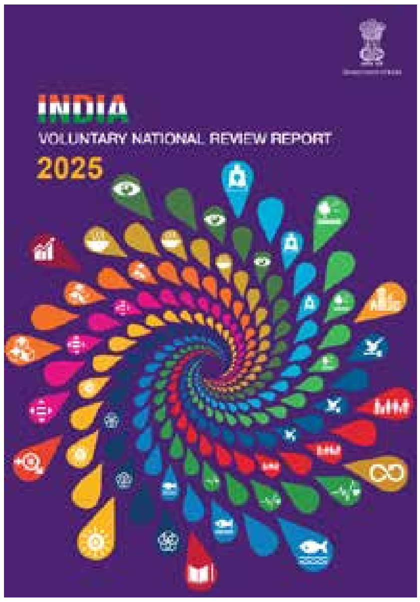

आम चर्चा के दौरान भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य देते हुए नीति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष

वीएनआर 2025 प्रस्तुत करते हुए भारतीय प्रतिनिधिमंडल

वैश्विक स्तर पर, वीएनआर 2025 ने समावेशी विकास, डिजिटल नवाचार और दक्षिण-दक्षिण सहयोग में भारत के नेतृत्व को सुदृढ़ किया है, जिससे देश क्षमता निर्माण और संस्थागत समर्थन में एक विश्वसनीय विकास भागीदार के रूप में स्थापित हुआ है। एचएलपीएफ के दौरान, भारत ने "एसडीजी: कार्यसूची 2030 के लिए गति बनाए रखना" विषय पर एक सह-कार्यक्रम की भी मेजबानी की। कुल मिलाकर, भारत के 2025 वीएनआर ने सतत विकास में एक वैश्विक विचारक के रूप में इसकी भूमिका की पुष्टि की है।

क्षेत्रीय और वैश्विक सहभागिता

भूख और निर्धनता के विरूद्ध वैश्विक गठबंधन

विगत वर्ष में, ब्राजील द्वारा जी20 अध्यक्षता में नवंबर 2024 में रियो डी जनेरियो में आयोजित जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शुरू किए गए भूख और निर्धनता के विरूद्ध वैश्विक गठबंधन ने स्थापना से सक्रिय कार्यान्वयन की ओर कदम बढ़ाया है, जिसमें 103 से अधिक देश और 95 संगठन शामिल हैं। भारत औपचारिक रूप से 6 नवंबर 2024 को गठबंधन के राष्ट्रीय और ज्ञान स्तंभों में शामिल हुआ, जिसमें नीति आयोग को नोडल एजेंसी नामित किया गया, और तब से इसके संचालन और प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। चैंपियंस बोर्ड और कोर ग्रुप में प्रतिनिधित्व करते हुए, जहां भारत उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, देश एक प्रमुख ज्ञान भागीदार के रूप में उभरा है, जो 12 प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों को साझा करके गठबंधन की नीतिगत योजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ज्ञान स्तंभ के तहत अपनी भागीदारी के माध्यम से, भारत ने साझेदार देशों को ज्ञान सहयोग और तकनीकी सहायता प्रदान करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के साथ ही 2025 के दौरान बोर्ड ऑफ चैंपियंस और कोर ग्रुप की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया है।

भूख और निर्धनता के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन की बैठक

सतत विकास पर 12वां एशिया प्रशांत मंच

नीति आयोग ने 25 से 28 फरवरी 2025 तक बैंकॉक में आयोजित सतत विकास पर 12वें एशिया-प्रशांत मंच में भाग लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य 2030 एजेंडा के लिए साक्ष्य-आधारित समाधानों को आगे बढ़ाना था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन के. बेरी को उद्घाटन सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर एक उच्च-स्तरीय सत्र में पैनलिस्ट के रूप में भी भाग लिया, जिसमें सतत वित्तपोषण, डेटा, डिजिटल प्रौद्योगिकियों और भावी पीढ़ियों से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक (एसडीजी) ने स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा सत्र के दौरान भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया, जिसमें एसडीजी के स्थानीयकरण, हितधारक सहभागिता और डेटा फ्रेमवर्क में भारत के अनुभव पर प्रकाश डाला गया।

सतत विकास पर 12वें एशिया प्रशांत मंच में नीति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष

विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन (3-5 नवंबर, 2025, दोहा, कतर)

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन 3 से 5 नवंबर 2025 तक दोहा में हुआ। शिखर सम्मेलन में गरीबी उन्मूलन, रोजगार और सामाजिक समावेशन पर वैश्विक प्रगति की समीक्षा की गई और 'किसी को भी पीछे न छोड़ने' के सिद्धांत द्वारा निर्देशित समावेशी एवं जन-केंद्रित दृष्टिकोणों के माध्यम से वर्ष 2030 की कार्यसूची के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

शिखर सम्मेलन के दौरान, नीति आयोग के भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय और कतर के दोहा स्थित भारतीय दूतावास के सहयोग से एक भारतीय पक्ष का कार्यक्रम आयोजित किया। शिखर सम्मेलन के दौरान, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 3 नवंबर 2025 को आयोजित भूख और निर्धनता के विरूद्ध वैश्विक गठबंधन के नेतृत्वकर्ताओं की पहली बैठक में भाग लिया।

नेतृत्वकर्ताओं के प्रथम शिखर सम्मेलन के विशेष सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रतिभागिता

नीति आयोग ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और कतर स्थित भारतीय दूतावास के सहयोग से 5 नवंबर 2025 को "निर्धनता से मुक्ति के मार्ग: अंतिम छोर तक सशक्तिकरण में भारत का अनुभव" शीर्षक से एक भारतीय स्तरीय कार्यक्रम का सह-आयोजन किया। इस कार्यक्रम में गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सुरक्षा, आजीविका और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के प्रति भारत के बहुआयामी दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया, जिसमें यह बताया गया कि 2013-14 और 2022-23 के बीच 248 मिलियन से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। भारत की भागीदारी ने सतत विकास लक्ष्यों 1, 2 और 8 के अनुरूप वैश्विक संवाद और साझेदारी में इसके योगदान को सुदृढ़ किया।

विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन (डब्ल्यूएसएसडी) के दौरान भारत पक्ष के कार्यक्रम में पैनलिस्ट

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की राष्ट्राध्यक्षों की परिषद के साथ आयोजित सतत विकास पर शंघाई सहयोग संगठन मंच

नीति आयोग ने 17 नवंबर 2025 को मॉस्को में आयोजित सतत विकास पर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) मंच में भाग लिया। यह मंच एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक के दौरान आयोजित किया गया था। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के लिए रूसी संघ के राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि के कार्यालय द्वारा एससीओ सचिवालय के सहयोग से, रूसी संघ के आर्थिक विकास मंत्रालय और रोसकांग्रेस फाउंडेशन के समर्थन से आयोजित किया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. पॉल ने किया।

इस मंच ने एससीओ सदस्य देशों और साझेदारों के बीच 2030 एजेंडा के तहत हुई प्रगति और 2030 के बाद की उभरती प्राथमिकताओं पर चर्चा को सुगम बनाया, जिसमें एसडीजी कार्यान्वयन के अनुभवों, ईएसजी ढांचे की भूमिका, सतत वित्तपोषण और ईएसजी मानकों के सामंजस्य और साझा क्षेत्रीय संकेतकों के विकास सहित बेहतर क्षेत्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया।

एससीओ के तहत सतत विकास कार्यक्रम में भाग लेते हुए भारतीय प्रतिनिधिमंडल

सुरक्षा एवं कार्यनीतिक मामले

सुरक्षा एवं कार्यनीतिक मामले प्रभाग ने रक्षा, गृह और विदेश मंत्रालयों के बीच प्रमुख संपर्क सूत्र के रूप में अपनी भूमिका को अदा किया है, जिससे सामरिक समन्वय और दूरदर्शिता को बढ़ावा मिल रहा है। 2025-26 में, प्रभाग का कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और भारत की विकसित होती सामरिक आवश्यकताओं पर केंद्रित रहा।

वर्ष के दौरान, इस प्रभाग ने "विकसित भारत@2047 की ओर: अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक साझेदारी और कानून को सुदृढ़ बनाना" विषय पर आयोजित सम्मेलन में विचार-विमर्श का नेतृत्व किया। इसने "विकसित भारत@2047 के लिए सुरक्षा और कार्यनीतिक मार्ग" पर एक कार्यपत्र भी तैयार किया, जिसमें रक्षा नवाचार, समुद्री और अंतरिक्ष सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और सीमा विकास में प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया। इस पत्र में संस्थागत तालमेल, प्रौद्योगिकी अनुकूलन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर जोर दिया गया।

"विकसित भारत@2047 की ओर" पर सम्मेलन की झलकियाँ

इस प्रभाग ने श्री राजीव गौबा, सदस्य, नीति आयोग के मार्गदर्शन में 11-12 नवंबर 2025 को "निर्यात के लिए रक्षा उत्पादन का विस्तार" पर दो दिवसीय हितधारक परामर्श का भी आयोजन किया। इसमें सरकार, उद्योग, स्टार्ट-अप, एमएसएमई और विशेषज्ञों को नीतिगत सुधारों, उद्योग की चुनौतियों, नवाचार इकोसिस्टम और सर्वोत्तम वैश्विक परिपाटियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाया गया। इन चर्चाओं में भारत की वैश्विक रक्षा उत्पादन और निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समन्वित सुधारों और प्रौद्योगिकी-आधारित विनिर्माण पर जोर दिया गया।

"निर्यात के लिए रक्षा उत्पादन का विस्तार" पर हितधारक परामर्श की कुछ झलकियाँ

सेवाएं

नीति आयोग का सेवा प्रभाग, विकसित भारत @2047 की परिकल्पना के अनुरूप, भारत के सेवा क्षेत्र के सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति अनुसंधान, विश्लेषण और हितधारकों के साथ सहभागिता का कार्य करता है।

वर्ष 2025-26 के दौरान प्रमुख गतिविधियाँ

सेवा प्रभाग की स्थापना 2024 में हुई थी और इसने सेवाओं में कार्यनीतिक नीति निर्माण में सहयोग हेतु विश्लेषणात्मक और परामर्शात्मक कार्य किया है। प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- “संभावित सेवा उप-क्षेत्रों की पहचान: सकल बाजार मूल्य, निर्यात और रोजगार डेटा से प्राप्त अंतर्दृष्टि” शीर्षक से एक कार्यपत्र जारी किया गया।
- उभरते अवसरों, नियामक सुधारों और निर्यात प्रोत्साहन पर कार्यनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सेवाओं पर विशेषज्ञ सलाहकार समूह (ईएजी) का गठन।
- वित्तीय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्र-विशिष्ट रिपोर्टों का विकास करना।
- मूल्यवर्धन, रोजगार, उत्पादकता और व्यापार में रुझानों का विश्लेषण करते हुए सेवाओं के व्यापक आर्थिक आयामों पर एक विषयगत श्रृंखला का शुभारंभ।
- नीतिगत रूपरेखा के लिए उपयोगी जानकारी जुटाने हेतु, पेशेवर सेवाओं में घरेलू नियमों और शिक्षा सेवाओं के निर्यात (एडटेक) सहित प्रमुख अंतर-संबंधी मुद्दों पर हितधारकों के साथ परामर्श करना।

आयोग के सेवा प्रभाग ने सेवा विषयक श्रृंखला के अंतर्गत "जीवीए रुझानों और राज्य स्तरीय गतिशीलता से अंतर्दृष्टि" और "रोजगार रुझानों और राज्य स्तरीय गतिशीलता से अंतर्दृष्टि" शीर्षक से दो रिपोर्टें जारी कीं। ये रिपोर्टें उत्पादन और रोजगार के व्यापक परिप्रेक्ष्य से सेवा क्षेत्र का पहला समर्पित मूल्यांकन हैं, जो समग्र रुझानों से परे विखंडित और राज्य-स्तरीय प्रोफाइल प्रस्तुत करती हैं।

भारत की सेवा क्षेत्र रिपोर्ट का शुभारंभ

राज्य वित्त

राज्य वित्त प्रभाग राज्यों के साथ समन्वय को मजबूत करने और राज्यों के वित्त से संबंधित सभी मामलों के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करने का प्रयास करता है। विभाग को वृहद आर्थिक, वित्तीय, राजकोषीय और सामाजिक संकेतकों पर राज्यवार डेटाबेस बनाए रखने; राज्यों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने, जिसमें केंद्र से राज्यों को अंतरण का आकलन भी शामिल है; और संरचित समर्थन और पहलों के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस डेटाबेस का उपयोग राज्यों को महत्वपूर्ण नीतिगत सुझाव प्रदान करने और राजकोषीय मामलों में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है।

वर्ष 2025-26 के दौरान इस प्रभाग द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियाँ और अध्ययन निम्नलिखित हैं:

डेटाबेस का भंडार

यह प्रभाग प्रमुख वृहद, सामाजिक और वित्तीय संकेतकों पर राज्यवार डेटाबेस रखता है। यह विभाग केंद्रीय अंतरणों की जानकारी भी रखता है, जिसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। इस डेटाबेस का उपयोग नीति आयोग द्वारा विभिन्न नीतिगत मामलों पर राज्यों को महत्वपूर्ण नीतिगत सुझाव प्रदान करने के लिए किया जाता है।

राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य के विश्लेषण सहित राज्य वित्त संबंधी सार

राज्य बजट 2025-26 में उपलब्ध जानकारी का उपयोग करते हुए, प्रभाग ने विभिन्न प्रमुख संकेतकों जैसे कि जीएसडीपी वृद्धि, प्रति व्यक्ति जीएसडीपी, प्राप्तियां (जिसमें स्वयं के करों से उत्पन्न संसाधन शामिल हैं), व्यय (जिसमें पूंजीगत व्यय शामिल है), सामाजिक क्षेत्र का व्यय, राजकोषीय और राजस्व घाटा और उसकी ऋण स्थिति में उनके प्रदर्शन का आकलन करके राज्यों के राजकोषीय और वित्तीय स्वास्थ्य का विश्लेषण किया।

राज्यों के प्रमुख व्यापक आर्थिक संकेतकों का अंतर-राज्यीय विश्लेषण भी किया गया है, जिसका उपयोग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित बातचीत/बैठकों में भविष्य के विकास के लिए सुझाव प्रदान करने हेतु किया जा रहा है। यह प्रभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च स्तरीय दौरों और नीति आयोग के उपाध्यक्ष/सदस्यों/सीईओ की बैठकों/संवाद के लिए भी सुझाव प्रदान करता है।

ज्ञान साझाकरण

यह प्रभाग राज्यों को उनके राजकोषीय और वित्तीय मामलों पर ज्ञान संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए अग्रणी संस्थानों और विचारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है।

इस प्रभाग ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) और 16वें वित्त आयोग के सहयोग से "नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच" पोर्टल लॉन्च किया है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों पर डेटा का एक व्यापक भंडार है, जिसमें लगभग 33 वर्षों (अर्थात 1990-91 से 2023-24) की अवधि के लिए राज्य वित्त पर व्यापक शोध रिपोर्ट, पत्र और विशेषज्ञ टिप्पणियां शामिल हैं।

इस पोर्टल का शुभारंभ माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 अप्रैल, 2025 को नई दिल्ली में किया था। इसके चार मुख्य घटक हैं: (i) राज्य रिपोर्ट; (ii) डेटा भंडार; (iii) राज्य राजकोषीय और आर्थिक डैशबोर्ड; और (iv) अनुसंधान और टिप्पणी।

यह पोर्टल एक व्यापक अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो भारतीय राज्यों के सामने आने वाली आर्थिक और राजकोषीय चुनौतियों पर गहन शोध अध्ययन, जानकारीपूर्ण वार्ता और चर्चाओं के लिए प्रचुर मात्रा में डेटा और विश्लेषणात्मक साधन प्रदान करता है।

माननीय वित्त मंत्री द्वारा नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ

पर्यटन और संस्कृति

यह प्रभाग पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कार्यनीतिक और दिशात्मक मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह प्रभाग जिम्मेदार और सतत पर्यटन नीतियों के विकास के माध्यम से भारत को पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने का प्रयास करता है, जिसमें विशिष्ट पर्यटन, पर्यावरण पर्यटन और स्वास्थ्य पर्यटन, अवसंरचना विकास, क्षमता विकास और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। संस्कृति प्रभाग इस क्षेत्र में बेहतर नीतिगत और योजनागत सामंजस्य के साथ भारत की कला, संस्कृति और विरासत के विकास, संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करता है।

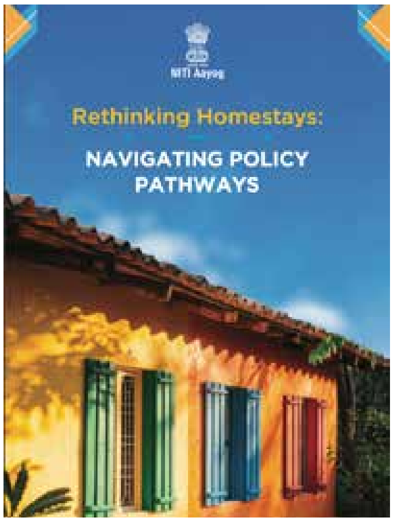

पर्यटन एवं संस्कृति प्रभाग ने “होमस्टे पर पुनर्विचार: नीतिगत पथों का मार्गनिर्देशन" शीर्षक से होमस्टे पर एक अध्ययन तैयार किया है। इस अध्ययन में केरल, गोवा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों को शामिल किया गया है।

शहरीकरण

शहरीकरण प्रभाग भारत के शहरीकरण को प्रबंधनीय, आर्थिक रूप से उत्पादक, पर्यावरण के अनुकूल और न्यायसंगत बनाने के लिए आंकड़ों पर आधारित नीतिगत सुझाव प्रदान करता है। यह प्रभाग शहरी नियोजन, विकास और प्रबंधन से जुड़े प्रमुख हितधारकों को सलाह और नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह प्रभाग आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों और सुधारों को तैयार करता है। यह शहरीकरण प्रबंधन के लिए नीतिगत दृष्टिकोणों पर दीर्घकालिक प्रभाव डालने की दिशा में चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संगठनों, विकास भागीदारों और प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ भी सहयोग करता है।

वर्ष 2025-26 में किए गए प्रमुख कार्य/गतिविधियाँ

शहरी क्षेत्रों को ग्रोथ हब (जी-हब) के रूप में विकसित करना: भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शहरी तंत्र है, जिसके शहरी क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 63% (2011) का योगदान करते हैं, और अनुमान है कि 2040 तक यह हिस्सा बढ़कर 75% हो जाएगा। हालांकि, भारत में भौतिक और स्थानिक पहलुओं पर केंद्रित पारंपरिक शहरी नियोजन दृष्टिकोण में एकीकृत आर्थिक परिप्रेक्ष्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसमें शहरी क्षेत्रों के समूहीकरण प्रभावों, जो उत्पादकता, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देते हैं, जिससे व्यापक क्षेत्रीय समृद्धि को गति मिलती है, पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है।

इस परिप्रेक्ष्य में, नीति आयोग ने 2023 में शहरी क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए एक दीर्घकालिक रोडमैप तैयार करने हेतु 'विकासशील शहरी क्षेत्रों को विकास केंद्रों के रूप में विकसित करना' पहल की परिकल्पना की। इस पहल के अंतर्गत, नीति आयोग राज्य सरकारों के साथ मिलकर पाँच चरणों वाली प्रक्रिया: (i) नैदानिक विश्लेषण, (ii) एसडब्ल्यूओटी और क्षमता मूल्यांकन, (iii) आर्थिक परिकल्पना, (iv) विकास के कारकों की पहचान, और (v) कार्यान्वयन रूपरेखा - के माध्यम से आर्थिक योजनाएँ तैयार करता है।

प्रक्रिया टेम्पलेट विकसित करने के लिए, 4 प्रायोगिक स्थलों का चयन किया गया है, जिनमें सूरत आर्थिक क्षेत्र (एसईआर), मुंबई महानगरीय क्षेत्र (एमएमआर), काशी विंध्य क्षेत्र (केवीआर) और विशाखापत्तनम आर्थिक क्षेत्र (वीईआर) शामिल हैं, जिन्हें आर्थिक क्षेत्र के केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। मुंबई (सितंबर 2024), सूरत (सितंबर 2024) और विशाखापत्तनम (नवंबर 2025) के लिए आर्थिक योजनाएं शुरू की जा चुकी हैं, जबकि केवीआर की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके बाद, प्रभाग ने ओडिशा के बीसीपीपीईआर (भुवनेश्वर-कटक-पारादीप-पुरी क्षेत्र) के लिए आर्थिक योजना तैयार करने का कार्य शुरू किया, जिसे फरवरी 2026 में जारी कर दिया गया है।

फरवरी 2026 में बीसीपीपीईआर (भुवनेश्वर-कटक-पारादीप-पूरी क्षेत्र) के लिए आर्थिक योजना जारी

प्रगति पर नई पहलें:

लघु शहर नियोजन पहल: संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने, शहरी भीड़भाड़ को कम करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में छोटे शहरों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, शहरीकरण प्रभाग ने जुलाई 2025 में सरकारी अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। शहरीकरण प्रबंधन प्रभाग, वर्तमान में एनआईयूए और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर एक योजना ढांचा विकसित करने पर काम कर रहा है, जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके छोटे शहरों के लिए व्यावहारिक विकास कार्यनीतियां तैयार करने में सहायता करेगा।

हिल सिटी क्षेत्र नियोजन पहल (एचसीआरपीआई): भारत के भूभाग के 16-18% हिस्से में फैला भारतीय हिमालयी क्षेत्र (आईएचआर), जो 13 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 50 मिलियन लोगों का घर है, पर्यटन, पारिस्थितिकी और स्थानीय आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, इसे नाजुक पारिस्थितिकी, सीमित भूमि, अवसंरचनात्मक कमी और आपदा जोखिम जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण नगरपालिका सीमाओं से परे एक क्षेत्रीय, इकोसिस्टम-आधारित नियोजन दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, नीति आयोग ने मेघालय सरकार के सहयोग से 3 नवंबर 2025 को शिलांग में एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य पहाड़ी शहरी क्षेत्रों के लिए व्यावहारिक सिफारिशें विकसित करना और राज्यों को हिमालय में शहरी लचीलेपन को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करते हुए एक समन्वित, जन-केंद्रित और पारिस्थितिकी-आधारित नियोजन ढांचा अपनाने में सहायता करना था।

किफायती आवास: तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण भूमि की उपलब्धता, आवास आपूर्ति और वित्तपोषण पर बढ़ते दबाव के बीच, किफायती आवास भारत के शहरी विकास एजेंडा का एक प्रमुख स्तंभ है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, नीति आयोग ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग, राज्यों और क्षेत्र के विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों वाली एक समिति का गठन किया, ताकि "किफायती आवास को बढ़ावा देने और सक्षम बनाने के लिए एक व्यापक ढांचा" विकसित किया जा सके। हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, अंतिम रिपोर्ट 23 दिसंबर 2025 को जारी की गई, जिसमें भूमि उपलब्धता, वित्तपोषण तंत्र, राज्य स्तरीय आश्रय कोष और व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए समाधान प्रस्तावित किए गए।

शहरी सुधार कार्यसूची: भारत में अभूतपूर्व गति से शहरीकरण हो रहा है, अनुमान है कि 2050 तक इसकी लगभग आधी आबादी शहरों में रहेगी और शहरी क्षेत्र राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग 75% का योगदान देंगे। इस प्रकार, शहर भारत के 2047 के विजन के केंद्र में हैं। विविध अभिशासन संबंधी चुनौतियों को पहचानते हुए, शहरीकरण प्रभाग शहरी अभिशासन ढांचों की आधारभूत समीक्षा कर रहा है और एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से शहरी संस्थानों और अभिशासन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए एक रोडमैप विकसित कर रहा है।

शहरी क्षेत्रों को ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने के संबंध में कार्यशाला

शहरीकरण प्रभाग ने गुजरात सरकार के सहयोग से गांधीनगर में "शहरी क्षेत्रों का ग्रोथ हब के रूप में विकास" ढांचे के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें राज्य के सरकारी प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया।

शहरी क्षेत्रों को ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने के संबंध में गांधीनगर में आयोजित कार्यशाला की कुछ झलकियाँ

स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ

नीति आयोग के स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ (वीएसी) द्वारा 'दर्पण पोर्टल' संचालित किया जाता है, जहाँ लाभ-निरपेक्ष संगठन (एनपीओ) अपना पंजीकरण कराकर एक विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त कर सकते हैं, जिसे दर्पण आईडी कहा जाता है। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक सभी लाभ-निरपेक्ष संगठनों के लिए दर्पण आईडी अनिवार्य है। धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) संशोधन नियम, 2023 के अनुसार, सभी वित्तीय संस्थानों के लिए किसी भी बैंक में खाता खोलने और संचालित करने के लिए दर्पण आईडी अनिवार्य कर दी गई है। इसी प्रकार, एफसीआरए के पंजीकरण/नवीनीकरण और आयकर की धारा 80-जी के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए भी दर्पण आईडी आवश्यक है।

एनजीओ दर्पण पोर्टल

एनजीओ दर्पण पोर्टल के माध्यम से सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ जमा करने पर संस्थाओं को प्रणाली के माध्यम से सृजित एनजीओ दर्पण यूनिक आईडी प्राप्त हो जाती है। आज तक, 5 लाख से अधिक एनजीओ एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। इसके अलावा, लगभग 49 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों ने विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं/केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान जारी किए हैं।

दर्पण पोर्टल संबंधी कार्यशालाएँ

नीति आयोग ने दर्पण पोर्टल के संबंध में भारत भर में चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया है। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य दर्पण पोर्टल और डैशबोर्ड पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं और कार्यक्षमताओं पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह प्रशिक्षण दर्पण पोर्टल से जुड़े राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्य सूचना अधिकारी (एनआईसी), राज्य सूचना प्रबंधन निदेशालयों, लाभ निरपेक्ष संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के पंजीकरण अधिकारियों और लाभ-निरपेक्ष संगठनों से संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को दिया गया।

जल एवं भूमि संसाधन

जल एवं भूमि संसाधन प्रभाग कार्यनीतिक नीतियों को तैयार करने, कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं का मूल्यांकन करने, ज्ञान का सह-निर्माण और साझाकरण करने तथा आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में जल संबंधी हस्तक्षेपों को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रभाग का प्राथमिक लक्ष्य जल एवं भूमि संसाधन क्षेत्र को सुदृढ़ करना है ताकि पेयजल और

स्वच्छता की सतत उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, जल संसाधन विकास को सुगम बनाया जा सके तथा जलसंभर प्रबंधन, नदी एवं भूजल संरक्षण तथा भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सके जो लचीलापन और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ाती हैं। यह प्रभाग सक्रिय रूप से राज्यों में सर्वोत्तम परिपाटियों को बढ़ावा देता है, आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा आवश्यकतानुसार केंद्र एवं राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों को लक्षित परामर्श सहायता प्रदान करता है।

"हिमालय के उच्चतर क्षेत्रों में बारहमासी नल जल आपूर्ति पर विचार-विमर्श" सत्र का आयोजन और सार-संग्रह का विमोचन

भारत का हिमालयी क्षेत्र, जो देश के महत्वपूर्ण जल स्रोतों, ग्लेशियरों, झरनों और नदियों का एक बड़ा हिस्सा है, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। जल जीवन मिशन (जेजेएम) की उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, हिमालय के ऊंचे इलाकों में हिमाच्छादित और टूटी-फूटी पाइपलाइनों, रिसावों आदि के कारण जल की उपलब्धता कम बनी हुई है, जिससे विशेषकर शिक्षा और आजीविका के लिए समय कम होने के साथ पेयजल सुरक्षा प्रभावित होती है और समुदायों पर जल प्राप्त करने का अत्यधिक बोझ पड़ता है।

इन चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए, जल शक्ति मंत्रालय - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के हिमालयी राज्यों, आईआईटी मंडी के शिक्षाविदों और विभिन्न राज्यों में इस क्षेत्र में कार्यरत नागरिक समाज संगठनों के विशेषज्ञों के साथ "हिमालय के उच्चतर क्षेत्रों में बारहमासी नल जल आपूर्ति" विषय पर एक विचार-विमर्श सत्र आयोजित किया गया। यह सत्र सार-संग्रह के विमोचन के साथ ही आयोजित किया गया। सार-संग्रह में जल आपूर्ति, जलस्रोत प्रबंधन और नाजुक पर्वतीय प्रणाली में सतत जल प्रबंधन के लिए पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने की चुनौतियों से निपटने हेतु उभरते हुए नवीन, संदर्भ-विशिष्ट समाधानों पर प्रकाश डाला गया।

हिमालय के उच्चतर क्षेत्रों में बारहमासी नल जल आपूर्ति पर सार-संग्रह का विमोचन

“आकांक्षी ब्लॉकों में जल बजट निर्धारण” पर रिपोर्ट का विमोचन

जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, और इसका संरक्षण एवं प्रबंधन सतत विकास, आर्थिक वृद्धि और सामाजिक समानता के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्षेत्र-विशिष्ट जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय जल उपलब्धता और आवश्यकताओं के आधार पर जल प्रवाह, बहिर्वाह और मांग-आपूर्ति अंतर का अनुमान लगाना आवश्यक है। उपलब्धता और आवश्यकता के बीच अंतर की पहचान करने हेतु डेटा-आधारित अनुमान पद्धति एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

इसी उद्देश्य से, रिपोर्ट में कवर किए गए 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और 8 कृषि-जलवायु क्षेत्रों के 18 आकांक्षी ब्लॉकों में व्यापक जल बजट विश्लेषण किया गया। इस अध्ययन में क्षेत्र आधारित विश्लेषण को वेब-आधारित वाटर बजटिंग प्लेटफॉर्म वरुणी के माध्यम से प्राप्त डेटा के साथ एकीकृत किया गया है। इसके परिणामस्वरूप तैयार किए गए जल बजट से ब्लॉक स्तर पर मांग-आपूर्ति की स्थिति, प्रमुख चुनौतियों, सिफारिशों और जल सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपायों की जानकारी मिलती है। यह रिपोर्ट नीति आयोग और जीआईजेड, भारत के सहयोग से तैयार की गई है।

“आकांक्षी ब्लॉकों में जल बजट निर्धारण” पर रिपोर्ट का विमोचन

महिला एवं बाल विकास

महिला और बाल विकास प्रभाग (डब्ल्यूसीडी) प्रभाग महिला सशक्तिकरण के लिए नीतिगत इनपुट प्रदान करता है तथा महिलाओं और बच्चों की पोषण गुणवत्ता को सुदृढ़ करता है। प्रभाग के प्रमुख कार्यकलाप एवं पहल नीचे दिए गए हैं-

हिमाचल प्रदेश में कुपोषण से निपटने के लिए विंग्स का प्रायोगिक संचालन और कार्यान्वयन अनुसंधान

हिमाचल प्रदेश सरकार ने विकास अध्ययन के महिला एवं शिशु एकीकृत हस्तक्षेप (विंग्स) मॉडल के उपायों को प्रायोगिक स्तर पर लागू करने में रुचि व्यक्त की है। हिमाचल प्रदेश सरकार, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), जैव प्रौद्योगिकी विभाग- जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (डीबीटी बीआईआरएसी), एवं अन्य हितधारकों के साथ हुई चर्चाओं और बैठकों के बाद, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में विंग्स के कार्यान्वयन अनुसंधान का एक प्रायोगिक चरण शुरू किया गया है। कार्यान्वयन योजना 3 वर्ष की अवधि की है, जिसमें तैयारी चरण, हस्तक्षेप-पूर्व सर्वेक्षण, मॉडल अनुकूलन और कार्यान्वयन चरण तथा हस्तक्षेप-उपरांत सर्वेक्षण शामिल हैं।

पोषण कार्यनीति

लेट्स फिक्स आवर फूड (एलएफओएफ) पीएचएफआई और यूनिसेफ के नेतृत्व में एक पहल है। इस पहल के तहत, उन्होंने भारत में बच्चों, किशोरों और महिलाओं में अधिक वजन और मोटापे से निपटने के लिए नीति सार तैयार किए हैं। एलएफओएफ कंसोर्टियम ने भारत में पोषण परिणामों में सुधार के लिए एक आयु-आधारित जीवन-चक्र पोषण कार्यनीति, अर्थात् 'भारत में पोषण परिणामों में सुधार के लिए कार्यनीति' विकसित करने के लिए नीति आयोग के साथ साझेदारी की है।

जीवन के विभिन्न चरणों में पोषण संबंधी आवश्यकताओं में भिन्नता को ध्यान में रखते हुए, पोषण के लिए जीवनचक्र दृष्टिकोण सभी प्रकार के कुपोषण और उनके निर्धारकों को दूर करने के लिए समयबद्ध, लक्षित और सतत हस्तक्षेपों की मांग करता है। जीवनचक्र दृष्टिकोण पर आधारित पोषण कार्यनीति स्वस्थ आबादी का निर्माण करेगी, आहार संबंधी रोगों के भावी बोझ को कम करेगी और सभी भारतीयों के स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए साक्ष्य-आधारित नीति और कार्यक्रम संबंधी कार्यों का मार्गदर्शन करेगी।

एकीकृत बाल विकास सेवाओं की पुनर्कल्पना

एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) ने वर्ष 2025 में संचालन के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए इसे समय-समय पर अद्यतन किया गया है। वर्तमान में, आईसीडीएस सेवाएं 'मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' नामक योजना के तहत प्रदान की जाती हैं, जो एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण, स्वास्थ्य, कल्याण और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। यह विशेष रूप से आबादी के कमजोर वर्गों तक पहुंचने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रमों में से एक रहा है।

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) और इसकी प्रणाली को भविष्य की बदलती आवश्यकताओं और समय के अनुरूप ढालने के लिए इसकी पुनर्कल्पना करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसी संदर्भ में, "एकीकृत बाल विकास सेवाओं की पुनर्कल्पना" पर एक अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए एक मार्ग प्रशस्त करना है कि आईसीडीएस कुशल अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली, आयु और संस्कृति के अनुरूप सेवाएं प्रदान करे। यह अध्ययन महिला नेतृत्व वाले विकास के विषय पर भी प्रकाश डालेगा और शहरी क्षेत्रों में आईसीडीएस सेवाओं की बेहतर पहुंच के लिए एक रोडमैप प्रदान करेगा।

सामाजिक परिवर्तन के लिए व्यवहार में सुधार करना

व्यवहार संबंधी मुद्दे विशेषकर सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संदर्भ में, नीति आयोग, बिहेवियरल इनसाइट्स टीम और बीएमजीएफ ने आकांक्षी जिलों, आकांक्षी ब्लॉकों और अन्य कार्यक्रमों में सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार परिवर्तन हेतु हस्तक्षेपों की पहचान करने हेतु एक एसओआई पर हस्ताक्षर किए हैं। पायलट प्रोजेक्ट मेघालय, ओडिशा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के चयनित आकांक्षी जिलों में संचालित किए जाएंगे। इस कार्य की समय सीमा 3 वर्ष है।

इसका उद्देश्य आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में चयनित प्रमुख संकेतकों: (क) गर्भवती महिलाओं और शिशु स्वास्थ्य; (ख) प्राथमिक शिक्षा; (ग) सार्वजनिक स्वास्थ्य (तपेदिक उन्मूलन और उच्च रक्तचाप की जांच बढ़ाने पर केंद्रित); और परस्पर निर्णीत अन्य क्षेत्रों पर सार्थक प्रभाव डालना है।

आकांक्षी जिलों में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) पर प्रायोगिक परियोजना

मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की आयु से पहले ही हो जाता है, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल-आधारित गतिविधियों के संचालन हेतु एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। इसका शैक्षिक उपलब्धि, रोजगार और जीवन परिणामों पर आजीवन प्रभाव पड़ता है। आंगनवाड़ी प्रणाली देश भर में 13.9 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगभग 9 करोड़ बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करती है। इस संबंध में, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की विद्यालय और जीवन के लिए तत्परता में सुधार लाने के उद्देश्य से, आंगनवाड़ी प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) पर 10 आकांक्षी जिलों में एक प्रायोगिक परियोजना संचालित की जा रही है।

कार्यस्थल में लैंगिक समानता पर सर्वोत्तम परिपाटियों का सार-संग्रह

आशय से प्रभाव तक: लैंगिक समानता पर सर्वोत्तम परिपाटियों का सार-संग्रह, भारतीय कार्यस्थलों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले व्यावहारिक मॉडलों को प्रदर्शित करने के लिए नीति आयोग और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) महिला नेतृत्व केंद्र की एक संयुक्त पहल है।

यह सार-संग्रह सीआईआई जेंडर पैरिटी बिजनेस अवार्ड्स और नीति आयोग की महिला-अनुकूल कार्यस्थलों को प्रदर्शित करने की पहल के माध्यम से मान्यता प्राप्त अनुकरणीय परिपाटियों को एक साथ लाता है, और चार प्रमुख क्षेत्रों: समावेशी भर्ती के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं के प्रवेश को बढ़ावा देना, लचीले कार्य और देखभाल सहायता के माध्यम से प्रतिधारण को सक्षम बनाना, मेंटरशिप और क्षमता निर्माण के माध्यम से विकास और नेतृत्व सुनिश्चित करना, और मजबूत अभिशासन और जवाबदेही के माध्यम से समावेशी कार्यस्थलों को बढ़ावा देना - में एक समेकित ढांचा प्रस्तुत करता है।

प्रमुख संगठनों की व्यावहारिक और अनुकरणीय परिपाटियों को उजागर करते हुए, यह रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि लैंगिक समानता न केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी है, बल्कि एक राष्ट्रीय विकास कार्यनीति भी है। यह रिपोर्ट 'विकासित भारत 2047' के विजन में महिला नेतृत्व वाले विकास और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है।

Rajya NITI Aayog
NITI Aayog
DMEO
Capacity Building Workshop
for Monitoring Evaluation and Learning (MEL) Competencies
AN INITIATIVE OF STATE SUPPORT MISSION
20 & 21ST MARCH, 2025
Venue : Gandhi Hall, "NITI Bhawan", Nava Raipur, Chhattisgarh

खंड 5

अनुवीक्षण और मूल्यांकन

विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय

नीति आयोग के संबद्ध कार्यालय, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) की स्थापना 2015 में केंद्रीय स्तर के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (आईईओ) के विलय के माध्यम से की गई थी। विभिन्न राज्यों में स्थित इसके 15 क्षेत्रीय विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालयों (आरडीएमईओ) के बंद होने के बाद, 2017 में डीएमईओ के लिए एक पूर्ण केंद्रीय प्राधिकरण का गठन किया गया। डीएमईओ को आवश्यक मध्य-मार्ग सुधार और आवश्यक संसाधनों की पहचान सहित नवाचारों को सुगम बनाने के लिए सरकारी कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन की सक्रिय रूप से निगरानी और मूल्यांकन करने का अधिदेश दिया गया है, जिससे सफलता की संभावना मजबूत हो और प्रदायगी का दायरा बढ़े। इसका दायित्व नीति आयोग के सहकारी संघवाद के व्यापक ढांचे के तहत राज्यों को तकनीकी सलाहकार सहायता प्रदान करना भी है। डीएमईओ का नेतृत्व महानिदेशक (डीजी) करते हैं, और इसकी मूल्यांकन गतिविधियां नीति आयोग के उपाध्यक्ष के समग्र मार्गदर्शन में संचालित की जाती हैं। निगरानी और मूल्यांकन प्रभाग को लॉजिस्टिक और प्रशासनिक सहायता डीएमईओ के प्रशासन और वित्त प्रभाग द्वारा प्रदान की जाती है, जिसका नेतृत्व संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है।

डीएमईओ की संगठनात्मक संरचना निम्नानुसार है:

उपाध्यक्ष

↓

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)

↓

महानिदेशक, डीएमईओ

↓

उपमहानिदेशक	**संयुक्त सचिव (प्रशासन)**
↓	↓
निदेशक और परामर्शदाता/युवा पेशेवर, आदि।	**निदेशक (प्रशासन)/ उप निदेशक और अन्य**

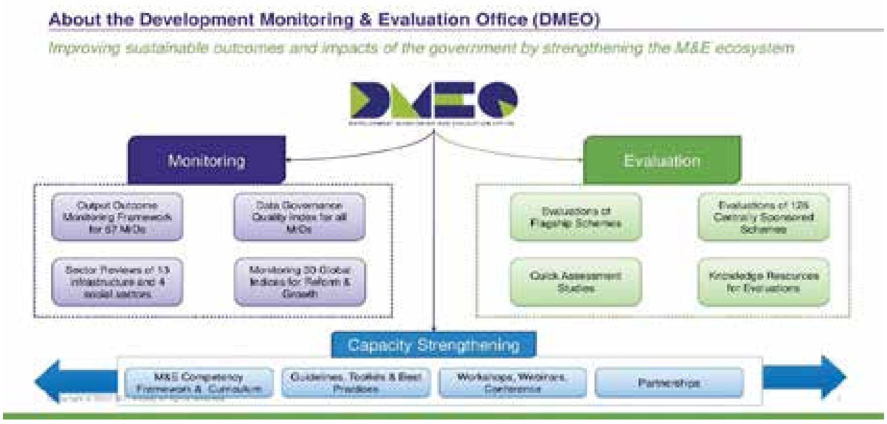

डीएमईओ के कार्यों को i) निगरानी, ii) मूल्यांकन, और iii) कार्यनीतिक पहलों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें निगरानी और मूल्यांकन के क्षेत्र में साझेदारी और क्षमता निर्माण शामिल है।

निष्पादन परिणाम निगरानी रूपरेखा

नीति आयोग के डीएमईओ ने मंत्रालयों और विभागों के समन्वय से केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) और केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के लिए एक व्यापक निष्पादन परिणाम निगरानी रूपरेखा (ओओएमएफ) विकसित किया है, जिसका उद्देश्य "आउटपुट" के साथ-साथ "आउटकम" पर भी ध्यान केंद्रित करना है। ओओएमएफ को 2019-2020 के नियमित बजट से अपनाया गया है और यह भारत सरकार की सीएस/सीएसएस योजनाओं के आउटपुट और परिणामों की सक्रिय रूप से निगरानी करता है। यह दस्तावेज प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट के साथ संसद में 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वार्षिक परिव्यय वाली सभी योजनाओं के लिए परिणाम बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। शेष योजनाओं के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग विस्तृत अनुदान मांग (डीडीजी) के साथ फ्रेमवर्क संसद में प्रस्तुत करता है। संबंधित योजनाओं के लिए इन प्रमुख आउटपुट और आउटकम को, उनके प्रमुख संकेतकों के साथ, संबंधित मंत्रालय/विभाग (एम/डी) के सचिव के अनुमोदन के अधीन अभिचिह्नित किया जाता है और अंतिम रूप दिया जाता है।

ओओएमएफ की प्रमुख विशेषताएं:

- प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट के साथ संसद में इस फ्रेमवर्क को पेश किया जाता है।
- सामान्य वित्तीय नियम 2017 का नियम 54, मंत्रालयों/विभागों के लिए ओओएमएफ को एक अभिन्न प्रक्रिया बनाता है।
- इसमें 69 मंत्रालय/विभाग शामिल हैं।
- 400 से अधिक केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) और केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)
- 4000 से अधिक आउटपुट और आउटकम संकेतक
- परिणाम और आउटपुट संकेतकों की क्रमशः वार्षिक और त्रैमासिक निगरानी

2020 से, विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के ओओएमएफ से संबंधित वार्षिक समीक्षा बैठकें नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों की अध्यक्षता में, संबंधित मंत्रालयों / विभागों के सचिवों की उपस्थिति में आयोजित की जा रही हैं। सितंबर 2025 से अब तक 21 मंत्रालयों / विभागों की ओओएमएफ समीक्षा बैठकें पूरी हो चुकी हैं।

भारत में डेटा गवर्नेंस में परिवर्तन: डीजीक्यूआई पहल

तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास ने विश्व स्तर पर अभिशासन के स्वरूप को बदल दिया है। पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी की बढ़ती मांग ने सार्वजनिक नीति में डेटा की भूमिका को उसके संपूर्ण जीवन चक्र में रूपांतरित कर दिया है। डेटा की तैयारी सरकारों को सुनियोजित और लक्षित नीतियां और कार्यक्रम विकसित करने, बीच में सुधार करने और उनके जीवन चक्र के अंत में उनके प्रभाव का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाती है, ताकि भविष्य के निर्णयों को सुदृढ़ किया जा सके।

साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के लिए प्रशासनिक आंकड़ों के महत्व को पहचानते हुए, 2020 में स्व-मूल्यांकन मोड में डेटा अभिशासन गुणवत्ता सूचकांक (डीजीक्यूआई) अभ्यास आयोजित किया गया था। वित्त वर्ष 2024-25 में, डीजीक्यूआई अभ्यास का सातवां (7) चरण आयोजित किया गया है, जिसमें भारत सरकार की 650 से अधिक योजनाएं और 69 मंत्रालय एवं विभाग शामिल हैं।

सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक (जीआईआरजी)

भारत सरकार ने देश में विकास और सुधारों को गति देने के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय के माध्यम से 26 चयनित वैश्विक सूचकांकों (जीआई) की प्रगति की निगरानी हेतु वैश्विक सुधार और विकास सूचकांक (जीआईआरजी) पहल शुरू की है। ये 26 वैश्विक सूचकांक 16 अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों (प्रकाशक एजेंसियों) द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, जिनमें बहुपक्षीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, निजी संगठन और विश्वविद्यालय शामिल होते हैं। ये सूचकांक अर्थव्यवस्था, विकास, अभिशासन और उद्योग जैसे चार व्यापक विषयों को कवर करते हैं। डीएमईओ को इस कार्य के लिए ज्ञान भागीदार और केंद्रीय समन्वयक के रूप में नामित किया गया है।

जीआईआरजी पहल का प्राथमिक उद्देश्य उपयुक्त सुधारों को अपनाकर और प्रगति की निगरानी करके भारत की वैश्विक छवि और वैश्विक रैंकिंग में सुधार लाने हेतु महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मापदंडों पर भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाना है।

जीआईआरजी ढांचे के तहत, चयनित 26 सूचकांकों को 17 नोडल मंत्रालयों/विभागों को आवंटित किया गया है, जिन्हें सुधारों को आगे बढ़ाने की विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इन नोडल मंत्रालयों को सूचकांकों की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा करनी होगी तथा संबंधित प्रकाशन एजेंसियों और संबंधित मंत्रालयों के साथ सक्रिय रूप से सहभागिता कर यह सुनिश्चित करना होगा कि इन सूचकांकों की गणना में नवीनतम आधिकारिक भारतीय डेटा स्रोतों का उपयोग किया जाए। इसके अलावा, इन नोडल/ संगत मंत्रालयों को प्रदर्शन संबंधी कमियों की पहचान करने और अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने के लिए उचित उपचारात्मक उपायों और नीतिगत सुधारों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है, जिससे वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति में ठोस प्रगति हो सके।

26 वैश्विक सूचकांक के लिए नोडल मंत्रालय/द्वारा द्वारा की गई प्रगति का आकलन करने के लिए जीआईआरजी पहल की समीक्षा मंत्रिमंडल सचिव के स्तर पर लगातार की जाती है।

2025-26 के दौरान, जीआईआरजी के तहत निगरानी किए जा रहे 26 सूचकांकों के सभी नोडल मंत्रालयों/विभागों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित किए जाने के साथ ही विश्व बैंक, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यआईपीओ, डब्ल्यूईएफ, यूएनडीपी, एफएओ आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ कई वार्ताएं आयोजित की गईं। इन बैठकों में वैश्विक स्तर पर इन सूचकांकों में भारत के समग्र प्रदर्शन को बेहतर बनाने की कार्यनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया।

सेक्टर समीक्षा

प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वार्षिक रूप से क्षेत्र समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। डीएमईओ संबंधित मंत्रालयों/विभागों और नीति संस्थान के विभागों के समन्वय से 2017 से प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के लिए क्षेत्र समीक्षा बैठकें आयोजित करने में सहायता कर रहा है। इन समीक्षाओं के अंतर्गत कवर क्षेत्रों में 10 क्षेत्र नामतः परिवहन (सड़कें, नागर विमानन, रेलवे और पत्तन), ऊर्जा (विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा) और अन्य (दूरसंचार, खनन) शामिल हैं।

ये समीक्षाएँ विभिन्न मंत्रालयों के बीच विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने और वैश्विक समकक्षों की तुलना में भारत की क्षेत्रीय शक्तियों और कमजोरियों का गहन विश्लेषण करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती हैं। बाधाओं की पहचान करके और अंत:क्षेपों का सुझाव देकर, समग्र विकास परिणामों में सुधार के लिए प्रायः सरकार के उच्च स्तर से तत्काल कार्रवाई शुरू की जाती है। क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों का नवीनतम दौर दिसंबर 2025-जनवरी 2026 के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था।

मूल्यांकन

डीएमईओ को साक्ष्य-आधारित सार्वजनिक नीति निर्माण को सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार की योजनाओं के मूल्यांकन का दायित्व सौंपा गया है। ये मूल्यांकन व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों/विभागों के अनुरोध पर और स्वतः संज्ञान से किए जाते हैं। ये मूल्यांकन मौजूदा साहित्य की समीक्षा और प्राथमिक (सर्वेक्षण) तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों के व्यापक विश्लेषण के माध्यम से किए जाते हैं। इन मूल्यांकन अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्ष योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार लाने और लक्ष्यों एवं परिणामों को अधिक प्रभावी और कुशल तरीके से प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपायों की अनुशंसा करने हेतु बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये मूल्यांकन - क्या कारगर है, क्यों कारगर, किसके लिए कारगर और किन परिस्थितियों में कारगर है, की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाते हैं।

2025-26 में, वित्त आयोग के अगले चक्र में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के मूल्यांकन से पहले प्रत्येक पांच वर्ष में उनका मूल्यांकन करने के अपने दायित्व के तहत, डीएमईओ ने 9 मूल्यांकन पैकेजों के माध्यम से 21 मंत्रालयों की 72 सीएसएस योजनाओं का मूल्यांकन पूरा किया। अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट व्यय विभाग और संबंधित प्रशासनिक/संगत मंत्रालयों/विभागों को प्रस्तुत कर दी गई हैं, जो उन्हें पुन: अग्रसरित करेंगे।

डीएमईओ वर्तमान में 21 केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं का मूल्यांकन भी कर रहा है। इसके अलावा, इसने संगठनात्मक मूल्यांकन और प्रौद्योगिकी मूल्यांकन करने की पहल भी की है।

क्षमता निर्माण

केंद्रीय/राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों का क्षमता निर्माण

सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, डीएमईओ देश भर में ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देने और अनुसंधान एवं विकास की संस्कृति को मजबूत करने के लिए केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। इस सहयोगात्मक पहल का उद्देश्य लाभार्थी-उन्मुख प्रमुख सरकारी योजनाओं के त्वरित जमीनी स्तर के आकलन के लिए अकादमिक नेटवर्क का लाभ उठाना है।

पहले और दूसरे चरण के पूरा होने के बाद, तीसरा चरण, जो वर्तमान में चल रहा है, घरेलू स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा और जल, स्वच्छता और साफ-सफाई (डब्ल्यूएएसएच) से संबंधित भारत सरकार की चार प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी जुटाने पर केंद्रित है। यह चरण 15 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 15 विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें इस पहल में शामिल होने वाले 7 नए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल हैं। तीसरे चरण के पूरा होने पर, डीएमईओ इस सहयोगात्मक प्रयास को सफलतापूर्वक 25 अलग-अलग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्तारित कर चुका होगा।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का क्षमता निर्माण

डीएमईओ क्षमता निर्माण हेतु अनुकूलन/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ जुड़ा रहता है। नीति आयोग के राज्य सहायता मिशन (एसएसएम) के अंतर्गत सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और राज्य कायाकल्प संस्थान (एसआईटी)/योजना विभाग के भीतर एमएंडई एवं डेटा एवं विश्लेषण एकक की स्थापना/सुदृढ़ीकरण में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का समर्थन करने के अधिदेश के अनुरूप, डीएमईओ योजना विभागों/एसआईटी के साथ 15 अनुकूलन सत्र और सात दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन कर चुका है।

- डीएमईओ, नीति आयोग ने महाराष्ट्र, बिहार, मिजोरम, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सात दो-दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया। इन कार्यशालाओं में मूल्यांकन, डेटा अभिशासन गुणवत्ता सूचकांक (डीजीक्यूआई) और आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) पर फोकस किया गया। इन राज्यों के योजना विभागों, राज्य कायाकल्प संस्थानों (एसआईटी) और अन्य संबंधित विभागों में निगरानी और मूल्यांकन (एम एंड ई) से जुड़े 800 से अधिक अधिकारियों ने सत्रों में भाग लिया।
- डीएमईओ, नीति आयोग ने ओओएमएफ पर गहन जानकारी प्रदान करने और राज्य सरकारों को इसके कार्यान्वयन में सहयोग देने के लिए तमिलनाडु सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, योजना विभाग और एसआईटी के सदस्यों के साथ मूल्यांकन, डीजीक्यूआई और ओओएमएफ पर केंद्रित एक विशेष सत्र आयोजित किया गया।

एसएसएम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आयोजित क्षमता निर्माण सत्रों की कुछ झलकियाँ

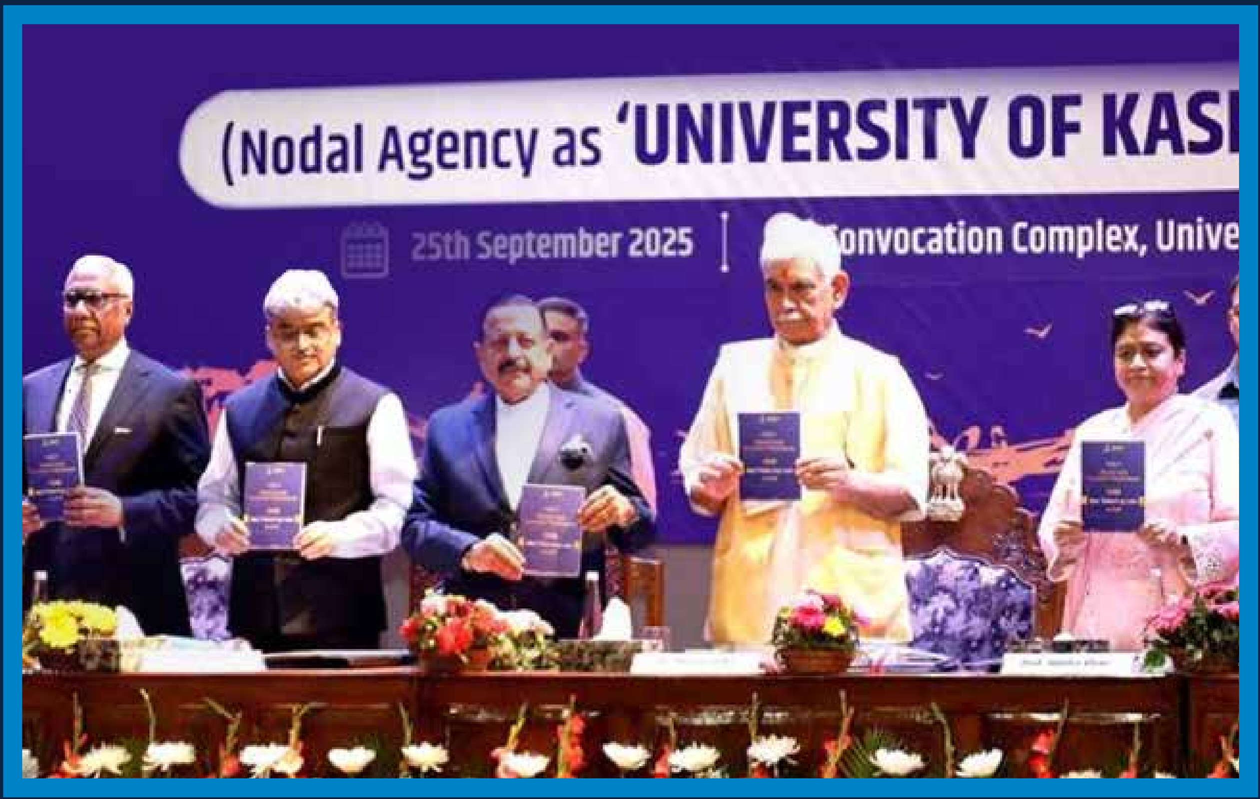
(Nodal Agency as 'UNIVERSITY OF KAS
25th September 2025
onvocation Complex, Unive

खंड 6

अटल नवाचार मिशन

अटल नवाचार मिशन (एआईएम) नीति आयोग के तत्वावधान में शुरू की गई भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य भारत के कोने-कोने में नवाचार, उद्यमिता और समस्या-समाधान की संस्कृति का सृजन और संवर्धन करना है। इसका लक्ष्य स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों, कॉरपोरेट जगत, उद्योगों, राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण करना है जो भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में कोई भी भाषा बोलने वाले नवप्रवर्तकों और उद्यमियों को सहयोग प्रदान करे।

अटल नवाचार मिशन 2.0

25 नवंबर, 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीति आयोग के तत्वावधान में अपनी प्रमुख पहल, अटल नवाचार मिशन (एआईएम) को विस्तारित कार्यक्षेत्र और 31 मार्च, 2028 तक की अवधि के लिए 2,750 करोड़ रुपये के आवंटित बजट के साथ जारी रखने का अनुमोदन दिया है।

एआईएम 2.0, विकसित भारत की दिशा में एक कदम है जिसका उद्देश्य भारत के पहले से ही जीवंत नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार, सुदृढ़ीकरण और गहन करना है।

माननीय केन्द्रीय मंत्री धमेन्द्र प्रधान के समक्ष छात्रों ने अभिनव प्रोटोटाइप का प्रदर्शन किया

वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पर है और विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का स्थान है। अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम 2.0) के अगले चरण से भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में और वृद्धि होने की उम्मीद है। एआईएम का यह निरंतर चरण विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर रोजगार, नवोन्मेषी उत्पाद और उच्च प्रभाव वाली सेवाओं के सृजन में प्रत्यक्ष योगदान देने के लिए बनाया गया है।

एआईएम 1.0 की उपलब्धियों, जैसे अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) और अटल इन्क्यूबेशन सेंटर्स (एआईसी) पर आधारित, एआईएम 2.0 मिशन के दृष्टिकोण में एक गुणात्मक बदलाव को दर्शाता है। जहां एआईएम 1.0 में भारत के तत्कालीन नवीन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए नए नवाचार अवसंरचना के निर्माण हेतु कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना शामिल था, वहीं एआईएम 2.0 में पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद कमियों को दूर करने और केंद्र एवं राज्य सरकारों, उद्योग, शिक्षा जगत और समुदाय के माध्यम से सफलताओं को व्यापक स्तर पर पहुंचाने के लिए डिज़ाइन की गई नई पहलों का परीक्षण करना शामिल है।

एआईएम 2.0 को भारत के नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को तीन तरीकों: (क) इनपुट बढ़ाकर (अर्थात अधिक नवप्रवर्तकों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करके), (ख) सफलता दर या 'थ्रूपुट' में सुधार करके (अर्थात अधिक स्टार्टअप को सफल होने में मदद करके) और (ग) 'आउटपुट' की गुणवत्ता में सुधार करके (अर्थात बेहतर नौकरियां, उत्पाद और सेवाएं उत्पन्न करके) से मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

दो कार्यक्रम पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान बढ़ाने पर केंद्रित हैं:

- भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए भाषा समावेशी नवाचार कार्यक्रम (एलआईपीआई) शुरू किया गया है, ताकि अंग्रेजी न बोलने वाले नवोन्मेषकों, उद्यमियों और निवेशकों के सामने आने वाली बाधाओं को कम किया जा सके। मौजूदा इनक्यूबेटरों में 30 स्थानीय भाषा नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- फ्रंटियर प्रोग्राम के तहत जम्मू और कश्मीर (जम्मू और कश्मीर), लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्यों (एनई), आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों, जहां भारत की 15% आबादी रहती है, के नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनुकूलित टेम्पलेट तैयार किए जाएंगे। टेम्पलेट विकास के लिए 2500 नए एटीएल (आविष्कारशील जिला/संस्थागत डेटा) बनाए जाएंगे।

चार कार्यक्रम पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यक्षमता में सुधार लाने पर केंद्रित हैं:

- भारत के नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण, संचालन और अनुरक्षण के लिए पेशेवरों (प्रबंधकों, शिक्षकों, प्रशिक्षकों) को तैयार करने हेतु मानव पूंजी विकास कार्यक्रम। इस प्रायोगिक परियोजना के तहत 5500 ऐसे पेशेवर तैयार किए जाएंगे।
- डीपटेक रिएक्टर का उद्देश्य अनुसंधान आधारित डीपटेक स्टार्टअप्स के व्यावसायीकरण के तरीकों का परीक्षण करने के लिए एक अनुसंधान मंच तैयार करना है, जिन्हें बाजार में आने के लिए काफी अधिक समय और गहन निवेश की आवश्यकता होती है। कम से कम एक डीपटेक रिएक्टर का प्रायोगिक परीक्षण किया जाएगा।
- राज्य इनोवेशन मिशन (एसआईएम) का उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी मजबूत क्षमताओं पर केंद्रित नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में सहायता करना है। एसआईएम, नीति आयोग के राज्य सहायता मिशन का एक घटक होगा।
- भारत के नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नवाचार सहयोग कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें हस्तक्षेप के चार क्षेत्र: (क) वार्षिक वैश्विक टिंकरिंग ओलंपियाड (ख) उन्नत देशों के साथ 10 द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग स्थापित करना (ग) ज्ञान भागीदार के रूप में, संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) को एआईएम और इसके कार्यक्रमों (एटीएल, एआईसी) के मॉडल को वैश्विक दक्षिण के देशों में फैलाने में सहायता करना, और (घ) भारत के लिए जी20 के स्टार्टअप20 सहभागिता समूह का नेतृत्व करना - निर्धारित किए गए हैं।

दो कार्यक्रम उत्पादन (रोजगार, उत्पाद और सेवाएं) की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित हैं:

- इंडस्ट्रियल एक्सेलेटर कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत स्टार्टअप्स के विकास में उद्योग की भागीदारी बढ़ाना है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कम से कम 10 इंडस्ट्रियल एक्सेलेटर स्थापित किए जाएंगे।
- अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्चपैड्स (एएसआईएल) कार्यक्रम के तहत प्रमुख उद्योग क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को एकीकृत करने और उनसे खरीद करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों में आईडीईएक्स जैसे प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। प्रमुख मंत्रालयों में कम से कम 10 लॉन्चपैड बनाए जाएंगे।

अटल टिंकरिंग लैब

अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक स्थापित अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, जिनका उद्देश्य युवा मन में जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा देना है। एटीएल में एटीएल और आसपास के समुदायों के छात्रों में समस्या-समाधान और नवाचार की भावना विकसित 21वीं सदी के उपकरण और प्रौद्योगिकियां जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3डी प्रिंटिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग टूल्स, रोबोटिक्स, मिनिएचराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, डू-इट-योरसेल्फ किट और अन्य उपलब्ध हैं। एआईएम ने अब तक देश भर के सरकारी और निजी स्कूलों में 10,000 एटीएल स्थापित किए हैं।

एटीएल कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं

वैश्विक विस्तार – संयुक्त अरब अमीरात में अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना

वर्ष 2025 में अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) ने एक नई उपलब्धि हासिल की, जब संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में अंतर्राष्ट्रीय एटीएल की स्थापना के माध्यम से कार्यक्रम का वैश्विक विस्तार हुआ। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीईएम) शिक्षा, नवाचार और युवा उद्यमिता को मजबूत करने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पहल दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी पर आधारित है, जिसे दुबई में सीबीएसई के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय कार्यालय और उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना से और भी बल मिला है। वैश्विक एटीएल मॉडल को संयुक्त अरब अमीरात के स्कूली छात्रों, विशेष रूप से भारतीय और केरल बोर्ड के पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों के बीच जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वैश्विक एटीएल, - रचनात्मकता के माध्यम से संस्कृतियों को जोड़ते हुए और युवा नवप्रवर्तकों के एक वैश्विक समुदाय, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के भविष्य को आकार देगा, का निर्माण करते हुए - भारत-यूएई सहयोग के प्रतीक के रूप में कार्य करेंगे।

संयुक्त अरब अमीरात में अंतर्राष्ट्रीय एटीएल का शुभारंभ

भारत के विभिन्न स्थानों पर एटीएल सारथी का शुभारंभ

एटीएल सारथी, सहयोगात्मक और क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से अटल टिंकरिंग लैब्स इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक आत्मनिर्भर मूल्यांकन और सहायता ढाँचे के रूप में डिज़ाइन किया गया, एटीएल सारथी स्कूलों और स्थानीय संस्थानों को 20 से 30 लैब - या कुछ मामलों में 100 लैब - के क्षेत्रीय समूहों में एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है, जिससे आपसी शिक्षण, सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक जीवंत नेटवर्क बनता है। यह मॉडल स्वामित्व के विकेंद्रीकरण, स्थानीय अधिकारियों को सशक्त बनाने और प्रशिक्षण सत्रों, नवाचार कार्यक्रमों और सर्वोत्तम परिपाटियों को साझा करने के माध्यम से पियर-टू-पियर क्षमता निर्माण को बढ़ावा देकर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। अक्टूबर 2025 तक, 21 राज्यों में 2,753 से अधिक एटीएल सारथी क्लस्टर स्थापित किए जा चुके हैं, जो इस मॉडल के तीव्र विस्तार और संस्थागत स्वीकृति को दर्शाता है। दिल्ली टेक्निकल कॉलेज, जबलपुर में महाराष्ट्र शिक्षा मंडल और नई दिल्ली में शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में शुरू किए गए नवीनतम क्लस्टरों ने स्कूल-स्तरीय नवाचार और उच्च शिक्षा नेटवर्क के बीच संबंध को और गहन किया है। एटीएल सारथी के माध्यम से, एआईएम जवाबदेही का निर्माण जारी रखता है, प्रदर्शन को मजबूत करता है और एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है जो स्कूलों को भारत के जमीनी स्तर के नवाचार आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाता है।

एटीएल में मेंटरशिप को संस्थागत रूप देने के लिए मेंटर इंडिया अकादमी का उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के साथ सहयोग

मेंटर इंडिया अकादमी एक कार्यनीतिक पहल है जिसे उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को दीर्घकालिक नोडल साझेदार के रूप में शामिल करके एटीएल इकोसिस्टम के भीतर मेंटरशिप को संस्थागत रूप देने के लिए शुरू किया गया है। इस मॉडल के तहत, 30-50 एटीएल के समूहों को आस-पास के एचईआई से जोड़ा जाता है, जहां संकाय सदस्य और छात्र शिक्षु नियमित सहभागिता, कार्यशालाओं और शिक्षुता के माध्यम से संरचित मेंटरशिप, तकनीकी मार्गदर्शन और नवाचार सहायता प्रदान करते हैं।

2025 में, राजगिरी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (कोच्चि, केरल), शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज (नई दिल्ली), जेईसीआरसी विश्वविद्यालय (जयपुर, राजस्थान) और साईराम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (तमिलनाडु) में नए मेंटर इंडिया अकादमी क्लस्टर की शुरुआत के साथ इस पहल ने महत्वपूर्ण प्रगति की। ये क्लस्टर सामूहिक रूप से शैक्षणिक भागीदारों के बढ़ते नेटवर्क में योगदान करते हैं जो स्कूली छात्रों के लिए संरचित मेंटरशिप, शिक्षुता और परियोजना-आधारित नवाचार का समर्थन करते हैं। मेंटर इंडिया अकादमी क्लस्टरों की कुल संख्या 110 हो गई है।

मेंटर इंडिया अकादमी क्लस्टर्स का शुभारंभ

अटल इन्क्यूबेशन सेंटर

एआईएम ने स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा, कृषि-तकनीक, गतिशीलता और अत्याधुनिक तकनीकों जैसे अधिमान्य क्षेत्रों में नवोन्मेषी स्टार्टअप और उद्यमियों को पोषित करने के लिए देश भर में अटल इनक्यूबेशन सेंटर (एआईसी) का एक नेटवर्क स्थापित किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व स्तरीय इनक्यूबेशन सहायता, मार्गदर्शन और निवेशकों एवं बाजारों तक पहुंच प्रदान करके नवाचार-संचालित उद्यमों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना है। ग्रीन फील्ड इनक्यूबेटर्स को एआईसी के रूप में और ब्राउन फील्ड इनक्यूबेटर्स को ईआईसी के रूप में 5 वर्षों की अवधि में 10 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। एआईएम ने भारत भर में 76 एआईसी सफलतापूर्वक संचालित किए हैं। ये एआईसी स्टार्टअप को तकनीकी सुविधाएं, संसाधन-आधारित सहायता, मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता, साझेदारी और नेटवर्किंग, सह-कार्य स्थल और प्रयोगशाला सुविधाएं आदि प्रदान करके सशक्त बनाते हैं। इन एआईसी में 4500 से अधिक स्टार्टअप को इनक्यूबेट किया गया है और इन्होंने इकोसिस्टम में 45,000 से अधिक रोजगार सृजित किए हैं। लगभग 30% स्टार्टअप में महिला नेतृत्वकर्ता और संस्थापक हैं। भारत की अनुसंधान और नवाचार क्षमता को मूर्त उद्यमशीलता परिणामों में बदलने में अटल इनक्यूबेशन सेंटर (एआईसी) महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं।

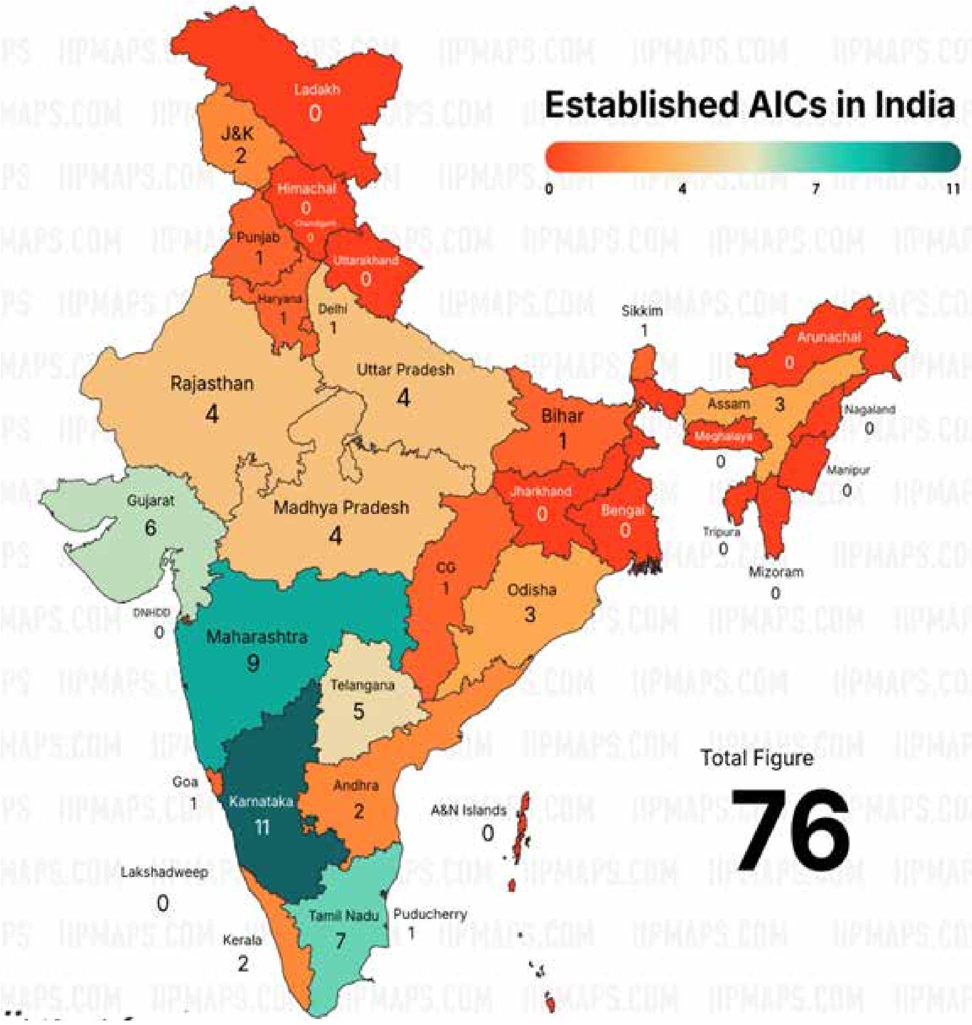

18 राज्यों और 03 संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित 76 एआईसी

25 से अधिक स्थापित किए जाने वाले एआईसी

एआईसी कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

प्रमुख पहल/आयोजन	उद्देश्य	परिणाम / प्रभाव
एआईसी-आईआईएसआर पुणे सीड फाउंडेशन द्वारा 'प्लान ई' का शुभारंभ (नवंबर 2024)	एक संरचित इनक्यूबेशन प्रक्रिया के माध्यम से भारत भर के पीएचडी छात्रों और शोधकर्ताओं को अकादमिक अनुसंधान को व्यवहार्य स्टार्ट-अप में बदलने में सक्षम बनाना।	27 शोधकर्ताओं के एक समूह का चयन किया गया; कार्यक्रम ने अनुसंधान रूपांतरण के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल को संस्थागत रूप दिया।
फोर्ब्स इंडिया 100 टू वॉच में शामिल स्टार्टअप्स (नवंबर 2024)	एशिया-प्रशांत क्षेत्र के आशाजनक स्टार्टअप्स को मान्यता देना।	ईएफ पॉलीमर (एआईसी-संगम, गुरुग्राम) और दिगंतारा (एफएसआईडी, आईआईएससी बेंगलुरु) सहित 17 भारतीय फर्मों को शामिल किया गया, जिससे एआईएम की वैश्विक दृश्यता में वृद्धि हुई।
फंडिंग में सफलता – शार्क टैंक इंडिया सीजन 4	एआईएम द्वारा समर्थित स्टार्टअप्स के लिए निवेशकों की पहुंच को बढ़ावा देना।	एआईआरटीएच (एआईसी टी-हब) ने 1 करोड़ रुपये और रैप्चर इनोवेशन लैब (एआईसी टी-हब) ने 50 लाख रुपये जुटाए – जो सेमीकंडक्टर और सस्टेनेबिलिटी में डीप-टेक की क्षमता का प्रदर्शन करते हैं।
भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में प्रदर्शन	सतत गतिशीलता के क्षेत्र में भारत के नवाचार को उजागर करना।	हेलेन बाइक्स प्राइवेट लिमिटेड (एआईसी-एससीयू) ने माननीय प्रधानमंत्री को विश्व की पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हबलेस साइकिल भेंट की।
वैश्विक मान्यता – एक्सप्राइज कार्बन रिमूवल 2025	जलवायु प्रौद्योगिकी के ऐसे समाधानों को बढ़ावा देना जो बड़े पैमाने पर लागू किए जा सकें।	माटी कार्बन प्राइवेट लिमिटेड (एआईसी-जेआईटी फाउंडेशन, बेंगलुरु) ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 400 करोड़ रुपये) का भव्य पुरस्कार जीता।
इनक्यूबेटर उत्कृष्टता पुरस्कार – एआईसी-सीसीएमबी	उच्च प्रदर्शन करने वाले बायोटेक इनक्यूबेटरों को मान्यता देना।	नेक्स्टजेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स 2025 (मुंबई) में इसे "बायो-इनक्यूबेटर ऑफ द ईयर (टियर-I)" घोषित किया गया।

प्रमुख पहल/आयोजन	उद्देश्य	परिणाम / प्रभाव
एआईएम की वार्षिक इनक्यूबेटर समीक्षा 2025 (अक्टूबर 2025)	एआईएम के केपीआई ढांचे का उपयोग करके एआईसी/एसीआईसी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और एआईएम 2.0 के साथ कार्यनीति को संरेखित करना।	इनक्यूबेटर के सीईओ के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन अनुशंसा पत्र (पीजीआरएल) शुरू किए गए; इससे व्यावसायीकरण दर और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों की भागीदारी में सुधार हुआ।

विशेषताएँ

- निवेशकों के विश्वास में वृद्धि – एआईसी के स्टार्टअप्स ने सामूहिक रूप से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण धनराशि जुटाई।
- डीप-टेक लीडरशिप – जैव प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, जलवायु प्रौद्योगिकी और सतत गतिशीलता में मजबूत श्रृंखला।
- क्षमता निर्माण – एआईसी ने मंत्रालयों और उद्योग संघों के साथ विशेष प्रशिक्षण, प्रदर्शन दिवस और संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किए।
- मान्यता और दृश्यता – एआईसी के 20 से अधिक स्टार्टअप्स को पूरे वर्ष के दौरान प्रमुख राष्ट्रीय और वैश्विक मंचों पर प्रदर्शित किया गया।

अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र

अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र (एसीआईसी) एआईएम की पहुंच को भारत के टियर-2, टियर-3 शहरों और आकांक्षी जिलों तक विस्तारित करते हैं। ये केंद्र स्थानीय उद्यमियों, युवाओं और सामुदायिक संगठनों को क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए संदर्भ विशिष्ट समाधान विकसित करने में सक्षम बनाकर समावेशी नवाचार को बढ़ावा देते हैं। भारतीय समुदायों में प्रचलित 'मितव्ययिता' की भावना को ध्यान में रखते हुए, एसीआईसी का लक्ष्य सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल द्वारा समर्थित समाधान आधारित डिजाइन का उपयोग करते हुए इन नवाचारों की पहचान करने और उन्हें बढ़ाने के लिए औपचारिक दृष्टिकोण का निर्माण करना है। एसीआईसी ने प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और स्थानीय संस्थानों के साथ साझेदारी के माध्यम से जमीनी स्तर पर और स्थानीय नवाचार को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय प्रगति प्रदर्शित की।

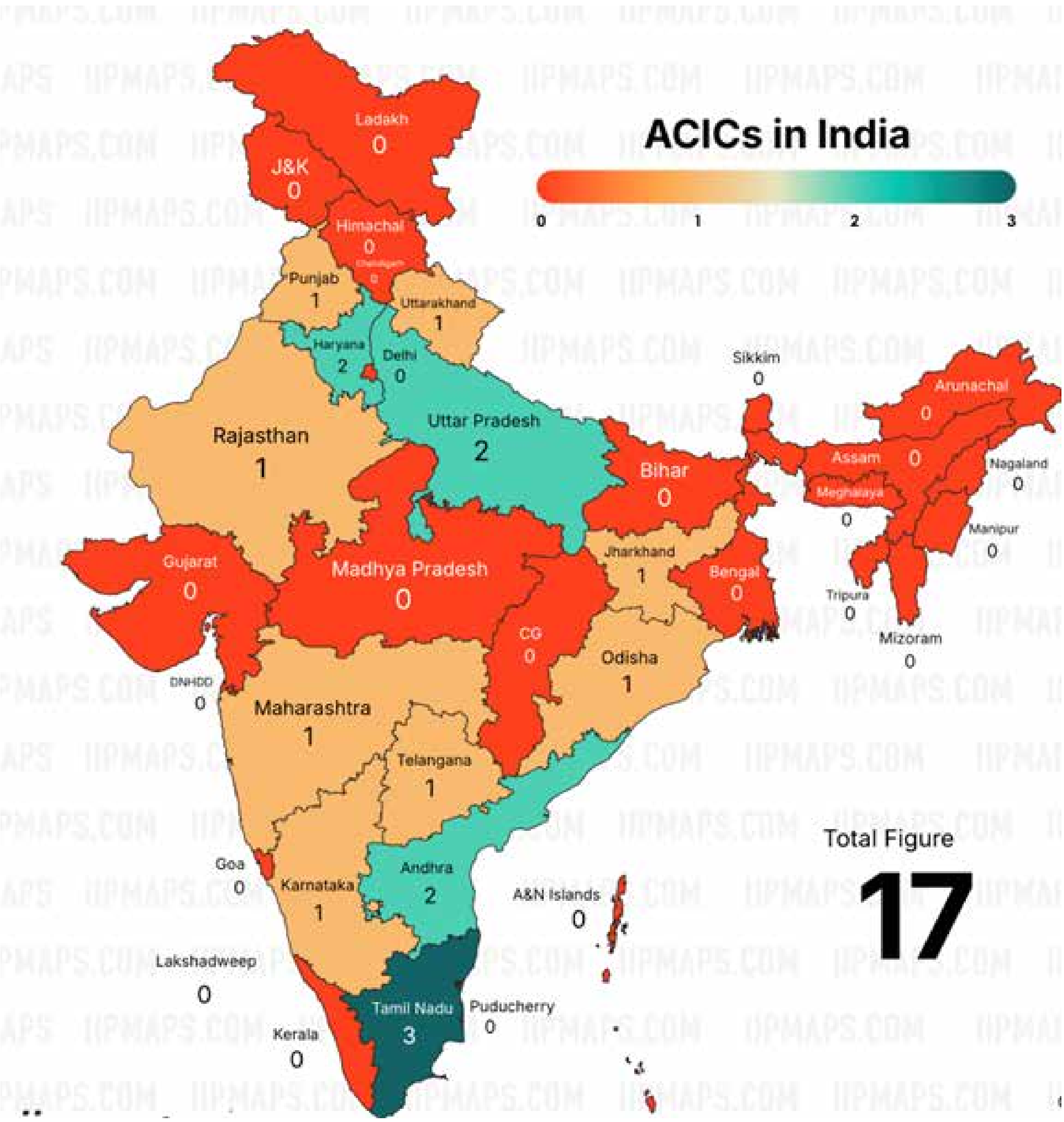

एसीआईसी कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

सामुदायिक नवाचार के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना एसीआईसी दूरस्थ क्षेत्रों में नवप्रवर्तकों को उपकरण, मार्गदर्शन और सूक्ष्म अनुदान प्रदान करके समावेशी विकास की एक नई लहर को बढ़ावा दे रहे हैं। नवप्रवर्तकों की सफलता की कहानियां नवाचार और उद्यमिता के लोकतंत्रीकरण के प्रति एआईएम की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

प्रमुख पहल/आयोजन	उद्देश्य	परिणाम / प्रभाव
राष्ट्रपति का दौरा – एसीआईसी आईआईटी आईएसएम धनबाद (जुलाई 2025)	आदिवासी और ग्रामीण नवाचार को प्रदर्शित करना।	भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नवप्रवर्तक श्री हेमलाल महतो (जेएसपीआर एग्रो प्राइवेट लिमिटेड) से बातचीत की और उनके टिकाऊ कृषि अपशिष्ट प्रबंधन समाधानों को सराहना की।
फोर्ब्स इंडिया "वी सर्व इंडिया अवार्ड" – कम्युनिटी इनोवेटर फेलो अशोक (अक्टूबर 2025)	प्रौद्योगिकी आधारित ग्रामीण उद्यमिता को उजागर करना।	सौर ऊर्जा से चलने वाली कम लागत की कृषि मशीनरी विकसित करने के लिए दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र के विजेता के रूप में सम्मानित; अंजलीपुरम (तेलंगाना) में एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करने की योजना है।
'स्टार्टअप सिंघम' के माध्यम से जमीनी स्तर के स्टार्टअप का वित्तपोषण (अप्रैल 2025)	स्थानीय और जनजातीय उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना।	टीएएमएस ट्राइबल, ट्राइबल मार्ट और अरोला बैम्बू (एआईसी रेज़) ने राज्य स्तरीय रियलिटी शो में निवेश हासिल किया, जिससे ग्रामीण स्टार्टअप के इकोसिस्टम को मजबूती मिली।
भाषा समावेशी नवाचार कार्यक्रम (एलआईपीआई) परामर्श कार्यशाला (सितंबर 2025)	भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में भाषा समावेशी नवाचार इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से भाषा समावेशी नवाचार कार्यक्रम (एलआईपीआई) के ढांचे, दिशानिर्देशों और कार्यान्वयन कार्यनीति पर विचार-विमर्श करना।	एआईएम ने 30 स्थानीय भाषा नवाचार केंद्रों के लिए एलआईपीआई के ढांचे और पायलट रोडमैप को अंतिम रूप देने के लिए नीति आयोग में एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी परामर्श का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य ने की। सत्र में मंत्रालयों, शिक्षा जगत और उद्योग जगत के 50 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया, जिससे समावेशी और स्थानीय भाषा के नेतृत्व वाले नवाचार की नींव रखी गई।

एलआईपीआई पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता करते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी के सारस्वत

अटल न्यू इंडिया चैलेंज

अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी) की परिकल्पना भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जिसके तहत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने वाले प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की पहचान, समर्थन और विस्तार किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों की तलाश, चयन, समर्थन और पोषण करना है जो राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता की क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करते हैं।

एएनआईसी का लक्ष्य दो तरफा है:

- राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता की सेक्टोरल चुनौतियों का समाधान करने वाले प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार विकसित करने में मदद करना
- एक ऐसी संस्थागत संरचना विकसित करना जो नवाचारों का समर्थन करे और सरकारी प्रणालियों के भीतर नवाचारों के समामेलन को सुगम बनाए।

एएनआईसी मांग आधारित नवाचार के लिए मंच के रूप में कार्य करता है, जहां सरकारी मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के साथ मिलकर विशिष्ट समस्याओं के विवरण तैयार किए जाते हैं। इस मांग को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने से यह सुनिश्चित होता है कि नवाचार न केवल तकनीकी रूप से नवीन हों बल्कि भारत की विकासात्मक प्राथमिकताओं से सीधे तौर पर संबंधित भी हों। प्रतिस्पर्धी चुनौती के कई दौर के माध्यम से, चयनित नवप्रवर्तकों को वित्तीय सहायता (प्रति परियोजना 1 करोड़ रुपये तक), मार्गदर्शन और इनक्यूबेटरों के राष्ट्रीय नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त होती है। नवाचार की श्रृंखला को मजबूत करके, एएनआईसी उद्यमों को अवधारणा के प्रमाण और बाजार में अपनाने के बीच की "मृत्यु की घाटी" को पार करने में मदद करता है। शुरूआती चरण की सफलता के आधार पर निर्मित एएनआईसी 2.0 इस कार्यक्रम का विस्तारित और विकसित संस्करण है। यह भारत के विजन 2047 के अनुरूप अधिक संरचित चुनौती क्षेत्रों को प्रस्तुत करता है, जिसमें ई-मोबिलिटी, परिवहन और राजमार्ग, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन, चिकित्सा उपकरण, कृषि, अंतरिक्ष और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है।

एएनआईसी से अनुदान पाने वालों को मिलने वाले प्रमुख पुरस्कार और सम्मान

स्टार्टअप	वे क्या करते हैं	पुरस्कार / सम्मान
बायोप्राइम एग्रीसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	कृषि-जैव प्रौद्योगिकी: सूक्ष्मजीव और नैनोमोलेक्यूल आधारित जैव उत्तेजक/फसल संरक्षण उत्पाद।	सर्वश्रेष्ठ जैवकृषि स्टार्टअप (बायो-एग्री इंडिया) और फिक्की / राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों का उल्लेख
पिक्सी इलेक्ट्रिक कार प्राइवेट लिमिटेड	ईवी रूपांतरण किट और प्रणोदन मॉड्यूल, जिनका उपयोग आईसीई वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए किया जाता है।	सामाजिक नवाचार पुरस्कार और पृथ्वी संरक्षण पुरस्कार
इंटेल्लो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	कृषि उत्पादों की स्वचालित ग्रेडिंग और गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए एआई/कंप्यूटर-विज़न प्लेटफॉर्म।	वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 में राष्ट्रपति पुरस्कार; नैसकॉम/उद्योग पुरस्कार

रेसीटी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	प्लास्टिक के संग्रहण और पुनर्चक्रण के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच; अपशिष्ट श्रमिकों/ब्रांडों के साथ काम करता है।	आईटीसी सस्टेनेबिलिटी चैलेंज 2022 का विजेता; इंडिया प्लास्टिक चैलेंज
स्काईरूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड	निजी प्रक्षेपण यान कंपनी (विक्रम श्रृंखला); 3डी-मुद्रित इंजन और मिश्रित संरचनाएं।	उच्च दृश्यता के सक्रिय मील पत्थर (प्रक्षेपण पूर्व परीक्षण, उद्योग साझेदारी); 2025 के भारतीय नवाचार आइकनों में नामित।
बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड	उपग्रह प्रणोदन और अंतरिक्ष में गतिशीलता समाधान (हरित मोनोप्रोपेलेंट और इलेक्ट्रिक थ्रस्टर)।	2025 में मील के पत्थर और साझेदारियां (अंतरिक्ष में हरित प्रणोदन की सफल फायरिंग; एस्ट्रोस्केल जापान के साथ समझौता ज्ञापन; 2025 में विस्तार संबंधी समाचार)
दिगंतारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	अंतरिक्ष क्षेत्र की जागरूकता / अंतरिक्ष यातायात की निगरानी (उपग्रह आधारित एसएसए + एआई)।	पुरस्कारों में ईटी स्टार्टअप अवार्ड्स (बेस्ट ऑन कैंपस 2023), फोर्ब्स इंडिया / 2025 कवरेज (2025 में फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 में संस्थापकों / टीम कवरेज के लिए शामिल)।
पैडकेयर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	स्वच्छता एवं मासिक धर्म अपशिष्ट प्रबंधन समाधान (सतत निपटान; सामाजिक उद्यम)।	सीआईआई सीआईईएस आइकॉन समिट — सर्वश्रेष्ठ सामाजिक प्रभाव पुरस्कार 2024; राइट हाइजीन अचीवमेंट अवार्ड 2025 (सस्टेनेबिलिटी अवार्ड)
बैरिक्स एग्रो साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड	जैविक कीट नियंत्रण और कृषि-जैविक उत्पाद (गैर-रासायनिक कीट प्रबंधन)।	कृषि जैविक सेगमेंट में सबसे नवोन्मेषी कंपनी — फिक्की (अगस्त 2024)
ग्रेईस्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	बायोटेक स्टार्टअप जो अपशिष्ट उपचार, किण्वन और सतह को स्वच्छ बनाने के लिए सूक्ष्मजीव समाधान विकसित करता है।	विजेता — एफ़्लूप्योर के लिए डेयर टू ड्रीम 2.0 (डीआरडीओ) पुरस्कार

अटल इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम

एआईएम इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम (एईडीपी) एक क्षैतिज पहल है जो सभी कार्यनीतिक एआईएम कार्यक्रमों को शामिल करती है, और प्रासंगिक हितधारकों के नेटवर्क का निर्माण करके नवाचार और उद्यमिता के इकोसिस्टम को मजबूत करती है। एईडीपी संरचित कार्यक्रमों के ढांचे से परे एआईएम लाभार्थियों को अतिरिक्त मूल्य प्रदान करता है। कार्यक्रम ने विभिन्न निगमों और प्रतिष्ठानों में 60 घरेलू और 16 अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों का निर्माण किया है, जो उद्योग के नेतृत्वकर्ताओं और संकाय के साथ कार्यरत हैं जो अवसंरचना और प्रौद्योगिकी तक पहुंच, बाजार और निवेशक से संबंध, शैक्षिक मॉड्यूल के निर्माण और अटल टिंकरिंग लैब को अपनाने के माध्यम से एआईएम के लाभार्थियों का समर्थन करते हैं।

खंड 7

प्रशासन और सहायता एकक

प्रशासन/मानव संसाधन

प्रस्तावना

नीति आयोग का प्रशासन एकक डीओपीटी द्वारा जारी किए गए सेवा नियमों और भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार कार्य करता है। प्रशासन अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े सभी पहलुओं, भर्ती, पदोन्नति, तैनाती, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, प्रतिनियुक्ति, सेवा मामलों से संबंधित अदालती मामलों से सरोकार रखता है और इन मामलों पर आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना भी प्रदान करता है। इसे सार्वजनिक डोमेन में नीति आयोग की नीतियों के कार्यनीतिक संचार का काम भी सौंपा गया है। राजभाषा (हिन्दी) अनुभाग ने वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिक से अधिक प्रयोग की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे।

प्रशासन और सहायता एकक

प्रशासन/मानव संसाधन

नीति आयोग का प्रशासन एकक नीति आयोग में कार्यरत कर्मचारियों के कार्मिक प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर डीओपीटी द्वारा जारी किए गए भर्ती नियमों / प्रक्रियाओं / सेवा नियमों और भारत सरकार के अन्य मौजूदा अनुदेशों के अनुसार कार्य करता है। प्रशासन एकक अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े सभी पहलुओं अर्थात भर्ती, पदोन्नति, तैनाती, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, प्रतिनियुक्ति, सेवा मामलों से संबंधित अदालती मामलों से सरोकार रखता है और इन मामलों के संबंध में आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने का कार्य करता है। इसे स्नातक पूर्व / स्नातकोत्तर छात्रों अथवा भारत या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान में नामांकित शोध छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना से संबंधित जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं।

31 दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार, नीति आयोग के स्टाफ की संरचना (नीति आयोग, डीएमईओ और एआईएम)

क्र. सं.	अधिकारियों का स्तर	सरकारी	लैटरल नवागंतुक पेशेवर	अन्य पेशेवर	कुल
1.	प्रधान आर्थिक सलाहकार (सचिव) समकक्ष	1	0	0	1
2.	अपर सचिव और समकक्ष	5	1	0	6
3.	संयुक्त सचिव और समकक्ष	16	0	0	16
4.	निदेशक और समकक्ष	26	3	0	29
5.	उप सचिव और समकक्ष	21	1	0	22
6.	अवर सचिव और समकक्ष	56	2	0	58
7.	स्तर 10 में अनुसंधान अधिकारी/ सहयोगी और समकक्ष	16	0	0	16
8.	अनुभाग अधिकारी और समकक्ष	61	0	0	61

क्र. सं.	अधिकारियों का स्तर	सरकारी	लैटरल नवागंतुक पेशेवर	अन्य पेशेवर	कुल
9.	**सहायक अनुभाग अधिकारी (स्तर 7) और समकक्ष**	83	0	0	83
10.	**अन्य सहायक कर्मचारी**	192	0	0	192
11.	संविदात्मक/आउटसोर्स कर्मचारी	0	0	506	506
	कुल	**477**	**7**	**506**	**990**

परामर्शदाता के पदों के अलावा, नीति आयोग का अपना विशिष्ट / स्वदेशी / विदेशी फेलोशिप कार्यक्रम है। फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को चुनकर विभिन्न क्षेत्रों में उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेक्टोरल विशेषज्ञता का लाभ उठाना है। यह कार्यक्रम सरकारी नीति तैयार करने में पारंपरिक नियोजन से आगे बढ़ने के लिए राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में वैश्विक विशेषज्ञता को आकर्षित करना चाहता है। यह एक प्रतिस्पर्धी फेलोशिप है जो क्षमतावान वरिष्ठ और करियर मध्य पेशेवरों को नीतिगत पहलों पर व्यावहारिक व क्रियाशील ढंग से काम करने की अनुमति देगी। यह उन्हें वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राजनयिकों और विद्वानों से लेकर भारतीय नीति सर्किट में व्यापक अनुसंधान करने और ऐक्टर की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगा।

नीति आयोग के पास नीति इंटर्नशिप योजना भी है जिसका उद्देश्य भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / संस्थानों में स्नातक पूर्व/ स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के लिए नामांकित छात्रों या शोध करने वाले छात्रों को "इंटर्न" के रूप में शामिल करना है। इन इंटर्न को नीति आयोग के भीतर विभिन्न वर्टिकल / प्रभागों / इकाइयों में काम करने का अवसर दिया जाता है और उनसे आंतरिक और अन्य सूचनाओं के अनुभवजन्य संग्रह और मिलान के माध्यम से नीति आयोग के भीतर विश्लेषण की प्रक्रिया को अनुपूरित करने की उम्मीद की जाती है।

करियर प्रबंधन अनुभाग

नीति आयोग का करियर प्रबंधन (सीएम) अनुभाग नीति आयोग में सभी स्तरों के सभी अधिकारियों / कार्मिकों के प्रशिक्षण और करियर प्रबंधन से संबंधित मामलों के साथ-साथ विदेशी प्रशिक्षण और विदेशी दौरे से संबंधित मामलों को भी देखता है।

1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के दौरान नीति आयोग के करियर प्रबंधन अनुभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विदेश यात्रा प्रस्तावों, एक्सपोजर विजिट और संवादमूलक सत्रों को सुगम बनाया और उनका समन्वय प्रदान किया, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

1. **विदेशी यात्राएँ / अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम**

   समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभिन्न विदेशी राष्ट्रों में आयोजित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों, जैसे सम्मेलनों, कार्यशालाओं, सेमिनारों और बैठकों में भाग लेने के लिए नीति आयोग के कुल 59 (उनसठ) अधिकारियों/कर्मियों को भेजा गया जिसमें 8 (आठ) प्रतिनिधिमंडल शामिल थे।

2. **घरेलू और विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम**

   - **नीति आयोग के छिहत्तर (76)** अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामित किया गया, जिनमें सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) और अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित कैडर प्रशिक्षण और अन्य

क्षमता-निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं।

- इसके अलावा, उक्त अवधि के दौरान विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नीति आयोग के **चार (4)** अधिकारियों को नामित किया गया।

3. **आंतरिक प्रेरण-सह-अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम:**

   नीति आयोग, अटल नवाचार मिशन (एआईएम) और विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) के नव नियुक्त फ्लेक्सी-पूल अधिकारियों/कर्मचारियों (वरिष्ठ सहयोगी, सहयोगी, वरिष्ठ विशेषज्ञ, विशेषज्ञ आदि) और संविदा कर्मियों (युवा पेशेवर, परामर्शदाता आदि) के लिए आंतरिक प्रेरण-सह-अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

ये कार्यक्रम 21 अप्रैल 2025, 9 जून 2025 और 6 अगस्त 2025 को नीति आयोग में आयोजित किए गए थे, जिसका उद्देश्य नव नियुक्त कर्मियों को नीति आयोग की संगठनात्मक संरचना, भूमिकाओं और कार्यों से परिचित कराना है।

अभिविन्यास कार्यक्रमों के दौरान, प्रतिभागियों को निम्नलिखित चीजें प्रदान की गईं:

- नीति आयोग की संगठनात्मक संरचना का संक्षिप्त विवरण;
- कार्यालय प्रक्रिया नियमावली (एमओपी) की बुनियादी समझ;
- आचरण नियमों और सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम से संबंधित प्रमुख अवधारणाएँ; और
- ई-ऑफिस सिस्टम के उपयोग पर विस्तृत सैद्धांतिक और व्यावहारिक जानकारी।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान नीति आयोग में निम्नलिखित एक्सपोजर विजिट और इंटरैक्टिव सेशन भी आयोजित किए गए:

1. 02 अप्रैल 2025 को सीआरईएमओडी, मोजाम्बिक सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल का एक्सपोजर विजिट-सह-इंटरैक्टिव सेशन आयोजित किया गया।
2. 16 अप्रैल 2025 को नीति आयोग में डीएचटीआई के एक प्रतिनिधिमंडल का एक्सपोजर विजिट-सह-इंटरैक्टिव सेशन।
3. नीति आयोग में 5 मई 2025 को एक दिवसीय नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।
4. 29 जुलाई 2025 को फ्री यूथ डेमोक्रेटिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ नेपाल (एफवाईडीओएन) का दौरा।
5. 5 अगस्त 2025 को नेपाल के विभिन्न राजनीतिक दलों के युवा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल का दौरा।
6. 19 अगस्त 2025 को एनएसएसटीए से भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों (2025 बैच) के लिए एक्सपोजर विजिट-सह-इंटरैक्टिव सेशन।
7. 20 अगस्त 2025 को सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान के मध्य-करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजर रहे भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवादात्मक सत्र।
8. 10 सितंबर 2025 को एचसीसी-54 के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के लिए एक दिवसीय संवादात्मक निर्देशात्मक एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम, जो महू स्थित सेना युद्ध महाविद्यालय से आ रहे हैं।
9. 7 अक्टूबर 2025 को स्कोल्कोवो मॉस्को स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के छात्रों के साथ संवादात्मक सत्र।

10. 28 अक्टूबर, 2025 को नीति आयोग में युवा मामलों के यूएन-एएसजी के साथ बातचीत।
11. 3 दिसंबर 2025 को मिस्र के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नीति आयोग का दौरा।
12. 'नो इंडिया प्रोग्राम' (केआईपी) के तहत भारतीय मूल के युवा लोगों (पीआईओ) के 80वें, 82वें, 83वें और 84वें प्रतिनिधिमंडलों के लिए क्रमशः 16 जनवरी 2025, 25 जुलाई 2025, 25 नवंबर 2025 और 9 दिसंबर 2025 को संवादात्मक सत्र आयोजित किए गए।
13. 23 अप्रैल 2025 को मध्य-करियर प्रशिक्षण (एमसीटी) चरण-IV (17) कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारियों के साथ संवादात्मक सत्र।
14. 13 सितंबर 2025 को मॉरीशस के मध्य-करियर सिविल सेवकों के लिए विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
15. 14 मई 2025 को इथियोपिया के सिविल सेवकों के लिए एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
16. 10 नवंबर, 2025 को मॉरीशस के वरिष्ठ सिविल सेवकों के लिए एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

राजभाषा (हिन्दी) अनुभाग

2025-26 के दौरान, राजभाषा अनुभाग ने राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके तहत बनाए गए राजभाषा नियम, 1976 के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम और संघ की राजभाषा नीति को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग अधिकतम करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा।

अनुवाद

राजभाषा विभाग को तिमाही प्रगति रिपोर्टें भेजी गईं तथा संबद्ध कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की नियमित रूप से समीक्षा की गई। हिंदी अनुभाग ने वार्षिक रिपोर्ट, अनुदान के लिए मांग, संसदीय स्थायी समिति से संबंधित सामग्री, मंत्रिमंडल नोट, संसद प्रश्न, अधिसूचना, आदेश, ओएम, एमओयू, आरटीआई मामले, प्रपत्र एवं प्रारूप, पत्र, आदि जैसे विभिन्न दस्तावेजों का अनुवाद किया।

कार्यान्वयन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का कार्यान्वयन :

राजभाषा नीति के अनुपालन में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के तहत आने वाले सभी दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए जाते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम तथा अन्य आदेशों / अनुदेशों को सूचनार्थ तथा निर्देश के लिए नीति आयोग के सभी अनुभागों एवं इसके संबद्ध कार्यालयों को अग्रेषित किया गया।

राजभाषा नियम 1976 का अनुपालन:

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, नीति आयोग नियम-5, नियम-9, नियम-12 आदि का सख्ती से अनुपालन कर रहा है।

हिंदी कार्यशालाएं :

वर्ष के दौरान, हिंदी के विभिन्न व्यावहारिक पहलुओं पर चार हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं और उनमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया और लाभान्वित हुए। व्यापक अनुभव और ज्ञान वाले विशेषज्ञों ने कार्यशाला का संचालन किया और प्रासंगिक एवं उपयोगी जानकारी साझा की।

संवर्धन

हिंदी में मौलिक टिप्पण एवं आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना :

राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में टिप्पण एवं आलेखन के लिए शुरू की गई प्रोत्साहन योजना 2025-26 में जारी रही। इस योजना के तहत 5000 रुपये के दो प्रथम पुरस्कार, 3000 रुपये के तीन द्वितीय पुरस्कार और 2000 रुपये के पांच तृतीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के तहत पांच पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

पांचवां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन :

14 सितंबर को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में और भारत सरकार की राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार द्वारा 14-15 सितंबर, 2025 को गांधीनगर, गुजरात में 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें नीति आयोग के अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

हिंदी दिवस और पखवाड़ा :

नीति आयोग में हिन्दी दिवस और पखवाड़ा बड़े उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। इस अवधि के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान कुल 11 विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा कुल 63 अधिकारियों / कर्मचारियों को पुरस्कार, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र दिए गए। सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तरह के अधिकारियों/कर्मचारियों ने बहुत जोश और उत्साह के साथ सक्रिय रूप से भाग लिया।

एक नई पहल, 'चर्चा परिचर्चा': यह कार्यक्रम अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य भाषा के प्रति गहरी रुचि पैदा करना तथा दैनिक कार्यों में इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। 13 से अधिक सफल सत्रों के साथ इस कार्यक्रम ने पहले ही गति पकड़ ली है। यह व्याख्यान श्रृंखला ज्ञान का खजाना है, जिसमें व्यापक विषयों को शामिल किया गया है जो हमारे दैनिक जीवन से सीधे संबंधित हैं।

राजभाषा स्वर्ण जयंती समारोह: राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की स्थापना के 75 वर्ष (1975-2025) पूरे होने के उपलक्ष्य में 26 जून 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में और 11 जुलाई 2025 को हैदराबाद में स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। इसमें भारत भर से विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों, भाषा प्रेमियों और राजभाषा से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। नीति आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भी इसमें बड़े उत्साह और जोश के साथ सक्रिय रूप से भाग लिया।

निरीक्षण

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी)

ओएलआईसी 'संयुक्त सचिव (प्रशासन/राजभाषा)' की अध्यक्षता में कार्य करती है। यह समिति हिंदी के प्रयोग के सिलसिले में हुई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करती है और राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त सुझाव देती है तथा उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करती है। इस समिति की बैठकें हर तिमाही में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं तथा ओएलआईसी की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से करने के लिए नीति आयोग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों को भी हिदायत दी गई है।

केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (सीओएलआईसी):

सीओएलआईसी "राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सचिव" की अध्यक्षता और मंत्रालयों के प्रशासनिक प्रमुखों (संयुक्त सचिव स्तर) की सदस्यता में कार्य करती है। यह समिति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में राजभाषा के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है और इसके निर्बाध प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित करती है। इसकी बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। नीति आयोग के अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया और इसके लिए अपना बहुमूल्य प्रोत्साहन दिया।

राजभाषा अनुभाग द्वारा नीति आयोग के अनुभागों एवं संलग्न कार्यालयों का निरीक्षण : -

राजभाषा अनुभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों ने नीति आयोग के सभी 66 अनुभागों का निरीक्षण किया और संबंधित अनुभागों को सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न निर्देश, इनपुट और मूल्यांकन दिए गए। इसके अतिरिक्त, दो संबद्ध कार्यालयों यानी विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) और राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान का भी निरीक्षण किया गया और सुझाव दिए गए।

हिंदी सलाहकार समिति : -

हिंदी सलाहकार समिति मंत्रालय स्तर की सर्वोच्च समिति है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत 1987 में गठित यह संस्था राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय और केंद्रीय हिंदी समिति के विभिन्न नियमों, विनियमों, निर्देशों और प्रावधानों के कार्यान्वयन और संघ सरकार की राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के संबंध में परामर्श प्रदान करती है। इसकी अध्यक्षता संबंधित मंत्रालय के माननीय मंत्री करते हैं। एक बार स्थापित होने के बाद यह 3 साल तक काम करती है।

तदनुसार, नीति आयोग में नवीनतम हिंदी सलाहकार समिति का गठन 19 अगस्त 2025 को किया गया और माननीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में पहली बैठक 04 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई। हिंदी भाषी पृष्ठभूमि के सांसदों और विशेषज्ञों सहित 13 गैर-सरकारी सदस्यों और कई वरिष्ठ अधिकारियों ने हिंदी के प्रचार, कार्यान्वयन और समग्र विकास के लिए अपने-अपने सुझाव दिए। यह बैठक बेहद सफल रही और इसमें कई बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।

04 दिसंबर, 2025 को हुई हिंदी सलाहकार समिति की पहली बैठक की एक झलक

कर्मयोगी

मिशन कर्मयोगी - राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, वर्ष के दौरान विभिन्न स्तर के अधिकारियों के बीच दक्षता आधारित शिक्षा के प्रति जागरूकता और उसे अपनाने को बढ़ावा देने के लिए संवेदीकरण और क्षमता निर्माण संबंधी पहलों की एक श्रृंखला शुरू की गई।

आईगॉट प्लेटफॉर्म के प्रति जागरूकता और प्रचार-प्रसार

सभी स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जागरूकता सत्र आयोजित किए गए ताकि उन्हें मिशन कर्मयोगी और आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के उद्देश्यों और ढांचे से परिचित कराया जा सके। सतत अधिगम में भागीदारी बनाए रखने के लिए, त्रैमासिक आधार पर प्रासंगिक पाठ्यक्रमों की क्यूरेटेड सूचियाँ प्रसारित की गईं और अधिकारियों को आईगॉट पर उपलब्ध कार्यात्मक और व्यवहारिक दक्षता आधारित पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

सहभागिता और पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, सीएम अनुभाग ने मान्यता तंत्र लागू किए, जिनमें शामिल हैं:

- प्रत्येक तिमाही के अंत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों की पहचान और उन्हें सम्मानित करना; और
- सर्वोच्च कर्म अंक प्राप्त करने वाले शीर्ष पांच अधिकारियों को प्रशंसा पत्र जारी करना।

इन पहलों से आईगॉट प्लेटफॉर्म पर सीखने के मॉड्यूल के उपयोग और सहभागिता में वृद्धि हुई।

जन सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, सीएम अनुभाग ने मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत व्यवहार संबंधी व्यापक परिवर्तन एजेंडा के हिस्से के रूप में जन सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू किया।

क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) ने एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जिसका शीर्षक "कर्मयोगी के तरीके से सेवा करना" है जो क्षमता निर्माण संबंधी सुधारों के मूल में नागरिक केंद्रितता को रखता है। इस पहल के तहत, राष्ट्रीय जन सेवा पहल शुरू की गई जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच सेवा भाव पैदा करना है।

यह कार्यक्रम बड़े पैमाने पर व्यवहार संबंधी अंतःक्षेप है, जिसके लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया है। इस ढांचे के अनुरूप, डीओपीटी द्वारा प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के मार्गदर्शन में नीति आयोग के अधिकारियों के लिए एक दिवसीय जन सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वर्ष के दौरान, पूरे वर्ष में आयोजित कई सत्रों के माध्यम से जनसेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 200 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया:

- कर्मयोगी होने की भावना को आत्मसात करना;
- नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण को मजबूत करना; और
- सेवा उन्मुखीकरण और व्यवहार संबंधी दक्षताओं को बढ़ाना।

आईगॉट का एपीएआर के साथ एकीकरण

भूमिका आधारित और परिणाम उन्मुख क्षमता निर्माण के हिस्से के रूप में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) से जोड़ने को अनिवार्य किया। इन निर्देशों के अनुपालन में, सीएम अनुभाग ने नीति आयोग में आईगॉट को एपीएआर ढांचे से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की, जिसका उद्देश्य सतत अधिगम और योग्यता विकास को प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली में समाहित करना है।

"अपने मंत्रालय को जानें" मॉड्यूल

मिशन कर्मयोगी की क्षमता निर्माण योजना के तहत, मंत्रालयों/विभागों को "अपने मंत्रालय को जानें" मॉड्यूल विकसित करने की आवश्यकता थी जो संगठन के भीतर तैनात कर्मचारियों के लिए संक्षिप्त ऑनलाइन परिचय पाठ्यक्रम होता है।

इस संबंध में, सीएम अनुभाग ने नीति आयोग के विभिन्न विभागों और हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित किया ताकि आईगॉट प्लेटफॉर्म पर नीति आयोग के "अपने मंत्रालय को जानें" मॉड्यूल के विकास के लिए आवश्यक इनपुट संकलित और अग्रेषित किए जा सकें।

पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र

नीति आयोग पुस्तकालय भारत सरकार के मंत्रालयों के सबसे पुराने और सबसे व्यापक पुस्तकालयों में से एक है। यह आर्थिक और विकास नीति, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, उद्योग, अवसंरचना और क्षेत्र अध्ययन से संबंधित विषयों में विशेषज्ञता रखता है। यह वाचनालय (30 उपयोगकर्ताओं के लिए), इंटरनेट की सुविधा और परामर्श सेवाओं की पेशकश करके नीति आयोग के अधिकारियों, अन्य मंत्रालयों और शोध छात्रों को सेवाएं प्रदान करता है। इसके संग्रह में 1.85 लाख से अधिक पुस्तकें, 1326 ऑडियो-विजुअल सामग्री और अंग्रेजी एवं हिंदी में 117 पत्रिकाओं, मैगज़ीन और समाचार पत्रों का सब्सक्रिप्शन शामिल है।

ई-संसाधन

- **डेटाबेस:** सीईआईसी, सीएमआईई, डेलनेट, ईपीडब्ल्यूआरएफआईटीएस, इंडियास्टेट, जेएसटीओआर, मैगज़टर, मनुपात्रा, सेज, स्टेटिस्टा, विश्व बैंक ई-लाइब्रेरी
- **ऑनलाइन समाचार पत्र:** बिजनेस लाइन, फाइनेंशियल टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, न्यूयॉर्क टाइम्स, द हिंदू, डब्ल्यूएसजे, वाशिंगटन पोस्ट
- **ऑनलाइन जर्नल:** एईए जर्नल, इकोनॉमिस्ट, फॉरेन अफेयर्स, एचबीआर, नेशनल ज्योग्राफिक, ऑक्सफोर्ड जर्नल
- **ई-पुस्तकें:** जेएसटीओआर, पेर्लेगो (अंग्रेजी); सेज, नोटनुल (हिन्दी)
- **ई-उपकरण:** ग्रामरली, निम्बस, स्टेटक्राफ्ट, स्टेटा 18, टर्निटिन

आईटी एप्लिकेशन

- **स्वचालन:** कोहा सॉफ्टवेयर; पोर्टल: https://library.niti.gov.in

- **दूरस्थ पहुंच:** https://nitiaayoglibrary.in

- **मोबाइल एप्लिकेशन:** एमलाइब्रेरी (एंड्रॉइड/आईओएस)

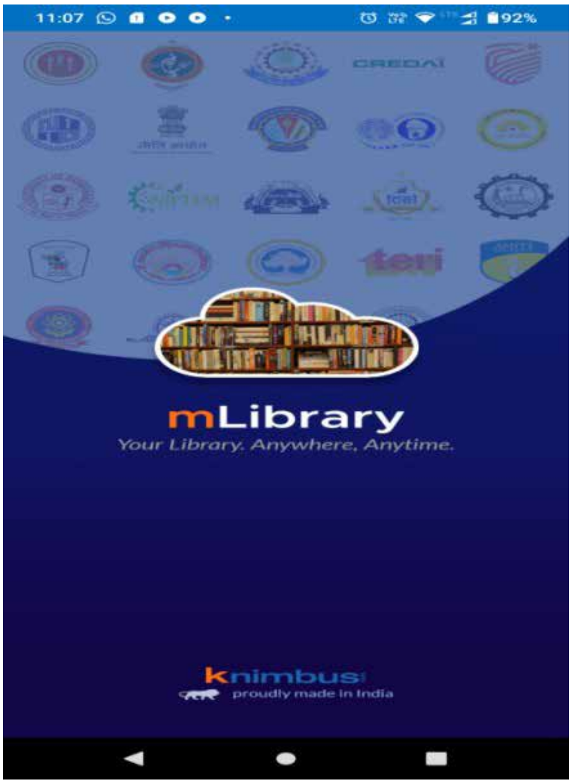

संस्थागत भंडार: डीस्पेस आधारित डिजिटल संग्रह जिसमें 6000 दस्तावेजों को लैन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। यूआरएल http://10.21.131.211:4000/home है।

ओएमएंडसी अनुभाग

- ओएमएंडसी अनुभाग जनवरी 2018 से सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से ऑनलाइन सार्वजनिक शिकायतों को संभाल रहा है और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक शिकायत से जुड़ी अपीलों का भी निवारण कर रहा है।
- ओएमएंडसी अनुभाग, नीति आयोग के नियमित/संविदा/आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण और एमएचए के अस्थायी पास और स्थायी पहचान पत्रों के वितरण के उद्देश्य से गृह मंत्रालय के साथ समन्वय कर रहा है।
- ओएमएंडसी अनुभाग ने 21 जून, 2025 को "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग" विषय पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया। आयुष मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, नीति पोर्टल पर सामान्य योग प्रोटोकॉल और वाई-ब्रेक ऐप को साझा किया गया। नीति आयोग के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ एक योग सत्र का आयोजन किया गया।
- डीओपीटी के पोर्टल ("rrcps.nic.in") पर 01 जनवरी, 2025 तक की स्थिति के अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के प्रतिनिधित्व पर समेकित डेटा अपलोड किया गया।

- स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, 2025 के निमंत्रण कार्ड जारी करने के लिए रक्षा मंत्रालय को नीति आयोग और उसके अधीनस्थ / संबद्ध संगठनों के अधिकारियों एवं गणमान्य व्यक्तियों का विवरण अग्रेषित किया गया।
- नीति आयोग के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों, जिनके निवास क्षेत्र में सीजीएचएस की सुविधा नहीं है, के लाभ के लिए पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनरों को अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट (एएमए) के रूप में नियुक्त करने से संबंधित कार्य।
- लंबित जन शिकायतों, सांसदों और राज्य सरकारों के संदर्भों, अंतर-मंत्रालयी परामर्शों, संसदीय आश्वासनों आदि का निपटारा करने के लिए 15 सितंबर 2025 से नीति आयोग में डीएआरपीजी का विशेष अभियान 5.0 लागू किया गया।
- नीति आयोग में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान, 2025 का आयोजन किया गया।
- नीति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष और नीति आयोग के सीईओ ने 25 सितंबर, 2025 को नीति आयोग में स्वच्छ भारत शपथ दिलाई, जिसके बाद नीति आयोग के परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया।

आरटीआई प्रकोष्ठ

आरटीआई प्रकोष्ठ को वर्ष 2025-26 के दौरान (01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक) निम्नलिखित आरटीआई/अपील आवेदन और सीआईसी सुनवाई नोटिस प्राप्त हुए:

Sr. No.	विवरण	कुल संख्या
1	आरटीआई आवेदन	952
2	अपील	103
3	सीआईसी सुनवाई नोटिस	16

संचार प्रकोष्ठ

नीति आयोग का संचार प्रकोष्ठ पारंपरिक मीडिया (प्रिंट और दृश्य-श्रव्य), सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नीति आयोग की आधिकारिक वेबसाइट सहित कई संचार चैनलों के माध्यम से नीति आयोग के सभी प्रभागों में उत्पन्न ज्ञान, अंतर्दृष्टि और परिणामों को समेकित करने और प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, संचार प्रकोष्ठ ने नीति आयोग के सोशल मीडिया और आउटरीच इकोसिस्टम का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया, जिसमें सामग्री विकास और सहायक डिजाइन से लेकर हैशटैग कार्यनीति और समग्र संचार योजना तक के संचार से जुड़े कार्यों की देखरेख की गई। इस एकीकृत दृष्टिकोण ने प्रमुख राष्ट्रीय अभियानों और संस्थागत उपलब्धियों में निर्बाध समन्वय और सुसंगत संदेश सुनिश्चित किया। इसके अतिरिक्त, संचार प्रकोष्ठ ने संचार सामग्री और प्रेस विज्ञप्तियों की आंतरिक छपाई, डिजाइन और वितरण का कार्य संभाला तथा नीति आयोग की सुसंगत, प्रभावशाली और नागरिक केंद्रित डिजिटल उपस्थिति में योगदान दिया।

2025-26 के दौरान की गई विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

नीति @ 10 अभियान ने नीति आयोग के एक दशक पूरे होने का जश्न मनाया, जिसमें भारत की विकास गाथा में इसकी यात्रा, उपलब्धियों और योगदान पर प्रकाश डाला गया। इस अभियान ने अभिलेखीय उपलब्धियों, नीतिगत सुधारों और प्रमुख पहलों को संकलित किया है जिन्होंने वर्षों से राष्ट्रीय विमर्श को आकार दिया है। संस्थागत निरंतरता, प्रभाव और विकसित भारत के निर्माण में नीति आयोग की उभरती भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए नेतृत्व के संदेशों और विषयगत रचनात्मक सामग्री का उपयोग किया गया। अभियान में इन्फोग्राफिक्स, ग्राफिक्स और वीडियो सामग्री शामिल थी, जिसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वितरित किया गया। इस कार्यनीतिक दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप कुल मिलाकर 5,99,821 इंप्रेशन प्राप्त हुए।

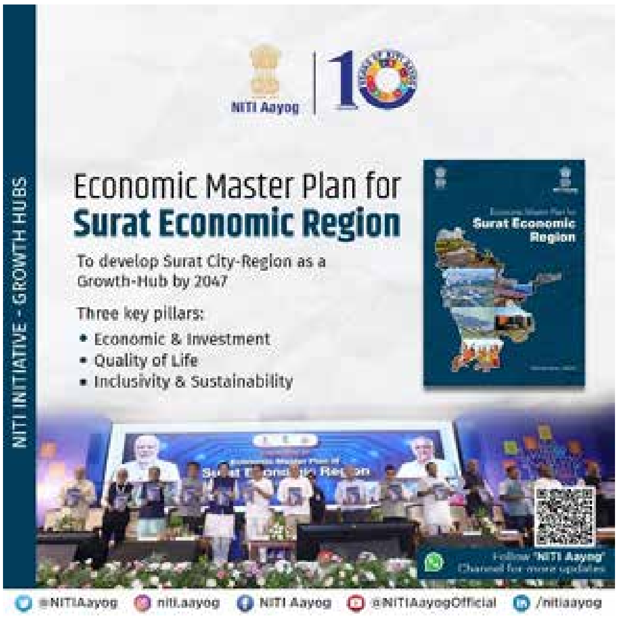

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) / आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी)

एबीपी और एडीपी अभियान का उद्देश्य भारत के विकास की प्रमुख महत्वाकांक्षी पहलों के विजन, प्रगति और परिणामों को संप्रेषित करना था। आकांक्षा और परिवर्तन के चैंपियन जैसी पहलों पर विशेष रूप से जोर दिया गया। आकांक्षा ने जमीनी स्तर की उद्यमिता और स्थानीय स्तर पर विकसित उत्पादों पर प्रकाश डाला, साथ ही आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों से 'वोकल फॉर लोकल' जैसी पहलों को बढ़ावा दिया, जिनका उद्देश्य आजीविका उत्पन्न करना और समुदाय के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। परिवर्तन के चैंपियन ने मापने योग्य विकास प्रभाव को बढ़ावा देने में अनुकरणीय परिणामों और सर्वोत्तम प्रथाओं को मान्यता देते हुए उच्च प्रदर्शन करने वाले जिलों और ब्लॉकों को प्रदर्शित किया। सोशल मीडिया पर प्रकाशित सामग्री में डेटा आधारित शासन, जमीनी स्तर से सफलता की कहानियों और विकास के प्रमुख संकेतकों में मापने योग्य सुधारों पर प्रकाश डाला गया। विश्वसनीय डेटा द्वारा समर्थित मानव केंद्रित कथाओं पर ध्यान केंद्रित करके, अभियान ने सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के बारे में जागरूकता को मजबूत किया, साथ ही जमीनी स्तर पर परिवर्तनकारी बदलाव को प्रदर्शित किया।

सरोवर समृद्धि

सरोवर समृद्धि अभियान का उद्देश्य सामुदायिक नेतृत्व वाली और नीति द्वारा समर्थित पहलों के माध्यम से जल संरक्षण और जल के स्रोतों के पुनरुद्धार को बढ़ावा देना है। सोशल मीडिया पर कहानी सुनाने के माध्यम से स्थिरता, स्थानीय भागीदारी और दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभाव पर जोर दिया गया। दृश्य कथाओं और संदर्भगत संदेशों ने जल सुरक्षा के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने में मदद की, साथ ही अभियान को जलवायु लचीलापन और सतत विकास पर व्यापक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ सरेखित किया। एडीपी और एबीपी के तहत प्रमुख अंतःक्षेपों और जिला एवं ब्लॉक स्तरीय प्रगति को उजागर करने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न चैनलों पर चित्रों और जमीनी स्तर के दृश्यों सहित कुल 90 पोस्ट प्रकाशित किए गए। इस अभियान ने कुल मिलाकर 19,32,667 इंप्रेशन की डिजिटल पहुंच हासिल की, जो दर्शकों की मजबूत सहभागिता और कार्यक्रम के संदेशों के प्रभावी प्रसार को दर्शाता है।

फ्रंटियर टेक हब का परिचय

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान नीति आयोग की डिजिटल पहुंच में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि नीति फ्रंटियर टेक हब (एफटीएच) की शुरुआत थी। फ्रंटियर टेक हब को उभरती और अग्रणी प्रौद्योगिकियों के साथ भारत की सहभागिता को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंच के रूप में पेश करने के लिए सोशल मीडिया संचार को कार्यनीतिक रूप से डिजाइन किया गया। सामग्री को चार अभिनव इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से फ्रंटियर टेक हब के विजन, उद्देश्यों और संस्थागत महत्व को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इन इन्फोग्राफिक्स को कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया, जिससे कुल 76,968 इंप्रेशन प्राप्त हुए।

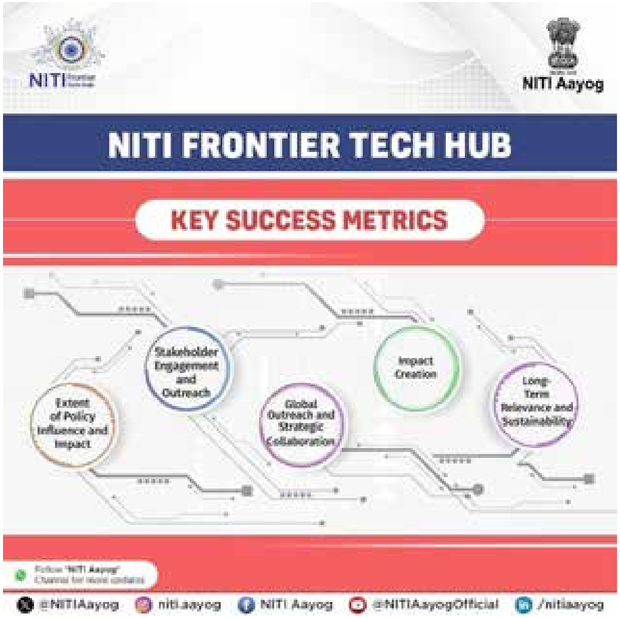

वीडियो/रील

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों पर पहुंच और सहभागिता बढ़ाने के लिए नीति आयोग की डिजिटल संचार कार्यनीति के हिस्से के रूप में वीडियो और छोटी रीलों का उपयोग किया गया। विभिन्न रिपोर्टों के विमोचन और प्रसार में सहयोग के लिए रीलों की एक श्रृंखला बनाई गई, जिससे प्रमुख निष्कर्षों और संदेशों को संक्षिप्त और सुलभ तरीके से संप्रेषित किया जा गया।

इसके अतिरिक्त, प्रमुख संस्थागत पहलों और उपलब्धियों को उजागर करने के लिए लंबे और छोटे प्रारूप के वीडियो तैयार किए गए, जिनमें नीति फॉर स्टेट्स हॉल ऑफ फेम, दर्पण पोर्टल का शुभारंभ शामिल हैं। इन ऑडियो-विजुअल संसाधनों ने जटिल सूचनाओं को सरल बनाने, आधिकारिक घोषणाओं को प्रभावी बनाने और नीति आयोग के कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इन वीडियो में सटीक संपादन, आकर्षक दृश्य और कार्यनीतिक शीर्षक थे, जिन्होंने जटिल जानकारी को समझने योग्य प्रारूपों में परिवर्तित किया, जिससे दृश्यता, सार्वजनिक सहभागिता और संस्थागत पहुंच में वृद्धि हुई।

रिपोर्टों के डिजाइन तैयार करना

वर्ष के दौरान, संचार प्रकोष्ठ ने कई महत्वपूर्ण रिपोर्टों को डिजाइन करने और विकसित करने का कार्य किया, जिनमें शामिल हैं: ट्रेड वॉच (त्रैमासिक), पूर्वोदय, महत्वाकांक्षी ब्लॉकों में जल बजट प्रबंधन, होमस्टे पर पुनर्विचार: नीतिगत प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन, इरादे से लेकर प्रभाव तक: कार्यस्थल पर लैंगिक समानता पर अच्छी प्रथाओं का संकलन, भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को गहरा करना, परिवर्तन की कहानियां: आकांक्षी जिले और ब्लॉक, आदि। 55 से अधिक प्रकाशनों के लिए डिजाइन संबंधी सहायता प्रदान की गई जिससे नीति विश्लेषण और प्रमुख संस्थागत परिणामों का प्रभावी प्रसार सुगम हुआ।

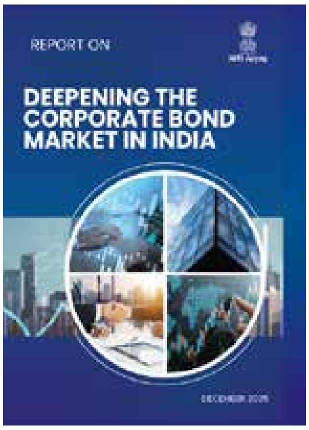

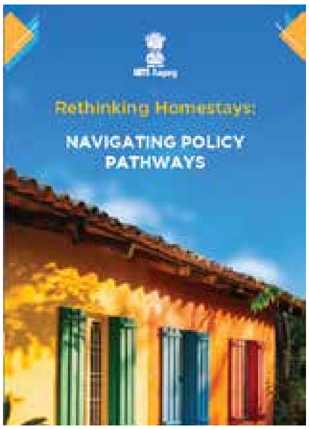

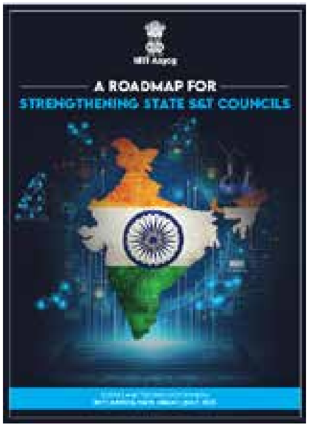

डिजाइन निर्माण दृष्टिकोण में स्पष्टता, एकरूपता और प्रभावी दृश्य संचार पर जोर दिया गया, जिसमें नीति आयोग की संस्थागत ब्रांडिंग का पालन करते हुए जटिल नीतिगत जानकारियों को सुलभ और पाठक अनुकूल तरीके से प्रस्तुत किया गया। देखने में आकर्षक और पेशेवर ढंग से संरचित रिपोर्टों ने सरकार की प्रमुख कार्यनीतियों और पहलों को संप्रेषित किया, जिससे वैचारिक नेतृत्व और ज्ञान साझाकरण को मजबूती मिली।

सोशल मीडिया आउटरीच

समीक्षाधीन अवधि के दौरान संचार टीम ने सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति को मजबूत और उसे सुसंगत बनाए रखा, जिससे दर्शकों की सहभागिता और दृश्यता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। एक वर्ष के भीतर, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर कुल 1590 पोस्ट प्रकाशित किए गए, जिनसे 20.41 मिलियन इंप्रेशन प्राप्त हुए और परिणामस्वरूप 27,000 फॉलोअर्स की वृद्धि हुई। इस निरंतर प्रचार-प्रसार के परिणामस्वरूप सभी प्लेटफार्मों पर कुल फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 5.39 मिलियन हो गई।

संसद अनुभाग

नीति आयोग में एक पूर्ण संसद अनुभाग है जो योजना मंत्रालय से संबंधित सभी संसदीय कार्यों को देखता है। संसद अनुभाग संसद सत्र के दौरान संसदीय प्रश्न (पीक्यू) के समय पर निपटान के लिए नीति आयोग के भीतर विभिन्न प्रभागों के साथ समन्वय करता है। इसमें उत्तर प्राप्त करने और माननीय योजना मंत्री से उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद संसद की वेबसाइट पर उत्तरों को अपलोड करने के लिए संबंधित प्रभाग को संसदीय प्रश्नों को अग्रेषित करना शामिल है। विधिवत रूप से अनुमोदित उत्तरों को सदन के पटल पर रखने के लिए लोकसभा / राज्यसभा को भी प्रस्तुत किया जाता है।

उपरोक्त के अलावा, सलाहकार समिति, स्थायी समितियों और विभिन्न अन्य समितियों की बैठकों के दौरान उठाए गए मुद्दों पर इनपुट प्रदान करने से संबंधित कार्य भी समय पर प्रदान किए जाते हैं।

जहां तक संसदीय आश्वासनों का संबंध है, डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में, संसद अनुभाग, योजना मंत्रालय के अतंर्गत लंबित सरकारी कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ओएएमएस (ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली) की नियमित रूप से निगरानी करता है और लंबित संसदीय आश्वासनों के निपटान के लिए आवश्यक कदम उठाता है। यह अनुभाग नीति आयोग के बजट को अंतिम रूप देने के लिए बजट सत्र के दौरान डीडीजी (अनुदान मांग) की विभिन्न बैठकें आयोजित करने में भी सहायता करता है। इसके अलावा, यह अनुभाग माननीय अध्यक्ष के निर्देश 73 ए के तहत वक्तव्य/ रिपोर्ट तैयार करने में माननीय मंत्री कार्यालय की सहायता करता है।

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान
NATIONAL INSTITUTE OF LABOUR ECONOMICS
RESEARCH AND DEVELOPMENT

खंड 8

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी), जो नीति आयोग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। इस संस्थान के प्राथमिक उद्देश्यों में समावेशी विकास और कल्याण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श तथा निगरानी और मूल्यांकन शामिल हैं।

2025-26 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी)

एनआईएलईआरडी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की आईटीईसी योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और संबंधित देशों की सरकारों के लिए अनुकूलित कार्यक्रम संचालित करता है। अप्रैल से अक्टूबर 2025 की अवधि के दौरान, एनआईएलईआरडी ने 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें से 1 कार्यक्रम आईटीईसी के तत्वावधान में और 2 कार्यक्रम भूटान के रॉयल सिविल सर्विस कमीशन के लिए थे। इन कार्यक्रमों में एशिया, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और उप-सहारा अफ्रीका के 55 से अधिक देशों के 204 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

- 7 से 20 अगस्त, 2025 के दौरान 'सतत विकास लक्ष्य: एकीकृत दृष्टिकोण' पर दो सप्ताह का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 19 देशों के 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- "कार्यबल नियोजन और मानव संसाधन मैट्रिक्स" पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो 16 से 27 जून, 2025 के दौरान आयोजित किया गया, जिसमें भूटान के रॉयल सिविल सर्विस कमीशन के 20 सहायक मानव संसाधन अधिकारियों ने भाग लिया।
- “कार्यबल नियोजन और मानव संसाधन मैट्रिक्स" पर दो सप्ताह का उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो 01 से 12 सितंबर, 2025 के दौरान आयोजित किया गया, जिसमें भूटान के रॉयल सिविल सर्विस कमीशन के 20 वरिष्ठ/मुख्य अधिकारियों ने भाग लिया।

2025-26 के दौरान नई पहलें

- “पारदर्शिता और भ्रष्टाचार निवारण” विषय पर एक 13 से 26 फरवरी, 2025 तक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ग्वाटेमाला के 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 2025 के दौरान "जमीनी स्तर पर स्वरोजगार के माध्यम से आजीविका संवर्धन" पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें 10 अफ्रीकी देशों के 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

अनुसंधान अध्ययन

(क) **पूर्ण**

- "सीएससी अकादमी की डिजिटल लाइब्रेरी सह संसाधन केंद्र योजना का प्रभाव मूल्यांकन" जिसका आदेश इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा दिया गया था।
- "मुख्य सचिवों के तीन राष्ट्रीय सम्मेलनों से उभरे कार्य बिंदुओं का तृतीय पक्ष सत्यापन" जिसका आदेश नीति आयोग के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय द्वारा दिया गया था।

- "देश भर में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) की प्रभावकारिता और प्रभाव पर एक अध्ययन" जिसका आदेश शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया था।
- "स्वर्ण उद्योग में श्रमिकों के रोजगार और कार्य स्थितियों का आकलन" जिसका आदेश विश्व स्वर्ण परिषद द्वारा दिया गया था।

(ख) **चल रहा है**

- दिशा निगरानी तंत्र के लिए प्रभाव आकलन और मूल्यांकन अध्ययन, जिसका आदेश ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा दिया गया था।
- ''सीएससी अकादमी की डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र योजना का प्रभाव मूल्यांकन'' जिसका आदेश इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा दिया गया है।
- "राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल (एनआईडीआई) योजना का मूल्यांकन" जिसका आदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया है।
- नीति आयोग की अनुसंधान योजना (आरएसएनए) का मूल्यांकन जिसका आदेश नीति आयोग के अनुसंधान एवं नवीनीकरण विभाग द्वारा दिया गया है।
- “परिवार को मिलने वाले लाभ: ग्रामीण उत्तर प्रदेश का एक अध्ययन" जिसका आदेश नीति आयोग द्वारा दिया गया है।

अनुलग्नक I

पीएफपीए में मूल्यांकन किए गए ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों की सेक्टर-वार संख्या और लागत
(1 अप्रैल, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक)

क्र. सं.	सेक्टर	संख्या	लागत (करोड़ रुपये में)	प्रतिशत
1	कृषि और संबद्ध क्षेत्र	8	167770	3.77
2	ऊर्जा	9	98972	2.23
3	परिवहन	65	2727449	61.35
4	उद्योग	15	133308	3.00
5	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3	8893	0.20
6	सामाजिक सेवाएं	31	945429	21.26
7	संचार	5	28474	0.64
8	अन्य	30	335683	7.55
	कुल	**166**	**4445978**	**100.00**

पीएफपीए में मूल्यांकन किए गए ईएफसी/पीआईबी सीएफई प्रस्तावों की सेक्टर-वार संख्या और लागत
(1 अप्रैल, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक)

क्र. सं.	सेक्टर	सं.	लागत (करोड़ रुपए में)
	कृषि		
1	कृषि एवं किसान कल्याण	7	44900
2	मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी	1	122870
	ऊर्जा		
3	विद्युत	6	89685
4	कोयला	1	5925
5	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	1	676
6	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	1	2686
	परिवहन		

क्र. सं.	सेक्टर	सं.	लागत (करोड़ रुपए में)
7	रेलवे	49	368864
8	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	6	2289700
9	नागर विमानन	7	49901
10	बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग	3	18985
	उद्योग		
11	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम	1	7350
12	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	1	21400
13	खान	1	1500
14	इस्पात	1	5000
15	रसायन एवं उर्वरक	4	4091
17	कपड़ा		
18	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	2	1594
19	वाणिज्य एवं उद्योग	5	92373
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी		
20	जैव प्रौद्योगिकी		
21	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3	8893
22	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान		
23	महासागर विकास		
24	पृथ्वी विज्ञान		
	सामाजिक सेवाएं		
25	शिक्षा / मानव संसाधन विकास	11	70714
26	संस्कृति		

क्र. सं.	सेक्टर	सं.	लागत (करोड़ रुपए में)
27	युवा कार्यक्रम एवं खेल	1	600
28	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	8	209666
29	आयुष		
30	महिला एवं बाल		
31	श्रम एवं रोजगार		
32	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	4	10141
33	ग्रामीण विकास	2	622463
34	अल्पसंख्यक कार्य	1	13814
35	जनजातीय कार्य	3	13344
36	पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता		
37	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	1	4687
	संचार		
38	सूचना और प्रसारण	1	10000
39	डाक		
40	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी		
41	डाक और संचार	4	18474
	अन्य		
42	गृह	4	18251
43	पर्यटन		
44	पर्यावरण एवं वन		
45	विधि एवं न्याय	2	15197
46	जल शक्ति	1	858

क्र. सं.	सेक्टर	सं.	लागत (करोड़ रुपए में)
47	पूर्वोत्तर क्षेत्र (डोनर)	2	4968
48	वित्त	4	46839
49	कारपोरेट कार्य		
50	योजना आयोग / नीति आयोग	2	20000
51	विदेश मामले		
52	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	2	29710
53	संसदीय कार्य		
54	पंचायती राज		
55	आवास एवं शहरी मामले	10	192604
56	कौशल विकास और उद्यमिता		
57	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन		
58	सहयोग	1	2000
59	रक्षा	2	5256
	कुल	**166**	**4445978**

अनुलग्नक II

अनुमोदित शोध अध्ययनों, पूर्ण किए गए अध्ययनों और अनुमोदित सेमिनारों की सूची

तालिका 1.1: 2025-26 के दौरान अनुमोदित नए शोध अध्ययनों की सूची (22 जनवरी 2026 तक)

क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक
1.	आयकर विधेयक 2025: अपराधीकरण का दायरा और सीमा"
2.	डेटा की सहज जानकारी को संभव बनाने के लिए नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म (एनडीएपी) पर उन्नत विश्लेषणात्मक सुविधाएं
3.	राज्यों के लिए निवेश अनुकूल चार्टर तैयार करना
4.	भारत में व्यापार करने की लागत
5.	नेट जीरो तकनीकी रिपोर्टों के परिष्करण के लिए विशेषज्ञ को शामिल करना-
6.	नेट जीरो तकनीकी रिपोर्टों के परिष्करण के लिए विशेषज्ञ को शामिल करना-
7.	नेट जीरो तकनीकी रिपोर्टों के परिष्करण के लिए विशेषज्ञ को शामिल करना-
8.	परमाणु ऊर्जा मिशन को पूरा करने के लिए कानूनी, संरचनात्मक और संस्थागत आवश्यकताएँ
9	पेशेवर, वैज्ञानिक और अन्य व्यावसायिक सेवाएं
10.	एकीकृत बाल विकास सेवाओं की पुनर्कल्पना
11.	कराधान संबंधी समस्याएं जिनका वित्तीय क्षेत्र को का सामना करना पड़ता है
12.	समुद्री अवसंरचना विकास में ड्रेजिंग की भूमिका और भविष्य
13.	भीतरी इलाकों में रेल द्वारा कंटेनर माल ढुलाई को बढ़ाना: नीतिगत चुनौतियाँ और आगे का रास्ता
14.	सेवा क्षेत्र में कराधान संबंधी मुद्दे
15.	विकास के स्थानीयकरण की दिशा में लघु नगर पहल (एससीआई): राष्ट्रीय मार्गदर्शन ढांचा और प्रायोगिक आर्थिक योजनाएं
16.	राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए टोल टैक्स की दरों के निर्धारण हेतु सिद्धांत तैयार करना
17.	परामर्श आधारित कर नीति निर्माण के लिए ढांचा और तंत्र विकसित करना
18	उच्च गुणवत्ता वाली रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं की कार्यनीतिक समीक्षा के लिए एचएलसी-वीबी में नॉलेज पार्टनर
19	समुद्री अमृत काल विजन 2047 के अंग के रूप में जहाज निर्माण की क्षमता बढ़ाना
20	भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के राज्य उद्यमों/राज्य स्वायत्त निकायों में सुधार
21	भारतीय रेल के लिए किराया से भिन्न राजस्व को अधिकतम करना
22	राज्यों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) दृष्टिकोण हेतु विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा ढांचागत विकास

क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक
23	महाराष्ट्र में कृषि मूल्य श्रृंखला विकास तथा ग्रामीण समृद्धि के इंजन के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को मजबूत करना।

तालिका 1.2: 2025-26 के दौरान (22 जनवरी 2026 तक) पूर्ण किए गए अध्ययन

क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक
1.	राज्यों के लिए निवेश अनुकूल चार्टर का विकास
2.	आयकर विधेयक 2025 का विश्लेषण: अपराधीकरण का दायरा और सीमा
3.	भारत में निष्प्रयोज्य वाहनों की चक्रीय अर्थव्यवस्था

NOTES

सत्यमेव जयते

नीति आयोग